ादश माला, खंड 12, अंक 12

मंगलवार, 5 दिसम्बर, 2000
14 अग्रहायण, 1922 (शक)

लोक सभा वाद - विवाद

(हिन्दी संस्करण)

FOR REFERNCE ONLY

NOT TO BE ISSUED

पांचवां सत्र
(तेरहवीं लोक सभा)

(खण्ड 12 में अंक 11 से 20 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : पचास रुपये

सम्पादक मण्डल

गुरदीप चन्द मलहोत्रा
महासचिव
लोक सभा

डा. (श्रीमती) परमजीत कौर सन्धु
संयुक्त सचिव

पी. सी. चौधरी
प्रधान मुख्य सम्पादक

शारदा प्रसाद
मुख्य सम्पादक

डा. राम नरेश सिंह
वरिष्ठ सम्पादक

पीयूष चन्द दत्त
सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।

विषय-सूची

त्रयोदश माला, खंड 12 पांचवा सत्र, 2000/1922 (शक)

[अंक 12, मंगलवार, 5 दिसम्बर, 2000/14 अग्रहायण, 1922 (शक)]

विषय	*कॉलम*
कजाकिस्तान के संसदीय शिष्टमंडल का स्वागत	1
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
*तारांकित प्रश्न संख्या 221 से 224 ...	1-33
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 225 से 240	33-71
अतारांकित प्रश्न संख्या 2456 से 2585 ...	71-253
दिल्ली में टाइप-8 क्वार्टरों के बारे में दिनांक 8 अगस्त, 2000 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2610 के उत्तर में शुद्धि करने वाला विवरण ...	253-254
सभा पटल पर रखे गए पत्र	254-257
सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति	258
तीसरा और चौथा प्रतिवेदन	
रेल संबंधी स्थायी समिति	258
दूसरा प्रतिवेदन	

* किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिह्न इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

लोक सभा

मंगलवार, 5 दिसम्बर, 2000/14 अग्रहायण, 1922 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न 11.03 बजे समवेत हुई।

[**अध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*]

.....(*व्यवधान*)

[हिन्दी]

कुंवर अखिलेश सिंह (महाराजगंज, उ.प्र.) : अध्यक्ष महोदय, 6 दिसम्बर 1992 को अयोध्या में... (*व्यवधान*)

अध्यक्ष महोदय : अभी नहीं, बाद में जीरो ऑवर में सुनेंगे। कज़ाकिस्तान गणतंत्र की संसद से प्रतिनिधिमंडल आया है।

.....(*व्यवधान*)

कुंवर अखिलेश सिंह : अध्यक्ष जी, जो विदेशी प्रतिनिधिमंडल आया है, उसका हम आदर करते है। प्रतिनिधिमंडल के स्वागत व परिचय के बाद हमें बोलने का मौका दिया जाये। .....(*व्यवधान*)

पूर्वाह्न 11.04 बजे

[अनुवाद]

कज़ाकिस्तान के संसदीय शिष्टमंडल का स्वागत

अध्यक्ष महोदय : हम कज़ाकिस्तान गणतंत्र की संसद की मज़लिस के प्रेजीडेन्ट महामहिम श्री ज़ारमखान तुयाक्बी तथा संसदीय शिष्टमंडल के अन्य माननीय सदस्यों का स्वागत करते हैं।

यह शिष्टमंडल 4 दिसम्बर, 2000 को भारत पहुंचा। वे इस समय विशेष प्रकोष्ठ में विराजमान हैं। हम कामना करते हैं कि हमारे देश में उनका प्रवास सुखद हो।

पूर्वाह्न 11.05 बजे

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

राउरकेला इस्पात संयंत्र

+

***221. श्री त्रिलोचन कानूनगो :**

श्री भर्तृहरि महताब :

क्या **इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राउरकेला इस्पात संयंत्र को इसका आधुनिकीकरण किए जाने के पश्चात् भी भारी घाटा हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या इस संयंत्र का आधुनिकीकरण किए जाने के पश्चात उत्पादन लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है;

(घ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान तत्संबंधी वर्ष–वार ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(च) आगामी तीन वर्षों के लिए उत्पादन का क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है; और

(छ) राउरकेला इस्पात संयंत्र में उत्पादन लक्ष्य प्राप्त करने तथा इसे एक लाभकारी इकाई बनाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी) : (क) से (छ) एक विवरण लोक सभा के पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) राउरकेला इस्पात संयंत्र (आर.एस.पी.) का आधुनिकीकरण नवम्बर, 1999 में पूरा हुआ था। राउरकेला इस्पात संयंत्र को 1999–2000 में 704 करोड़ रुपए की निवल हानि हुई।

(ग) और (घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान विक्रेय इस्पात के उत्पादन के लक्ष्य और उपलब्धि नीचे दी गई है :

(इकाई : दस लाख टन)

मद	लक्ष्य	उपलब्धि
1997–98	1.24	1.18
1998–99	1.39	1.11
1999–2000	1.23	1.17

(ङ) 1999–2000 में उत्पादन का लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सका। इसका मुख्य कारण मन्दीयुक्त बाजार स्थिति की वजह से उत्पादन को विनियमित करना था।

(च) स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) द्वारा निर्धारित किए गए राउरकेला इस्पात संयंत्र के लिए विक्रेय इस्पात के उत्पादन के आगामी तीन वर्षों के लिए लक्ष्य नीचे दिए गए हैं:

(इकाई : दस लाख टन)

वर्ष	लक्ष्य
2001–02	1.62
2002–03	1.63
2003–04	1.64

(छ) राउरकेला इस्पात संयंत्र द्वारा समग्र परिवर्तन करने और नकद लाभ अर्जित करने के लिए सक्षम बनाने हेतु निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे हैं :

– तप्त धातु, अपरिष्कृत इस्पात और विक्रेय इस्पात के उत्पादन की मात्रा बढ़ाना।

– अपने उत्पादों विशेष रूप से प्लेटों और एच आर क्वायलों की बिक्री बढ़ाना।

– मूल्य वर्धित मदों के अनुमान में वृद्धि द्वारा उत्पाद मिश्र का इष्टतमीकरण।

– कोकदर में सुधार करके कोयले की खपत घटाना, और

– विद्युत लागत में बचत करना।

.....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कुंवर अखिलेश सिंह, आप इसे 'शून्य काल' में उठा सकते हैं प्रश्न काल में नहीं।

.....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय द्वारा कही गई बात के अलावा कार्यवाही–वृतांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

.....*(व्यवधान)* *

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन) : महोदय, इस तरह की बातें कार्यवाही–वृतांत में सम्मिलित नहीं की जानी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : मैं पहले ही यह कह चुका हूं। अब श्री कानूनगो अपना अनुपूरक प्रश्न पूछ सकते हैं।

.....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कुंवर अखिलेश सिंह, कृपया आप इसे 'शून्य काल' में उठाएं, अभी नहीं।

.....*(व्यवधान)*

* कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री त्रिलोचन कानूनगो : महोदय यह एक अति गंभीर मामले से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। .....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कुंवर अखिलेश सिंह, कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए। श्री कानूनगो द्वारा कही गई बात के अलावा कार्यवाही–वृतांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाए।

.....*(व्यवधान)* *

श्री त्रिलोचन कानूनगो : महोदय, मैं यहां आपका हस्तक्षेप चाहता हूं। मैं इतनी जोर से नहीं बोल सकता कि उनकी आवाज दब जाए। .....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं अपनी बात कह रहा हूं। श्री अखिलेश सिंह, बस, बहुत हो चुका।

.....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही–वृतांत में सम्मिलित नहीं किया जाए।

.....*(व्यवधान)* *

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : अभी नहीं, जीरो आवर में उठाइए। आप बैठ जाइए।

.....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही–वृतांत में सम्मिलित नहीं किया जाए।

.....*(व्यवधान)* *

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : यह प्रापर प्रोसीजर नहीं है। आप बैठ जाइए।

.....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यह गम्भीर सवाल है, तो जीरो आवर में उठाइए। आपको प्रापर प्रोसीजर मालूम होना चाहिए।

.....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही–वृतांत में सम्मिलित नहीं किया जाए।

.....*(व्यवधान)* *

* कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री त्रिलोचन कानूनगो : माननीय अध्यक्ष महोदय, 5000 करोड़ रुपये से अधिक धनराशि राउरकेला इस्पात संयंत्र के आधुनिकीकरण पर निवेश की जा चुकी है.....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य के प्रश्न तथा माननीय मंत्री महोदय के उत्तर के अतिरिक्त कार्यवाही–वृतांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाए।

.....*(व्यवधान)* *

श्री त्रिलोचन कानूनगो : मैं अपना प्रश्न दोहराता हूं। 5000 करोड़ रुपये से अधिक धनराशि राउरकेला इस्पात संयंत्र के आधुनिकीकरण पर खर्च की गई है।.....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं पहले कह चुका हूं कि कार्यवाही–वृतांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा। कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए।

.....*(व्यवधान)* *

श्री त्रिलोचन कानूनगो : महोदय, मैं आपका संरक्षण चाहता हूं। मैं इस स्थिति में कैसे बोल सकता हूं? .....*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मुलायम सिंह जी, अभी नहीं, जीरो आवर में।

.....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री कानूनगो के प्रश्न के अतिरिक्त कार्यवाही वृतांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

.....*(व्यवधान)* *

श्री त्रिलोचन कानूनगो : मैं अपना प्रश्न दोहरा रहा हूं। राउरकेला इस्पात संयंत्र के आधुनिकीकरण पर 5000 करोड़ रुपये से अधिक धनराशि खर्च हो चुकी है। 18 नवम्बर, 1996 को तत्कालीन इस्पात मंत्री श्री संतोष मोहन देव और उड़ीसा के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री जानकी वल्लभ पटनायक ने आधुनिक राउरकेला इस्पात संयंत्र का उद्घाटन किया था। मैं जानना चाहता हूं कि राउरकेला इस्पात संयंत्र के आधुनिकीकरण और उस पर 5000 करोड़ रुपये खर्च करने के बाद भी यह संयंत्र लगातार घाटे में क्यों चल रहा है। इसके क्या कारण हैं ? .....*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आपसे अपील कर रहे हैं, आप बैठ जाइए। क्वैश्चन आवर में कैसे इस सवाल को उठा सकते हैं। आपको प्रोसीजर भी मालूम नहीं है।

.....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : सारा देश देख रहा है कि हाउस में क्या हो रहा है कौन–कौन मैम्बर्स क्या काम कर रहे हैं। हम यहां इम्पोर्टेंट पब्लिक इशूज को उठाने के लिए एसेम्बल हुए हैं।

.....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : इसे कार्यवाही–वृतांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

.....*(व्यवधान)* *

श्री त्रिलोचन कानूनगो : मैं जानना चाहता हूं कि राउरकेला इस्पात संयंत्र के आधुनिकीकरण पर इतनी भारी राशि खर्च किए जाने के बावजूद भी यह संयंत्र निरंतर घाटे में क्यों चल रहा है। मैं यह भी जानना चाहता हूं कि किन मदों के आधुनिकीकरण के लिए धन लगाया गया था। इसका निष्पादन कैसा है? .....*(व्यवधान)*

श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी : माननीय अध्यक्ष महोदय, राउरकेला इस्पात संयंत्र को घाटा होना 'सेल' की मुख्य चिंता का विषय है क्योंकि 'सेल' को होने वाले घाटे का मुख्य कारण यही है। 30 सितम्बर, 2000 तक राउरकेला इस्पात संयंत्र को कुल 2186 करोड़ रुपये का घाटा हुआ। घाटा होने के कारण है : इस्पात की मांग का कम होना और अंतर्राष्ट्रीय मूल्य और शुल्क अपेक्षाकृत कम होने के कारण आयात में अधिक प्रतिस्पर्धा। राउरकेला इस्पात संयंत्र के उत्पादों की औसत शुद्ध बिक्री लगभग स्थिर रही जबकि आदानों के मूल्यों में सामान्य वृद्धि की पूर्ति हेतु मांग में सामान्यतः लगभग पांच प्रतिशत वृद्धि प्रतिवर्ष अपेक्षित होती है। .....*(व्यवधान)* महोदय, राउरकेला इस्पात संयंत्र के आधुनिकीकरण/महत्वपूर्ण योजनाओं पर अधिक ब्याज और लागत का मूल्यह्रास भी घाटे का एक कारण था। आधुनिकीकरण का लाभ धीरे–धीरे मिलेगा.....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय के उत्तर के अतिरिक्त कार्यवाही–वृतांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

.....*(व्यवधान)* *

श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी : चूंकि लिए गए ऋण से आधुनिकीकरण पर धनराशि लगाई गई थी इसलिए ब्याज अधिक लगा और मूल्यह्रास भार बढ़ा। इसके अतिरिक्त, मुख्यतः कोकिंग कोल, पेट्रोलियम उत्पादों, विद्युत, परिवहन आदि के आदान मूल्यों में वृद्धि की

* कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

* कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

प्रतिपूर्ति इस्पात के मूल्य बढ़ाकर पूर्णतः नहीं की जा सकी है। इसके बावजूद भारतीय इस्पात प्राधिकरण लि. ने सभी आवश्यक कदम उठाए हैं और सरकार यह सुनिश्चित करने हेतु समय–समय पर निगरानी भी कर रही है कि राउरकेला इस्पात संयंत्र एक व्यवहार्य और लाभप्रद एकक बने। बहुत शीघ्र संयंत्र का आधुनिकीकरण पूरा हो जाएगा और हम आशा कर रहे हैं कि इस वर्ष नकद लाभ होगा। दो वर्षों के भीतर राउरकेला इस्पात संयंत्र लाभप्रद एकक बन जाएगा। भारतीय इस्पात प्राधिकरण लि. ने ये कदम उठाए हैं और सरकार राउरकेला इस्पात संयंत्र को एक लाभप्रद एकक बनाने हेतु सभी आवश्यक कदम भी उठा रही है।

श्री त्रिलोचन कानूनगो : महोदय, मेरा प्रश्न वह नहीं था। मैंने पूछा था कि जहां तक आधुनिकीकरण का संबंध है किन मदों पर निवेश किया गया है। वे मदें कौन सी हैं और उन आधुनिक मदों का निष्पादन कैसा है? मेरा प्रश्न यह है।

श्री ब्रजकिशोर त्रिपाठी : महोदय, मैंने बताया है कि प्लेटों के उत्पादन में काफी गिरावट आई है और राउरकेला इस्पात संयंत्र के घाटे का मुख्य कारण यही था। हमने निम्नलिखित लक्ष्यों के लिए आधुनिकीकरण किया है। वे इस प्रकार हैं यथा उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार, उत्पादन की लागत में कमी, कार्मिकों, मशीनों एवं सामग्री उत्पादकता में सुधार, ऊर्जा का संरक्षण एवं पर्यावरण में सुधार। मैंने जिनका उल्लेख किया है राउरकेला इस्पात संयंत्र में उन सभी के सुधार के लिए कदम उठाए गए हैं।

श्री त्रिलोचन कानूनगो : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है।.....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कुंवर अखिलेश सिंह मैं आपके विरुद्ध कार्रवाई करूंगा। यह क्या है ? कृपया अपनी सीट पर बैठ जाएं।

.....*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव (संभल) : महोदय, आप नाराज क्यों हो रहे हैं?

अध्यक्ष महोदय : आप हाउस में क्या कर रहे हैं, हम नाराज नहीं होंगे तो क्या करेंगे।

.....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप हाउस में प्रोसिजर को फॉलो नहीं कर रहे हैं।

.....*(व्यवधान)*

* कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही–वृतांत में इसे सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

.....*(व्यवधान)* *

श्री त्रिलोचन कानूनगो : महोदय, मेरा प्रश्न बहुत विशिष्ट था।. ....*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मुलायम सिंह जी, आप बैठ जाइए। यह प्रश्न–काल है।

.....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री मुलायम सिंह यादव, आप प्रश्न–काल में फेरबदल कैसे कर सकते हैं? यदि आप इसे उठाना चाहते है तो इसे 'शून्यकाल' में उठा सकते हैं अभी नहीं।

.....*(व्यवधान)*

श्री त्रिलोचन कानूनगो : महोदय, मेरा प्रश्न बहुत विशिष्ट था।. ....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य के अनुपूरक प्रश्न को छोड़कर कुछ भी कार्यवाही–वृतांत में सम्मिलित नहीं किया जाए।

.....*(व्यवधान)* *

श्री त्रिलोचन कानूनगो : महोदय, किन सामग्रियों के आधुनिकीकरण पर पूंजी निवेश किया गया था तथा उन आधुनिकीकृत सामग्रियों का कार्य निष्पादन क्या है? यह मेरा विशिष्ट प्रश्न था लेकिन इसका उत्तर नहीं दिया गया है। इसलिए आप से अनुरोध है कि इस संबंध में हस्तक्षेप करे। कृपया इसका उत्तर दिया जाए और तत्पश्चात मैं अपना दूसरा अनुपूरक प्रश्न पूछूंगा।..... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कुंवर अखिलेश सिंह कृपया अपनी सीट पर बैठ जाएं। यह क्या है? यह सही नहीं है।

.....*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव : आप नाराज मत होइए।

अध्यक्ष महोदय : आप हाउस में क्या कर रहे हैं, हम नाराज नहीं होंगे तो क्या करेंगे।

.....*(व्यवधान)*

* कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : आप सीनियर लीडर हैं, आपको समझना चाहिए।

कुंवर अखिलेश सिंह : अध्यक्ष महोदय, यह गंभीर सवाल है।....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइए।

कुंवर अखिलेश सिंह : मेरा आपसे नम्र निवेदन है.....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप बैठेंगे या नहीं, आप हाउस को क्या समझ रहे हैं?

[अनुवाद]

श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी : महोदय, निम्नलिखित उद्देश्यों से राउरकेला इस्पात संयंत्र का आधुनिकीकरण किया गया था। वे इस प्रकार हैं– उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार, उत्पादन की लागत में कमी, कार्मिकों, मशीनों एवं सामग्री की उत्पादकता में सुधार, ऊर्जा का संरक्षण एवं पर्यावरण में सुधार। राउरकेला इस्पात संयंत्र के आधुनिकीकरण में इस्पात निर्माण के स्तर पर कुछ नई सुविधाओं का सृजन और रोलिंग मिल में सुविधाओं का सुधार करना शामिल है। सितंबर 2000 तक प्रमुख मदें अपेक्षायें एवं उपलब्धियां इस, प्रकार रहीं– साइनर संयंत्र–II बेसिक आक्सीजन भट्ठी एवं सतत् कास्टिंग शॉप–I और II जैसी बड़ी इकाइयों के आधुनिकीकरण में एक ही दिन में शतप्रतिशत निर्धारित क्षमता हासिल कर ली है। ब्लास्ट भट्ठी–4 का प्रतिदिन का उत्पादन 2164 टीपीडी है जबकि इसकी निर्धारित क्षमता 1870 टीपीडी है। .....*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आपको क्या हो गया है?

.....*(व्यवधान)*

श्री मुलायम सिंह यादव : आप हमसे नाराज होते हैं लेकिन कल क्यों नाराज़ नहीं हुए? .....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी : ये सुधार पहले ही किए जा चुके हैं। .....*(व्यवधान)* हमें आशा है कि आधुनिकीकरण के लिए निर्धारित सभी मदों का और समुलयन किया जाएगा।

अध्यक्ष महोदय : अब श्री भर्तृहरि महताब जी बोलेंगे।

.....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : नहीं नहीं, कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए।

.....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री कानूनगो, आप दो पूरक प्रश्न पूछ चुके हैं। कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए।

श्री त्रिलोचन कानूनगो : मैंने केवल एक पूरक प्रश्न पूछा है।....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री कानूनगो, कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए।

श्री त्रिलोचन कानूनगो : मैंने केवल एक पूरक प्रश्न पूछा है। कृपया इसे कार्यवाही–वृतांत से इसकी जांच कर ले।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय ने दो पूरक प्रश्नों का पहले ही जवाब दे दिया है। अब कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए।

श्री त्रिलोचन कानूनगो : जी नहीं, मैंने केवल एक पूरक प्रश्न पूछा है।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं। कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए। यह क्या है ?

.....*(व्यवधान)*

श्री भर्तृहरि महताब : महोदय, यह सोचा गया था कि 8,454 करोड़ रुपए का सहायता पैकेज निजीकरण को बढ़ावा देगा तथा इसका निजी क्षेत्र के इस्पात संयंत्रों की लाभप्रदता पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा।.....*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री राशिद अलवी : अध्यक्ष महोदय, हमने नियम 184 के तहत सूचना दी है।.....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप इसे जीरो आवर में उठाएं।

.....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आपको इस बारे में सैपरेटली बताना है।

.....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री भर्तृहरि महताब : सेल जो विश्व के इस्पात उत्पादकों में दसवें स्थान पर है। यह 14 वर्ष से लगातार मुनाफा कमा रहा था तथा जो वर्ष 1995–96 में 1,319 करोड़ रुपए तक पहुंच गया, आज तक हानि में चला है.....*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, 6 दिसम्बर 1992 को बी.जे.पी. के लोगों ने बाबरी मस्जिद को गिराया था।.....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाएं।

.....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही–वृतांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाए।

.....*(व्यवधान)* *

श्री भर्तृहरि महताब : सेल की पुनर्संरचना योजना अथवा सहायता पैकेज को प्रमुख इस्पात कम्पनी के निजीकरण का गुप्त प्रयास समझा जा रहा है।.....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण, कृपया अपने–अपने स्थानों पर बैठ जाइए। मैं बोल रहा हूं।

.....*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप इसे अभी नहीं उठाएं। इसे जीरो आवर में उठाएं।

.....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप क्या कर रहे हैं ?

.....*(व्यवधान)*

श्री भर्तृहरि महताब : यह आशंका कितनी सत्य है कि सेल सहायता पैकेज इसके निजीकरण की पूर्वपीठिका है। जब विनिवेश मंत्रालय ने सेल द्वारा इस्पात विकास निधि से लिए गए 5,133 करोड़ रुपए के उधार को बट्टे खाते में डालने के पक्ष में एक शर्त रखी कि इस प्रमुख इस्पात कम्पनी का निजीकरण कर दिया जाए. ....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया व्यवस्था बनाये रखें। कज़ाकिस्तान से आया संसदीय दल विशेष कक्ष में बैठा है। वे भी हमारी कार्यवाही देख रहे हैं।

.....*(व्यवधान)*

श्री भर्तृहरि महताब : क्या यह सत्य नहीं है कि जबकि उधार लिए धन से किए गए आधुनिकीकरण के फलस्वरूप अवमूल्यन एवं ब्याज लागत बढ़ी है, परंतु इसके फलस्वरूप इस्पात की लागत में आनुपातिक कमी नहीं हुई है।

श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी : अध्यक्ष महोदय जी यह सत्य है कि सेल ने आधुनिकीकरण में 12,000 करोड़ रुपए से ज्यादा निवेश किया है तथा उच्च ब्याज लागत एवं अवमूल्यन के कारण यह घाटे में चल रही है। लेकिन यह इतनी खतरनाक स्थिति में नहीं पहुंची है तथा विनिवेश के लिए कोई निर्णय नहीं लिया गया है।..... *(व्यवधान)*

इसे 1978 से 1997–98 तक मुनाफा हुआ है। इसका अपना अतिरेक कोष है। हम 1995–96 तक लाभांश देते रहे हैं। सेल में भी एक अतिरेक कोष था जिसका न तो उपयोग किया गया है और न ही उसे बंद किया गया है। अभी तक यह ब्याज दर एवं अवमूल्यन के कारण खतरनाक स्थिति में नहीं पहुंचा है। इकाई घाटे में चल रही है लेकिन सरकार ने इसकी दशा में सुधार के लिए कई कदम उठाए हैं। सेल ने भी सुधार के लिए कदम उठाए हैं। इसकी स्थिति में काफी सुधार हो रहा है। हम इस वर्ष भी आशा कर रहे हैं। जहां तक अर्द्धवार्षिक परिणाम का सवाल है वह बहुत ही अच्छा है। इसमें काफी सुधार हुआ है। घाटे को नगण्य कर दिया गया है।. ....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया शांत हो जाइए।

श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी : हमें आशा है कि एक या दो वर्ष के अंदर बाजार की निष्क्रिय स्थिति में सुधार होगा। अन्तरराष्ट्रीय बाजार की स्थिति अच्छी नहीं है। बाजार की निष्क्रियता का प्रभाव स्टील सेक्टर पर भी पड़ रहा है। दूसरे देशों के मुकाबले हमारी घरेलू खपत अधिक नहीं है। अनेक कारणों से हमारा निर्यात भी मन्दा पड़ गया है। हम सभी आवश्यक कदम उठा रहे हैं। हमें आशा है कि स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड (सेल) को अपने संकट से उबरने में कोई कठिनाई नहीं होगी।

[हिन्दी]

श्री राजीव प्रताप रूडी : अध्यक्ष महोदय, टी.वी. कैमरा ऑन नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : टी.वी. कैमरा ऑन कर दिया है।

[अनुवाद]

श्री राजीव प्रताप रूडी : महोदय, द स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड 1996–97 से बहुत अधिक घाटे में चल रहा है। राउरकेला स्टील प्लान्ट बहुत अधिक घाटे में चल रहा है, दुर्गापुर स्टील प्लान्ट बहुत अधिक घाटे में चल रहा है, आई. आई. एस. सी. ओ. (इसको) बहुत अधिक घाटे में चल रहा है। स्टील अथारिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की मात्र दो इकाईयां बोकारो स्टील प्लांट और भिलाई स्टील प्लान्ट लाभ दे रहे हैं।

मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि ये इकाईयां लाभ देने वाली हैं, अलग प्रकार की हैं तो क्या उनको जीवनक्षम बनाए

* कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

रखने के लिए अलग किया जा सकता है तथा शेष तीन को पुर्नगठन योजना के अधीन रखा जा सकता है ताकि स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड लाभ की स्थिति में बना रहे। क्या मंत्री महोदय इन दो प्लांटों को अलग करना चाहेंगे, उन्हें एक अलग पहचान देंगे, अलग स्तर देंगे तथा उनके वित्तीय लेखा को अलग रखा जाएगा ताकि वे लाभकारी इकाई के रूप में अपनी स्थिति सही रख सकें।

श्री ब्रजकिशोर त्रिपाठी : अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले ही इसका उत्तर दे दिया है कि हानि के अनेक कारण हैं तथा स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड को एक इकाई माना जाता है। जब यह सरकारी क्षेत्र में थी जो इसे भिन्न-भिन्न प्लांटों में भिन्न-भिन्न वस्तुओं के उत्पादन की जिम्मेवारी दी गई थी – यह अब भी सरकारी क्षेत्र में ही है – क्योंकि टिस्को के अतिरिक्त अन्य कोई इस क्षेत्र में नहीं आ रहा था।

[हिन्दी]

श्री राजीव प्रताव रूडी : अध्यक्ष महोदय, यह तो कोई जवाब नहीं हुआ।

[अनुवाद]

श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी : उस समय यह विचार किया गया था कि स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड के प्लांटों में देश की आवश्यकता की भिन्न-भिन्न वस्तुएं बनाई जाएंगी। अतः अनेक प्लांटों में हानि का कारण वे प्लांट नहीं बल्कि उन प्लांटों में बनने वाली सामानों की बाजार में स्थिति अच्छी नहीं होना है। अतः इस समय स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड के प्लांटों को अलग करने का कोई प्रस्ताव नहीं हैं।

सरकार ने अब तक का सबसे बड़ा लगभग 8,000 करोड़ रुपये से भी अधिक का पैकेज जारी किया है जिसमें से 5073 करोड़ रुपये का ऋण भार हटा दिया गया है तथा 3000 करोड़ रुपये स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना एवं अन्य योजनाओं के लिए धन जुटाने के लिए प्रयोग की अनुमति प्रदान कर दी गई है। अतः सरकार ने स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड में सुधार के लिए वाणिज्यिक संरचना के साथ-साथ वित्तीय संरचना का भी ध्यान रखा है। स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड में सुधार करने के लिए कोई कठिनाई नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : श्री सुदीप बंद्योपाध्याय। यह प्रश्न राउरकेला स्टील प्लांट से संबंधित है।

श्री सुदीप बंद्योपाध्याय : महोदय, यह प्रश्न जो कि मैं उठाना चाहता हूं, लम्बे समय से लंबित है तथा आई.आई. एस. सी. ओ. (इसको), इंडियन आयरन और स्टील कंपनी के आधुनिकीकरण से संबंधित है।

महोदय, प्रस्तावों को स्वीकृति दिए हुए काफी समय हो चुका है लेकिन उसे आधुनिकृत करेगा कौन; क्या स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड से आई. आई. एस. सी. ओ. को आधुनिक बनाने के लिए संपर्क किया जाएगा या नहीं। यह अत्यंत अधिक समय से लम्बित प्रश्न है जिसका उत्तर कभी भी सभा में सकारात्मक रूप से नहीं दिया गया। मैं माननीय मंत्री से स्पष्ट रूप से पूछना चाहता हूं कि लोगों की इस मांग के बावजूद कि इसका आधुनिकीकरण स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड द्वारा किया जाए पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री ने आई. आई. एस. सी. ओ. (इसको) के आधुनिकीकरण का अवसर किसी प्राइवेट ग्रुप को देने की संस्तुति अपने पत्र द्वारा कर दी। इसका उत्तर कृपया सभा में दिया जाए।

एक दिन मैंने यह प्रश्न उठाया था। माननीय मंत्री जी ने स्पष्ट रूप से आश्वासन दिया कि वे इसे अगले दिन स्पष्ट करेंगे। महोदय, मैं चाहता हूं कि अब माननीय मंत्री जी इसे स्पष्ट करें।

श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी : महोदय, इस प्रश्न का संबंध राउरकेला स्टील प्लांट से है। लेकिन जो भी हो सदस्य जी ने आई. आई. एस. सी. ओ. (इसको) में सुधार से संबंधित सवाल उठाया है। अतः मैं उनको सूचित करना चाहता हूं कि स्टील अथारिटी आफ इंडिया और भारत सरकार ने भी इसके सुधार के लिए अनेक निर्णय लिए हैं। इच्छुक पार्टियां, जो कि आई. आई. एस. सी. ओ. में धन लगा सकती हैं, उन्हें आमंत्रण दिया गया है।

लेकिन जहां तक सदस्य महोदय द्वारा पूछे गए अन्य प्रश्न का संबंध है उसका उत्तर मेरे पास इस समय उपलब्ध नहीं है अतः मैं उसका उत्तर बाद में दे सकूंगा।

श्री सुदीप बंद्योपाध्याय : महोदय, माननीय मंत्री जी ने दो माह पहले भी यही उत्तर दिया था।

महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि पूर्व मुख्यमंत्री जी से पत्र प्राप्त करने की क्या अनिवार्यता है और वे क्या इस बात को कह नहीं सकते कि उन्होंने पत्र प्राप्त किया था। उस पत्र की प्रति मेरे पास है।....*(व्यवधान)*

श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी : महोदय यह प्रश्न राउरकेला स्टील प्लांट से संबंधित है तथा माननीय सदस्य जी ने अलग प्रश्न पूछा है। लेकिन इसके बावजूद मैंने इसका उत्तर दे दिया है।....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री बंद्योपाध्याय जी, मैंने श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति का नाम बुलाया है।

श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति : महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से अत्यंत विषयनिष्ठ प्रश्न पूछना चाहता हूं। सभी स्टील की इकाईयां, विजाग स्टील प्लांट भी हानि में चल रहे हैं यद्यपि कि उन्होंने आधुनिकीकरण की योजना की शुरूवात आधे मन से शुरू की है। लेकिन यदि एक वर्ष में 1750 करोड़ रुपये दिए गए हैं तो विजाग स्टील प्लांट को लाभ में चलना चाहिए था। अब, वे जो भी कर रहे हैं, बेकार हो रहा है। क्या माननीय मंत्री जी इन कमियों को दूर करने के लिए आवश्यक कदम उठाएंगे तथा इस धन को विजाग स्टील प्लांट में लगाएंगे ताकि यह लाभ में चल सके।

अध्यक्ष महोदय : श्री मूर्ति जी इस अनुपूरक प्रश्न का मुख्य प्रश्न से कहां संबंध है?

श्री एम.वी.वी.एस.मूर्ति : यह सब कुछ स्टील प्लांटों के विषय में है।

अध्यक्ष महोदय : कोई अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछा जाएगा।

[हिन्दी]

पेस्टनाशियों का आयात

+

***222. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय :**

श्री रामानन्द सिंह :

क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1994–95 के दौरान देश में 91 करोड़ रुपए के पेस्टनाशियों का आयात किया गया था, जो वर्ष 1998–99 के दौरान बढ़कर 166 करोड़ हो गया;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या पेस्टनाशियों के आयात के कारण घरेलू उद्योग को नुकसान हुआ है;

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा पेस्टनाशियों का आयात कम करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ङ) क्या रसायनिक पेस्टनाशियों के इस्तेमाल से देश में फसल उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है; और

(च) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है?

[अनुवाद]

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री सुखदेव सिंह ढिंडसा) : (क) से (च) एक विवरण सभा के पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) जी, हां।

(ख) से (घ) हालांकि इस दौरान आयात में वृद्धि हुई है, कुल स्वदेशी उत्पादन तथा पेस्टिसाइडों की निर्यात दर में पेस्टिसाइडों की आयात दर से भी अधिक वृद्धि हुई है। स्वदेशी उद्योग को अधिक क्षति नहीं पहुंची क्योंकि आयात दर में वृद्धि आंशिक रूप से निर्यात किए जाने वाले सूत्रयोगों के लिए अधिक आयात किए गए तकनीकी पेस्टिसाइडों के कारण हुई जिससे देश में वेल्यू एडीशन हुआ है।

(ङ) और (च) रासायनिक पेस्टिसाइडों को निर्धारित अन्तराल में सही तरीके से निर्धारित खुराक में प्रयोग करने से देश के फसल उत्पादन में कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है।

[हिन्दी]

श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी का जवाब मेरे प्रश्न का स्पष्ट उत्तर नहीं देता है। पेस्टनाशियों का आयात कम करने और स्वदेशी उद्योगों को क्षति आदि कारणों का जिक्र इस उत्तर में नहीं है। इसलिए मेरा पूरक प्रश्न है कि क्या कीटनाशक उद्योग पर उत्पादन शुल्क लगाने की दोहरी नीति के कारण बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा तैयार माल पर आठ प्रतिशत शुल्क है। जबकि देश के छोटे कीटनाशक उद्योग में कच्चे माल पर 16 प्रतिशत है और इसके बाद देश की 200 छोटी कंपनियां बंद हैं तथा शेष बंद होने के कगार पर हैं। सरकार ने ऐसी दोहरी नीति को हटाने और स्वदेशी कंपनियों को बंद होने से बचाने के लिए क्या प्रभावी कदम उठाये हैं?

श्री सुखदेव सिंह ढिंडसा : सर, मेरे जवाब में यही है कि जहां इम्पोर्ट बढ़ा है वहीं एक्सपोर्ट उससे कहीं ज्यादा बढ़ा है और उसमें किसी कम्पनी का कोई नुकसान नहीं है और न हमारे पास किसी की कोई शिकायत है। जहां इम्पोर्ट 82 प्रतिशत बढ़ा है, वहीं एक्सपोर्ट 211 प्रतिशत बढ़ा है। जो इम्पोर्ट होता है उसमें 35 प्रतिशत ड्यूटी लगती है, जो डायरेक्टली प्रोड्यूसर को दिया जाता है और जो कन्सन्ट्रेट रहता है, जो दोबारा एक्सपोर्ट होता है उस पर कोई ड्यूटी नहीं है। लेकिन इसमें किसी कम्पनी को नुकसान होने की कोई वजह नहीं है।

श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी का जवाब सही नहीं है। जनसत्ता अखबार में 16 फरवरी, 2000 को स्टेटमैंट है कि 200 छोटी इकाईयां बंद हैं। ....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : नहीं, आप सप्लीमेन्टरी पूछिये, आप ऐसा मत कीजिए।

[अनुवाद]

कृपया अपना अनुपूरक प्रश्न पूछें।

[हिन्दी]

श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय : मेरा दूसरा पूरक प्रश्न यह है कि 33 कीटनाशक दवाइयां विदेशों में प्रतिबंधित हैं परंतु भारत में कृषि मौसम और पर्यावरण की अनुकूलता के कारण उपयुक्त हैं तो सरकार ने किस विशेषज्ञ समिति ने किस आधार पर ऐसे प्रतिबंधित कीटनाशकों को भारत में प्रयोग के लिए उपयुक्त माना। क्या भारतीय विशेषज्ञों ने भारत और अन्य देशों के कृषि मौसम और पर्यावरण का तुलनात्मक अध्ययन किया हैं?

श्री सुखदेव सिंह ढिंडसा : सर, यह मेरा डिपार्टमैंट तो नहीं है। लेकिन एग्रीकल्चर डिपार्टमैंट ने एक इन्टीग्रेटिड पेस्ट मैनेजमैंट प्रोग्राम बनाया हुआ है जिसमें किसानों को बताते हैं कि कितना यूज करना चाहिए और अगर उसमें कोई नुक्स होता है, कोई चीज ठीक नहीं है, यह सब एग्रीकल्चर डिपार्टमैंट ने अपना प्रोग्राम बनाया हुआ है।

श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय : सर, इसमें लिखा हुआ है।.... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप मंत्री जी का समाधान पूरा होने दीजिए। प्लीज आप बैठिये।

श्री सुखदेव सिंह ढिंडसा : मैं कह रहा हूं कि एग्रीकल्चर डिपार्टमैंट ने इंटीग्रेटिड पेस्ट मैनेजमैंट प्रोग्राम शुरू किया है। वह किसानों को बताते हैं कि कौन सी खाद किस जगह और कितनी क्वान्टिटी में डालनी चाहिए और अगर पेस्टीसाइड में कोई नुक्स है तो उसे बंद कर देते हैं। उसे मार्केट में लाने नहीं देते हैं। लेकिन वह एग्रीकल्चर डिपार्टमैंट के अंडर हैं, वह उनका प्रोग्राम चल रहा है।

श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय दिग्भ्रमित कर रहे हैं। प्रतिबंधित कीटनाशकों का प्रयोग भारत में हो रहा है। 22 नवम्बर, 2000 के अखबार में कृषि राज्य मंत्री जी का स्टेटमैंट है। इसमें उर्वरक और रसायन मंत्रालय की भी जिम्मेवारी बनती है।....*(व्यवधान)*

श्री रामानन्द सिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने स्वीकार किया है कि 1994-95 में 51 करोड़ के पेस्टीसाइड का आयात होता था और 1998-99 में यह बढ़कर 166 करोड़ हो गया। अब स्थिति यह है कि जब देश में पेस्टीसाइड का उत्पादन बढ़ गया और आप निर्यात करने की स्थिति में आ गये तो फिर आप आयात क्यों कर रहे हैं। दूसरी ओर आयात और निर्यात में कितना अंतर है। आप आयात किस दर पर कर रहे हैं और निर्यात किस दर पर कर रहे हैं।

श्री सुखदेव सिंह ढिंडसा : मैंने कहा है कि 35 परसेंट उन पर इंपोर्ट डयूटी लगती है जो यहां पर यूज होती है। सिर्फ इसलिए डयूटी लगाई गई है ताकि हमारे यहां जो प्रोडक्शन कर रहे हैं, उनको कोई नुकसान न हो।

श्री रामानन्द सिंह : यह तो ठीक है, लेकिन मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया है। देश में उत्पादन पर्याप्त है और आप आयात कर रहे हैं तो क्या बहुराष्ट्रीय कंपनियों की ऐसी बाध्यता है?

श्री सुखदेव सिंह ढिंडसा : वहां से वही चीज इंपोर्ट होती है जो कंसनट्रेट आती है। हमारे जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनको यूज करके फिर एक्सपोर्ट करते हैं। इसलिए वह आ रही है। 50 प्रतिशत वही है जो वहां से मंगाकर हम उनको यूज करके एक्सपोर्ट करते हैं। इसलिए एक्सपोर्ट भी 211 प्रतिशत बढ़ा है। अगर वह इंपोर्ट न करें तो एक्सपोर्ट भी नहीं हो सकता और वह यहां से मिल भी नहीं सकता।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह एक अलग प्रश्न है। कृपया अपना अनुपूरक प्रश्न पूछें।

....*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री राजो सिंह : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी से प्रश्न पूछा गया कि क्या रासायनिक कीटनाशकों के इस्तेमाल से देश में फसल उत्पादन पर प्रतिकूल असर पड़ा है। इसका उत्तर मंत्री जी ने दे दिया। कि यह कृषि मंत्रालय से संबंधित है और उन्होंने इसका प्रबंध किया है। मैं ऐसा नहीं मानता हूं। मैं मानता हूं कि जो खाद आप किसानों के बीच वितरित करते हैं, उपलब्ध कराते हैं, उससे किसानों को फायदे के बदले नुकसान हो रहा है। यह जो खाद आप देते हैं, उन क्षेत्रों में देते हैं जहां सिंचाई की व्यवस्था कम होती है। जहां सिंचाई की व्यवस्था कम होती है, वैसी जगह में खाद देने से किसानों का बड़ा नुकसान होता है। इसके लिए सरकार कौन सी व्यवस्था करना चाहती है?

श्री सुखदेव सिंह ढिंडसा : मैंने बताया कहीं भी किसी भी खाद की कोई कमी नहीं है। जो कोई किसान जैसी खाद चाहता है, वैसी उसको देते हैं। यह नहीं है कि उसकी मर्जी के अलावा देते हैं। जो किसान मांगता है वही उसको मिलता है। लेकिन उसको समझाने के लिए, गाइड करने के लिए मैंने कहा है कि एग्रीकल्चर डिपार्टमैंट ने प्रोग्राम बनाया हुआ है, वह उनको गाइड करता रहता है। ऐसा ही जवाब मैंने दिया है। ....*(व्यवधान)* कोई डीकंट्रोल नहीं है।

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव : अध्यक्ष जी, सही जवाब तो आता ही नहीं है और बात बढ़ाते चले जाते हैं। ....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री वरकला राधाकृष्णन : महोदय, माननीय मंत्री जी द्वारा दिया गया उत्तर जो कि सभा पटल पर रखा गया है वास्तव में सही नहीं है। क्योंकि रासायनिक खादें बाजार में उपलब्ध नहीं है तथा किसान उनका प्रयोग नहीं कर सकते हैं। आयातित उर्वरकों की कीमत देश में बने उर्वरकों की कीमत से अधिक है। उर्वरक और रासायनों के मामले में उन्होंने अपने कीटनाशक के उत्पादन एकक को बंद कर दिया है। क्या माननीय मंत्री जी को वर्तमान स्थिति का पता है? माननीय मंत्री जी का वक्तव्य ठीक नहीं है। यह तथ्य बाजार में उपलब्धता के संगत नहीं है। स्थिति कुछ अलग ही है।

मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि इस मामले पर ध्यान दें। कुछ इकाइयां बहुत पहले ही बंद कर दी गई हैं। क्या माननीय मंत्री जी इसका निश्चित उत्तर देने की कृपा करेंगे?

[हिन्दी]

श्री सुखदेव सिंह ढिंडसा : मैंने क्लियर जवाब दिया है कि हमारे डिपार्टमैंट के पास कोई ऐसी एप्लीकेशन नहीं आई, कोई रेप्रेजेन्टेशन नहीं आई, लेकिन हमने कभी ऐसा नहीं किया कि उसको किसी को बंद करने के लिए बल्कि, 35 परसेंट इंपोर्ट ड्यूटी लगाई है ताकि हमारी इंडस्ट्री को नुकसान न हो, अदरवाइज पैस्टिसाइड पर लगनी नहीं चाहिए थी।

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव : खाद के सवाल पर कोई जवाब देगा या नहीं? ....*(व्यवधान)*

श्री सुखदेव सिंह ढिंडसा : यह खाद का सवाल नहीं है, यह पैस्टिसाइड का सवाल है।....*(व्यवधान)*

श्री साहिब सिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने माना है कि स्वदेशी उद्योग को भी अधिक हानि नहीं हुई है, कम हानि हुई है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि कितनी हानि किस–किस उद्योग को हुई है, इसके बारे में मंत्री जी बताएं।....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : पप्पू यादव, आप प्लीज बैठ जाइए।

श्री सुखदेव सिंह ढिंडसा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि माननीय सदस्य को इतना तो मालूम होना ही चाहिए कि पेस्टीसाइड और फर्टीलाइजर में बहुत फर्क है। यहां प्रश्न फर्टीलाइजर का नहीं बल्कि पेस्टीसाइड का पूछा जा रहा है जिसका मैंने पूरा उत्तर दिया है।

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी को मैं बताना चाहता हूं कि खाद में 14 आना मिलावट है।.... *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय के उत्तर के अतिरिक्त कुछ भी कार्यवाही–वृतांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

....*(व्यवधान)* *

[हिन्दी]

श्री सुखदेव सिंह ढिंडसा : सर, ऐसा है कि मैंने क्लीयर जवाब दिया है कि मेरे पास ऐसी कोई भी शिकायत कहीं से भी नहीं आई है। अगर किसी माननीय सदस्य के पास कोई इस प्रकार की शिकायत हो, तो मुझे बताएं, मैं उस पर एक्शन ले सकता हूं।.... *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी कृपया अध्यक्षपीठ को संबोधित करें।

....*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री साहिब सिंह : अध्यक्ष जी, मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा है कि कीटनाशकों के आयात से स्वदेशी उद्योगों को अधिक नुकसान नहीं हुआ है। मैं उनसे जानना चाहता हूं कि यदि अधिक नुकसान नहीं हुआ है, तो कम नुकसान हुआ होगा, वह कितना कम नुकसान हुआ है और किन–किन उद्योगों को हुआ है?

श्री सुखदेव सिंह ढिंडसा : अध्यक्ष महोदय, मैंने यह नहीं कहा है कि कीटनाशकों के आयात से स्वदेशी उद्योगों को कम नुकसान हुआ है।....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी, कृपया अध्यक्षपीठ को संबोधित करें सदस्य को नहीं।

[हिन्दी]

श्री साहिब सिंह : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने अपने लिखित उत्तर में साफ लिखा है।

श्री सुखदेव सिंह ढिंडसा : अध्यक्ष महोदय, किसी माननीय सदस्य ने फायदा और नुकसान के बारे में तो कोई प्रश्न पूछा ही नहीं है।....*(व्यवधान)*

---

* कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री पप्पू यादव कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

[हिन्दी]

मंत्री जी, आप साहिब सिंह जी सप्लीमैंट्री प्रश्न का उत्तर दें।

....(*व्यवधान*)

श्री साहिब सिंह : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने प्रश्न सं. 222 के लिखित उत्तर (ख), (ग) तथा (घ) में स्पष्ट जवाब दिया है कि "..... स्वदेशी उद्योग को अधिक क्षति नहीं पहुंची है।....." इसका तात्पर्य यह है कि स्वदेशी उद्योग को कम क्षति पहुंची है। मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि यदि अधिक नहीं, तो कम कितनी क्षति किस–किस उद्योग को पहुंची है ?

श्री सुखदेव सिंह ढिंडसा : अध्यक्ष महोदय, मेरा इस बारे में सिर्फ यही जवाब है कि इम्पोर्ट से एक्सपोर्ट बढ़ी है। जो इम्पोर्ट बढ़ी है उसके कारण और भी हैं। उनमें एक कारण यह भी है कि डॉलर के मुकाबले रुपए के मूल्य में कमी आई है, लेकिन उससे एक्सपोर्ट और ज्यादा बढ़ी है। इसलिए उससे नुकसान होने का तो सवाल ही नहीं है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री पप्पू यादव, बहुत हो गया।

[हिन्दी]

कृपया सीट पर बैठें। आप हाउस में क्या कर रहे हैं। बोलने से पहले चेयर की परमीशन लेनी जरूरी होती है।

....(*व्यवधान*)

कोयला क्षेत्र में गैर-सरकारी भागीदारी

+

***223. श्री सुबोध मोहिते :**

डा. सुशील कुमार इन्दौरा :

क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कोयले के उत्पादन और वितरण के क्षेत्र में गैर–सरकारी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा देने हेतु कोई अंतिम निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस उद्देश्य हेतु कौन–कौन सी विशिष्ट परियोजनाओं की पहचान की गई है;

(ग) इस निर्णय को कब तक क्रियान्वित किए जाने की संभावना है; और

(घ) कोयला क्षेत्र के उन्नयन हेतु अन्य क्या कदम उठाए गए हैं?

[अनुवाद]

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन. टी. षणमुगम) : (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) से (ग) कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1973 को जून, 1993 में संशोधित किया गया था जिसमें ऊर्जा उत्पादन, लौहा तथा इस्पात उत्पादन, कोयले की धुलाई तथा ऐसे अन्य अन्त्य–प्रयोग जिसे केन्द्र सरकार विनिर्दिष्ट करने के लिए गृहीत खपत हेतु कोयला खनन में निजी क्षेत्र की सहभागिता की अनुमति दी गई थी। 15.3.1996 से सीमेंट उत्पादन के लिए कोयले की गृहीत खनन की अनुमति दी गई है।

केन्द्र सरकार ने यह निर्णय लिया है – (i) भारतीय कंपनियों को ग्रहीत खपत की विद्यमान प्रतिबंधों के बगैर कोयला और लिग्नाइट के खनन की अनुमति देना तथा (ii) भारतीय कंपनियों को वैधानिक परिवर्तनों के अध्यधीन देश में कोयला और लिग्नाइट संसाधनों के अन्वेषण के कार्य में लगाना। इस निर्णय के क्रियान्वयन के लिए कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1973 को संशोधित करने के लिए राज्य सभा में 24.4.2000 को कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) संशोधन विधेयक, 2000 प्रस्तुत किया गया है। इस निर्णय को संसद द्वारा विधेयक अधिनियमित किए जाने के बाद ही क्रियान्वित किया जा सकता है, इसलिए इस मामले में कोई समय–सीमा निर्धारित करना संभव नहीं होगा। किन्हीं भी विशिष्ट परियोजनाओं का तभी पता लगाया जा सकता है जब निर्णय के क्रियान्वित कर दिया गया हो और उस पर अनुक्रियाएं प्राप्त हो गई हों।

(घ) कोयला क्षेत्र के उन्नयन के लिए कोल इंडिया लि. द्वारा उठाए गए अन्य कदमों में उत्पादकता, क्षमता उपयोग, गुणवत्ता संवर्द्धन तथा उपभोक्ता सन्तुष्टि में सुधार करने के उपाय शामिल हैं।

[हिन्दी]

श्री सुबोध मोहिते : अध्यक्ष महोदय, मैंने जो सवाल पूछा था, उसके दो कन्टेंटस हैं। पहला सवाल यह है कि क्या आप प्राइवेट सेक्टर को एलाऊ कर रहे हैं और दूसरा सवाल यह था कि

[अनुवाद]

कोल इंडिया लिमिटेड ने उत्पादन सुधारने के लिए क्या कदम उठाए हैं।

[हिन्दी]

मंत्री जी ने पहले प्रश्न का यह जवाब दिया था कि हमने प्राइवेट सेक्टर को एलाऊ किया है। राज्य सभा में हमने यह बिल पेश किया है और राज्य सभा से पास होने के बाद हम यह पालिसी डिसाइड करेंगे। यह ठीक है लेकिन गंभीर बात यह है कि पैराग्राफ दो में यह कहा गया है कि

[अनुवाद]

कोल इंडिया लिमिटेड ने कोयले की गुणवत्ता में सुधार के लिए कदम उठाए हैं।

[हिन्दी]

मेरा यह कहना है कि इन्होंने जो जवाब दिया है, वह 101 परसेंट गलत है।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी अभी जवाब दे रहे हैं।

[अनुवाद]

उत्तर पहले ही दिया जा चुका है। आप इसे क्यों अनावश्यक पूछ रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री सुबोध मोहिते : अध्यक्ष महोदय, इन्होंने जो लिखित में उत्तर दिया है, उसमें उन्होंने कहा है कि

[अनुवाद]

गुणवत्ता सुधारने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं।

[हिन्दी]

मेरे पास कंसल्टेटिव कमेटी, सितम्बर 2000 की फिगर है। इसमें यह दिया गया है कि सात कंपनियों में से तीन कंपनियां लॉस मेकिंग है और चार कंपनियां प्रॉफिट मेकिंग हैं जो कंपनियां लॉस मेक कर रही हैं

[अनुवाद]

घाटा बढ़ रहा है तथा कंपनियों के मामले में जो कि लाभ दे रही हैं, लाभ घट रहा है।

[हिन्दी]

इसलिए इन्होंने जो जवाब दिया है, वह गलत है।.....*(व्यवधान)*

श्री सुरेश रामराव जाधव : अध्यक्ष महोदय, कोई तो मंत्री सही जवाब दें।.....*(व्यवधान)*

श्री सुबोध मोहिते : मैं चैलेंज करता हूं कि यह जवाब गलत है। मेरे पहला प्रश्न यह है कि कोल जो मिनरल है और मिनरल होने के बावजूद कोल इंडिया के लिए हम सेपरेट मिनिस्ट्री क्यों फॉर्म कर रहे हैं क्योंकि हाउसहोल्ड इकोनोमिक से नैशनल इकोनोमिक तक इसकी इम्पोर्टेंट्स हैं। इसलिए यह बहुत गंभीर प्रश्न है। जब हम प्राइवेट सेक्टर को एलाऊ करने की बात कर रहे हैं।..... *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

मैं उसी प्रश्न की बात करने जा रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना अनुपूरक प्रश्न पूछें।

[हिन्दी]

श्री सुबोध मोहिते : आज तक के जो उदाहरण हैं।.....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आपको कोई सप्लीमेंटरी प्रश्न पूछना है या नहीं?

.....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री सुबोध मोहिते : मैं आई. पी. सी. एल. का उदाहरण दे रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : उदाहरण देने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप कृपया अपना अनुपूरक प्रश्न पूछें।

[हिन्दी]

यह ठीक नहीं है।

.....*(व्यवधान)*

श्री सुबोध मोहिते : मैं यहां उदाहरण कोट नहीं करूंगा। मेरा सवाल यह है कि माननीय मंत्री जी ने यह डिसीजन लिया है कि प्राइवेट सेक्टर को हम कोल इंडिया में ला रहे हैं।

[अनुवाद]

मेरा प्रश्न यह है चूंकि निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र दोनो ही हैं इसलिए उन्हें साथ–साथ रहना है तथा एक दूसरे से प्रतियोगिता करनी है। सरकार यह सुनिश्चित करने का कैसे प्रयास कर रही है कि कोयला क्षेत्र में निजीकरण से कोयला की खुदाई वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को जीवनक्षम बनाया जा सकेगा ? क्या कोल इंडिया लिमिटेड के लिए निजी क्षेत्र को अनुमति देने के लिए 50 वर्ष की वरिष्ठता का प्रभाव संबंधी अध्ययन किया गया है?

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : क्या आपको मालूम है कि आपने सप्लीमेंटरी प्रश्न पूछने में कितना टाइम ले लिया है?

.....*(व्यवधान)*

श्री एन. टी. षणमुगम : अध्यक्ष महोदय, नौंवी योजना के अंत में कोयले की मांग और आपूर्ति में 41.94 मिलियन टन का अन्तर होने का अनुमान है। दसवीं योजना के अंत में 162.28 मिलियन टन तथा ग्यारहवीं योजना के अंत में 260.30 मिलियन टन का अन्तर होने का अनुमान है। इस मांग एवं आपूर्ति के अंतर को खतम करने के लिए लगभग 52200 करोड़ रुपये के अतिरिक्त विनिवेश की आवश्यकता है। इसके लिए बजट में कोई प्रावधान नहीं है। देश की ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए घरेलू कोयला उत्पादन में वृद्धि की जानी चाहिए। इसलिए कोयला क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी आवश्यक है। चारी समिति ने भी कोयला में निजी क्षेत्र के भागीदारी की संस्तुति की है। इसलिए योजना आयोग नए नीति पैकेज के बारे में सोच रहा है। .....*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : महोदय, प्रश्न क्या है और उत्तर क्या है।.....*(व्यवधान)*

श्री एन. टी. षणमुगम : महोदय, चारी समिति ने निजी क्षेत्र की सहभागिता की सिफारिश की है.....*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री रघुनाथ झा : अध्यक्ष महोदय, आप तो कुछ न्याय कीजिए।. ....*(व्यवधान)* प्रश्न क्या है और मंत्री जी जवाब क्या दे रहे हैं?..... *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री सुबोध मोहिते : महोदय, मेरा प्रश्न अति सरल है।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप पहले मंत्री को जवाब तो देने दीजिए।

.....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपने स्थान पर बैठिए।

.....*(व्यवधान)*

श्री सुबोध मोहिते : मेरा प्रश्न बिल्कुल सरल प्रश्न है।..... *(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, मंत्री महोदय को उनके प्रश्न का उत्तर देना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय, कृपया अपना उत्तर पूरा करें।

.....*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : महोदय, यह प्रश्न अत्यधिक विशेष है और इसका उत्तर भी विशेष होना चाहिये। .....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य, कृपया अपने स्थान पर बैठिए।

.....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : वह आपका काम नहीं है।

श्री एन. टी. षणमुगम : महोदय, चारी समिति और योजना आयोग ने भी.....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइये।

श्री एन. टी. षणमुगम : चारी समिति का कहना है कि देश भर में पूर्ति और मांग में भारी अंतर था और इसीलिए निजी क्षेत्र की सहभागिता आवश्यक हो गई थी। इस कार्य के लिए भारी धनराशि की आवश्यकता है। चूंकि सरकार की ओर से कोई बजटीय सहायता नहीं मिली है, अतः, चारी समिति ने अपनी रिपोर्ट में इस क्षेत्र में निजी सहभागिता की सिफारिश की है.....*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : महोदय, आप मंत्री महोदय को भली प्रकार तैयारी करने के लिए कितने अवसर प्रदान करना चाहते हैं? पहले सत्र से लेकर आज तक, हर बार, आप मंत्री महोदय को अवसर प्रदान कर रहे हैं.....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री मोहिते, आपको विशेष अनुपूरक प्रश्न पूछना चाहिये ताकि वह आपको विशेष उत्तर दे सकें। आपको दो तीन बातें एक साथ नहीं पूछनी चाहिये।

[हिन्दी]

श्री सुबोध मोहिते : अध्यक्ष महोदय, मेरा सिम्पल सवाल है कि क्या पचास वर्षों के बाद के परिदृश्य के आकलन के लिए इम्पैक्ट स्टडी की गई है? दूसरा सवाल है, मंत्री जी ने जो जवाब दिया है कि प्रोडक्टीविटी इम्प्रूव हुई है, वह गलत है या सही है? मेरा यह प्रश्न है।

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय 1972 में कोयला उद्योग का राष्ट्रीयकरण किया गया था और पुनः 1973 में कोकिंग और गैर–कोकिंग कोयले .....*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : उस समय इसका राष्ट्रीयकरण तत्कालीन कांग्रेस सरकार द्वारा किया गया था।

श्री बसुदेव आचार्य : जी हां। निजी खनन के दौरान स्लाटर माइनिंग अवैज्ञानिक तरीके का प्रयोग किया गया था और निजी मालिकों ने श्रमिकों का शोषण किया था। मंत्री महोदय द्वारा दिये गये उत्तर के अनुसार, यह सरकार कोयला उद्योग को निजी क्षेत्र और बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए खोलना चाहती है। नौंवी, दसवीं और ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में ताप विद्युत के उत्पादन के लक्ष्य निर्धारित किये गये थे। परन्तु हमारा अनुभव यह है कि आठवीं पंचवर्षीय योजना में, आप ताप विद्युत के उत्पादन का लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सके थे और नौंवी पंचवर्षीय योजना के दौरान भी, आप 32,000 मेगावाट के ताप विद्युत के लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाये थे। चूंकि हम ताप विद्युत उत्पादन के लक्ष्य को प्राप्त करने की स्थिति में नहीं है, मैं यह जानना चाहता हूं कि कोयला उत्पादन का लक्ष्य अथवा मांग और पूर्ति के बीच का अन्तर उद्देश्यपरक है अथवा नहीं। दूसरे, उत्पादन को बढ़ाने के लिए, क्या अब सरकार का कोयला उद्योग में निजी क्षेत्र की सहभागिता को अनुमति प्रदान करने का प्रस्ताव है।

अध्यक्ष महोदय : श्री बसुदेव आचार्य, यह क्या है?

श्री बसुदेव आचार्य : क्या अब निजी खनन प्रणाली के अंतर्गत उसी प्रकार के अवैज्ञानिक तरीके और स्लाटर माइनिंग का प्रयोग नहीं किया जाएगा। मैं मंत्री जी से स्पष्ट उत्तर चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : श्री बसुदेव आचार्य, यह किस प्रकार का अनुपूरक प्रश्न है? माननीय सदस्य यह पूछ रहे हैं कि इस अंतर को समाप्त करने के लिए सरकार द्वारा कौन–कौन से कदम उठाये जा रहे हैं।

श्री एन. टी. षणमुगम : महोदय, लगभग 70 प्रतिशत विद्युत का उत्पादन कोयला क्षेत्र करता है।

श्री बसुदेव आचार्य : 70 प्रतिशत नहीं बल्कि यह 80 प्रतिशत है।

श्री एन. टी. षणमुगम : महोदय, माननीय सदस्य ने खनन क्षेत्र में लगे हुए श्रमिकों के प्रति चिंता व्यक्त की है। उन्होंने यह भी पूछा है कि क्या कोयला खानों के राष्ट्रीयकरण से पहले भी कोयला खनन क्षेत्र के श्रमिक परेशानी उठा चुके हैं और क्या वे पुनः कठिनाई का सामना करेंगे।

महोदय, इस संबंध में मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि प्रस्तावित कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम श्रमिकों की सुरक्षा, खान सुरक्षा, पर्यावरण सुरक्षा और वैज्ञानिक खनन इत्यादि सुनिश्चित करने के लिए केन्द्र सरकार को उपयुक्त नियम बनाने के अधिकार प्रदान करता है।

महोदय, खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957, खान अधिनियम, 1952, कोयला खान (संरक्षण और विकास) अधिनियम, 1974, कोयला खान भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1948 के अंतर्गत भी खान सुरक्षा, श्रम कल्याण और पर्यावरण प्रबंधन संबंधी प्रावधान किये गये हैं।....(*व्यवधान*) इसके अतिरिक्त अन्य श्रम कानून भी हैं।

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, ये सभी अधिनियम कोयला खानों के राष्ट्रीयकरण से पूर्व भी थे।

श्री एन. टी. षणमुगम : श्रमिकों के हितों की सुरक्षा के लिए ये पर्याप्त हैं....(*व्यवधान*)

प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : महोदय, माननीय मंत्री ने समय–समय पर और योजना–दर–योजना बढ़ते हुए अंतर को सूचित करने वाले पर्याप्त आंकड़े दिये हैं। हाल ही में, विभिन्न यूनियनों की समस्याओं के कारण कोयले का उत्पादन प्रभावित हुआ है और इसके परिणामस्वरूप कोयला क्षेत्रों में कोयला उत्पादन में भारी कमी आई है।

महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि पिछले पांच वर्षों में यूनियनों की समस्याओं के कारण कुल कितना घाटा हुआ है कोयला खानों में और क्या यूनियनों की समस्याओं को सुलझाने के लिए पर्याप्त कदम उठाये गये हैं।

महोदय, माननीय मंत्री ने भी श्रमिकों के हितों की सुरक्षा के लिए उपलब्ध विभिन्न अधिनियमों का उल्लेख किया है परन्तु मैं जानना चाहता हूं कि वास्तव में व्यावहारिक रूप से इसका क्या प्रभाव पड़ा है। इन कोयला खानों में यूनियनों की गतिविधियों के कारण कितना घाटा हुआ है और क्या सरकार का विचार मांग और पूर्ति के बीच के अंतर को समाप्त करने का है।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य जानना चाहते हैं कि सरकार का विचार किस प्रकार पूर्ति और मांग के अंतर को समाप्त करने का है।

श्री एन. टी. षणमुगम : महोदय, माननीय सदस्य ने जानना चाहा है कि पिछले कुछ वर्षों में विभिन्न यूनियनों द्वारा की गई हड़ताल के कारण क्या कोयले का उत्पादन कम हुआ है।

महोदय, मैं बताना चाहूंगा कि कोयले का उत्पादन बढ़ा है और हमने श्रम शक्ति का अधिकतम उपयोग किया है....(*व्यवधान*)

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य, आपको कुछ धैर्य रखना चाहिये। अन्यथा, आप सभा छोड़कर जा सकते हैं। यदि आपमें पर्याप्त धैर्य नहीं है, तो आप सभा छोड़कर जा सकते हैं।

प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : यदि अभी आंकड़े उपलब्ध नहीं है, तो माननीय मंत्री उन्हें बाद में दे सकते हैं।.....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी, आप माननीय सदस्य को उत्तर भेज सकते हैं।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : महोदय, मैं माननीय मंत्री से एक अति विशिष्ट नीतिगत प्रश्न पूछना चाहता हूं।

महोदय, माननीय मंत्री ने कोल इंडिया खनन विधेयक पर चर्चा के दौरान हमारे प्रश्नों का उत्तर देते हुए उल्लेख किया था कि कोल इंडिया की आनुषंगिक इकाइयों और अन्य इकाइयों का निजीकरण करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि क्या मौजूदा राष्ट्रीयकृत कोयला खानों और इनकी आनुषंगिक इकाइयों का विनिवेश करके इन्हें बहुराष्ट्रीय कंपनियों अथवा निजी क्षेत्र की कंपनियों को देने का कोई प्रस्ताव इस राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार के विचारार्थ है। मैं श्री वेंकय्या नायडु के सुझाव के बिना माननीय मंत्री से उत्तर चाहता हूं। मैंने यह प्रश्न माननीय मंत्री जी से पूछा है।

अध्यक्ष महोदय : यह क्या मामला है?

.....*(व्यवधान)*

श्री एन. टी. षणमुगम : महोदय, राष्ट्रीयकरण अधिनियम में वर्तमान संशोधन के अंतर्गत कोल इंडिया लि. अथवा इसकी आनुषंगिक इकाइयों का निजीकरण करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, यह विधेयक भारतीय कंपनियों द्वारा कोयला खनन में गैर–रक्षित खनन का प्रस्ताव करता है.....*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : महोदय, आपको माननीय सदस्यगण के अधिकारों की सुरक्षा करनी होगी। यह दुर्भाग्यपूर्ण है.....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यदि आप कोई स्पष्टीकरण चाहते हैं, तो आप माननीय मंत्री के उत्तर के पश्चात् ऐसा कर सकते हैं।

श्री एन. टी. षणमुगम : तथापि, यह विधेयक भारतीय कंपनियों द्वारा कोयला खनन में गैर–रक्षित खनन पर विचार करता है। प्रस्तावित संशोधन के द्वारा कोयला कंपनियों को कोयला खनन और गैर–रक्षित खनन दोनों की अनुमति मिल जायेगी।

अध्यक्ष महोदय : अब प्रश्न संख्या 224– श्री एन. जनार्दन रेड्डी बोलेंगे।

.....*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : महोदय, मेरा प्रश्न अलग था। मैंने यह पूछा था। क्या मौजूदा कोयला खानों का विनिवेश करने और निजी क्षेत्र को प्रवेश देने संबंधी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार की कोई नीति विचारार्थ है? मंत्री जी की ओर से कोई उत्तर नहीं मिला.....*(व्यवधान)* महोदय, मेरा प्रश्न अति विशिष्ट* था। मैं आपसे संरक्षण चाहता हूं।.....*(व्यवधान)* महोदय, यह उचित नहीं है* मुझे खेद है, मुझे यह प्रतीत होता है कि हमारा अधिकार सीमित किया गया है.....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने आपके प्रश्न का उत्तर दिया है।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : जी नहीं महोदय, उन्होंने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है। मेरा प्रश्न अलग था और उन्होंने उसका उत्तर नहीं दिया है.....*(व्यवधान)* ऐसा इस सभा में कभी नहीं हुआ..... *(व्यवधान)* *

कोयला खानों में सुरक्षा संबंधी उपाय

+

***224. श्री एन. जनार्दन रेड्डी :**

श्रीमती श्यामा सिंह :

क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोल इंडिया लि. (सी. आई. एल.) ने खनन क्षेत्र में दुर्घटनाओं के कारण होने वाली मौतों को रोकने के लिए वैज्ञानिक तरीके अपनाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान तथा चालू वर्ष में कोयला खानों में दुर्घटनाओं के कारण होने वाली मृत्यु दर में किस हद तक गिरावट आयी है;

(घ) क्या कोल इंडिया लि. और डी. जी. एम. एस. के बीच समन्वय न होने के कारण सुरक्षा संबंधी उपायों को क्रियान्वित नहीं किया जा सका है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन. टी. षणमुगम) : (क) से (ङ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) से (ङ) कोल इंडिया ने अपनी कोयला खानों में दुर्घटनाओं

* अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया गया।

को कम करने के लिए अनेक प्रणालियां शुरू की हैं– जिनमें भूमिगत खानों की सपोर्ट प्रणाली में सुधार करना, मशीनों के प्रयोग द्वारा व्यक्तियों के खतरे को कम करना तथा ओपनकास्ट खनन आदि में वृद्धि करना शामिल हैं।

कोयला खानों में मृत्यु दरों का निर्धारण प्रति मिलियन टन उत्पादन तथा मृत्यु दर प्रति तीन (3) लाख नियोजित प्रति व्यक्ति पारी मृत्यु दर के आधार पर किया जाता है। इन दोनों कारणों से कोल इंडिया लि. के बन जाने के बाद मृत्यु दर एकदम कम हो गई और यह दर घटती जा रही है। 1975 में प्रति मिलियन टन उत्पादन मृत्यु दर 2.62 थी जो क्रमशः वर्ष 1997, 1998, 1999 और 2000 (अक्तूबर तक) घटकर 0.43, 0.40, 0.39 तथा 0.36 रह गई है। उसी प्रकार प्रति तीन (3) लाख नियोजित व्यक्ति पारी मृत्यु दर जो 1975 में 0.52 थी अब वर्ष 1997 और 1998/1999/2000 (अक्तूबर तक) घटकर 0.25 तथा 0.24 रह गई है।

सुरक्षा मामलों में खान सुरक्षा महानिदेशालय (डीजीएमएस) और कोल इंडिया लि. के बीच समन्वय में कोई कमी नहीं है। कोल इंडिया लि. की खानों में सुरक्षा महानिदेशालय द्वारा बनाए गए सुरक्षा मानदंडों/नियमों को क्रियान्वित किया जाता है। कोल इंडिया लि. में सुरक्षा बोर्ड भी वर्ष में दो बैठकें आयोजित करता है जिसमें खान सुरक्षा महानिदेशालय के प्रतिनिधि भी शामिल भी होते हैं। प्रबंधन, खान सुरक्षा महानिदेशालय तथा ट्रेड यूनियन के प्रतिनिधियों की सहायक कंपनी के स्तर पर वर्ष में दो तथा कोलियरी/यूनिट स्तर पर वर्ष में एक त्रिपक्षीय बैठक आयोजित की जाती है। उसी प्रकार प्रभारी मंत्री (कोयला) की अध्यक्षता में सुरक्षा स्थायी समिति की कोयला मंत्रालय में वर्ष में दो बैठकें आयोजित की जाती हैं जिसमें खान सुरक्षा महानिदेशक तथा श्रम मंत्रालय के अधिकारी भी भाग लेते हैं। इस प्रकार कोल इंडिया और खान सुरक्षा महानिदेशालय के बीच सुरक्षा मामलों में समन्वय की कोई कमी नहीं है।

श्री एन. जनार्दन रेड्डी : महोदय, मंत्री महोदय की कठिनाइयों को देखते हुए मैं सीधे–सीधे एक छोटा अनुपूरक प्रश्न पूछना चाहूंगा....

इन्होंने अपने उत्तर में कहा है कि सुरक्षा मुद्दों पर डी. जी. एम. एस. और खान प्रबंध मंडल के बीच समन्वय की कमी नहीं है। ग्रामीण विकास मंत्री जी भी मेरे अनुपूरक प्रश्न पर ध्यान दें ताकि वे इनकी सहायता कर सकें.....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : ये संबंधित मंत्री है न कि ग्रामीण विकास मंत्री।

श्री एन. जनार्दन रेड्डी : डी. जी. एम. एस. ने हाल ही में यह संस्तुति की थी कि भारत कोकिंग कोल लि. (बी. सी. सी. एल.) की एक दर्जन से अधिक अनुषंगी खानों और कोल इंडिया लि. (सी. आई. एल.) की कुछ अनुषंगी खानों को बंद कर दिया जाए। पिछले पांच वर्षों के दौरान कई दुर्घटनाएं हुई हैं किंतु इस बारे में अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है। मगर मंत्री जी कह रहे हैं कि इनमें समन्वय है। क्या यह सच नहीं है?

अध्यक्ष महोदय : आपका अनुपूरक प्रश्न क्या है?

श्री एन. जनार्दन रेड्डी : यह मेरा अनुपूरक प्रश्न है। क्या यह सच नहीं है.....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : ये क्या लगातार टिप्पणियां की जा रही हैं?

.....*(व्यवधान)*

श्री एन. जनार्दन रेड्डी : यह सच नहीं है कि डी. जी. एम. एस. ने हाल ही में सुरक्षा के मौजूदा मानदंडों और उपायों को देखते हुए बी. सी. सी. एल. की कुछ खानों और सी. आई. एल. कुछ अनुषंगियों को बंद करने की संस्तुति की है। किंतु खान मंत्रालय ने इन्हें बंद करने की दिशा में कोई कदम नहीं उठाया है। परिणामस्वरूप, गंभीर दुर्घटनाएं हुई हैं। क्या यह सच है या नहीं? इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय, इन दुर्घटनाओं को टालने के लिए कुछ कोयला खानों को बंद करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्री एन. टी. षणमुगम : महोदय, डी. जी. एम. एस. ने कुछ खानों को बंद करने की संस्तुति की है। कोयला मंत्रालय इस पर गंभीरतापूर्वक विचार कर रहा है।

अध्यक्ष महोदय : क्या सरकार ने इन कोयला खानों को बंद करने के लिए कोई कदम उठाए हैं ?

श्री एन. टी. षणमुगम : महोदय, यह देखा जाना है। हमें इस पर कार्य बल के संदर्भ में विचार करना है। मजदूर संघ भी इन कोयला खानों को बंद करने का विरोध कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : सरकार इस बारे में क्या कार्यवाही करेगी?

श्री एन. टी. षणमुगम : हम मजदूर संघों के साथ बैठकर बातचीत करने की दिशा में सोच रहे हैं उसके बाद खानों को बंद करने का निर्णय लिया जाएगा।

श्री एन. जनार्दन रेड्डी : क्या यह सच नहीं है। कि आंध्र प्रदेश की सिंगरेनी कोलियरीज ने आस्ट्रेलिया सरकार से प्राप्त कुछ संस्तुतियों को भेजा है? आस्ट्रेलिया सरकार के उत्पादकता आयोग ने कुछ सुरक्षा उपायों की संस्तुति की है।

[हिन्दी]

कुंवर अखिलेश सिंह : अध्यक्ष महोदय, यह बड़ा गंभीर सवाल है ....(*व्यवधान*) *

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्नकाल है। कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए।

....(*व्यवधान*)

[हिन्दी]

कुंवर अखिलेश सिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे विनम्रता पूर्वक आग्रह है कि ....*

अध्यक्ष महोदय : यह कार्यवाही–वृतांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

श्री एन. जनार्दन रेड्डी : आस्ट्रेलिया सरकार के उत्पादकता आयोग ने सिफारिश की है कि सुरक्षा पहलू के विनियमन को खान के प्रबंधन मंडल पर छोड़ दिया जाए ....(*व्यवधान*) सिंमरेनी कोलियरीज के प्रबंधन मंडल ने इन सिफारिशों को खान मंत्रालय को भेज दिया है....(*व्यवधान*) मैं जानना चाहूंगा कि क्या मंत्रालय को यह सिफारिशें प्राप्त हो गई हैं और उन्होंने इस पर क्या कार्यवाही की है।.... (*व्यवधान*)

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी, आप अपना उत्तर माननीय सदस्य को भेज सकते हैं।

अब प्रश्न–काल समाप्त होता है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

राज्यपालों की नियुक्ति

***225. डा. रघुवंश प्रसाद सिंह :**

श्रीमती कान्ति सिंह :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने विभिन्न राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति के संबंध में अंतर्राज्यीय परिषद् की स्थायी समिति की सिफारिशों पर कोई निर्णय ले लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस संबंध में कोई अंतिम निर्णय कब तक ले लिए जाने तथा उसे कब तक क्रियान्वित किए जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी) : (क) से (ग) अन्तर्राज्यीय परिषद् ने 15 अक्तूबर, 1996 को हुई अपनी दूसरी बैठक में अन्तर्राज्यीय परिषद के विचारार्थ मामलों पर कार्रवाई करने के उद्देश्य से एक स्थायी समिति का गठन किया था। अतः स्थायी समिति की सिफारिशों को अन्तर्राज्यीय परिषद् के समक्ष रखा जाता है। "राज्यपालों की भूमिका" से संबंधित सरकारिया आयोग की रिपोर्ट के अध्याय IV में कुल 24 सिफारिशें हैं। इनमें से 9 सिफारिशें (पैरा 4.16.01 से 4.16.09 के अंतर्गत) राज्यपाल की नियुक्ति और कार्यकरण और पद की शर्तों से संबंधित है। उपयुक्त सिफारिशों पर अन्तर्राज्यीय परिषद की स्थायी समिति ने अपनी 10.11.1997 और 1.9.2000 को हुई बैठकों में विचार–विमर्श किया था। इन सिफारिशों पर स्थायी समिति द्वारा लिए गए निर्णयों को, अंतिम निर्णय हेतु अन्तर्राज्यीय परिषद की अगली बैठक के समक्ष रखा जाना है। इस विषय पर अन्तर्राज्यीय परिषद की अंतिम सिफारिशें उपलब्ध हो जाने के बाद ही केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्णय लिया जा सकता है।

[हिन्दी]

उर्वरकों का उत्पादन

***226. श्री राजो सिंह :**

श्रीमती जस कौर मीणा :

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान नाइट्रोजन और फॉस्फेट आधारित उर्वरकों का कितना उत्पादन हुआ;

(ख) क्या देश में इनकी मांग को पूरा करने के लिए इन उर्वरकों का उत्पादन पर्याप्त है; और

(ग) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा उनका उत्तरोत्तर उत्पादन बढ़ाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री सुखदेव सिंह ढिंडसा) : (क) गत तीन वर्षों के दौरान पोषकों के रूप में नाइट्रोजनयुक्त और फॉस्फेटिक उर्वरकों का उत्पादन नीचे दिया गया है :

(लाख मी. टन में)

वर्ष	उत्पादन	
	नाइट्रोजन	फॉस्फेट
1997–98	100.86	29.8
1998–99	104.8	31.4
1999–2000	108.9	33.9

(ख) नाइट्रोजनयुक्त उर्वरकों के मामले में देश यूरिया के मामले में लगभग आत्मनिर्भर है जबकि फॉस्फेटिक उर्वरकों के मामले में आत्मनिर्भरता लगभग 70 प्रतिशत है। तथापि, आत्मनिर्भरता मानसून, जो मांग को प्रभावित करता है, जैसे विभिन्न घटकों से भी सम्बद्ध है।

(ग) स्वदेशी उर्वरक उत्पादन को ईष्टतम करने के लिए वर्तमान में सरकार द्वारा उर्वरक उद्योग को निम्नलिखित सुविधाएं/रियायतें उपलब्ध की गई :

1. दिनांक 24 जुलाई, 1991 के औद्योगिक नीति विषयक संकल्प के अनुसार सामान्यतः उर्वरक संयंत्रों की स्थापना/विस्तार के किसी लाईसेंस की आवश्यकता नहीं है। उद्यमी पर्यावरणीय मंजूरी के तहत देश में कहीं भी उर्वरक परियोजनाओं की स्थापना/विस्तार करने के लिए स्वतंत्र हैं।
2. उर्वरक परियोजनाओं के लिए पूंजीगत मालों की स्वदेशी आपूर्तियों पर निर्यात समलाभ प्रदान किए जाते हैं बशर्ते कि ये आपूर्तियों अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धी बोली की प्रक्रिया के माध्यम से की जायें।
3. प्रतिधारण मूल्य–सह–राजसहायता के अंतर्गत उद्यमियों को निवेश पर मुनासिब लाभ वर्तमान में मौजूदा यूरिया क्षमताओं पर लागू है।
4. कृषकों को नियंत्रणयुक्त फॉस्फेटिक एवं पोटाशिक उर्वरकों की बिक्री पर रियायत।
5. नये संयंत्र को लगाने/ मौजूदा एककों के आधुनिकीकरण के लिए पूंजीगत माल के आयात पर उत्पाद शुल्क की रियायती दर।
6. उत्पाद शुल्क की रियायती दर पर उर्वरक कच्चे माल और मध्यवर्तियों का आयात।

[अनुवाद]

नशीले पदार्थों की तस्करी/नकली नोट घोटाला

***227. श्री जी. एस. बसवराज** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में हो रही नशीले पदार्थों की तस्करी और जाली नोट घोटालों पर अंकुश लगाने के लिए कानून लागू करने वाली केन्द्रीय एजेंसियों और आसूचना ब्यूरो द्वारा कोई विशेष अभियान शुरू किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान और आज तक राज्यवार ऐसे कितने मामले दर्ज किए गए;

(ग) क्या कुछ मामलों में उग्रवादी संगठनों के साथ तस्करों के संबंध स्थापित हो गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस समस्या से निपटने के लिए कया कार्यवाही की गई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी) : (क) नशीले पदार्थों की तस्करी और जाली मुद्रा की रोकथाम के लिए अभियान, निरन्तर चलने वाली गतिविधियां है। राज्य पुलिस और कानून प्रर्वतन एजेंसियां, जिन्हें यह जिम्मेदारी सौंपी गई हैं, निरंतर नजर रखती है और नशीले पदार्थों को और जाली मुद्रा, जो सतर्कता के बावजूद किसी न किसी प्रकार देश में आ जाती है, को लगातार जब्त करती रहती हैं। आसूचना एजेसियां इस बारे में संबंधित सतर्कता एजेंसियों के साथ, नियमित आधार पर, सूचना का आदान–प्रदान करती हैं जिसके आधार पर उनके द्वारा अभियान चलाए जाते हैं।

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान और आज तक जाली मुद्रा की जब्ती की राज्य/संघ शासित क्षेत्रवार घटनाओं के बारे में राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो के पास उपलब्ध सूचना संलग्न विवरण–I में है। गत तीन वर्षों के दौरान मामलों की संख्या कुल के साथ–साथ एजेंसी–वार, उसमें शामिल व्यक्तियों के विरुद्ध की गई कार्रवाई के साथ जब्त किए गए नशीले पदार्थों से संबंधित उपलब्ध सूचना, संलग्न विवरण–II में है।

(ग) जी हां, श्रीमान।

(घ) केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने केवल जाली मुद्रा नोटों के ही मामलों की जांच–पड़ताल के लिए एक विशेष यूनिट का गठन किया है। सीमा सुरक्षा बल ने अपनी अग्रिम टुकड़ियों को नशीले पदार्थों की तस्करी और जाली मुद्रा के संबंध में अधिक सावधान रहने हेतु सतर्क किया है। स्वापक नियंत्रण ब्यूरो, विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के साथ अमरीका, यू.के., जर्मनी और कनाडा के रेजिडेन्ट ड्रग लाइजन अधिकारियों और इन्टरपोल तथा विश्व सीमा शुल्क संगठन के द्वारा निकट और समन्वित सहयोग बनाए हुए हैं।

विवरण-I

गत तीन वर्षों और आज तक (जनवरी, 2000 से आगे) के दौरान जाली मुद्रा की जब्ती की घटनाओं को दर्शाने वाला विवरण।

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	मामलों की संख्या			
		1997	1998	1999	2000
1	2	3	4	5	6
राज्य					
1.	आंध्र प्रदेश	0	68	27	60

1	2	3	4	5	6
2.	अरुणाचल प्रदेश	2	1	2	1
3.	असम	11	33	61	18
4.	बिहार	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.
5.	गोवा	3	5	6	32
6.	गुजरात	53	24	173	31
7.	हरियाणा	26	13	53	15
8.	हिमाचल प्रदेश	5	3	2	1
9.	जम्मू व कश्मीर	14	9	29	7
10.	कर्नाटक	645	72	98	635
11.	केरल	50	44	65	30
12.	मध्य प्रदेश	51	35	51	3
13.	महाराष्ट्र	44	84	329	48
14.	मणिपुर	4	14	16	18
15.	मेघालय	0	2	3	1
16.	मिजोरम	4	11	55	7
17.	नागालैंड	1	4	7	1
18.	उड़ीसा	1	0	1	1
19.	पंजाब	0	7	4	39
20.	राजस्थान	209	185	42	44
21.	सिक्किम	0	5	0	0
22.	तमिलनाडु	143	64	61	62
23.	त्रिपुरा	0	1	1	6
24.	उत्तर प्रदेश	26	35	141	103
25.	पश्चिम बंगाल	25	30	26	38
	कुल राज्य	1317	704	1253	1191
संघ शासित क्षेत्रः					
26.	अ.नि.द्वि. समूह	1	0	0	0
27.	चंडीगढ़	0	0	1	7
28.	दा. एवं न. हवेली	0	0	0	0
29.	दमन एवं दीव	0	0	0	1
30.	दिल्ली (सं.शा.क्षे)	17	17	86	6
31.	लक्षद्वीप	0	0	0	0
32.	पांडिचेरी	13	11	9	3
कुल (संघ शासित क्षेत्र)		31	28	96	17
कुल (अखिल भारत)		1348	732	1349	1208

नोट : 1. उ.न. का अर्थ है उपलब्ध नहीं।

2. आंकड़े अस्थायी हैं।

विवरण-II

गत तीन वर्षों के दौरान नशीले पदार्थों की जब्ती के साथ-साथ मामलों की संख्या-कुल के साथ-साथ एजेंसी-वार और उसमें संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध की गई कार्रवाई के ब्यौरे

वर्ष		1997	1998	1999	2000 (अनन्तिम)
1	2	3	4	5	6
1. मामलों की संख्या सहित विभिन्न नशीले पदार्थों की किलोग्राम में जब्ती					
अफीम	जब्ती	3316	2031	1635	2218
	मामले	1333	954	927	904
मार्फिन	जब्ती	128	19	36	24
	मामले	75	56	125	85
हेरोईन	जब्ती	1332	655	861	1089
	मामले	2990	3095	2937	1913

1	2	3	4	5	6
गांजा	जब्ती	80886	68221	40113	51638
	मामले	7062	6018	6518	3338
हशीश	जब्ती	3281	10106	3391	3258
	मामले	2223	2193	2500	1349
कोकीन	जब्ती	24	1	1	0
	मामले	6	6	4	2
मेथाक्यूवालोना	जब्ती	1740	2257	474	839
	मामले	207	114	8	22
इफोड्राइन	जब्ती	0	0	0	532
	मामले	0	0	0	7
एल.एस.डी.	जब्ती	0	45	240	0
(स्क्य. पेपर)	मामले	0	1	3	0
एसेटिक	जब्ती	8311	6197	2963	687
एन्हाइड्राईड (लीटर में)	मामले	12	9	7	13
2. गिरफ्तार व्यक्ति					
(क) विदेशियों सहित गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या		14565	13243	13490	5643
(ख) गिरफ्तार किए गए विदेशी		99	117	92	58
3. नशीले पदार्थों के अवैध व्यापार में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध की गई कार्रवाई					
(क) अभियोजित व्यक्तियों की संख्या		13203	11079	10841	5794
(ख) दोषलिप्त व्यक्तियों की संख्या		2796	2673	2891	1512
(ग) दोषमुक्त व्यक्तियों की संख्या		4944	5488	4632	2040
4. पी.आई.टी.एन.डी.पी.एस. (एन.डी.पी.एस.) अधिनियम, 1988 के अंतर्गत की गई कार्रवाई					
पी.आई.टी.एल.डी.पी.एस. अधिनियम, 1988 के अंतर्गत जारी किए गए नजरबन्दी आदेशों की संख्या		82	45	56	51
निरुद्ध किए गए की संख्या		68	41	44	36
5 एजेंसी वार जब्ती की संख्या					
अखिल भारत		13950	12446	13029	4836
स्वापक नियंत्रण ब्यूरो		81	65	90	45
राजस्व आसूचना निदेशालय		18	35	31	8
सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क		228	269	66	63

1	2	3	4	5	6
	केन्द्रीय स्वापक संगठन ब्यूरो	252	213	69	92
	सीमा सुरक्षा बल (बी.एस.एफ.)	122	121	47	16
	केन्द्रीय जांच ब्यूरो	1	4	4	2
	राज्य एजेंसियां (कुल)	13255	11717	12722	4610
	पुलिस	13223	11547	12657	4494
	उत्पाद शुल्क	32	170	65	116
	संयुक्त अभियान	1	1	0	
6.	जब्त की गई मात्रा (कि.ग्रा. में) एजेंसीवार अलग–अलग ब्यौरे				
(क)	स्वापक नियंत्रण ब्यूरो				
	अफीम	37	18	16	37
	मार्फिन	0	0	0	
	हेरोइन	86	66	301	199
	गांजा	3022	651	3362	537
	हशीश	157	896	101	174
	कोकीन	0	0	0	
	मेथाक्वालोना	0	268	50	30
	इफोड्राइन	0	0	0	158
	एस.एस.डी.	0	0	0	
	एसेटिक एन्हाइड्राइड (लीटर)	2214	35	2890	8
(ख)	राजस्व आसूचना निदेशालय				
	अफीम	0	0	0	6
	मार्फीन	0	0	0	
	हेरोईन	203	77	41	
	गांजा	2508	7773	4806	1735
	हशीश	25	94	702	39
	कोकीन	15	0	0	
	मेथाक्वालोना	595	1457	285	96
	इफोड्राइन	0	0	0	
	एल.एस.डी.	0	0	0	
	एसेटिक एन्हाइड्राइड (लीटर)	0	0	0	
(ग)	सीमा शुल्क और केन्द्रीय शुल्क				
	अफीम	7	13	7	

1	2	3	4	5	6
	मार्फीन	0	10	13	
	हेरोइन	321	189	205	48
	गांजा	2568	12706	837	981
	हशीश	572	6632	862	667
	कोकीन	9	0	0	
	मेथाक्वालोना	0	421	39	
	इफाड्रीइन	0	0	0	216
	एल.एस.डी.	0	0	0	
	एसेटिक एन्हाइड्राइड (लीटर)	4101	0	0	
(घ)	केन्द्रीय स्वापक ब्यूरो (सी.बी.एन.)				
	अफीम	1597	622	181	251
	मार्फीन	85	6	7	0
	हेरोइन	100	101	33	15
	गांजा	66	461	31	
	हशीश	206	37	16	
	कोकीन	0	0	0	
	मेथाक्वालोना	11	4	7	
	इफोड्राइन	0	0	0	
	एल.एस.डी.	0	0	0	
	एसेटिक एन्हाइड्राइड (लीटर)	19	25	3	231
(ङ)	सीमा सुरक्षा बल (बी.एस.एफ.)				
	अफीम	0	0	0	
	मार्फीन	0	0	0	
	हेरोइन	110	13	38	61
	गांजा	3464	3893	485	156
	हशीश	228	25	22	
	कोकीन	0	0	0	
	मेथाक्वालोना	0	0	0	
	इफोड्राइन	0	0	0	
	एल.एस.डी.	0	0	0	
	एसेटिक एन्हाइड्राइड (लीटर)	590	169	0	

1	2	3	4	5	6
(च)	केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सी.बी.आई.)				
	अफीम	0	3	0	
	मार्फीन	0	0	0	
	हेरोईन	0	3	4	29
	गांजा	0	0	0	
	हशीश	21	857	0	
	कोकीन	0	0	0	
	मेथाक्वालोना	0	0	0	
	इफोड्राइन	0	0	0	
	एल.एस.डी.	0	0	0	
	एसेटिक एन्हाइड्राइड (लीटर)	0	0	0	
(छ)	राज्य पुलिस				
	अफीम	1675	1374	1430	952
	मार्फीन	42	3	15	11
	हेरोईन	511	195	238	306
	गांजा	62219	41357	29369	29950
	हशीश	2073	1545	1685	810
	कोकीन	0	0	0	0
	मेथाक्वालोना	1134	108	93	
	इफोड्राइन	0	0	0	158
	एल.एस.डी.	0	45	224	
	एसेटिक एन्हाइड्राइड (लीटर)	1073	39	70	252
(ज)	राज्य सीमा शुल्क				
	अफीम	0	1	1	
	मार्फीन	0	0	0	
	हेरोईन	0	8	2	5
	गांजा	7038	1380	1222	1613
	हशीश	0	21	3	
	कोकीन	0	0	1	
	मेथाक्वालोना	0	0	0	
	इफोड्राइन	0	0	0	

1	2	3	4	5	6
	एल.एस.डी.	0	0	16	
	एसेटिक एन्हाइड्राइड (लीटर)	0	0	0	
(झ)	संयुक्त अभियान				
	अफीम	0	0	0	
	मार्फीन	0	0	0	
	हेरोईन	0	0	0	
	गांजा	0	0	0	
	हशीश	0	0	0	
	कोकीन	0	0	0	
	मेथाक्वालोना	0	0	0	
	इफोड्राइन	0	0	0	
	एल.एस.डी.	0	0	0	
	एसेटिक एन्हाइड्राइड (लीटर)	315	0	0	

विज्ञान केन्द्र

***228. श्री अशोक ना. मोहोल** : क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने छात्रों के लाभार्थ शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी को लोकप्रिय बनाने के लिए देश में जिला विज्ञान केन्द्र स्थापित किए हैं;

(ख) यदि हां, तो उनका राज्यवार और स्थान-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) ऐसे केन्द्रों की स्थापना करने और ऐसे केन्द्रों के लिए स्थान का चयन करने हेतु क्या मानदंड अपनाए जा रहे हैं;

(घ) प्रत्येक केन्द्र की स्थापना पर अनुमानतः कितना खर्च किये जाने की संभावना है;

(ङ) क्या सरकार का विचार देश के सभी जिलों में ऐसे केन्द्र स्थापित करने का है;

(च) यदि हां, तो इस संबंध में कितना समय लगने की संभावना है;

(छ) क्या सरकार ने महाराष्ट्र में ऐसा कोई केन्द्र स्थापित किया है; और

(ज) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी) : (क) भारत सरकार के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्रालय के संस्कृति विभाग के अधीन एक स्वायत्तशासी संगठन, राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद् (एन. सी. एस. एम.) द्वारा खासतौर पर विद्यार्थियों में तथा जन साधारण में विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी को लोकप्रिय बनाने तथा विभिन्न क्रियाकलापों व परस्पर प्रभावशील कार्यक्रमों के माध्यम से उनमें विज्ञान के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए पूरे भारत में राष्ट्रीय स्तर, क्षेत्रीय स्तर तथा जिला/उप-क्षेत्रीय स्तर पर विज्ञान केन्द्रों की स्थापना की गई है।

(ख) एन. सी. एस. एम. पूरे देश में निम्नलिखित विज्ञान संग्रहालयों/केन्द्रों का संचालन एवं प्रबंधन करता है जिनमें महाराष्ट्र के तीन केन्द्र/संग्रहालय भी शामिल हैं :

क्र.सं.	केन्द्र का नाम	अवस्थिति	राज्य
1	2	3	4
1.	बिरला औद्योगिक एवं प्रौद्योगिकी संग्रहालय (बी.आई.टी.एम.)	कलकत्ता	प. बंगाल

1	2	3	4
2.	विश्वेस्वर्या औद्योगिक एवं प्रौद्योगिकी संग्रहालय (वी.आई.टी. एम.)	बंगलौर	कर्नाटक
3.	नेहरू विज्ञान केन्द्र (एन.एस.सी.एम.)	मुम्बई	महाराष्ट्र
4.	राष्ट्रीय विज्ञान केन्द्र (एन.एस.सी.डी.)	दिल्ली	दिल्ली
5.	केन्द्रीय अनुसंधान एवं प्रशिक्षण प्रयोगशाला (सी.आर.टी.एल.)	कलकत्ता	प. बंगाल
6.	श्रीकृष्णा विज्ञान केन्द्र	पटना	बिहार
7.	क्षेत्रीय विज्ञान केन्द्र	लखनऊ	उ. प्रदेश
8.	क्षेत्रीय विज्ञान केन्द्र	भुवनेश्वर	उड़ीसा
9.	रमन विज्ञान केन्द्र	नागपुर	महाराष्ट्र
10.	रमन तारामंडल	नागपुर	महाराष्ट्र
11.	क्षेत्रीय विज्ञान केन्द्र	गुवाहाटी	असम
12.	क्षेत्रीय विज्ञान केन्द्र	भोपाल	मध्य प्रदेश
13.	क्षेत्रीय विज्ञान केन्द्र	तिरूपति	आन्ध्र प्रदेश
14.	क्षेत्रीय विज्ञान केन्द्र	कालीकट	केरल
15.	कालीकट तारामंडल	कालीकट	केरल
16.	जिला विज्ञान केन्द्र	पुरूलिया	प. बंगाल
17.	जिला विज्ञान केन्द्र	गुलबर्गा	कर्नाटक
18.	जिला विज्ञान केन्द्र	धरमपुर	गुजरात
19.	जिला विज्ञान केन्द्र	तिरूनेलवेली	तमिलनाडु
20.	वर्धमान विज्ञान केन्द्र	वर्धमान	प. बंगाल
21.	धेनकनाल विज्ञान केन्द्र	धेनकनाल	उड़ीसा
22.	दिघा विज्ञान केन्द्र एवं राष्ट्रीय विज्ञान शिविर	दिघा	प. बंगाल
23.	उत्तरी बंगाल विज्ञान केन्द्र	सिलिगुड़ी	प. बंगाल
24.	कापिलास विज्ञान पार्क	कापिलास	उड़ीसा
25.	विज्ञान गतिविधि केन्द्र	ग्वालियर	मध्य प्रदेश
26.	विज्ञान गतिविधि केन्द्र	सिरसा	हरियाणा
27.	कुरूक्षेत्र पेनोरमा व विज्ञान केन्द्र	कुरूक्षेत्र	हरियाणा
28.	गोवा विज्ञान केन्द्र	पणजी	गोवा
29.	विज्ञान सिटी	कलकत्ता	प. बंगाल

(ग) कोई भी जिला/उप-क्षेत्रीय विज्ञान केन्द्र स्थापित करने के मानदंड ये हैं :

1. केन्द्र स्थापित करने के लिए एन. सी. एस. एम. विशेषज्ञता उपलब्ध कराएगा।

2. भूमि – विकसित की गई जमीन पर लगभग 5 एकड़ माप वाला प्लाट राज्य सरकार द्वारा मुफ्त में उपलब्ध कराना होता है।

3. पूंजीगत खर्चे – कुल पूंजीगत खर्चो में सम्बद्ध राज्य सरकार तथा भारत सरकार की हिस्सेदारी 50:50 आधार पर होगी तथापि, पूर्वोत्तर राज्यों एवं द्वीपसमूह वाले राज्यों के मामले में यह अनुपात अलग-अलग होगा।

4. संचालन – जिला/उप क्षेत्रीय विज्ञान केन्द्रों का रखरखाव पूर्णरूप से सम्बद्ध राज्य सरकार को करना होगा। राज्य सरकार द्वारा केन्द्र के लिए भर्ती किए गए कर्मचारियों को एन. सी. एस. एम. प्रशिक्षित करता है।

(घ) प्रत्येक जिला/उप-क्षेत्रीय विज्ञान केन्द्र के लिए 2 करोड़ रुपए की पूंजीगत खर्चो का अनुमान लगाया गया है।

(ङ) जी, नहीं।

(च) प्रत्येक जिला/उप-क्षेत्रीय विज्ञान केन्द्र के लिए लिया जाने वाला समय 24 महीने हैं।

(छ) विवरण के भाग (ख) में निर्दिष्ट केन्द्रों के अलावा चलती फिरती विज्ञान प्रदर्शनी बसों का एक बेड़ा पूरे महाराष्ट्र में प्रदर्शनियां आयोजित करता है।

(ज) लागू नहीं होता।

सेल द्वारा पुनर्गठन पैकेज को अन्तिम रूप देना

***229. श्री अनन्त नायक :**

श्री ए. नरेन्द्र :

क्या **इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड (सेल) द्वारा सरकारी क्षेत्र के अपने इस्पात संयंत्रों हेतु अन्तिम रूप दिए गए पुनर्गठन पैकेज का ब्यौरा क्या है;

(ख) प्रत्येक पैकेज में कितनी धनराशि अन्तर्लिप्त होने की संभावना है;

(ग) सरकार द्वारा इन पैकेजों को कार्यान्वित करने हेतु उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारतीय इस्पात प्राधिकरण लि. द्वारा तुलनात्मक रूप से इसकी अलग-अलग यूनिटों में वर्ष वार कितने कार्मिक लगाए गए ?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी) : (क) सरकार द्वारा सेल के लिए अनुमोदित किए गए वित्तीय एवं कारोबार पुनर्संरचना पैकेज का मुख्य ब्यौरा निम्नानुसार है :–

(1) सेल को इस्पात विकास निधि से दिए गए 5073 करोड़ रुपए के और भारत सरकार द्वारा दिए गए 381 करोड़ रुपए के ऋण अग्रिम को माफ करके सेल की वित्तीय पुनर्संरचना।

(2) स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के जरिए जन-शक्ति में कमी करने के लिए धन की व्यवस्था हेतु सेल द्वारा बाजार से जुटाए जाने वाले 1500 करोड़ रुपए के ऋण और उस पर ब्याज के लिए 50 प्रतिशत ब्याज सहायता सहित सरकारी गारंटी का प्रावधान।

(3) 1999-2000 के दौरान प्रारंभिक तौर पर पहले के ऋणों की भुगतान संबंधी बाध्यताओं को पूरा करने के लिए सेल द्वारा बाजार से जुटाए जाने वाले 1500 करोड़ रुपए के ऋण और उस पर ब्याज के लिए सरकारी गारंटी का प्रावधान।

(4) मौजूदा कर्मचारियों की नौकरी को सुरक्षित रखते हुए निम्नलिखित गैर-महत्वपूर्ण सम्पतियों को संयुक्त उद्यम में परिवर्तित करने की प्रक्रिया शुरू करना।

- बोकारो, दुर्गापुर और राउरकेला के निजी विद्युत संयंत्र
- भिलाई इस्पात संयंत्र का आक्सीजन संयंत्र-II
- सेलम इस्पात संयंत्र (एस एस पी), सेलम
- मिश्र इस्पात संयंत्र (ए एस पी), दुर्गापुर
- विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील प्लांट (वी आई एस एल), भद्रावती
- राउरकेला में उर्वरक संयंत्र

(5) सेल को इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी (इस्को) के पुनरुद्धार के लिए किसी संयुक्त उद्यम में अपेक्षित न्यूनतम शेयर धारित के लिए अनुमति देना।

(ख) सेल के लिए अनुमोदित किए गए पुनर्संरचना पैकेज में सरकार द्वारा निवेश करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) कारोबार पुनर्संरचना योजना के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए योजना में सम्मिलित विभिन्न कार्यों के लिए विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। तदनुसार, इन लक्ष्यों को सम्मिलित करते हुए 13.3.2000 को इस्पात मंत्रालय और सेल के बीच एक विस्तृत समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे। समय पर कार्य पूरा करने को सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा इसके कार्यान्वयन की प्रगति की आवधिक रूप से समीक्षा की जाती है।

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान सेल द्वारा अपनी विभिन्न इकाइयों में नियोजित की गई जनशक्ति का ब्यौरा निम्नानुसार है:

संयंत्र/इकाइयां	1997–98	1998–99	1999–2000
क. संयंत्र			
भिलाई इस्पात संयंत्र	49707	48361	44730
बोकारो इस्पात संयंत्र	46087	44965	43401
दुर्गापुर इस्पात संयंत्र	25895	24390	21039
राउरकेला इस्पात संयंत्र	31677	30922	28301
मिश्र इस्पात संयंत्र	6053	5409	3846
सेलम इस्पात संयंत्र	1665	1616	1550
विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील प्लांट	@	4833	4679
ख. इकाइयां			
निगमित कार्यालय	749	754	737
केन्द्रीय विपणन संगठन	3757	3647	3172
लोहा एवं इस्पात, अनुसंधान विकास केन्द्र	934	909	865
इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी केन्द्र	403	400	390
कच्चा माल प्रभाग–सेल	8958	8270	7014
प्रबंध प्रशिक्षण संस्थान	129	123	116
पर्यावरण प्रबंधन प्रभाग	50	50	48
सुरक्षा	16	16	16
वृद्धि प्रभाग–कलकत्ता	67	71	36
ग. योग (क + ख)	176147	174736	159940

@ वर्ष 1998–99 के दौरान सेल का अंग बन गई।

यू.जी.सी. की प्रोन्नति नीति

***230. श्री राम मोहन गाड्डे :**

डा. संजय पासवान :

क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्राध्यापकों ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यू.जी.सी.) द्वारा प्रोन्नति संबंधी नीति को वापस लेने के विरुद्ध रोष व्यक्त किया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति ने उनके निर्णय पर पुनर्विचार करने हेतु केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और कुलपति द्वारा अन्य क्या सुझाव दिए गए हैं; और

(ङ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी) : (क) से (ङ) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने अपने दिनांक 27.10.99 के पत्र द्वारा विश्वविद्यालयों को सूचित किया था कि रीडर से प्रोफेसर के पद पर पदोन्नति योजना विश्वविद्यालयों और कालेजों के सभी रीडरों (सीधे भर्ती किए गए और प्रोन्नत किए गए) पर लागू होगी बशर्ते वे पात्रता अपेक्षाओं को पूरा करते हों। इसके बाद आयोग ने अपने दिनांक 6.10.2000 के पत्र द्वारा विश्वविद्यालयों को यह भी सूचित किया कि रीडर से प्रोफेसर के पद पर पदोन्नति करने की कैरियर प्रोन्नति योजना कालेजों पर लागू नहीं होगी। तथापि, कैरियर प्रोन्नति योजना के तहत रीडर से प्रोफेसर के पद पर पदोन्नति करने की योजना विश्वविद्यालय विभागों के रीडरों के लिए लागू रहेगी। केन्द्रीय विश्वविद्यालय शिक्षक संघों के परिसंघ ने कालेजों में रीडर से प्रोफेसर के पद पर पदोन्नति करने की योजना को वापस लेने का विरोध किया है और इसे बहाल करने की मांग की।

दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति ने इस संबंध में अपनी चिंता व्यक्त करते हुए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से योजना पर पुनः विचार करने का अनुरोध किया है। उन्होंने सुझाव दिया है कि अवर–स्नातक कालेजों में वृत्तिका मार्ग प्रशस्त करने और उत्कृष्टता बढ़ाने के लिए उपयुक्त प्रोत्साहनों के रूप में व्यावसायिक विकास के अवसर होने चाहिए। उन्होंने इस तथ्य का भी उल्लेख किया है कि कालेजों में प्रोफेसरशिप शुरू करने के मुद्दे के साथ वित्तीय

समस्याएं भी जुड़ी हुई हैं क्योंकि देश भर के कालेजों की संख्या बहुत अधिक है। कालेजों में प्रोफेसरशिप संबंधी योजना को आयोग की बैठक का अनुमोदन प्राप्त नहीं था। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग कालेजों में प्रोफेसरशिप की मांग के पक्ष में नहीं है।

इस संबंध में सरकार की प्रतिक्रिया वही है जिसकी सूचना दिनांक 27 जुलाई, 1998 के पत्र द्वारा सभी संबंधितों को दे दी गई थी।

[हिन्दी]

रासायनिक उर्वरकों का उत्पादन और खपत

***231. श्री जोरा सिंह मान :**

श्री रामजीलाल सुमन :

क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में विभिन्न रासायनिक उर्वरकों के उत्पादन और खपत के बीच भारी अंतर है;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक रासायनिक उर्वरक की औसत मांग क्या है;

(ग) घरेलू स्रोतों और आयात के मध्यम से औसतन अलग-अलग कितनी-कितनी मांग की पूर्ति होती है;

(घ) क्या सरकार द्वारा घरेलू उत्पादन के माध्यम से उर्वरकों की मांग पूरी करने हेतु कोई समयबद्ध योजना तैयार की गई है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री सुखदेव सिंह ढिंडसा) : (क) नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों के मामले में देश यूरिया में लगभग आत्मनिर्भर है जबकि फॉस्फेटिक उर्वरकों के मामले में आत्मनिर्भरता 70% है। तथापि आत्मनिर्भरता मानसून, जो मांग को प्रभावित करता है, जैसे विभिन्न घटकों से भी सम्बद्ध है।

(ख) और (ग) एनपीके के उर्वरक पोषकों की खपत के रूप में औसत मांग और वर्ष 1999-2000 के दौरान स्वदेशी और आयातित स्रोतों से पूरी की गई मांग प्रतिशतता नीचे दी गई है :

पोषक	1999-2000 में औसत मांग (लाख मी. टन में)	खपत की औसत प्रतिशतता	
		स्वदेशी	आयातित
नाइट्रोजन (एन)	116	94	6
फॉस्फेट (पी)	48	70	30
पोटाश (क)	17	0	100

चूंकि देश में पोटाश के वाणिज्यिक रूप से दोहन योग्य कोई ज्ञात स्रोत नहीं है, अतः इसकी सम्पूर्ण मांग को आयातों के माध्यम से पूरा किया जाता है।

(घ) से (च) स्वदेशी उर्वरक उत्पादन को ईष्टतम करने हेतु सरकार द्वारा वर्तमान में उर्वरक उद्योग को निम्नलिखित सुविधाएं/रियायतें उपलब्ध कराई गई हैं :

(1) दिनांक 24 जुलाई, 1991 के औद्योगिक नीति विषयक संकल्प के अनुसार सामान्यतः उर्वरक संयंत्रों की स्थापना/विस्तार के लिए किसी लाईसेंस की आवश्यकता नहीं है। उद्यमी पर्यावरणीय मंजूरी के तहत देश में कहीं भी उर्वरक परियोजनाओं की स्थापना/विस्तार करने के लिए स्वतंत्र हैं।

(2) उर्वरक परियोजनाओं के लिए पूंजीगत मालों की स्वदेशी आपूर्तियों पर निर्यात समलाभ प्रदान किए जाते हैं बशर्ते कि ये आपूर्तियां अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धी बोली की प्रक्रिया के माध्यम से की जायें।

(3) प्रतिधारण मूल्य-सह-राजसहायता के अंतर्गत उद्यमियों को निवेश पर मुनासिब लाभ वर्तमान में मौजूदा क्षमताओं पर लागू है।

(4) कृषकों को नियंत्रणमुक्त फॉस्फेटिक एवं पोटाशिक उर्वरकों की बिक्री पर रियायत।

(5) नये संयंत्र को लगाने/ मौजूदा एककों के आधुनिकीकरण के लिए पूंजीगत माल के आयात पर उत्पाद शुल्क की रियायती दर।

(6) उत्पाद शुल्क की रियायती दर पर उर्वरक कच्चे माल और मध्यवर्तियों का आयात।

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के मानदंड

***232. श्री शिवाजी विट्ठलराव काम्बले :** क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अध्यापकों, स्कूलों और डी.एड. कालेजों के लिए राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् के मानदंड लागू हैं और ये मानदंड सभी राज्यों ने अपना लिए हैं;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी) : (क)

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद (एन.सी.ई.आर.टी.) शिक्षकों, स्कूलों और डी.एड. कालेजों/बी.एड. कालेजों के लिए कोई मानदंड निर्धारित नहीं करती है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) क्योंकि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद को यह अधिदेश प्राप्त नहीं हुआ है।

[अनुवाद]

विज्ञान शिक्षा में भारतीय भाषाओं का उपयोग

***233. श्री सुरेश रामराव जाधव :**

डा. जसवंतसिंह यादव :

क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार विज्ञान/तकनीक शिक्षा भारतीय भाषाओं में देने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस मामले पर हाल में हुये राष्ट्रीय विज्ञान सम्मेलन में चर्चा की गई थी;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसके क्या निष्कर्ष निकले; और

(घ) इस संबंध में क्या कदम उठाये गये हैं/उठाये जाने का विचार है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी) : (क) हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुपालन में विज्ञान/तकनीकी शिक्षा में भारतीय भाषाओं का प्रयोग पहले से ही किया जा रहा है।

(ख) से (घ) सरकार को हाल ही में आयोजित किए गए ऐसे किसी सम्मेलन की जानकारी नहीं है।

इन्दिरा आवास योजना के अंतर्गत अनियमितताएं

***234. श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी** : क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इन्दिरा आवास योजना के मुख्य उद्देश्य क्या हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान इस योजना से राज्यवार कितने लोग लाभान्वित हुये हैं;

(ग) क्या सरकार को राज्यों से इस योजना के क्रियान्वयन के बारे में अनियमितताओं की कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री एम. वैंकय्या नायडू) : (क) और (ख) इंदिरा आवास योजना का प्राथमिक उद्देश्य अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, मुक्त बंधुआ मजदूरों तथा गरीबी रेखा से नीचे बसर कर रहे गैर–अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोगों को अनुदान सहायता उपलब्ध कराकर आवासीय इकाइयों के निर्माण में उनकी मदद करना है। पिछले तीन वर्षों के दौरान इस योजना से लाभान्वित हुए परिवारों की राज्यवार संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) और (घ) निधियों और सामग्री के दुरुपयोग, इंदिरा आवास योजना के मकानों का अपात्र लाभार्थियों को आबंटन, लाभार्थियों के गलत चयन से संबंधित शिकायतें और इसी प्रकार की अन्य शिकायतें जैसे ही ग्रामीण विकास मंत्रालय के ध्यान में आयी हैं, इन्हें संबंधित राज्य प्राधिकारियों के साथ उठाया गया है। अनेक मामलों में राज्य सरकारों द्वारा दोषियों के विरुद्ध उपयुक्त कार्रवाई की गई है/शुरू की गई है।

विवरण

इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत निर्मित आवास

राज्य	निर्मित आवासों की संख्या		
	1997-98	1998-99	1999-2000
1	2	3	4
आंध्र प्रदेश	104115	61430	89823
अरुणाचल प्रदेश	932	470	3210
असम	17516	20937	20412
बिहार	103506	125082	165892
गोवा	512	482	333
गुजरात	24439	21820	26351
हरियाणा	4505	10043	9843
हिमाचल प्रदेश	1843	3874	3711
जम्मू व कश्मीर	6172	5400	5830
कर्नाटक	43522	37369	39398
केरल	12834	9452	20716
मध्य प्रदेश	101549	102901	77886
महाराष्ट्र	60709	54532	71958

1	2	3	4
मणिपुर	1096	1125	199
मेघालय	316	734	356
मिजोरम	302	519	1795
नागालैंड	1933	2290	7706
उड़ीसा	50023	50671	53328
पंजाब	3235	3831	4154
राजस्थान	34858	32955	37440
सिक्किम	590	543	752
तमिलनाडु	55830	68207	54935
त्रिपुरा	1665	3235	11229
उत्तर प्रदेश	94535	181274	155248
पश्चिम बंगाल	43931	36246	62653
अं.व नि. द्वीप समूह	6	12	6
दा. व न. हवेली	100	6	52
दमन व दीव	38	0	3
लक्षद्वीप	110	40	34
पांडिचेरी	214	290	426
कुल	770936	835770	925679

अन्नपूर्णा योजना

***235. श्री आर. एल. जालप्पा :**

श्री ताराचन्द भगोरा :

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने वृद्ध लोगों के लाभार्थ अन्नपूर्णा योजना शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) अब तक राज्यवार कितने वरिष्ठ नागरिकों को खाद्यान्न संबंधी सुरक्षा प्रदान की गई है;

(घ) क्या वर्ष 2000–2001 के लिए इस योजना के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को आबंटित की गई धनराशि का दुरुपयोग किया जा रहा है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) इस मामले में दोषी पाए गए अधिकारियों विरुद्ध की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है; और

(छ) सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं कि इस योजना के लाभ जरूरतमंद लोगों तक पहुंचे?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री एम. वैंकय्या नायडु) : (क) से (छ) भारत सरकार ने पहली अप्रैल, 2000 से अन्नपूर्णा योजना शुरू की है जिसमें 65 वर्ष और इससे अधिक आयु वाले उन बेसहारा लोगों, जो किसी भी पेंशन योजना के अंतर्गत नहीं आते हैं, को प्रति माह 10 किलोग्राम खाद्यान्न मुफ्त उपलब्ध कराने की परिकल्पना की गई है। योजना से लाभान्वित होने वाले लोगों की संख्या, फिलहाल, राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत आने वाले पेंशनरों की संख्या के 20 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। चूंकि राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत 68.81 लाख लाभार्थियों को शामिल किया जाना है। अतः इसका अर्थ यह हुआ कि 13.762 लाख लाभार्थी अन्नपूर्णा योजना के तहत लाभ पाने के पात्र होंगे।

वर्ष 2000–2001 के बजट में योजना के लिए 100 करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध कराई गई है। हाल ही में यह निर्णय लिया गया है कि अन्नपूर्णा तथा अन्य कल्याण योजनाओं के अंतर्गत खाद्यान्न गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के लिए चावल और गेहूं के केन्द्रीय निर्गम मूल्य पर भारतीय खाद्य निगम द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा जिससे 13.47 लाख लाभार्थी लाभ प्राप्त कर सकेंगे। (विवरण–I पर)। अब तक 20 राज्यों को 82.00 करोड़ रुपये जारी किये गये हैं (विवरण–II पर)।

यद्यपि, केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय केन्द्र स्तर पर योजना के लिए उत्तरदायी है लेकिन राज्यों के खाद्य तथा नागरिक आपूर्ति विभाग इसे राज्यों में कार्यान्वित करने के लिए नोडीय विभाग हैं। योजना के अंतर्गत केन्द्र द्वारा निधियां एक किस्त में राज्यों के नोडीय विभागों को जारी की जायेंगी, उसके पश्चात वे जिलावार खाद्यान्नों को जारी करने के लिए भारतीय खाद्य निगम से संपर्क स्थापित करेगा। उचित दर की दुकानों के जरिए लाभार्थियों को वितरण करने के लिए भारतीय खाद्य निगम के निकटवर्ती गोदान से खाद्यान्नों को उठवाने की जिम्मेदारी जिला कलेक्टर की है।

यद्यपि, निधियों के दुरुपयोग तथा इसी तरह की कोई शिकायत अभी तक प्राप्त नहीं हुई है लेकिन यह सुनिश्चित करने के लिए कि जरूरतमंदों को लाभ पहुंचे, योजना का व्यापक प्रचार करने तथा योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने की प्रक्रिया के संबंध में सूचना के प्रचार–प्रसार हेतु ग्राम पंचायतों की भूमिका के संबंध में कार्यक्रम के दिशा–निर्देशों में स्पष्ट उल्लेख किया गया है। दिशा–निर्देशों में यह भी प्रावधान किया गया है कि लाभार्थियों का चयन और पात्रता

कार्डों का वितरण ग्राम सभाओं की बैठकों में हो तथा इस प्रकार चयनित लाभार्थियों की सूची ग्राम पंचायतों में लगाई जाये। दिशा-निर्देशों में विस्तृत लेखा प्रणाली भी निर्धारित की गई है। संबंधित राज्य के महालेखाकार द्वारा पिछले वर्ष के विधिवत जांचे गए आवश्यक उपयोग प्रमाणपत्र भेजने पर राज्य सरकारों को निधियां जारी (ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा) की जाती हैं। राज्यों के प्राधिकारी खाद्यान्नों के उठान की स्थिति के बारे में भारतीय खाद्य निगम से प्राप्त रिपोर्टों, जो कलेक्टर के कार्यालय से प्राप्त स्वतंत्र रिपोर्टों से विधिवत सत्यापित होंगी, के आधार पर भारतीय खाद्य निगम को धन जारी करेंगे। राज्य सरकारों द्वारा प्रत्येक तिमाही में जिलावार आबंटन और उठान की सूचना केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय को भेजनी होती है।

विवरण-I

प्रति कि.ग्रा. 4.90 रु. की औसत लागत का उपयोग करके राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए अन्नपूर्णा संख्यात्मक अधिकतम सीमा तथा अर्हक वित्तीय पात्रता

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2000-01 के दौरान मात्रात्मक आबंटन (व्यक्ति)	2000-01 के दौरान मात्रात्मक हकदारी (प्रति व्यक्ति 120 कि.ग्रा.)	किफायती लागत (प्रति कि.ग्रा. 4.9 रु.) (1.4.2000 को)	बिक्री कर 10% की दर	ढुलाई लागत प्रति कि.ग्रा. 0.50 रुपये	2000–01 के दौरान कार्यक्रम राशि (रु.)	2000–01 के दौरान प्रशासनिक खर्च (रु.)	2000–01 के दौरान कुल आबंटन
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	84948	10193713	49949196	4994920	5096857	60040972	2401639	62442611
2.	बिहार	151849	18221919	89287403	8928740	9110960	107327103	4293084	111620187
3.	गोवा	820	98437	482342	48234	49219	579795	23192	602987
4.	गुजरात	40396	4847483	23752665	2375266	2423741	28551673	1142067	29693739
5.	हरियाणा	15732	1887806	9250248	925025	943903	11119176	444767	11563943
6.	हिमाचल प्रदेश	6945	833435	4083829	408383	416717	4908929	196357	5105286
7.	जम्मू व कश्मीर	9315	1117808	5477262	547726	558904	6583892	263356	6847248
8.	झारखंड*	50074	6008932	29443765	2944376	3004466	35392607	1415704	36808311
9.	कर्नाटक	62015	7441848	36465057	3646506	3720924	43832487	1753299	45585786
10.	केरल	40997	4919670	241036382	2410638	2459835	28976855	1159074	30135930
11.	मध्य प्रदेश	109192	13103078	64205082	6420508	6551539	77177129	3087085	80264215
12.	महाराष्ट्र	122099	14651822	71793930	7179393	7325911	86299234	3451969	89751204
13.	उड़ीसा	59062	7087475	34728625	3472863	3543737	41745225	1669809	43415034
14.	पंजाब	11357	1362808	6677757	667776	681404	8026937	321077	8348014
15.	राजस्थान	43294	5195294	25456940	2545694	2597647	30600281	1224011	31824292
16.	तमिलनाडु	78440	9412779	46122616	4612262	4706389	55441267	2217651	57658917
17.	उत्तर प्रदेश	228812	27457402	134541267	13454127	13728701	161724095	6468964	168193059
18.	पश्चिम बंगाल	87208	10464962	51278316	5127832	5232481	61638629	2465545	64104174
19.	अंडमान निकोबार द्वीप	510	61250	300124	30012	30625	360761	14430	375192
20.	चंडीगढ़	401	48125	235812	23581	24062	283455	11338	294793
21.	दादरा व नगर हवेली	346	41562	203656	20366	20781	244802	9792	254594
22.	दमन व दीव	73	8750	42875	4287	4375	51537	2061	53599
23.	दिल्ली	7328	879372	4308922	430892	439686	5179500	207180	5386680
24.	लक्षद्वीप	55	6562	32156	3216	3281	38653	1546	40199

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25.	पांडिचेरी	1440	172812	846778	84678	88406	1017862	40714	1058576
	कुल	1212709	145525103	713073005	71307300	72762552	857142857	34285714	891428571
26.	अरुणाचल प्रदेश	5428	651309	3191414	319141	325655	3836210	153448	3989659
27.	असम	78582	9429823	46206132	4620613	4714911	55541656	2221666	57763322
28.	मणिपुर	9793	1175188	5758422	575842	587594	6921858	276874	7198732
29.	मेघालय	10560	1267221	6209383	620938	633610	7463931	298557	7762489
30.	मिजोरम	2950	353972	1734464	173446	176986	2084897	83396	2168293
31.	नागालैंड	7669	920328	4509607	450961	460164	5420732	216829	5637561
32.	सिक्किम	2832	339813	1665086	166509	169907	2001501	80060	2081561
33.	त्रिपुरा	16932	2031801	9955826	995583	1015901	11967309	478692	12446001
	कुल	134745	16169456	79230834	7923033	8084726	95238095	3809524	99047619
	कुल योग	1347455	161694559	792303339	79230334	80847279	952380952	38095238	990476190

* नए राज्य

विवरण-II

अन्नपूर्णा योजना

वर्ष : 2000-2001 (1.12.2000 को)

(रुपए में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आबंटन	रिलीज	लक्षित लाभार्थी
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	62442611	62442611	41905
2.	बिहार	111620187	111620187	99609
3.	छत्तीसगढ़ *			
4.	गोवा	602987		405
5.	गुजरात	29693739	29693739	19927
6.	हरियाणा	11563943		7760
7.	हिमाचल प्रदेश	5105286	5105286	3426
8.	जम्मू व कश्मीर	6847248	6847248	4595
9.	झारखंड *	36806311		
10.	कर्नाटक	45585786		30592
11.	केरल	30135930	30135930	20224
12.	मध्य प्रदेश	80264215	80264215	53865
13.	महाराष्ट्र	89751204	89751204	60231
14.	उड़ीसा	43415034	43415034	29135
15.	पंजाब	8348014	8348014	5602
16.	राजस्थान	31824292	31824292	21357
17.	तमिलनाडु	57658917		38694
18.	उत्तर प्रदेश	168193059	168193059	112873
19.	उत्तरांचल**			
20.	पश्चिम बंगाल	64104174	64104174	43020
21.	अंडमान निकोबार	375192		252
22.	चंडीगढ़	294793		198
23.	दादरा व नगर हवेली	254594		171
24.	दमन व दीव	53599		36
25.	दिल्ली	5386680		3615
26.	लक्षद्वीप	40199		27
27.	पांडिचेरी	1058576	1058576	710
	कुल	891428571	732803569	598229
	पूर्वोत्तर			
28.	अरुणाचल प्रदेश	3989659		2677
29.	असम	57763322	57763322	38764
30.	मणिपुर	7198732	7198732	4831
31.	मेघालय	7762489		5209

1	2	3	4	5
32.	मिजोरम	2168293	2168293	1455
33.	नागालैंड	5637561	5637561	3783
34.	सिक्किम	2081561	2081561	1397
35.	त्रिपुरा	12446001	12446001	8352
	कुल	99047619	87295470	66470
	कुल योग	990476190	820099039	664699

* नए राज्य

** इन नए राज्यों के बनने से पहले मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश को छत्तीसगढ तथा उत्तरांचल के लिए निधियां जारी कर दी गई थी। नए राज्यों के लिए आबंटन प्राप्त नहीं हुआ है।

बहुपरिसरीय विश्वविद्यालय

***236. श्री ए. ब्रह्मनैया** : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में बहुपरिसरीय विश्वविद्यालयों को प्रोत्साहन देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रयोजनार्थ दिए जाने के लिए प्रस्तावित वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी) : (क) और (ख) कोई भी विश्वविद्यालय एकल परिसर अथवा बहुपरिसरीय संस्था हो सकती है और यह संबंधित संस्था के अधिनियम में प्रासंगिक प्रावधानों और संबंधित क्षेत्र की उच्चतर शिक्षा संबंधी आवश्यकताओं पर निर्भर है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने हाल ही में देश के किसी भाग अथवा विदेश में शैक्षिक केन्द्रों की स्थापनार्थ सम–विश्वविद्यालयों को अनुमति प्रदान की है। सम–विश्वविद्यालयों द्वारा शैक्षिक केन्द्रों की स्थापना को अभिशासित करने वाली शर्तें इस प्रकार हैं :–

(i) केन्द्रों की स्थापना विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और राज्य सरकार, जहां केन्द्र (केन्द्रों) को खोले जाने का प्रस्ताव है, के पूर्व अनुमोदन से की जाएगी।

(ii) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अनुमोदन से ही विभिन्न शैक्षिक पाठ्यक्रम शुरू किए जाएंगे।

(iii) छात्रों के लिए प्रवेश कार्यविधि तथा शुल्क निर्धारण विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित मानदंडों/नियमों के अनुसार होगा।

(iv) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग प्रत्येक वर्ष केन्द्र के संपूर्ण कार्य–निष्पादन की मानीटरिंग करेगा और प्रबंधन, शैक्षिक विकास तथा सुधार के संबंध में उसके निर्देश सम–विश्वविद्यालय के लिए बाध्यकारी होंगे।

(v) यदि केन्द्र विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के निर्देशों तथा सिफारिशों को पूरा नहीं करता है और उसका कार्य–निष्पादन तीन वर्षों तक असन्तोषजनक रहता है तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग मानीटरिंग समीक्षा समिति की सिफारिशों के आधार पर सम–विश्वविद्यालय को यह निर्देश दे सकता है कि वह उस केन्द्र को बंद कर दे। उस स्थिति में ऐसे केन्द्र की देयताओं का भार संबंधित सम–विश्वविद्यालय उठाएगा।

(vi) सम–विश्वविद्यालय के लिए यह अनुमन्य होगा कि वह न केवल भारत के किसी भी भाग में अपितु किसी भी देश में शैक्षिक केन्द्र खोल सकता है। विदेशों में शैक्षिक केन्द्र (केन्द्रों) को भारत सरकार/विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से और मेजबान देश की सरकार से उचित अनुमति मिल जाने के बाद खोला जाएगा।

(vii) विदेशी परिसर/परिसरों के मामले में निधियों का प्रेषण भारतीय रिजर्व बैंक के नियमों द्वारा अभिशासित होगा।

(ग) बहुपरिसरीय काम्पलैक्सों की स्थापनार्थ विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा कोई वित्तीय सहायता प्रदान करने का प्रस्ताव नहीं है।

गरीबी उन्मूलन योजनाएं

***237. श्री रामदास आठवले** : क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गरीबी उन्मूलन हेतु तैयार की गई योजनाएं प्रभावी ढंग से कार्य नहीं कर रही हैं;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में तथ्यात्मक स्थिति क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में सरकार का ध्यान 1 अक्तूबर, 2000 "नवभारत टाइम्स" में प्रकाशित रिपोर्ट की ओर आकृष्ट कराया गया है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इन योजनाओं को कार्यान्वित करने के तरीकों में परिवर्तन करने हेतु कोई कदम उठाने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री एम. वैंकय्या नायडू) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (ङ) हालांकि योजना आयोग द्वारा नौंवी पंचवर्षीय योजना का मध्यावधि मूल्यांकन अभी जारी नहीं किया गया है लेकिन मध्यावधि मूल्यांकन की मुख्य बातें उपलब्ध हैं। गरीबी उपशमन कार्यक्रमों से संबंधित "नौवीं पंचवर्षीय योजना (1997–2000) का मध्यावधि मूल्यांकन मुख्य बातें" के अध्याय छह में यह कहा गया है कि गरीबी रेखा से नीचे के लोगों का अनुपात 1973–74 के 54.9 प्रतिशत से घटकर 1993–94 में 36 प्रतिशत हो गया है जो 1 अक्टूबर, 2000 के नवभारत टाइम्स में समाचार में छपी खबर के विपरीत इन कार्यक्रमों की प्रभावशालीता की पुष्टि करता है।

2. प्रख्यात और स्वतंत्र संगठनों के जरिए कराये गये विभिन्न कार्यक्रमों के समवर्ती मूल्यांकन से निम्नलिखित का पता चलता है:

(i) **पूर्ववर्ती जवाहर रोजगार योजना** (समवर्ती मूल्यांकन, जून 1993 से मई 1994 तक) 87 प्रतिशत मामलों में मस्टरौल रखे जाते हैं 76 प्रतिशत मामलों में सृजित परिसम्पत्तियां संतोषजनक थी और ग्राम पंचायतों द्वारा इनका रखरखाव किया जाता था।

(ii) **पूर्ववर्ती समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम** (समवर्ती मूल्यांकन– अक्टूबर 1995 से सितम्बर, 1996 तक) 46.34 प्रतिशत लाभार्थियों ने 11000 हजार रुपये वार्षिक की गरीबी रेखा को पार कर लिया था। 72.2 प्रतिशत मामलों में सहायता राशि का वास्तविक वितरण स्वीकृति मिलने के एक माह के भीतर हो गया। 94.47 प्रतिशत लाभार्थी जो परिसम्पत्तियों का इस्तेमाल कर रहे थे, ने बताया कि उनकी गुणवत्ता अच्छी थी जबकि 87.38 प्रतिशत लाभार्थियों ने बताया कि परिसम्पत्तियां उत्पादक थी।

(iii) **पूर्ववर्ती सुनिश्चित रोजगार योजना** (कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन, योजना आयोग द्वारा सुनिश्चित रोजगार योजना का मूल्यांकम रिपोर्ट– अप्रैल, 2000 में) 78 प्रतिशत लाभार्थी दैनिक मजदूरी कमाने वाले वर्ग से थे, 55 प्रतिशत कृषि मजदूरी कमाने वाले वर्ग से थे और 92 प्रतिशत लाभार्थीगण या तो भूमिहीन मजदूर थे अथवा सीमान्त किसान थे।

(iv) **इंदिरा आवास योजना** (कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन, योजना आयोग द्वारा 1992–93 में इंदिरा आवास योजना का त्वरित अध्ययन) इंदिरा आवास योजना के 85 प्रतिशत आवासों में लाभार्थी काबिज पाये गये और 84 प्रतिशत काबिज लोग आवासों से संतुष्ट/आंशिक रूप से संतुष्ट थे।

3. उपर्युक्त के होते हुए भी, कार्यक्रमों को और अधिक कारगर बनाने के लिए उन्हें 1 अप्रैल, 1999 से निम्न प्रकार पुनर्गठित किया गया है :–

(i) **स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना** : (ग्रामीण गरीबों के स्वरोजगार के लिए एक नया कार्यक्रम है और इसे समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम और इसके संबंध कार्यक्रमों यथा–स्वरोजगार हेतु ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण (ट्राइसेम), ग्रामीण महिला एवं बाल विकास (डवाकरा), ग्रामीण कारीगरों को उन्नत औजार किटों की आपूर्ति (सिट्रा), गंगा कल्याण योजना और दस लाख कुओं की योजना की समीक्षा के बाद शुरू किया गया है।

(ii) **सुनिश्चित रोजगार योजना** को 1.4.1999 से पुनर्गठित किया गया है इसका उद्देश्य गैर–कृषि मौसम के दौरान ग्रामीण गरीबों को मजदूरी रोजगार प्रदान करना है और अब यह आबंटन आधारित योजना है।

(iii) **जवाहर ग्राम समृद्धि योजना** पूर्ववर्ती जवाहर रोजगार योजना का एक और पुनर्गठित कार्यक्रम है और इसे ग्राम स्तर पर उपयोगी आधारभूत ढांचे का सृजन करने के लिए ग्राम पंचायतों द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है।

उर्वरकों पर राजसहायता

*238. **श्री रामशेठ ठाकुर** : क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश की कई प्रतिष्ठित उर्वरक इकाइयों ने सरकार से प्राप्त राजसहायता का दुर्–विनियोग किया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में इकाईवार ब्यौरा क्या है और इनकी घोषित और वास्तविक उत्पादन क्षमता प्रत्येक इकाई को राजसहायता स्वरूप कितनी धनराशि दी गई है; और

(ग) सरकार द्वारा राजसहायता की धनराशि वसूल करने और सरकार तथा जनता को भ्रमित करने वाली इकाइयों के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जा रहे ?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री सुखदेव सिंह ढिंडसा) : (क) से (ग) सरकार को कुछ यूरिया निर्माता एककों द्वारा कम क्षमता बताकर अधिक सब्सिडी लेने से सम्बन्धित मामले की जानकारी है।

सरकार ने की जाने वाली वसूलियों सहित क्षमता के पुर्नमूल्यांकन के सम्पूर्ण मुद्दे के समाधान हेतु डॉ. वाई. के. अलघ की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। संबंधित एककों से अधिक सब्सिडी की वसूली की सही धनराशि समिति की रिपोर्ट और उस पर सरकार के निर्णय पर निर्भर करेगी। इसके अतिरिक्त, सरकार ने यह मामला उपलब्ध साक्ष्यों की जांच हेतु केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरों को भी भेजा है, ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि क्या संबंधित एककों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की प्रांसगिक धाराओं के तहत प्रथम दृष्टया कोई मामला बनता है।

प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय

***239. श्री के. पी. सिंह देव** : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अब तक किन राज्यों में प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई है;

(ख) क्या सरकार का प्रत्येक राज्य में ऐसे विश्वविद्यालय स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो इन विश्वविद्यालयों के कब तक स्थापित किये जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी) : (क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग दवारा दी गई सूचना के अनुसार आंध्र प्रदेश, गुजरात, जम्मू और कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई है।

(ख) जी नहीं। अभी ऐसा कोई प्रस्ताव केन्द्र सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

इस्पात की मांग और आपूर्त्ति

***240. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु :**

श्री विलास मुत्तेमवार :

क्या **इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान इस्पात की मांग और आपूर्त्ति का वर्षवार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उक्त अवधि के दौरान इस्पात के उत्पादन में कमी आई है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) सरकार का इस मांग को किस प्रकार पूर्णतः पूरा करने का विचार है;

(ङ) क्या इस्पात उद्योगों ने यह अभ्यावेदन किया है कि वित्तीय नीतियों के कारण इस्पात की मांग कम हो गई है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) क्या सरकार द्वारा इस मामले में इस्पात उद्योग की सहायता करने हेतु कोई कदम उठाने का प्रस्ताव है; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी) : (क) गत तीन वर्षों के दौरान देश में परिसज्जित इस्पात की घरेलू मांग तथा उत्पादन का ब्यौरा निम्नानुसार है :

(हजार टन)

	वर्ष		
परिसज्जित इस्पात	1997–98	1998–99	1999–2000
घरेलू मांग	22.63	23.54	25.02
उत्पादन	23.37	23.82	26.71

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) और (च) जी, हां। वृद्धि के मंद होने के मुख्य कारण है:

(1) इस्पात की खपत करने वाले क्षेत्रों में मांग की कमी।

(2) देश में समग्र आर्थिक मंदी।

(3) सी आई एस देशों तथा अन्य देशों द्वारा परिसज्जित इस्पात का पाटन।

(4) अवसंरचनात्मक परियोजनाओं के लिए इस्पात आयात पर शुल्क की रियायती दर।

(छ) और (ज) देश में इस्पात उद्योग की सहायता करने के लिए सरकार ने कुछ कदम उठाए हैं। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं :

– इस्पात की मांग में वृद्धि करने के लिए विशेष रूप से गैर–परंपरागत क्षेत्रों जैसे ग्रामीण और कृषि आधारित औद्योगिक क्षेत्र में, राष्ट्रीय अभियान शुरू करना।

– यूक्रेन तथा रूस से आयातित तप्त बेल्लित क्वायलों पर पाटनरोधी शुल्क अधिसूचित किया गया है।

– निर्यात को बढ़ावा देने के लिए इस्पात निर्यात के लिए ड्यूटी एन्टाइटलमेंट पास–बुक (डी.ई.पी.बी.) को युक्तिसंगत बनाया गया है।

– निर्यात में आने वाली अड़चनों को दूर करने के लिए इस्पात निर्यातकों को सहायता देने के लिए 'इस्पात निर्यातक मंच' गठित किया गया है।

[हिन्दी]

खतरनाक और प्रतिबंधित कीटनाशकों का आयात

2456. श्री जय प्रकाश : क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कुछ विदेशी कंपनियां बड़े पैमाने पर देश में खतरनाक और प्रतिबंधित कीटनाशकों का आयात कर रही है जिससे पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस तरह के आयात पर प्रतिबंध लगाने के लिए विद्यमान कीटनाशक अधिनियम में प्रभावी प्रावधान नहीं हैं; और

(ग) सरकार द्वारा उक्त कीटनाशकों के आयात को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी) : (क) और (ख) ऐसे कई पेस्टिसाइड हैं, जो विश्व के कुछ अन्य देशों में प्रतिबंधित कर दिए गए हैं परन्तु भारत में जिनके प्रयोग पर प्रतिबंध नहीं है। जिन पेस्टिसाइडों पर हमारे देश में प्रतिबंध नहीं लगा है उनका कीटनाशक अधिनियम, 1968 के प्रावधानों के अंतर्गत आयात किया जा सकता है।

(ग) पेस्टिसाइडों का आयात कीटनाशक अधिनियम के प्रावधानों के आधार पर पंजीकरण समिति द्वारा पंजीकृत किए जाने पर निर्भर करता है। वैज्ञानिक विकासों के आधार पर सरकार विशेषज्ञ समिति नियुक्त कर समय–समय पर पेस्टिसाइडों के प्रयोग की जांच करती है तथा विशेषज्ञ समिति तथा/या पंजीकरण समिति की सिफारिशों के आधार पर औषधियों पर रोक/प्रतिबंध/प्रयोग करने पर निर्णय लेती है।

[अनुवाद]

भूमि सुधारों को लागू न करना

2457. श्री एस. पी. लेपचा : क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन राज्यों के नाम क्या हैं, जो भूमि सुधारों को लागू करने में विफल रहे हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार भूमि सुधारों को लागू करने में विफल रहे राज्यों को मिलने वाली केन्द्रीय सहायता पर रोक लगाने का है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा) : (क) भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची–II (राज्य सूची) में प्रविष्टि संख्या 18 के अंतर्गत की गई व्यवस्था के अनुसार भूमि और इसका प्रबंधन संबंधित राज्य सरकारों का उत्तरदायित्व है। केन्द्रीय सरकार की भूमिका केवल एक सलाहकार और समन्वयक की है। भूमि सुधार कार्यक्रमों में अधिकतम सीमा से फालतू भूमि/भूदान भूमि/सरकारी बंजर भूमि का वितरण, काश्तकारी सुधार, भूमि जोतों की चकबंदी और अंतरित जनजातीय भूमि वापस दिलाना आदि जैसे विभिन्न कार्य शामिल हैं। अतः अन्तरराज्यीय तुलना करना संभव नहीं है।

(ख) और (ग) भारत सरकार ने भूमि सुधारों को लागू करने में विफल रहे राज्यों को केन्द्रीय सहायता रोकने हेतु कोई निर्णय नहीं लिया है।

आन्ध्र प्रदेश में चलाया जा रहा "आओ पढ़े" कार्यक्रम

2458. श्री वाई. एस. विवेकानन्द रेड्डी : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने "आओ पढ़े" कार्यक्रम शुरू किया है;

(ख) यदि हां, तो विद्यार्थियों द्वारा इस योजना का किस हद तक स्वागत किया गया है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार इस योजना को सहायता प्रदान करने पर सहमत हो गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन) : (क) आन्ध्र प्रदेश सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार, 'चदुवुकुंदम' (आओ पढ़े) नामक साक्षरता सप्ताह 17 से 23 जुलाई, 2000 तक मनाया गया था।

(ख) 5–14 आयु वर्ग के लगभग 3.5 लाख बच्चे स्कूलों में दाखिल किए गए। पढ़ाई बीच में छोड़कर गए लगभग 3.75 लाख बच्चों को स्कूलों में दुबारा दाखिल किया गया।

(ग) और (घ) केन्द्र सरकार को ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

नए राज्यों का सृजन

2459. श्री साहिब सिंह : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वास्तविक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से राज्यों के सृजन हेतु क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी) : संविधान का अनुच्छेद 3, नए राज्यों के सृजन के लिए समर्थकारी उपबंध हैं। नए राज्यों के सृजन के लिए, क्षेत्रीय असन्तुलन के बगैर त्वरित आर्थिक विकास, कुशल प्रशासन, भावनात्मक एकता और सौहार्दपूर्ण सहअस्तित्व जैसे महत्वपूर्ण तत्वों को ध्यान में रखा जाता है। किसी नए राज्य के सृजन के प्रस्ताव पर विचार करते समय, पुर्नगठित किए जाने वाले राज्य की विधान परिषद के संकल्प को समुचित महत्व दिया जाता है।

केन्द्रीय विद्यालयों के लिए भवन

2460. श्री टी. गोविन्दन : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को इस बात की जानकारी है कि अनेक केन्द्रीय विद्यालय धन अभाव के कारण स्कूल भवन/खेल के मैदान/चारदीवारी आदि का निर्माण करने में असमर्थ हैं और उनके प्रस्ताव वर्षों से संबंधित प्राधिकारियों के पास लम्बित पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और राज्यवार अनुमोदन के लिए ऐसे कितने प्रस्ताव लम्बित पड़े हैं; और

(ग) उन पर कब तक कार्रवाई किए जाने का प्रस्ताव है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन) : (क) से (ग) देश के 854 केन्द्रीय विद्यालयों में से 147 केन्द्रीय विद्यालय परियोजना क्षेत्र वाले विद्यालय है जिसमें से 130 केन्द्रीय विद्यालय स्थायी भवनों में चलाये जा रहे हैं। सिविल और रक्षा क्षेत्र में स्थित शेष 707 विद्यालयों में से 430 केन्द्रीय विद्यालय स्थायी भवनों में चलाये जा रहे हैं जिनका उल्लेख संलग्न विवरण में किया गया है। 79 विद्यालयों में भवन निर्माण कार्य चल रहा है और भवन निर्माण संबंधी 73 प्रस्ताव आयोजना स्तर पर है। 125 विद्यालयों के लिए केन्द्रीय विद्यालय संगठन को अभी भूमि उपलब्ध कराई जानी है। निधियों की कमी के कारण कोई प्रस्ताव लम्बित नहीं है।

विवरण

केन्द्रीय विद्यालयों के भवनों की राज्यवार स्थिति :

क्र.सं.	राज्य का नाम	विद्यालयों की संख्या	परियोजना विद्यालय	शेष	भवन वाले	निर्माणाधीन	योजनाधीन	अहस्तांतरित भूमि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	आंध्र प्रदेश	43	07	36	27	04	01	04
2.	अरुणाचल प्रदेश	09	01	08	04	01	01	02
3.	असम	43	16	27	11	03	10	03
4.	बिहार*	52	16	36	19	02	04	11
5.	चंडीगढ़	05	–	05	05	–	–	–
6.	दिल्ली	37	03	34	22	03	04	05
7.	गोवा	05	–	05	04	–	01	00
8.	गुजरात	41	12	29	19	07	01	02
9.	हरियाणा	25	01	24	14	05	–	05
10.	हिमाचल प्रदेश	19	03	16	04	–	04	08
11.	जम्मू व कश्मीर	25	03	22	06	03	02	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9
12.	कर्नाटक	32	07	25	15	01	04	05
13.	केरल	27	03	24	18	03	01	02
14.	मध्य प्रदेश*	86	19	67	40	11	09	07
15.	महाराष्ट्र	52	05	47	41	01	01	04
16.	मणिपुर	05	01	04	01	01	01	01
17.	मेघालय	07	01	06	03	01	01	01
18.	मिजोरम	01	–	01	–	–	–	01
19.	नागालैंड	06	–	06	01	–	01	04
20.	उड़ीसा	30	07	23	09	07	04	03
21.	पांडिचेरी	02	01	01	–	–	01	–
22.	पंजाब	40	02	38	22	03	04	09
23.	राजस्थान	52	04	48	29	05	06	08
24.	सिक्किम	01	–	01	01	–	–	–
25.	तमिलनाडु	29	05	24	19	01	02	02
26.	त्रिपुरा	05	01	04	01	–	–	03
27.	उत्तर प्रदेश*	120	22	98	63	12	06	17
28.	पश्चिम बंगाल	49	07	42	28	04	–	06
29.	अं. व नि. द्वीपसमूह	03	–	03	02	01	–	–
30.	नेपाल, काठमांडु	01	–	01	01	–	–	–
31.	मास्को	01	–	01	01	–	–	–
32.	दादरा व नगर हवेली	01	–	01	–	–	–	01
	कुल	854	147	707	430	79	73	125

* हाल ही में गठित झारखंड, छत्तीसगढ और उत्तरांचल राज्य भी शामिल है।

कोयले की खपत

2461. श्री बसुदेव आचार्य : क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश में कोयले की और कोयले के समान ईंधन के रूप में प्रयोग आ रहे गैर–वाणिज्यिक ईंधन विशेषकर लकड़ी की कितनी खपत हुई;

(ख) कोयले के समान ईंधन के रूप में प्रयोग में आ रही लकड़ी की बिना गिरावट के आपूर्ति करने की वर्तमान अनुमानित क्षमता कितनी है;

(ग) ऊर्जा के स्रोतों के रूप में लकड़ी और कोयले की तुलनात्मक लागत कितनी है; और

(घ) वनों को बचाने के लिए कोयले की खपत को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का प्रस्ताव है?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन. टी. षणमुगम) : (क) इस समय भारत में कोयले की खपत का स्तर 300.41 मिलियन टन प्रतिवर्ष है। गैर–परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के अनुसार देश में अन्य गैर–वाणिज्यिक ईंधनों का प्रतिवर्ष वर्तमान स्तर निम्नानुसार है:

ईंधन लकड़ी	–	227–298 मिलियन टन
फसल अवशिष्ट	–	97–156 मिलियन टन
गोपशु गोबर	–	37–114 मिलियन टन

(ख) और (ग) गैर–परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय द्वारा दी गई सूचना के अनुसार ईंधन लकड़ी आपूर्ति की मौजूदा अनुमानित संभाव्यता 172.50 मिलियन टन प्रतिवर्ष है और अवक्रमित भूमि के वनरोपण द्वारा ईंधन लकड़ी के उत्पादन में वृद्धि करने की काफी संभावनाएं हैं। ऊर्जा स्रोत के रूप में लकड़ी और कोयले का कोई तुलनात्मक लागत अनुमान उपलब्ध नहीं हैं।

(घ) लकड़ी के स्थान पर घरेलू उपभोग के लिए कोयले की उपलब्धता को बढ़ाने के लिए एक नीति के रूप में कोयले के गोले (ब्रिकेट) तथा धुआंरहित ईंधन उत्पादन को प्रोत्साहित किया गया है। सी.आई.एल. ने इन प्राथमिकताओं के अधीन निम्नलिखित मात्रा में ईंधन की आपूर्ति की जिसका विवरण इस प्रकार है :

(लाख टन में)

वर्ष	विशेष धुआंरहित	ब्रिकेट
1999–2000 (अंनतिम)	14.34	37.55
1998–99	13.71	29.48
1997–98	17.77	22.83

कोल इंडिया लि. वनों के संरक्षण के लिए कोयले का इस्तेमाल करने हेतु समय–समय पर व्यापक प्रचार–प्रसार करती रही है।

[हिन्दी]

पेयजल परियोजनाओं के लिए विदेशी सहायता

2462. श्री पी. आर. खूंटे : क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में, देशवार पेयजल परियोजनाओं के लिए कितनी विदेशी सहायता प्राप्त हुई;

(ख) राज्यवार अब तक इसमें से कितनी धनराशि का उपयोग किया गया;

(ग) क्या धनराशि का या तो दुरुपयोग किया जा रहा है अथवा उपयोग नहीं किया जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा धनराशि के उचित उपयोग के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जा रहे हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा) : (क) से (घ) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

उत्तर प्रदेश और बिहार में इंजीनियरिंग कॉलेजों में अध्यापकों के रिक्त पद

2463. श्रीमती सुशीला सरोज : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश और बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेजों में अध्यापकों के पद रिक्त पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो यह पद कब से रिक्त पड़े हैं और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इन पदों को कब तक भरे जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन) : (क) से (ग) सामान्यतः देशभर में इंजीनियरिंग कॉलेजों में शिक्षकों की कमी है, इन रिक्त पदों को भरना एक सक्रिय तथा सतत् प्रक्रिया है। उत्तर प्रदेश तथा बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेज भी शिक्षकों की कमी का सामना कर रहे हैं। राज्य सरकार के कॉलेजों में नियुक्तियां राज्य सरकार की प्रक्रिया के अनुसार की जाती हैं। केन्द्र से वित्तपोषित संस्थानों तथा स्ववित्तपोषित कॉलेजों में शिक्षकों की भर्ती संबंधित संस्थान के भर्ती नियमों के अनुसार की जाती है। प्रत्येक कॉलेज में रिक्त पदों का कार्यवृत्त ब्यौरा मंत्रालय द्वारा नहीं रखा जाता है।

[अनुवाद]

पनधारा विकास कार्यक्रम के अंतर्गत प्रति इकाई लागत

2464. श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी : क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1995–96 के दौरान पनधारा विकास कार्यक्रम के अंतर्गत प्रति इकाई लागत 400 रुपये प्रति हैक्टेयर निर्धारित की गई थी;

(ख) यदि हां, तो क्या उसके बाद से मजदूरी की दरों में बढ़ोतरी हुई है;

(ग) यदि हां, तो क्या राज्य सरकारों ने प्रति इकाई लागत बढ़ाने का अनुरोध किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है अथवा की जा रही है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा) : (क) से (ङ) ग्रामीण विकास मंत्रालय तीन मुख्य वाटरशेड विकास कार्यक्रमों नामतः समेकित बंजर भूमि विकास कार्यक्रम, सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम और वाटरशेड विकास कार्यक्रम को 1.4.95 से वाटरशेड विकास संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांतों के अंतर्गत वाटरशेड पद्धति के आधार पर कार्यान्वित कर रहा है। इन कार्यक्रमों के अंतर्गत वाटरशेड विकास परियोजनओं के लिए लागत मानदंड 3500 रुपये हैक्टेयर से लेकर 5000 रुपये प्रति हैक्टेयर तक अलग–अलग है। ये दरें वर्ष 1995–96 में निर्धारित की गई थीं। तब से अब समग्र देश में मजदूरी की दरों में वृद्धि हो गई है। परिणामस्वरूप, राज्य सरकारें वाटरशेड विकास परियोजनाओं की इकाई लागत को संशोधित करने हेतु विभिन्न मंचों पर ग्रामीण विकास मंत्रालय से अनुरोध कर रही हैं। इन तीनों कार्यक्रमों के तहत ऐसी परियोजनाओं की इकाई लागत को बढ़ाने संबंधी एक प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन है।

बालिका समृद्धि योजना

2465. श्री बिक्रम केशरी देव : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1998–99, 1999–2000 और 2000–2001 के दौरान उड़ीसा को बालिका समृद्धि योजना के अंतर्गत कितनी धनराशि आबंटित की गयी/प्रावधान किया गया है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान वर्ग I और X में पढ़ रही छात्राओं की छात्रवृति के लिए कितनी धनराशि जमा की गई; और

(ग) इस योजना के अंतर्गत उड़ीसा के क्योंझर/कालाहांडी और बोलंगीर जिलों में कितनी छात्राएं लाभान्वित हुई हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन) : (क) बालिका समृद्धि योजना के अंतर्गत उड़ीसा राज्य सरकार को वर्ष 1998–99, 1999–2000 के दौरान निर्मुक्त की गई राशि तथा वर्ष 2000–01 के लिए किया गया प्रावधान इस प्रकार है:

वर्ष 1998–99	332.115
वर्ष 1999–2000	221.41
वर्ष 2000–2001	350.00 *

* 175.00 लाख रुपये की राशि राज्य सरकार को निर्मुक्त की जा चुकी है।

(ख) बालिका समृद्धि योजना 15 अगस्त, 1997 को शुरू की गई थी। इसके अंतर्गत ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में गरीबी की रेखा से नीचे के परिवारों में 15 अगस्त, 1997 को अथवा इसके पश्चात् जन्म लेने वाली लड़कियां शामिल हैं। इस समय स्कीम के केवल एक घटक अर्थात् जन्मोपरांत अनुदान को कार्यान्वित किया जा रहा है। 15 अगस्त, 1997 को जन्म लेने वाली लड़की छः वर्ष की होने पर अगस्त, 2003 से स्कूल जाने लगेगी। इसलिए, छात्रवृत्ति का लाभ 15 अगस्त, 2003 से लागू होगा।

(ग) उड़ीसा के क्योंझर/कालाहांडी और बोलंगीर जिलों में इस स्कीम का लाभ प्राप्त करने वाली लड़कियों की संख्या 11,256 है।

अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति

2466. श्री नवल किशोर राय : क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन** मंत्री 22 अगस्त, 2000 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4519 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सूचना एकत्र कर ली गई है :

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार अनुकंपा के आधार पर नियुक्तियां किए जाने के संबंध में आदेश को संशोधित करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) से (ग) जी, हां। सूचना पहले ही 22.11.2000 को लोक सभा पटल पर रखी जा चुकी है।

(घ) और (ङ) केन्द्र सरकार में अनुकंपा आधार पर नियुक्ति बाबत आदेश समय–समय पर संशोधित/सरलीकृत किए जाते हैं तथा उन्हें कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 9.10.1998 के का. ज्ञा. सं. 14014/6/94–स्था. (डी.) की स्कीम के रूप में संकलित किया गया था और बाद में इन्हें समय–समय पर पुनः दिनांक 3.12.1999, 20.12.1999, 28.12.1999 और 24.11.2000 के आदेशों द्वारा संशोधित किया गया है।

कार्य पूर्ण किए जाने संबंधी प्रमाण-पत्र

2467. श्री हरीभाऊ शंकर महाले : क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन** मंत्री 25.7.2000 के अतारांकित प्रश्न संख्या 240 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण/दिल्ली नगर निगम के कानूनों के अनुसार ऐसे भवन जिनके बारे में कार्य पूर्ण किए जाने संबंधी प्रमाण-पत्र जारी नहीं किए गए हैं, निवास योग्य नहीं है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार कब्जे से पूर्व कार्य पूर्ण किए जाने संबंधी प्रमाण-पत्र प्राप्त किए जाने को अनिवार्य बनाने का है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और कार्य पूर्ण किए जाने संबंधी प्रमाण-पत्र को प्राप्त करने का औचित्य क्या है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) से (ग) दिल्ली नगर निगम और दिल्ली विकास प्राधिकरण से सूचना एकत्र की जा रही है और उसे सरकार की प्रतिक्रिया सहित प्रस्तुत किया जाएगा।

डी.आर.डी.ए. में स्टाफ का स्वरूप

2468. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने डी.आर.डी.ए. के स्टाफ के स्वरूप के संबंध में कठोर दिशानिर्देश निर्धारित किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) किन-किन राज्यों द्वारा इस दिशा-निर्देश का अनुपालन नहीं किया जा रहा है;

(घ) क्या इन दिशा-निर्देशों के अंतर्गत किसी भी डी. आर. डी. ए. में स्थायी स्टाफ नहीं होंगे तथा सरकार द्वारा कोई सीधी भर्ती करने की अनुमति नहीं दी जायेगी;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(च) क्या इस नीति के कारण ग्रामीण क्षेत्र के विकास हेतु प्रशासनिक कुशलता वाले अधिकारियों को प्राप्त करना कठिन हो गया है;

(छ) यदि हां, तो क्या इस नीति में परिवर्तन करने और सीधी भर्ती की अनुमति दिए जाने संबंधी कोई प्रस्ताव है; और

(ज) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री एम. वैंकय्या नायडू) : (क) से (ग) डी. आर. डी. ए. को प्रभावी बनाने के लिए उसके पास उचित कार्मिक नीति और समुचित कर्मचारी ढांचा होना चाहिए। डी. आर. डी. ए. की भूमिका तथा कार्यों को ध्यान में रखते हुए योजना के दिशानिर्देशों में डी. आर. डी. ए. की स्टाफ प्रणाली निर्धारित की गई है जिसमें गरीब उन्मूलन, परियोजना बनाने, सामाजिक संगठन तथा क्षमता बढ़ाने की आयोजना, लिंग भेद, इंजीनियरिंग पर्यवेक्षण तथा गुणत्ता नियंत्रण, परियोजना निगरानी, लेखाविधि और आडिट कार्य और मूल्यांकन एवं प्रभाव अध्ययन की स्थिति शामिल हैं। इसके लिए, राज्यों को निर्देशात्मक स्टाफ प्रणाली का सुझाव दिया गया है। डी. आर. डी. ए. प्रशासन की योजना के दिशा-निर्देशों में निध ारित निर्देशात्मक स्टाफ प्रणाली के ब्यौरे विवरण में दिए गए हैं। डी. आर. डी. ए. प्रशासन के दिशा-निर्देशों के अनुसार राज्य सरकारों को स्थानीय जरूरतों के आधार पर परिवर्तन करने की छूट दी गई है किंतु यह निर्णित लागत की सीमा में हो।

(घ) जी, हां।

(ङ) चूंकि डी. आर. डी. ए. एक पंजीकृत सोसाइटी है, जहां तक नीति का संबंध है, यह निर्णय लिया गया है कि डी. आर. डी. ए. के पास कोई स्थायी स्टाफ न हों। डी. आर. डी. ए. के कर्मचारी एक विशेष अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति आधार पर लिये जाते हैं। ऐसे करने से स्टाफ के बेहतर चयन, स्टाफ प्रणाली में लोचशीलता तथा स्टाफ को प्रेरित करने का लाभ मिलता है। डी. आर. डी. ए. को सुदृढ़ करने का उद्देश्य उन्हें कतिपय व्यवसायिक क्षमता तथा लोचशील स्टाफ प्रणाली मुहैया कराना है। इससे डी. आर. डी. ए. को किसी प्रकार की सीधी भर्ती करने की अनुमति नहीं है।

(च) इस नीति में डी. आर. डी. ए. को व्यवसायिक स्टाफ मुहैया कराकर सुदृढ़ करने की परिकल्पना की गई है। डी. आर. डी. ए. प्रशासन की योजना केवल 1999-2000 में शुरू की गई थी। इसलिए, दिशा-निर्देशों के अनुसार योजना के कार्यान्वयन में राज्य सरकारों द्वारा महसूस की जा रही व्यावहारिक दिक्कतों का पता लगाना काफी जल्दबाजी है।

(छ) इस समय नीति को बदलने तथा सीधी भर्ती की अनुमति देने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ज) डी. आर. डी. ए. प्रशासन की योजना को मंत्रिमंडल के अनुमोदन से राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों के साथ विचार-विमर्शों के कई चरणों के बाद शुरू किया गया था। चूंकि योजना केवल एक साल पुरानी है, योजना के दिशा-निर्देशों में कोई परिवर्तन करना जल्दबाजी होगी।

विवरण

डी.आर.डी. के लिए स्टाफ प्रणाली

	पद	पदों की संख्या			
		वर्ग क	वर्ग ख	वर्ग ग	वर्ग घ
	1	2	3	4	5
	परियोजना प्रबंध	#	#	#	#
1	परियोजना निदेशक/सी.ई.ओ.	1	1	1	1
	स्वरोजगार स्कंध				
1	परियोजना अधिकारी	1	1	1	1
2	सहायक परियोजना अधिकारी	2	2	3	3
3	तकनीकी सहायक	2	2	3	3
4	लिपिक एवं टाइपिस्ट/टाइपिस्ट	2	2	3	3
	महिला स्कंध				
1	सहायक परियोजना अधिकारी	1	1	1	1
2	तकनीकी सहायक	1	1	1	1
3	लिपिक एवं टाइपिस्ट/टाइपिस्ट	1	1	1	1
	मजदूरी रोजगार स्कंध				
1	परियोजना अधिकारी	1	1	1	1
2	तकनीकी सहायक	1	1	2	2
3	लिपिक एवं टाइपिस्ट/टाइपिस्ट	1	2	2	2
	वाटरशैड स्कंध				
1	परियोजना अधिकारी	1	1	1	1
2	तकनीकी सहायक	1	1	1	1
3	लिपिक एवं टाइपिस्ट/टाइपिस्ट	1	1	1	1
	इंजीनियरिंग स्कंध				
1	कार्यकारी अभियन्ता	1	1	1	1
2	सहायक अभियंता	1	2	2	2
3	तकनीकी सहायक	1	2	2	2
	वित्त स्कंध				
1	वरिष्ठ लेखा अधिकारी		1	1	1
2	लेखा अधिकारी	2	2	2	2

1		2	3	4	5
3	लेखाकार/लेखा लिपिक	3	3	4	4
4	लिपिक एवं टाइपिस्ट/टाइपिस्ट	1	2	2	3
	निगरानी स्कंध				
1	परियोजना अर्थशास्त्री	1	1	1	1
2	सांख्यिकी अन्वेषक/ए.एस.ओ.	1	2	2	2
3	लिपिक एवं टाइपिस्ट/टाइपिस्ट	1	1	1	1
	सामान्य प्रशासन				
1	अधीक्षक/कार्यालय प्रबंधक	1	1	1	1
2	सहायक	2	3	3	3
3	आशुलिपिक	1	2	2	2
4	ड्राइवर	1	2	3	4
5	अटेन्डेन्ट/वाचमैन	3	4	5	6

पद आधारित रोस्टर

2469. श्री अशोक प्रधान : क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने आरक्षण प्रणाली के क्रियान्वयन हेतु 2 जुलाई, 1997 से 'रिक्ति आधारित रोस्टरों' के स्थान पर 'पद आधारित रोस्टरों' की व्यवस्था शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या पद आधारित रोस्टरों को शुरू किए जाने के समय उनके मंत्रालय तथा इसके अंतर्गत सभी स्वायत्तशासी/ सांविधिक/ संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों और सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में सभी श्रेणियों की सेवाओं में आवश्यकता से अधिक/कम स्टाफ की पहचान करने की प्रक्रिया पूरी की गई थी; और

(घ) यदि हां, तो 2 जुलाई, 1997 की स्थिति के अनुसार इसमें कितनी अधिक/कमी पायी गई ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन. टी. षणमुगम) : (क) जी, हां।

(ख) आर. के. सभरवाल बनाम पंजाब राज्य के मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय के क्रियान्वयन के लिए।

(ग) जी, हां। इस मंत्रालय में इसके अधीनस्थ कार्यालयों जैसे कोयला नियंत्रक संगठन तथा भुगतान आयुक्त का कार्यालय, कलकत्ता; स्वायत्तशासी निकाय जैसे कोयला खान भविष्य निधि संगठन, धनबाद तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम जैसे कोल इंडिया लि. और उसकी सहायक कंपनियां तथा नेयवेली लिग्नाइट कारपोरेशन लि. में, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 2.7.1997 के का. ज्ञा. सं. 36012/2/96–स्था. (आर.) के पैरा 5 के अनुसार, सेवाओं की सभी श्रेणियों में अधिकता/कमी की पहचान करने का काम आरंभ किया गया है।

(घ) पाई गई कमी (–)/अधिकता (+) निम्न प्रकार पाई गई:

	अनुसूचित जाति	अनु.जन.जाति
कोयला मंत्रालय	+21	+2
कोयला नियंत्रक का संगठन	शून्य	–3
भुगतान आयुक्त	शून्य	शून्य
कोयला खान भविष्य निधि संगठन	अधिकता/कमी की पहचान की जा रही है।	
कोल इंडिया लि. तथा सहायक कंपनियां	अधिकता/कमी की पहचान की जा रही है।	
नेयवेली लिग्नाइट कारपोरेशन लि.	अनुसूचित जाति/जन जाति के कुल 125 व्यक्तियों की कमी है।	

[हिन्दी]

कपास के जहरीले बीज

2470. मोहम्मद शहाबुद्दीन : क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि मैसर्स मोन्टांसो कंपनी की 'बी.टी. कॉटन सीड्स' जिसमें जीन–आधारित बीज बनाए जाते हैं, लंदन में कराए गए एक अनुसंधान के अनुसार जहरीले पाये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार ने इस बीज के प्रभाव/दुष्प्रभाव की जांच कराई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(च) क्या सरकार का विचार उक्त बीज के उपयोग पर यूरोपीय देशों के अनुरूप ही प्रतिबंध लगा देने का है;

(छ) यदि हां, तो इस पर कब तक प्रतिबंध लगाए जाने की संभावना है; और

(ज) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में राज्य मंत्री (श्री बची सिंह रावत 'बचदा') : (क) और (ख) महोदय, मेसर्ज मॉनसेन्टो कम्पनी के क्राई 1 ए (सी) जीन युक्त बी. टी. कपास बीज के केवल एक ही प्रकार की विश्व के व्यापारिक कृषि क्षेत्र में शुरूआत की गई है। इस प्रोटीन की विषाक्तता केवल आमतौर पर कपास के बॉलवार्म के नाम से परिचित लक्ष्यित लेपिडोप्टेरॉन कीट के प्रति है। यह प्रोटीन मानव, पशु और अन्य गैर–लक्ष्यित प्रजातियों के लिए हानिकारक नहीं है। हमें विशेषज्ञों द्वारा समीक्षित यू.के. में किए गए किसी भी अध्ययन के बारे में जानकारी नहीं है जो बी.टी. कपास के बीजों की सुरक्षा से संबंधित है। यू एस ए, आस्ट्रेलिया, मेक्सिको, आर्जेन्टिना, स्पेन, कनाडा, जापान, चीन, इंडोनेशिया और दक्षिण अफ्रीका में स्थित नियामक प्राधिकारियों ने मेसर्ज मॉनसेन्टों के बी.टी. कपास बीज पर किए गए गहन सुरक्षा आकलन संबंधी अध्ययन की समीक्षा की और यह निष्कर्ष दिया कि बी.टी. कपास एवं कपास बीज से किसी भी प्रकार के आहार सामग्री, चारा और पर्यावरणीय सुरक्षा को खतरा नहीं है।

(ग) से (ङ) सरकार ने बी.टी. कपास बीजों की सुरक्षा की जांच की है। यह सुरक्षा संबंधी अध्ययन बकरियों के लिए सरकार द्वारा वित्तपोषित संस्थान औद्योगिक विष–विज्ञान अनुसंधान केन्द्र (आई टी आर सी), लखनऊ में किया गया। परिणामों से यह संकेत मिला है कि भारतीय बी.टी. कपास बीज का बकरियों पर कोई दुष्प्रभाव नहीं है। दूध देनेवाली गाय, जल–भैंस, मुर्गियों और मछलियों पर सुरक्षा संबंधी और अधिक अध्ययन चलाए जा रहे हैं।

(च) से (ज) बी.टी. कपास के पूर्ण मूल्यांकन के पूरे होने के बाद ही इसके व्यापारिक पहलू पर विचार किया जाएगा। तथापि, यू एस ए, आस्ट्रेलिया, मेक्सिको, आर्जेन्टिना, चीन एवं दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों ने व्यापारिक खेती के लिए क्राई 1 ए (सी) जीन युक्त बी.टी. कपास को अंगीकरण कर लिया है।

[अनुवाद]

मानव संसाधन विकास मंत्री की चीन यात्रा

2471. डा. रामकृष्ण कुसमरिया : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने हाल ही में चीन की यात्रा की है;

(ख) यदि हां, तो यात्रा के उद्देश्य तथा इससे संबंधित अन्य ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस यात्रा के दौरान किसी समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन) : (क) जी, हां।

(ख) चीन के शिक्षा मंत्री के आमंत्रण पर यह एक सद्भावना यात्रा थी। मंत्रियों ने शिक्षक शिक्षा, विश्वविद्यालय शिक्षा, तकनीकी शिक्षा और बुनियादी तथा उच्च शिक्षा के वित्तपोषण पर विचार–विमर्श किए।

(ग) जी; नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

अफगान शरणार्थी

2472. श्री भीम दाहाल :

श्री रवि प्रकाश वर्मा :

क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 4 नवम्बर, 2000 के 'द टाइम्स आफ इंडिया' में यथा प्रकाशित समाचार के अनुसार संयुक्त राष्ट्र में शरणार्थियों से

संबंधित उच्चायुक्त ने अफगान शरणार्थियों के संबंध में सरकार की आलोचना की है;

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित मामले के तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने इस मामले पर अपना रूख स्पष्ट कर दिया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव) : (क) से (घ) एक रिपोर्ट 4 नवंबर, 2000 के टाइम्स आफ इंडिया में प्रकाशित हुई थी। तथापि, इस रिपोर्ट में आरोप, तथ्यों पर आधारित नहीं है। सरकार इस मामले को युनाइटेड नेशंस हाई कमीश्नर फॉर रिफयूजीज़ के साथ उठाना आवश्यक नहीं समझती है।

आवश्यक औषधियों संबंधी हाथी समिति की रिपोर्ट

2473. श्री टी.टी.वी. दिनाकरन : क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय आवश्यक औषधि सूची किस वर्ष तैयार की गई थी तथा इसमें कितनी औषधियां शामिल हैं;

(ख) आवश्यक औषधियों संबंधी हाथी समिति की रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत की गई है इसमें क्या–क्या सिफारिशें की गई हैं; और

(ग) इस समय सरकार का आवश्यक औषधियों की सूची के बारे में क्या रवैया है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी) : (क) से (ग) राष्ट्रीय आवश्यक औषध सूची वर्ष 1996 में प्रकाशित की गई थी तथा इसमें विभिन्न चिकित्सीय वर्ग की 279 औषधियां शामिल हैं। हाथी समिति ने वर्ष 1975 में सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी थी। आवश्यक औषधियों के संबंध में, इसने ऐसी औषधियों की एक सूची तैयार की थी जिनका इसके विचार में व्यापक रूप से शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में प्रयोग किया जाता है तथा देश भर में इन आवश्यक औषधियों को उचित मूल्य पर उपलब्ध कराने के उपाए का सुझाव दिया था। सरकारी स्वास्थ्य सेवा कार्यकम के अंतर्गत औषधियां प्राप्त करने के लिए इस सूची का प्रयोग किया जा रहा है।

[हिन्दी]

वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकीय विकास संबंधी आर्थिक पैकेज

2474. श्री ब्रहमानन्द मंडल : क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार सरकार ने नए राज्य झारखंड के गठन के बाद बिहार में वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकीय विकास के बारे में आर्थिक पैकेज लागू करने के लिए केन्द्र सरकार को कोई प्रस्ताव भेजा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में राज्य मंत्री (श्री बची सिंह रावत "बचदा") : (क) और (ख) जी, नहीं। तथापि, बिहार सरकार द्वारा योजना आयोग को एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। इस प्रस्ताव में अन्य बातों के अलावा शैक्षिक विकास के लिए तकनीकी शिक्षण के सुदृढ़ीकरण, जिसके अंतर्गत पटना में एक आई.आई.टी., एक भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान और एक आई आई एम की स्थापना के साथ–साथ बिहार राज्य में विद्यमान विभिन्न इंजीनियरिंग कालेजों तथा पोलिटेक्निकों के स्तरोन्नयन का पैकेज शामिल है।

[अनुवाद]

बच्चों द्वारा अत्याधिक टेलिविजन देखना

2475. श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद द्वारा प्रकाशित अध्ययन रिपोर्ट में बच्चों द्वारा अत्याधिक टेलिविजन देखने के कारण उनका व्यवहार उग्र प्रवृत्ति का होने पर गंभीर चिन्ता व्यक्त की गई है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है?

मानव संसाधन विकास मंत्रोयल में राज्य मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन) : (क) और (ख), एन.सी.ई.आर.टी. का अध्ययन दिल्ली की शहरी बस्तियों में रहने वाले 159 बच्चों के सर्वेक्षण पर आधारित है। बच्चों द्वारा टी.वी. देखने के संबंध में सामान्य वक्तव्य जारी करने के लिए यह नमूना बहुत ही छोटा है। तथापि सरकार ने अध्ययन रिपोर्ट को ध्यान में रख लिया है।

आपराधिक दंड प्रकिया संहिता में संशोधन

2476. श्री रघुनाथ झा : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आपराधिक दंड प्रकिया संहिता में संशोधन करने के संबंध में सोलहवें विधि आयोग द्वारा की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) अब तक जिन सिफारिशों को कियान्वित नहीं किया गया है, उनका ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी) : (क) भारत के विधि आयोग द्वारा प्रस्तुत सूचना के अनुसार उसने दण्ड प्रकिया संहिता 1973 में संशोधन करने के लिए रिपोर्ट के रूप में कोई सिफारिश नहीं की है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता है।

तिहाड़ जेल का कार्यकरण

2477. श्री दलपत सिंह परस्ते : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने तिहाड़ जेल का दौरा करने के बाद सरकार को तिहाड़ जेल में सुधार प्रकिया आरम्भ करने हेतु जेल में बन्द विचाराधीन कैदियों की दशा में परिवर्तन लाने, सैलों में कैदियों की संख्या को कम करने और कैदियों को पैरोल पर छोड़ने के संबंध में सरकार को निर्देश दिया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार की इस संबंध में प्रतिकिया क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव) : (क) और (ख) अगस्त, 2000 में केन्द्रीय जेल तिहाड़ जेल का दौरा करने के दौरान, आयोग के अध्यक्ष ने, जेल प्रशासन द्वारा किए गए अच्छे प्रयासों की सराहना करते हुए पाया कि वहां पर अधिक भीड़–भाड़ इत्यादि से संबंधित समस्याएं हैं जिससे निपटने की आवश्यकता है। अध्यक्ष की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद आयोग ने मुख्यतः विचाराधीन कैदियों की अत्यधिक भीड़भाड़, महिला कैदियों की समस्याओं, व्यावसायिक प्रशिक्षण, नशीली दवाओं के आदी व्यक्तियों का प्रबन्ध इत्यादि से संबंधित अनेक सिफारिशें की हैं।

(ग) केन्द्रीय जेल तिहाड़ के कार्यकरण में सुधार लाने के लिए सरकार सतत प्रयासरत है।

चीनी प्रौद्योगिकी मिशन

2478. श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक : क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चीनी उद्योग में प्रौद्योगिकी का उन्नयन करने के लिए चीनी प्रौद्योगिकी मिशन का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) प्रौद्योगिकी का उन्नयन करने के लिए अनुमानतः कितनी लागत आएगी; और

(घ) इसके परिणामस्वरूप प्रापण दर में कितनी वृद्धि होने का अनुमान है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में राज्य मंत्री (श्री बची सिंह रावत 'बचदा') : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) चीनी उत्पादन प्रौद्योगिकियों पर मिशन मोड परियोजना अगस्त, 1993 में स्थापित की गई जिसकी अनुमानित लागत 15 करोड़ रुपए थी (इसमें उद्योग का अंशदान शामिल नहीं किया गया है) तथा यह विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग तथा खाद्य, चीनी व खाद्य तेल मंत्रालय के मध्य एक सहयोजित परियोजना थी। इस परियोजना का मुख्य उद्‌देश्य चुनिंदा चीनी मिलों का प्रौद्योगिकी की दृष्टि से सुनिश्चित तथा संकेन्द्रित प्रोन्नयन करने का लक्ष्य प्राप्त करना है ताकि अन्य बातों के साथ–साथ चीनी उत्पादन की लागत प्रभाविकता में कुशलता प्राप्त की जा सके और ऊर्जा की बचत की जा सके। यह परियोजना प्रौद्योगिकी सूचना, पूर्वानुमान तथा मूल्यांकन परिषद (टाइफैक) द्वारा कार्यान्वित की जा रही है, जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अन्तर्गत एक स्वायत्तशासी संस्था है।

मिशन अब तक देश में 25 चीनी मिलों के लिए आधुनिकीकरण योजनाएं तैयार कर चुका है जो ऊर्जा संवर्धन, उच्च संयंत्र दक्षता एवं क्षमता को युक्तिसंगत बनाए जाने पर संकेन्द्रित है।

इसके अलावा, 19 नई प्रौद्योगिकियों का मूल्यांकन करने सम्बन्धी कार्य भी आरम्भ किए गए हैं जिनमें से 6 को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है तथा शेष कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं।

(घ) चुनिंदा चीनी मिलों में प्रौद्योगिकी प्रोन्नयन योजना लागू करने का उद्‌देश्य गन्ने के प्रापण में 0.2 से 0.3 प्रतिशत तक की बढ़ोत्तरी करना है।

त्रिवेन्द्रम में मेट्रो रेल सेवा

2479. श्री कोडीकुनील सुरेश : क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार से त्रिवेन्द्रम और कोची में मेट्रो रेल सेवा के बारे में कोई प्रस्ताव विचारार्थ प्राप्त हुआ है :

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में अब तक क्या कार्रवाई की गई है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) केरल सरकार से कोच्चि एवं त्रिवेन्द्रम के लिए मेट्रो रेल सिस्टम हेतु साध्यता अध्ययन के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इनकी विस्तृत जांच के बाद कोच्चि एवं त्रिवेन्द्रम में विस्तृत यातायात

एवं परिवहन अध्ययन, जिसमें दीर्घावधि स्थायी समाधान यथा, मेट्रो रेल (द्रुतगामी रेल आधारित जन परिवहन) प्रणाली अध्ययन भी शामिल है, के लिए 40 प्रतिशत लागत देने के लिए केन्द्र सरकार सहमत हो गई है। राज्य सरकार ने साध्यता अध्ययन करने के लिए परामर्शदाता नियुक्त किए हैं।

राष्ट्र-विरोधी गतिविधियां

2480. श्री राम मोहन गाड्डे :

श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति :

श्री शिवाजी माने :

क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली–लाहौर बस सेवा के कुछ कर्मचारी राष्ट्र–विरोधी गतिविधियों में संलिप्त हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा भविष्य में ऐसी गतिविधियों को रोकने के लिए क्या कार्रवाई की गई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव) : (क) से (ग) दिल्ली–लाहौर बस पर डयूटी दे रहे दिल्ली परिवहन निगम के ड्राईवरों में से एक का आचरण प्रतिकूल पाया गया था। अतः उसे 24 जुलाई, 2000 से दिल्ली–लाहौर बस सेवा की डयूटी से हटा दिया गया था और उसे निलम्बित कर दिया गया था।

[हिन्दी]

राजस्थान को वित्तीय सहायता

2481. श्री गिरधारी लाल भार्गव : क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नौवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान विभिन्न नगरों में विशेषरूप से जयपुर में शहरी विकास के लिए राजस्थान सरकार को अब तक कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई है;

(ख) राज्य सरकार द्वारा अब तक कुल कितनी सहायता राशि का उपयोग किया गया है;

(ग) क्या राज्य सरकार ने जयपुर नगर निगम में सुधार लाने के लिए कोई विशेष सहायता मांगी है; और

(घ) यदि हां, तो केन्द्र सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) और (ख) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान (जून, 2000 तक) राष्ट्रीय स्लम सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत राजस्थान सरकार को राज्य में स्थित शहरी स्लमों में विकास कार्यों हेतु 4436.62 लाख रु. दिए गए थे। इस राशि में से सरकार ने मार्च 2000 तक 2495.20 लाख रु. का व्यय सूचित किया है।

इसके अलावा, छोटे और मझौले कस्बों के समेकित विकास की योजना (आई डी एस एम टी) के अंतर्गत 14 कस्बों के लिए राजस्थान सरकार को 441.81 लाख रु. की राशि दी गई है। राज्य सरकार ने जुलाई 2000 तक इसमें से 615.09 लाख रु. के व्यय की सूचना दी है। इसके अतिरिक्त, केन्द्रीय शहरी अवस्थापना सहायता योजना के तहत राजस्थान सरकार को 3.60 लाख रु. की राशि दी गई है। उपर्युक्त केन्द्रीय अनुदानों के अलावा, हडको ने नौवीं योजनावधि के दौरान राजस्थान में 49 शहरी अवस्थापना योजनाओं के लिए 323.78 करोड़ रु. का ऋण स्वीकृत किया है, जिसमें 238.70 करोड़ रु. की राशि जारी की जा चुकी है।

हडको द्वारा स्वीकृत इन 49 ऋण योजनाओं में से 6 जयपुर शहर से संबंधित हैं, जिनकी लागत 52.51 करोड़ रु. है, जिसमें से 17.77 करोड़ रु. जारी किए जा चुके हैं।

(ग) और (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

दिल्ली पुलिस में भ्रष्टाचार

2482. श्री अब्दुल रशीद शाहीन : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पिछले तीन वर्षों के दौरान वर्षवार दिल्ली पुलिस के कितने कार्मिको को गिरफ्तार किया गया और भ्रष्टाचार के लिए दोषी पाया गया?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव) :

अपेक्षित सूचना निम्न प्रकार है :

	1997	1998	1999	2000 (15.11.2000 तक)
गिरफ्तार किए गए कार्मिकों की संख्या	35	28	20	25
जाच–पड़ताल के लिए लंबित	13	14	18	25
विचारण हेतु लंबित	21	14	2	–
दोषमुक्त किए गए	1	–	–	–

[अनुवाद]

केन्द्रीय विद्यालयों में आरक्षण नीति

2483. श्री प्रवीण राष्ट्रपाल : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश में राज्यवार कितने केन्द्रीय विद्यालय हैं;

(ख) क्या इन विद्यालयों में शैक्षणिक और अशैक्षणिक कर्मचारियों की भर्ती और पदोन्नति के समय आरक्षण नीति को लागू किया जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो इन विद्यालयों में पृथकतः कितने शैक्षणिक और अशैक्षणिक कर्मचारी हैं; और

(घ) इनमें से पृथकतः कितने व्यक्ति अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री(श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) सीधी भर्ती तथा पदोन्नति के मामलों में केन्द्रीय विद्यालय संगठन सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण नीति का पालन करता है।

(ग) और (घ) सूचना एकत्र की जा रही है।

विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	केन्द्रीय विद्यालयों की संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	43
2.	असम	43
3.	बिहार (झारखंड सहित)	52
4.	गुजरात	41
5.	हरियाणा	25
6.	हिमाचल प्रदेश	19
7.	जम्मू व कश्मीर	25
8.	कर्नाटक	32
9.	केरल	27
10.	मध्य प्रदेश (छत्तीसगढ़ सहित)	86
11.	महाराष्ट्र	52
12.	मणिपुर	5
13.	मेघालय	7
14.	नागालैंड	6
15.	उड़ीसा	30
16.	पंजाब	40
17.	राजस्थान	52
18.	सिक्किम	1
19.	तमिलनाडु	29
20.	त्रिपुरा	5
21.	उत्तर प्रदेश (उत्तरांचल सहित)	120
22.	पश्चिम बंगाल	49
23.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	3
24.	अरुणाचल प्रदेश	9
25.	चंडीगढ़	5
26.	दिल्ली	37
27.	गोवा	5
28.	पांडिचेरी	2
29.	मिजोरम	1
30.	दादरा व नगर हवेली	1
	कुल	852

दमन और दीव में 'इंडियन रिजर्व बटालियन'

2484. श्री दह्याभाई वल्लभभाई पटेल : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संघ राज्य क्षेत्र दमन और दीव में 'इण्डियन रिजर्व बटालियन' तैयार की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) इस पर कितना व्यय होगा; और

(घ) सरकार ने इस हेतु कितनी धनराशि स्वीकृत और जारी की है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव) : (क) और (ख) जी हां, श्रीमान् । उनके कानून प्रवर्तन तंत्र को सुदृढ़ करने हेतु लक्षद्वीप, दमन एवं दीव तथा दादरा और नागर हवेली संघ शासित क्षेत्रों के लिए एक इंडिया रिजर्व बटालियन मंजूर की गई है।

(ग) और (घ) इंडिया रिजर्व योजना के तहत, सरकार, प्रांरभिक गठन लागत मंजूर करती है जो प्रति बटालियन 13 करोड़ रु. से अधिक नहीं होती। इस मामले में भी उतनी ही राशि मंजूर की गई है और अभी तक 9.79 करोड़ रु. व्यय किए गए हैं।

रसायन उद्योगों के संबंध में अध्ययन

2485. श्री पी. डी. एलानगोवन : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने** की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में रसायन उद्योगों के संबंध में कोई अध्ययन कराया है;

(ख) यदि हां, तो मूल्य के अनुसार इसका उत्पाद और विक्रय दर्शाते हुए राज्यवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान राज्यवार कितने रसायन उद्योगों को लाइसेंस दिए गए/देने से इंकार किया गया; और

(घ) देश में खतरनाक रसायनों और पदार्थों के उत्पादन को नियंत्रित करने हेतु सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी) : (क) सरकार द्वारा हाल में रसायन उद्योगों का कोई अध्ययन नहीं किया गया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) 1991 के औद्योगिक नीति के उदारीकरण के परिणाम–स्वरूप रासायनिक उत्पाद, कुछ खतरनाक रसायनों को छोड़कर, लाइसेंसमुक्त कर दिया गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग) द्वारा उपलब्ध कराई गयी जानकारी के अनुसार रसायन उद्योग के संबंध में वर्ष 1998, 1999 और 2000 (अक्तूबर तक) में जारी/निरस्त/अन्यथा प्रकिया में/लंबित आशय पत्रों के ब्यौरे सलंग्न विवरण में दिए गए हैं।

(घ) सरकार, विभिन्न पहलुओं जैसे सुरक्षा, पर्यावरणीय दृष्टि से संतुष्ट होने के बाद खतरनाक रसायनों के उत्पादन की अनुमति देती है। इसके अतिरिक्त सभी रसायनिक इकाइयों के लिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत निर्धारित पर्यावरणीय मानदंडों का पालन करना अनिवार्य है। यह राज्य सरकारों के नियंत्रणाधीन राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा लागू किया जाता है।

विवरण

रासायनिक उद्योगों के संबंध में पिछले तीन वर्ष (अक्तूबर, 2000 तक) दिए गए/निरस्त/अन्यथा प्रक्रियाधीन/लंबित आशय पत्रों के ब्यौरे

राज्य का नाम	1998			1999			2000 (अक्तूबर तक)			
	एल आई	ओ डी	निर	एल आई	ओ डी	निर	एल आई	ओ डी	निर	पी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
आंध्र प्रदेश	3			6		2	2			1
गुजरात	1			2			4	1		
हरियाणा	1			1	1					
कर्नाटक							2			
केरल		1						1		
महाराष्ट्र	4						2	1		
उड़ीसा			1							
पंजाब	2							1		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
राजस्थान			1	1			2	1		
तमिलनाडु	3									
उत्तर प्रदेश	1									
पश्चिम बंगाल				1						
एक से अधिक राज्य में स्थित						1				

नोट :एल आई : आशय पत्र

ओ डी : अन्यथा निपटाए गए (वे मामले जो उद्योग (आर एंड डी) अधिनियम में नहीं आते हैं।)

निर : वे मामले जो निरस्त किए गए हैं।

पी : निपटान के लिए लंबित।

दिल्ली में कानून और व्यवस्था

2486. श्री प्रभुनाथ सिंह : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली पुलिस आयुक्त से राजधानी में कानून और व्यवस्था के संबंध में एक व्यापक रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव) : (क) और (ख) जी हा, श्रीमान्। दिल्ली के माननीय उच्च न्यायालय ने, आपराधिक रिट याचिका सं. 3436/99 में अपने दिनांक 20 अक्तूबर, 2000 के आदेश में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली की सरकार को दिल्ली में पी.सी.आर. वाहनों की कार्यप्रणाली और अपराध–स्थिति पर एक स्टेटस रिपोर्ट दायर करने के निदेश दिए हैं।

राज्य सरकारों को राजसहायता

2487. श्री जी. जे. जावीया : क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खुले में मलत्याग को रोकने के लिए राज्यों को राजसहायता उपलब्ध कराने हेतु क्या दिशा–निर्देश हैं;

(ख) क्या गुजरात सरकार ने केन्द्र सरकार से गुजरात को राजसहायता वाली कम लागत स्वच्छता योजना के अंतर्गत शामिल करने का कोई अनुरोध किया है; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिकिया है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) केंद्र प्रायोजित कम लागत की स्वच्छता स्कीम के तहत केन्द्र सरकार से अर्थ सहायता और आवास एवं नगर विकास निगम (हुडको) से ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। यह योजना 1981 की जनगणना के अनुसार पांच लाख से कम आबादी वाले छोटे तथा मझोले कस्बों में लागू है। यह स्कीम इस मंत्रालय द्वारा हुडको के माध्यम से चलायी जा रही है। हुडको वित्तपोषण पद्वति के अनुसार कमबद्वरूप से ऋण और अर्थ–सहायता एक साथ मुहैया करा रहा है, जो विवरण में है।

विभिन्न प्रकार के शौचालयों की मौजूदा इकाई लागत इस प्रकार है:–

इकाई	लागत
5 व्यक्तियों हेतु	4000/– रु.
10 व्यक्तियों हेतु	6000/– रु.
15 व्यक्तियों हेतु	7000/– रु.

(ख) गुजरात के मुख्य मंत्री ने जनवरी, 1992 में इस मंत्रालय को सूचित किया कि राज्य के शहरी क्षेत्रों में सभी में शुष्क शौचालय समाप्त कर दिये गये हैं। अतः सिर पर मैला ढोने का प्रश्न नहीं उठता। इसलिए गुजरात सरकार ने इस योजना को लागू करने की मांग नहीं की। तथापि शहरी विकास और गरीबी उपशमन राज्य मंत्री द्वारा दिनांक 19–6–2000 को गुजरात राज्य के एक दिन के दौरे के दौरान गुजरात को कम लागत की सफाई व्यवस्था योजना में शामिल करने पर विचार करने के संबंध में उन्हें एक ज्ञापन प्रस्तुत किया गया था। इसके बाद जुलाई, 2000 में गुजरात सरकार से एक पत्र प्राप्त हुआ।

(ग) गुजरात सरकार को अगस्त, 2000 में सूचित किया गया था कि यदि वे इस योजना को लागू कराना चाहते हैं तो इस

मंत्रालय अथवा हुडको को प्रस्ताव भेजा जा सकता है। गुजरात सरकार से कोई प्रस्ताव नहीं मिला है।

विवरण

श्रेणी	सब्सिडी	ऋण	लाभार्थी अंशदान
आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग	45%	50%	5%
निम्न आय वर्ग	25%	60%	15%
मध्यम आय वर्ग/उच्च आय वर्ग	शून्य	75%	25%

लघु उद्योगों को कोयले की आपूर्ति

2488. श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा :

श्री आर. एस. पाटिल :

क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ लघु उद्योगों के लिए कोयला आपूर्ति की व्यवस्था की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ये लघु उद्योग अस्तित्व में नहीं हैं;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में तथ्य क्या हैं;

(ङ) क्या ये लघु उद्योग कोयला खानों से अपने स्वीकृत कोटे से काफी कम मात्रा में कोयला लेते रहे हैं;

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(छ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन.टी. षणमुगम) : (क) और (ख) कोल इंडिया लि. (सी आई एल) वर्ष 1978 से आवेदक लघु स्तरीय उद्योग इकाईयों को संयोजन प्रदान कर रही है। यह इकाईयां एस.एस.आई. पंजीकरण प्रमाण–पत्रों तथा अन्द संगत प्रलेखों के साथ सीआईएल को आवेदन करती है। जिसके आधार पर सीआईएल की अ–कोर सेक्टर संयोजन समिति ऐसी इकाईयों पर विचार करती है।

(ग) और (घ) क्योंकि सीआईएल संबंधित राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए एस.एस.आई पंजीकरण प्रमाण–पत्र सहित प्रलेखों तथा कोयला आवश्यकताओं को प्रायोजकता के आधार पर किसी एस.एस.आई. इकाई के संयोजन पर विचार करती है अतः संबंधित इकाई को प्रचालन में माना जाता है। यदि संबंधित राज्य प्राधिकारियों से प्रतिकूल रिपोर्टें प्राप्त होती हैं तो सी.आई.एल./संबंधित कोयला कंपनिपयों द्वारा संयोजन को निलंबित करने की कार्रवाई सहित उपयुक्त कार्रवाई की जाती है।

(ङ) से (छ) जी, हां। वैध प्रायोजकता रखने वाली संयोजित एस.एस.आई. इकाईयां कमी–कभी अपनी हकदारी की अपेक्षा कम कोयला बुक करवाती/उठाती है। वैध संयोजन वाली सभी एस.एस. आई. इकाईयों को संबंधित राज्य सरकार के प्राधिकारियों द्वारा जारी किए गए संयोजन तथा वार्षिक प्रायोजकता के अनुसार संबंधित सहायक कोयला कंपनियों द्वारा कोयला जारी किया जाता है। किसी वर्ष विशेष में आपूर्ति के प्रयोजन के लिए हकदारी की मात्रा का निर्धारण अधिकतम अनुमत्त मात्रा (एम पी क्यू) के आधार पर किया जाता है जोकि गत वर्ष का वैध आर्डर बुकिंग है। तथापि अधिकतम अनुमत्त मात्रा को अधिकतम प्रायोजित मात्रा के अंतर्गत होना आवश्यक है। एस.एस.आई. ईकाइयों द्वारा वास्तविक संयोजन से भिन्न जो कोयला उठाया जाता है उसकी जांच प्रायः अधिकतम अनुमत्त मात्रा एम. पी. क्यू. प्रणाली द्वारा की जाती है। यह प्रणाली सीआईएल द्वारा शुरू की गई है।

जम्मू और कश्मीर में आतंकवाद

2489. श्री एम. वी. वी. एस मूर्ति : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 12 नवम्बर, 2000 के 'द हिन्दुस्तान टाइम्स' में 'पाक कन्विक्ट्स आफर्ड रोड टु फ्रीडम थ्रू कश्मीर' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित समाचार के तथ्य क्या हैं;

(ग) इस समय घाटी में कितने अपराधियों/आतंकवादियों के सक्रिय होने का अनुमान है;

(घ) गत एक वर्ष के दौरान अर्धसैनिक बलों के कितने जवान मारे गए और उनके परिवारों को क्या मुआवजा दिया गया; और

(ङ) सरकार ने सीमापार से आतंकवाद और घुसपैठ को रोकने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव) : (क) से (ग) जी हां, श्रीमान्। सरकार को समाचार की जानकारी है। पाकिस्तान और पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित आतंकवादी ग्रुप जम्मू व कश्मीर में सीमा पार/नियंत्रण रेखा के पार से भाड़े के सैनिकों की घुसपैठ कराने के निरंतर प्रयास करते रहे हैं। भाड़े के इन सैनिकों में अपराधी, तस्कर और पूर्व सैनिक तथा अति संवेशदनशील युवक शामिल है। तथापि, जम्मू व कश्मीर में आतंकवादियों के रूप में सक्रिय आपराधिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्तियों की संख्या का अनुमान लगाना बहुत कठिन है।

(घ) वर्ष 1999 के दौरान जम्मू कश्मीर में उग्रवादी हिंसा में सुरक्षा बलों के 356 कार्मिक मारे गए जबकि चालू वर्ष (31 अक्तूबर 2000 तक) में 316 सुरक्षा कार्मिकों ने अपनी जान गंवाई है। केन्द्र सरकार/राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किए गए मानदंडों के अनुसार मुआवजा/अनुग्रहपूर्वक अदायगी का भुगतान किया जाता है।

(ङ) सीमा पार के आतंकवाद से निपटने के उद्देश्य से सरकार ने बहु–आयामी दृष्टिकोण अपनाया है जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ, सीमा प्रबंधन मजबूत करना, उग्रवादियों के खिलाफ भीतरी प्रदेश में समुचित कार्रवाई करके उनके इरादों को निष्फल करना, आसूचना तंत्र को सक्रिय बनाना, यू.एच. क्यू. और निचले स्तरों पर आपरेशन ग्रुपों आसूचना ग्रुपों के कार्यकरण के ढांचे को व्यापक बनाना, सुरक्षा बलों को बेहतर प्रौद्योगिकी, शस्त्र और उपस्कर उपलब्ध कराना, सीमा पर कड़ी चौकसी रखना, दोनों और से घुसपैठ को रोकने के लिए अंदरूनी इलाकों में और अधिक नाका पार्टियां स्थापित करना तथा और अधिक पुलिस पिकेट, गहन गश्त लगाना इत्यादि शामिल हैं।

मिशन मोड प्रोजेक्ट

2490. श्री दिलीप संघाणी : क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में चीनी उत्पादन प्रौद्योगिकी के अंतर्गत 'मिशन मोड प्रोजेक्ट' में कितनी परियोजनाओं को लिया गया है;

(ख) गुजरात में उन्नयन हेतु किन–किन कारखानों को चुना गया है और इनके उन्नयन की विशिष्ट विधि का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन उन्नत प्रौद्योगिकियों को लागू किए जाने से हुई प्रगति और प्राप्त सफलताओं का ब्यौरा क्या है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में राज्य मंत्री (श्री बची सिंह रावत "बचदा") : (क) शर्करा उत्पादन प्रौद्योगिकी पर मिशन मोड परियोजना द्वारा गुजरात में 3 परियोजनाएं शुरू की गई हैं।

(ख) और (ग) इस मिशन में गुजरात में निम्नलिखित तीन शर्करा कारखानों को प्रौद्योगिकी उच्चस्तरीकरण के लिए चुना गया था:–

(i) श्री वल्साड एस एस के लि., वल्साड

(ii) श्री तलाला तालुका सहकारी खाण्ड उद्योग लि., तलाला

(iii) श्री बिलेश्वर खाण्ड उद्योग खेद्युत सरकारी मण्डली लि., कोदिनार

हुई प्रगति तथा उपब्धियों का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

(i) श्री वलसाड सहकारी खाण्ड उद्योग मंडल लिमिटेड, वलसाड के आधुनिकीकरण एवं विस्तार की योजना लगभग समाप्ति पर है। इस कारखाने का डिजाइन इस तरह से तैयार किया गया है ताकि इसके द्वारा सत्र 2000–2001 के दौरान उन्नत क्षमता के साथ 5000 टीसीडी (टन गन्ना प्रति दिन) की दर से रसों का निष्कर्षण किया जा सके।

(ii) श्री तलाला तालुका सहकारी खाण्ड उद्योग मंडल मिलिटेड, तलाला के प्रौद्योगिकी उच्चस्तरीकरण के लिए योजना की तैयारी पूरी हो चुकी है तथा सोसायटी ने मिशन द्वारा तैयार की गई प्रौद्योगिकी उच्चस्तरीकरण योजना के कार्यान्वयन हेतु निधियों के लिए गुजरात सरकार एवं वित्तीय संस्थानों से सम्पर्क किया है।

(iii) श्री बिलेश्वर उद्योग खाण्ड खेद्युत सहकारी मंडली लिमिटेड, कोदिनार के आधुनिकीकरण एवं प्रौद्योगिकी उच्च स्तरीकरण की योजना को कार्यान्वित करने की कार्रवाई शुरू की जा चुकी है।

उत्तर प्रदेश में इस्पात उत्पादन

2491. चौधरी तेजवीर सिंह : क्या **इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1998–1999 के दौरान उत्तर प्रदेश में विभिन्न इस्पात उद्योगों का कुल उत्पादन कितना था;

(ख) राज्य में कितने इस्पात उद्योगों को रूग्ण घोषित किया गया है; और

(ग) वर्ष 1998–1999 के दौरान केन्द्र सरकार ने कितने इस्पात उद्योगों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई थी?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी) : (क) उत्तर प्रदेश में वर्ष 1998–99 के दौरान विद्युत चाप भट्टी इकाइयों, प्रेरण भट्टी इकाइयों, पुनर्बेलन इकाइयों, शीत बेल्लित इकाइयों, गैल्वेनाइजिंग इकाइयों और वायर ड्राइंग इकाइयों का कुल उत्पादन 11,26,900 टन हुआ।

(ख) आठ विद्युत चाप भट्टी आधारित इकाइयां औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड में पंजीकृत हैं। इसके अतिरिक्त, दो प्रेरण भट्टी आधारित इकाइयों की जांच की जा रही है।

(ग) संघ सरकार ने इस्पात इकाइयों को वित्तीय सहायता उपलब्ध नहीं करवाई है।

[हिन्दी]

इंदिरा आवास योजना/जवाहर रोजगार योजना/रोजगार गारंटी योजना का मूल्यांकन

2492. श्री जय प्रकाश : क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में प्रकाशित योजना आयोग के मध्यावधि–मूल्यांकन का अध्ययन किया है तथा उसमें वर्णित इंदिरा आवास योजना, जवाहर रोजगार योजना और रोजगार गारंटी योजना की प्रमुख खामियों पर ध्यान दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इन खामियों को दूर करने हेतु कोई कदम उठाने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री एम. वैंकय्या नायडू) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

[अनुवाद]

सेल के अंतर्गत इस्पात संयंत्र

2493. श्रीमती निवेदिता माने :

श्री हरीभाऊ शंकर महाले :

क्या **इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड के अन्तर्गत कितने इस्पात संयंत्र कार्यरत हैं और उनकी उत्पादन क्षमता कितनी है तथा पिछले तीन वर्षों के दौरान उनका वास्तविक उत्पादन कितना रहा;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान वर्षवार और संयंत्र–वार इन संयंत्रों द्वारा अर्जित लाभ का ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा घाटे में चलने वाले संयंत्रों के घाटों को बंद करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) वर्तमान में इस्पात उद्योग द्वारा किस प्रकार की समस्याओं का सामना किया जा रहा है और सरकार द्वारा इस समस्या के समाधान हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाये जा रहे हैं?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान सेल के नियंत्रणाधीन कार्य कर रहे इस्पात संयंत्रों की विक्रेय इस्पात के उत्पादन की क्षमता सहित उनके वास्तविक उत्पादन का ब्यौरा निम्नानुसार है :

(इकाई : हजार टन)

संयंत्र	1997–98		1998–99		1999–2000	
	वार्षिक क्षमता	वास्तविक उत्पादन	वार्षिक क्षमता	वास्तविक उत्पादन	वार्षिक क्षमता	वास्तविक उत्पादन
1	2	3	4	5	6	7
बी एस पी	3153	3524	3153	3352	3153	3411
डी एस पी	1586	1259	1586	1319	1586	1402
आर एस पी	1212	1181	1212	1114	1671	1170
बी एस एल	3156	2748	3156	2541	3780	3246
ए एस पी	184	154	184	99	184	83
एस एस पी	175	177	175	119	175	143
वी आई एस एल	77	50	77	57	77	6S
इस्को	377	315	327	285	242	250

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान सेल के इस्पात संयंत्रों को हुई हानि/लाभ (–) का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

(करोड रु.)

वर्ष	बीएसपी	डीएसपी	आरएसपी	बीएसएल	एएसपी	एलएसपी	वीआईएसएल	इस्को
1997–98	701	–509	–374	367	–88	–120	–84	–395
1998–99	301	–719	–765	–165	–179	–180	–74	–357
1999–00	92	–651	–704	120	–260	–142	–91	–210

(ग) हानि के प्रमुख कारणों में अन्य बातों के साथ–साथ मन्दीयुक्त बाजार स्थिति, उच्च पूंजी संबद्ध व्यय, सस्ती दर पर आयात, निजी क्षेत्र और घरेलू उत्पादकों से प्रतिस्पर्धा, अत्यधिक श्रमशक्ति लागत आदि शामिल हैं।

सेल के संयंत्रों में लागत में कमी के नियमित प्रबोधन सहित इसके तीन इस्पात संयंत्रों के आधुनिकीकरण को इस तरह रूपांकित किया गया है कि सेल अपने उत्पादों की गुणवत्ता और इसके प्रचालनों की लाभप्रदता में सुधार कर सके।

अन्य बातों के साथ–साथ इस संबंध में वे क्षेत्र, जिन पर ध्यान दिया जाना है, निम्नानुसार हैं –

– सतत् ढलाई के माध्यम से उत्पादन को उच्चतम सीमा तक बढ़ाना

– गौण परिष्करण सुविधाओं का उपयोग

– *कच्चे माल की विशिष्ट खपत में कमी*

– विद्युत और ईंधन संबंधी व्यय में कमी,

– भंडार और अतिरिक्त पुर्जों की खपत में कमी,

– उत्पादन और विभिन्न प्रक्रियाओं की दक्षता में सुधार करना।

(घ) इस समय इस्पात उद्योग द्वारा सामना की जा रही समस्याओं में अन्य बातों के साथ–साथ इस्पात प्रयोक्ता क्षेत्र में मन्द मांग, देश में समग्र आर्थिक मन्दी, इस्पात उद्योग के लिए आदान सामग्रियों की लागत में वृद्धि, सी आई एस और अन्य देशों द्वारा परिसज्जित इस्पात का पाटन, इस्पात के निर्यात बाजार में प्रतिकूल परिस्थिति, घरेलू और अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों में गिरावट आदि शामिल हैं।

इस्पात की मांग में वृद्धि करने के लिए सरकार ने अनेक कदम उठाए हैं। इन कदमों में अन्य बातों के साथ–साथ निम्नलिखित शामिल हैं –

– बाजार आवश्यकताओं के अनुरूप उत्पाद मिश्र को उन्मुखी बनाना और बाजार–मांग में हुए परिवर्तन के अनुसार उत्पादन को समायोजित करना।

– ग्राहकों के साथ समझौता ज्ञापन/आपूर्ति व्यवस्था करके दीर्घकालिक ग्राहक संबंध विकसित करना।

– निर्यात संबंधी अड़चनों को दूर करने में इस्पात निर्यातकों की सहायता करने के लिए एक "इस्पात निर्यातक मंच" का गठन किया गया है।

– इस्पात की मांग और खपत में वृद्धि करने के लिए विकास आयुक्त, लोहा और इस्पात ने इस्पात की मांग, विशेष रूप से ग्रामीण और कृषि पर आधारित औद्योगिक क्षेत्रों जैसे गैर–परंपरागत क्षेत्रों में, बढ़ाने के लिए एक राष्ट्रीय अभियान शुरू किया है।

– निर्यात में वृद्धि करने के लिए इस्पात के निर्यात हेतु डयूटी एनटाइटलमेंट पास बुक (डीईपीबी) दरों को युक्तिसंगत बनाया गया है।

– इस्पात विनिर्माण हेतु प्रौद्योगिकी में सुधार करने और भारतीय इस्पात की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए विशिष्ट अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं की जांच और सहायता करने हेतु एक अधिकार प्राप्त समिति गठित की गई है।

सुदूर क्षेत्र विकास कार्यक्रम

2494. श्री के. मुरलीधरन : क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में क्रियान्वित किये जा रहे सुदूर क्षेत्र विकास कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या केन्द्र सरकार को इस संबंध में राज्य सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा) : (क) से (घ) ग्रामीण विकास मंत्रालय, ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए

विभिन्न कार्यक्रम कार्यान्वित कर रहा है। इन कार्यक्रमों को केरल सहित देश के विभिन्न भागों में चलाया जा रहा है। तथापि, इस मंत्रालय द्वारा "सुदूर क्षेत्र विकास कार्यक्रम" के नाम से कोई विशिष्ट कार्यक्रम कार्यान्वित नहीं किया जा रहा है।

स्थानीय निकायों के सुदृढ़ीकरण के लिए बैठक

2495. श्री वाई. एस. विवेकानन्द रेड्डी : क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार स्थानीय निकायों के सुदृढ़ीकरण के लिए राष्ट्रीय सहमति बनाने के लिए राज्यों के पंचायत राज मंत्रियों और ग्रामीण विकास मंत्रियों की बैठक आयोजित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस बैठक में विचार किए जाने की प्रस्तावित कार्यसूची क्या है; और

(घ) कितने स्थानीय निकायों को आमंत्रित किए जाने की संभावना है?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री एम. वैंकय्या नायडू) : (क) से (घ) जनहित से संबंधित बातों पर चर्चा करने और विभिन्न कार्यक्रमों और योजनाओं की समीक्षा करने के लिए राज्यों के पंचायती राज और ग्रामीण विकास मंत्रियों का एक सम्मेलन आयोजित करने का प्रस्ताव है। यह आयोजन सभी संबंधित व्यक्तियों की सुविधा को ध्यान में रखकर किया जाएगा। इससे संबंधित आवश्यक ब्यौरों को उपयुक्त स्तर पर अंतिम रूप दिया जाएगा।

कालेज को मानित विश्वविद्यालय का दर्जा

2496. श्री लक्ष्मण सेठ : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कालेज को मानित विश्वविद्यालय का दर्जा देने हेतु निर्धारित प्रक्रिया क्या है; और

(ख) देश में आज तक राज्य–वार कितने कालेजों को मानित विश्वविद्यालय का दर्जा दिए जाने की घोषणा की गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन) : (क) संस्थाओं को सम–विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान करने के लिए उनके प्रस्तावों पर विचार करने से संबंधित दिशा–निर्देशों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने हाल में ही संशोधित किया है। सम–विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान करने के लिए अपनाई गई कार्यविधि नीचे दी गई है :–

i. संबंधित संस्था द्वारा निर्धारित प्रपत्र में मानव संसाधन विकास मंत्रालय को प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना।

ii. मंत्रालय द्वारा प्रस्ताव को यू.जी.सी. के पास उनकी टिप्पणी/सिफारिश के लिए भेजा जाना।

iii. यू.जी.सी. द्वारा ए.आई.सी.टी.ई., एम.सी.आई. या किसी अन्य संगत सांविधिक प्राधिकरण को शैक्षिक कार्यक्रम (कार्यक्रमों) के अनुमोदन के लिए प्रस्ताव को भेजा जाना।

iv. यू.जी.सी. द्वारा प्रस्ताव पर राज्य सरकार की राय लेना।

v. यू.जी.सी. द्वारा विशेषज्ञ दल का गठन तथा उसे संस्था के निरीक्षण तथा अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने की जिम्मेदारी सौंपना।

vi. यू.जी.सी. द्वारा विशेषज्ञ दल की रिपोर्ट की जांच तथा अपनी सिफारिशों को मानव संसाधन विकास मंत्रालय के पास विचारार्थ प्रस्तुत किया जाना।

vii. सम–विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किए जाने के संबंध में मानव संसाधन विकास मंत्रालय में सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्णय तथा संस्था को सम–विश्वविद्यालय घोषित करते हुए अधिसूचना का जारी किया जाना।

(ख) देश में 47 संस्थाओं को सम–विश्वविद्यालय घोषित किया गया है। इन संस्थाओं का राज्य–वार ब्यौरा नीचे दिया गया है :–

1.	आंध्र प्रदेश	3
2.	बिहार	1
3.	गुजरात	2
4.	हरियाणा	1
5.	झारखंड	2
6.	कर्नाटक	3
7.	मध्य प्रदेश	1
8.	महाराष्ट्र	9
9.	पंजाब	1
10.	राजस्थान	4
11.	तमिलनाडु	5

12.	उत्तर प्रदेश	6
13.	उत्तरांचल	2
14.	पश्चिम बंगाल	1
15.	दिल्ली	6

कॉलेजों के लिए दिशानिर्देश

2497. श्री के. येरननायडू : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार द्वारा वित्त पोषित दिल्ली के कॉलेजों के लिए नए दिशा–निर्देश जारी किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं; और

(ग) इस संबंध में दिल्ली विश्वविद्यालय के शिक्षकों के असंतोष के क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन) : (क) जी, नहीं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से प्राप्त सूचना के अनुसार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने केन्द्र सरकार द्वारा वित्तपोषित दिल्ली के कालेजों के लिए विशेष रूप से कोई दिशा–निर्देश जारी नहीं किए हैं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

बिहार में बहुतकनीकी संस्थानों का आधुनिकीकरण

2498. श्रीमती रेनु कुमारी : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार सरकार ने बहुतकनीकी संस्थाओं को उत्कृष्ट बनाने हेतु उनके आधुनिकीकरण के संबंध में कोई प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा अब तक उस पर क्या कार्रवाई की गई है; और

(ग) इस पर कितना व्यय होने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन) : (क) से (ग) वर्ष 1990–1999 के दौरान बिहार सहित 19 राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में स्थित पॉलीटेक्निकों को क्षमता विस्तार, गुणवत्ता सुधार तथा दक्षता सुधार हेतु विश्व बैंक द्वारा सहायता दी गई है। अन्य 8 राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में स्थित उन पालिटेक्नीकों को, जिन्हे पहले शामिल नहीं किया गया था, सहायता देने हेतु अक्टूबर, 2000 में विश्व बैंक के साथ एक करार पर हस्ताक्षर किया गया। बिहार या अन्य राज्यों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर वहां स्थित पॉलिटेक्निकों में उत्कृष्टता केन्द्र सृजित करने के उद्देश्य से विश्व बैंक से सहायता प्राप्त करने संबंधी किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जा रहा है।

होटलों द्वारा अतिक्रमण

2499. श्री तूफानी सरोज : क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली स्थित कुछ होटलों ने सरकारी जमीन का अतिक्रमण कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो होटलों और उनके द्वारा अतिक्रमित भूमि क्षेत्र का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा अतिक्रमित भूमि को खाली कराने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) जी, हां।

(ख) राजदूत होटल ने सरकारी भूमि में 110 गज का अतिक्रमण किया है।

(ग) पट्टेदार को अन्य सरकारी देय राशि के साथ–साथ उपयोग और दखल प्रभार (आक्यूपेशन चार्ज) अदा करने को कहा गया था। पट्टेदार भुगतान करने में असफल रहा और इसीलिए सम्पत्ति पुनः अधिकार में ले ली गई है और राजदूत होटल के खिलाफ लोक परिसर अधिनियम के अन्तर्गत बेदखली कार्यवाही शुरू की गई है। मामला भूमि तथा विकास कार्यालय के सम्पदा अधिकारी के न्यायालय में न्यायाधीन है।

[अनुवाद]

राज्यों में पंचायत के चुनाव

2500. श्री वाई. वी. राव :

श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी :

क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मुकदमेबाजी के कारण कुछ राज्यों की कुछ ग्राम पंचायतों में चुनाव नहीं कराए जा सके हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या राज्य सरकारों ने दिशानिर्देश में छूट देकर धनराशि जारी करने की मांग की है;

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा राज्य सरकारों के अनुरोध पर क्या कदम उठाए गए या उठाए जा रहे हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार कानून के तहत कार्यक्रमानुसार पंचायत के चुनाव कराने हेतु इन्हें राज्यों के लिए सांविधिक बनाने के लिए पंचायती राज कानून में संशोधन करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संशोधन को कब तक लाए जाने की संभावना है?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री एम. वैंकय्या नायडू) : (क) मामलों के न्यायालयों में लंबित होने की वजह से बिहार, आंध्र प्रदेश, असम तथा पंजाब (मध्यस्तरीय और जिला पंचायत) राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र पांडिचेरी द्वारा अभी पंचायतों के चुनाव कराये जाने हैं।

(ख) और (ग) सुनिश्चित रोजगार योजना के दिशा–निर्देशों के अनुसार, यदि राज्यों में निर्वाचित और अधिकार सम्पन्न पंचायतें न हों तो कुल आबंटित निधियों की 20 प्रतिशत निधियां रोक दी जाएंगी। कुछेक राज्यों ने इन दिशा–निर्देशों में छूट देकर निधियां जारी करने का सुझाव दिया है तथा इन्हें इस संबंध में खामियों को दूर करने की सलाह दी गयी है।

(घ) और (ङ) संविधान के भाग–ix में पहले से निहित प्रावधानों के अनुसार, पंचायतों के नियमित चुनाव कराना राज्यों के लिए अनिवार्य हैं।

भारत शिक्षा कोष

2501. डा. ए. डी. के. जयशीलन : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत शिक्षा कोष को स्थापित करने हेतु कार्य–विधि को अंतिम रूप दे दिया गया है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ग) यदि नहीं, तो उक्त कोष को कब तक स्थापित कर दिए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) भारत शिक्षा कोष के गठन के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है।

दिल्ली विश्वविद्यालय/इसके महाविद्यालयों के शिक्षकों की सेवा संबंधी शर्तें

2502. श्री पवन कुमार बंसल : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाविद्यालयों के शिक्षकों सहित विश्वविद्यालय के शिक्षकों की सेवा शर्तें व परिलब्धियां विश्वविद्यालय के अध्यादेश द्वारा उपलब्ध कराई जाती है;

(ख) क्या इसके अनुसार विश्वविद्यालय और दिल्ली के महाविद्यालयों के शिक्षकों को समान परिलब्धियां, सेवा शर्तें और पदोन्नति के लिए योग्यता प्राप्त हैं;

(ग) क्या उक्त दोनों श्रेणियों के शिक्षकों के बीच यह समानता वेतनमानों में हाल ही में हुए परिवर्तन के बाद स्थापित हुई है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन) : (क) जी, हां। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सिफारिशों को अपनाकर, विश्वविद्यालय के अध्यादेशों द्वारा दिल्ली विश्वविद्यालय के शिक्षकों (जिनमें कालेजों के शिक्षक भी शामिल हैं) की परिलब्धियां, सेवा संबंधी निबंधन और शर्तें उपलब्ध कराई जानी हैं।

(ख) से (घ) जी, हाँ। दिल्ली विश्वविद्यालय से संबद्ध दिल्ली इंजीनियरी कालेज, मौलाना आजाद मेडिकल कालेज, लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज, नर्सिंग कालेज और दिल्ली प्रौद्योगिकी संस्थान जैसे व्यावसायिक कालेजों को छोड़कर विश्वविद्यालय और दिल्ली के कालेजों में अध्यापन से जुड़े शिक्षकों को पदोन्नति की पात्रता सहित परिलब्धियां और सेवा संबंधी निबंधन तथा शर्तें समान हैं। हालांकि, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की अधिसूचना के अनुसार, कालेजों के शिक्षकों को रीडर से प्रोफेसर के रूप में पदोन्नति जैसे कुछ पदोन्नति के अवसर उपलब्ध नहीं हैं।

अनुसूचित जातियों/जनजातियों के व्यक्तियों की नियुक्ति

2503. श्री रमेश सी. जीगाजीनागी : क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुसूचित जातियों/जनजातियों के सांसदों ने उनके मंत्रालय और उसके अंतर्गत आने वाले विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपकमों, स्वायत्त, वैधानिक, अधीनस्थ और संबद्ध कार्यालयों के प्रबन्धन बोर्ड/शासकीय परिषद में प्रमुख/सी.एम.डी. और अधिकारी/गैर अधिकारी सदस्यों की तैनाती/नियुक्ति में **पर्याप्त**

संख्या में अनुसूचित जातियों/जनजातियों से संबंधित व्यक्ति को लेने की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई;

(ग) 1 जनवरी, 1996 और 1 जनवरी, 2000 की स्थिति के अनुसार उक्त कार्यालयों में अनुसूचित जातियों/जनजातियों के कुल कितने पद हैं और उन पर अनुसूचित जातियों/जनजातियों से संबंधित कितने व्यक्ति कार्यरत हैं तथा यह कुल पदों का कितना प्रतिशत है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुभाष महरिया) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

रिक्ति आधारित रोस्टर

2504. डा. बलिराम : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसार 'पद आधारित रोस्टर' तब तक ही प्रभावी रह सकता है जब आरक्षित श्रेणियों से संबंधित व्यक्तियों से आरक्षण के लिए निर्धारित प्रतिशत तक अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हो जाते; और

(ख) यदि हां, तो मंत्रालय के अधीन वे कौन–कौन से सार्वजनिक क्षेत्र के उपकम/स्वायत्त/संबद्ध/अधीनस्थ संगठन हैं जहां प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ श्रेणी–ग्रेड की सेवाओं में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों से संबंधित व्यक्तियों से प्राप्त अभ्यावेदन आरक्षण के लिए निर्धारित प्रतिशत को पूरा करते हैं और इस कारण 'रिक्ति आधारित रोस्टर' के स्थान पर 'पद आधारित रोस्टर' शुरू कर दिया गया है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन) : (क) जी, हां।

(ख) 'मानव संसाधन विकास मंत्रालय के सार्वजनिक क्षेत्र के उपकमों/स्वशासी/सम्बद्ध/अधीनस्थ संगठनों सहित सभी विभागों को कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा 2 जुलाई, 1997 को जारी किए गए अनुदेशों के दृष्टिकोण से 'रिक्ति आधारित रोस्टर' की जगह 'पद आधारित रोस्टर' को शुरू करने का निदेश दिया गया था। नियुक्तियां संबंधित विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपकमों/स्वशासी/संबद्ध/अधीनस्थ संगठनों के अधिकार सीमा में होने के कारण, विभिन्न सेवाओं में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के अभ्यावेदन के संबंध में सूचना संबंधित संगठन के स्तर पर रखी जाती है।

[हिन्दी]

विद्यालयों में एक समान शैक्षणिक सत्र

2505. कुंवर अखिलेश सिंह : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार छात्रों को नियमित शिक्षा प्रदान करना सुनिश्चित करने हेतु पूरे देश में एक समान शैक्षणिक सत्र शुरू करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन) : (क) जी, नहीं।

(ख) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद का यह मत है कि निम्नलिखित कारणों से सम्पूर्ण देश में समान शैक्षिक सत्र शुरू नहीं किया जा सकता है :

i. देश के विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रो में शैक्षिक सत्र वहां के मौसम के अनुसार आयोजित किए जाते हैं। अत्यंत प्रतिकूल मौसम की स्थितियों के दौरान छुट्टियां दी जाती हैं।

ii. कुछ राज्यों में कुछ विशेष महीनों के दौरान कृषि संबंधी कार्यकलाप और उत्सवों के लिए बच्चों सहित सम्पूर्ण परिवार की सहभागिता अपेक्षित होती है। तदनुसार पारम्परिक रूप से सत्रों के बीच छुट्टियों की व्यवस्था होती है।

iii. भारत जैसे बड़े देश में राज्यों की अपनी प्राथमिकताएं, कार्यकम और योजनाएं होती हैं हर जगह समान शैक्षिक सत्र की शुरूआत से उनकी स्वायत्ता में कमी आएगी और उनके सामने कुछ व्यावहारिक कठिनाईयां भी आएंगी।

लेखन और पत्रकारिता से जुड़ी संस्थाओं को सहायता

2506. श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लेखन और पत्रकारिता से जुड़ी संस्थाओं को सम्मेलन आयोजित करने हेतु उपलब्ध कराई जाने वाली वित्तीय सहायता के लिए किए गए प्रावधानों का ब्यौरा क्या है;

(ख) वर्ष 1998–99 से आज तक की तिथि तक किन–किन संस्थाओं को किस कार्य हेतु कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई;

(ग) क्या "ऑथर्स गिल्ड" और "इंडियन सोसायटी ऑफ ऑथर्स" से वित्तीय सहायता हेतु कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो उन्हें शीघ्रातिशीघ्र अनुदान जारी करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन) : (क) पुस्तक संवर्धन कार्यकलापों से संबंधित सेमिनार/प्रशिक्षण पाठ्यक्रम/कार्यशालाएं/वार्षिक सम्मेलन आदि आयोजित करने के लिए स्वैच्छिक/निजी संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय की एक योजना है। इस योजना के लिए वित्तीय वर्ष 2000–2001 में 50 लाख रु. का बजट प्रावधान रखा गया है।

(ख) पुस्तक संवर्धन कार्यकलापों से संबंधित सेमिनार/प्रशिक्षण कार्यशालाएं/सम्मेलन आदि आयोजित करने के लिए स्वैच्छिक संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान करने की योजना के तहत जिन संस्थाओं को वर्ष 1998–99, 1999–2000 तथा 2000–2001 (15 नवम्बर 2000 तक) के दौरान वित्तीय सहायता प्रदान की गई, उनके नाम तथा वित्तीय सहायता की राशि विवरण के रूप में संलग्न है।

(ग) जी हां, चालू वित्तीय वर्ष के दौरान, "इंडियन सोसायटी ऑफ ऑथर्स" से एक अनुरोध प्राप्त हुआ है जिसमें साहित्य तथा समाज के बीच अभिन्न संबंध के सभी पहलुओं पर सेमिनार आयोजित करने के लिए वित्तीय सहायता की मांग की गई थी।

(घ) इस योजना की सहायता अनुदान समिति ने सोसायटी के अनुरोध को स्वीकृत नहीं किया, क्योंकि सेमिनार के उद्देश्य अनिश्चित तथा अस्पष्ट थे।

विवरण

(राशि रुपये में)

			वर्ष		
क.सं.	संगठन का नाम	अनुदान का प्रयोजन	1998–99	1999–2000	2000–2001
1	2	3	4	5	6
1.	आथर्स गिल्ड ऑफ इण्डिया	(i) नई प्रौद्योगिकी तथा साहित्य के आगमन के संबंध में सेमिनार आयोजित करने के लिए। (ii) लेखक तथा समाज क्षेत्र एवं जनहित के प्रति उनकी प्रतिबद्धता विषय पर एक सेमिनार आयोजित करने के लिए।	88,000	85,237	
2.	इण्डियन सोसायटी आफ आथर्स	मीडिया तथा साहित्य पर तीन दिवसीय सेमिनार आयोजित करने के लिए	–	90,000	एक लाख रु. की राशि के लिए अनुरोध किया गया था लेकिन उद्देश्यों के स्पष्ट न होने के कारण सहायता अनुदान समिति ने इस अनुरोध को स्वीकार नहीं किया।
3.	एसोशिएसन आफ राइटर्स एण्ड इल्सट्रेटर्स फार चिल्ड्रन (एडब्ल्यूआईसी)	26वीं आई बी बी वाई कांग्रेस का आयोजन करने के लिए	1,00,000	–	–

1	2	3	4	5	6
4.	एफ्रो एशियन बुक काउंसिल	पुस्तक बिक्री जिसमें पुस्तकों का निर्यात भी शामिल हैं, विषय पर सेमिनार आयोजित करने के लिए	–	30,000	–
5.	फैडरेशन आफ इण्डियन पब्लिशर्स	(i) भारतीय भाषा प्रकाशकों का तीसरा राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करने के लिए। (ii) पुस्तक संवर्धन संबंधी कार्यकलापों के लिए। (iii) भारतीय भाषाओं में तथा भारतीय भाषाओं से अन्य भाषाओं में अनुवाद तथा प्रकाशन के संबंध में सेमिनार आयोजित करने के लिए। (iv) 5 नगरों में दो दिवसीय कापीराइट पुनश्चर्या पाठ्यकम आयोजित करने के लिए (v) दिल्ली पुस्तक मेले के आयोजन के लिए। (vi) विदेशों में किन भारतीय पुस्तकों की तथा कैसे बिक्री की जाए, तत्संबंधी सेमिनार के लिए।	1,00,000	1,30,000	20,25,750
6.	शुद्रक, कलकत्ता	(i) रंगमंच संबंधी पुस्तकों पर प्रदर्शनी तथा सेमिनार आयोजित करने के लिए। (ii) रंगमंच तथा संस्कृति पर आधारित विभिन्न भाषाओं में लिखी तथा प्रकाशित पुस्तकों की मुम्बई में प्रदर्शनी आयोजित करने के लिए।	1,00,000	–	1,30,650
7.	भारती विद्या अध्ययन केन्द्र	(i) पुस्तक विपणन विकास प्रशिक्षण कार्यशाला पर 3 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित करने के लिए	54,000	86,000	1,00,000

1	2	3	4	5	6
		(ii) लेखकों, प्रकाशकों और मुद्रकों की समस्याओं पर 3 दिवसीय वार्षिक सेमिनार आयोजित करने के लिए (iii) प्रकाशकों की संख्या एवं सूचना पर 3 दिवसीय सेमिनार आयोजित करने के लिए।			
8.	फेडरेशन आफ पब्लिशर एण्ड बुक सेलर एसोसिएशन	(i) 21वीं शताब्दी में पुस्तकालयों में पुस्तकों एवं पत्रिकाओं की आवश्यकता को पूरा करने और पुस्तकों की चोरी पर सेमिनार आयोजित करने के लिए (ii) पुस्तकों की चोरी पर नियंत्रण के लिए अन्तर्राष्ट्रीय सेमिनार आयोजित करने के लिए (iii) बंगलौर, चेन्नई एवं मुम्बई में पुस्तकों की चोरा के विरुद्ध सेमिनार आयोजित करने के लिए।	22,000	69,375	2,56,132
9.	पब्लिशर एण्ड बुक सेलर गील्ड	पुस्तक प्रोन्नति से संबंधित कार्यकलापों पर सेमिनार आयोजित करने के लिए	1,00,000	–	–
10.	इंस्टीटयूट आफ एशियन स्टडी चेन्नई	पुस्तक प्रोन्नति पर राष्ट्रीय सेमिनार/कार्यशाला आयोजित करने के लिए।	–	–	75,000

[अनुवाद]

मंत्रालय में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के पद

2507. श्री होलखोमांग हौकिप : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय और मंत्रालय के अधीनस्थ कार्यालयों में 30 अक्तूबर, 2000 की स्थिति के अनुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित पद भरे जा चुके हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी श्रेणीवार ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) रिक्त पदों को भरने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं या उठाए जाने का विचार है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन) : (क) से (घ) मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीनस्थ कार्यालयों सहित सभी विभागों को कार्मिक और प्रशिक्षण

विभाग द्वारा समय–समय पर जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित पदों को भरने के निदेश दिए गए हैं। नियुक्तियां संबंधित विभागों और अधीनस्थ कार्यालयों की अधिकार सीमा के अन्दर होने के कारण, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित पदों को भरने के संबंध में ब्यौरे संबंधित संगठन के स्तर पर रखे जाते हैं।

दोहरी नागरिकता

2508. श्रीमती कान्ति सिंह :

श्री सुकदेव पासवान :

क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दोहरी नागरिकता की अनुमति प्रदान करने हेतु विधि आयोग से विदेशी नागरिक विधेयक का नया प्रारूप प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य विशेषताएं कौन–कौन सी हैं; और

(ग) इस विधेयक को कब तक संसद में प्रस्तुत कर दिए जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव) : (क) से (ग) विधि आयोग से प्राप्त विदेशियों विषयक (संशोधन) विधेयक, 2000 के प्रारूप में दोहरी नागरिकता की अनुमति का कोई प्रावधान नहीं है।

ई.सी.ओ.-10 और सी.एस.-06 की परीक्षाएं

2509. श्री चिंतामन वनगा : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इग्नू द्वारा 29.6.2000 को 2 बजे से 5 बजे तक बी.सी.ए. पाठ्यक्रम के दूसरे और पांचवे सत्र संबंधी ई.सी.ओ.–10 और सी.एस.–06 की परीक्षाएं आयोजित की गई थीं;

(ख) क्या ये दोनों परीक्षाएं साथ–साथ होने के कारण पांचवें सत्र की परीक्षाएं देने वाले छात्र दूसरे सत्र की परीक्षा नहीं दे पाए;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार ने भविष्य में ऐसी किसी घटना की पुनरावृत्ति रोकने हेतु कुछ कड़ी कार्यवाही करने का विचार किया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन) : *(क) से (ङ) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त* विश्वविद्यालय द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, इस विश्वविद्यालय ने ई.सी.ओ.–10 तथा सी.एस.–06 के लिए 29 जून, 2000 को 2.00 बजे से 5.00 बजे सायंकाल तक परीक्षा आयोजित की थी। यह विश्वविद्यालय प्रति वर्ष दो बार अर्थात जून और दिसंबर की अवधि के अन्त में परीक्षा आयोजित करता है। इस परीक्षा में 50 अध्ययन कार्यक्रमों से संबंधित 433 पाठ्यक्रम सम्मिलित हैं। तिथिपत्रक तैयार करते समय, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय विभिन्न सत्रों में समान कार्यक्रम के भिन्न–भिन्न पाठ्यक्रमों की परीक्षा लेने का प्रयास करता है। यथा संभव विभिन्न सेमेस्टरों के पाठ्यक्रमों की परीक्षाएं कई दिनों में ली जाती है ताकि छात्र उन पाठ्यक्रमों जिनमें उन्होंने वर्तमान पंजीकरण कराया है, में परीक्षा दे सकें। केवल उन्हीं छात्रों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है जिन्होंने उन्हीं पाठ्यक्रमों को दुबारा आरंभ किया है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय ने ऐसी स्थिति की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए संपूर्ण परीक्षा अवधि में पाठ्यक्रमों की परीक्षा लेने के लिए कदम उठाएं हैं।

विश्वविद्यालयों की आवश्यकता

2510. श्री प्रियरंजन दासमुंशी : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नौवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के अंत तक देश में विश्वविद्यालयों में विशेषतः अर्थशास्त्र, व्यापार प्रबंधन और सूचना प्रौद्योगिकी और इंजीनियरिंग विषयों से संबंधित विषयों सहित विज्ञान संकायों की अनुमानित आवश्यकता कितनी होगी; और

(ख) आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड में अतिरिक्त कर्मचारी

2511. श्री विलास मुत्तेमवार : क्या **इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड में अतिरिक्त कर्मचारी है;

(ख) यदि हां, तो क्या विभिन्न श्रेणियों में अतिरिक्त कर्मचारियों का कोई आकलन किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार इसके कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की उम्र कम करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी) : (क) से (ग) जी, हां। सेल की चल रही वित्तीय और कारोबार पुनर्सरचना में कंपनी के मौजूदा 1.58 लाख कर्मचारियों को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति और सामान्य सेवानिवृत्ति के माध्यम से मार्च, 2005 तक कम करके 1.00 लाख करना शामिल है।

(घ) और (ङ) इस संबंध में सेल से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

[हिन्दी]

नवोदय विद्यालयों हेतु भवन निर्माण

2512. श्री ब्रजमोहन राम : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) झारखंड के गढवां जिले में नवोदय विद्यालय हेतु भवन निर्माण के लिए भूमि अर्जन की ताजा स्थिति क्या है;

(ख) विद्यालय को सरकार से कितना भू-क्षेत्र मिला है और विद्यालय के लिए कितना भू-क्षेत्र आवश्यक है; और

(ग) विद्यालय के भवन निर्माण का कार्य कब तक शुरू होने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन) : (क) से (ग) राज्य सरकार ने झारखंड के गढ़वा जिले में जवाहर विद्यालय नवोदय विद्यालय के स्थायी भवन निर्माण हेतु अन्नाराज नवाडीह गांव में 34.31 एकड़ भूमि देने की पेशकश की है। लेकिन राज्य सरकार ने इस भूमि को अभी तक नवोदय विद्यालय समिति को अन्तरित नहीं किया है। नवोदय विद्यालय समिति के मानदंडों के अनुसार स्थायी स्कूल परिसर के निर्माण के लिए राज्य सरकार द्वारा लगभग 30 एकड़ निःशुल्क भूमि तथा अन्य आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना आवश्यक है। राज्य सरकार द्वारा भूमि के अंतरण के पश्चात् ही निर्माण कार्य शुरू किया जा सकता है।

[अनुवाद]

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के बकाया आरक्षित पद

2513. श्रीमती रीना चौधरी : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** 17 अगस्त, 2000 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3892 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जानकारी एकत्र कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इसे कब तक एकत्र कर लिए जाने की संभावना है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी) : (क) से (ग) दिनांक 17 अगस्त, 2000 को पूछे गए अतारांकित प्रश्न सं. 3892 के मद में दिए गए आश्वासन को 16.11.2000 को पूरा किया गया है और इसकी एक प्रति विवरण के रूप में संलग्न है।

विवरण

13वीं लोक सभा का चौथा सत्र, 2000

पूरा करने की तारीख 16.11.2000

रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय

प्र.सं. तारीख और संसद सदस्य का नाम	विषय	दिया गया वचन	कैसे पूरा किया गया	देरी के कारण
1	2	3	4	5
श्री कांतिलाल भूरिया द्वारा 17.8.2000 को पूछा गया अतारांकित प्रश्न संख्या 3892	पूछा गया है कि : (क) क्या डा. अम्बेडकर जन्मशती समारोह समिति ने वर्ष 1993	(क) से (घ) जानकारी एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।	(क) जी, हां। (ख) अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्तियां रसायन	

1	2	3	4	5
	में अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों हेतु आरक्षित बकाया रिक्तियों को भरने की सिफारिश की थी,		और उर्वरक मंत्रालय द्वारा श्रेणी II और श्रेणी–III के पदों को कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा नामित किए जाने के आधार पर साल दर साल भरे जा रहे हैं।	
	(ख) यदि हां, तो रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने वर्ष 1993 से अब तक इस पर क्या कार्यवाही की है और इसके क्या परिणाम निकले,		(ग) अनुसूचित जाति की 14 रिक्तियों और अनु. ज.जा. की 11 रिक्तियों के लिए श्रेणी II और III पदों में 1993 में नामांकन के लिए सूचित किए गए थे। रसायन और उर्वरक मंत्रालय में उस वर्ष श्रेणी–IV कोई में पद खाली नहीं हुए थे।	
	(ग) 1 जनवरी, 1993 की स्थिति के अनुसार उनके मंत्रालय और मंत्रालय के अधीन स्वायत्त/सांविधिक/संबंद्ध कार्यालयों में प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ श्रेणी में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित कितने पद रिक्त पड़े हैं, और		रसा. और पेट्रो रसा. विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में स्वायत्त संगठन सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नालाजी (सिपेट) में वर्ग 'क' में अनु. जाति के 9 पदों तथा अनु. ज. जा. के 5 पदों तथा वर्ग 'ख' में अनु. जा. का 1 पद तथा अनु. ज.जा. के 3 पद रिक्त थे।	
	(घ) 29 अगस्त, 1997 की स्थिति के अनुसार प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ श्रेणी में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों हेतु आरक्षित बकाया रिक्तियों का ब्यौरा क्या है?		(घ) रसा. और उवर्रक मंत्रालय में 29 अगस्त 1997 तक वर्ग I, II, III तथा IV के अनु.जा./अनु.ज.जा. के लिए आरक्षित किसी भी रिक्त पद को भरा जाना बाकी नहीं है। हालांकि, सिपेट में वर्ग 'क' में अनु.जा. के 6 पद, अनु.ज.जा. के 8 पद, वर्ग 'ख' में अनु.ज.जा. का 1 पद तथा वर्ग 'ग' में 6 पद अनु.ज.जा. के रिक्त थे।	

अवैध कोयला खनन

2514. श्री रामजी मांझी : क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में कुछ कोयला खानों में अवैध रूप से खनन हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या गत तीन वर्षों के दौरान इन खानों से कोयले के अवैध खनन, बिक्री और तस्करी के कुछ मामले दर्ज किए गए है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य–वार और वर्ष–वार ब्यौरा क्या हैं;

(घ) क्या उक्त अवधि के दौरान सरकार को इस कारण उत्पादक–शुल्क का घाटा हुआ है; और

(ङ) यदि हां, तो इस मामले में दोषियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है या प्रस्तावित है?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन.टी.षणमुगम) : (क) और (घ) ई.सी.एल., बी.सी.सी.एल. और सी.सी.एल. की पूर्व बिहार (अब झारखंड) तथा पश्चिम बंगाल में स्थित कोयला खानों के कोयला खदान क्षेत्रों से परित्यक्त, बंद एवं बेकार खानों तथा दृश्यांश क्षेत्र से कोयले का चोरी–छुपे खनन तथा उसकी चोरी जैसे अवैध खनन गतिविधियों के बारे में सूचना दी गई है। तथापि, चूंकि यह गतिविधियां चोरी–छिपे और गुप्त रूप से की जाती हैं अतः उनकी सही संख्या तथा उत्पाद–शुल्क में हुई हानि का पता लगाना संभव नहीं है।

(ख) और (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ङ) जब कभी कोयला कंपनियों के पट्टे वाले क्षेत्र में अवैध खनन का कोई मामला पकड़ा जाता है तो सम्बद्ध पुलिस स्टेशन में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की जाती है और ऐसे मामलों पर कानून प्रवर्तन प्राधिकारियों से कार्रवाई कराई जाती है। राष्ट्रीयकृत कोयला कंपनियों की पट्टे के बाहर वाले क्षेत्र में पकड़ा गया अवैध खनन की सूचना समुचित कार्रवाई के लिए संबंधित राज्य सरकार को तत्परता से दी जाती है।

बोड़ो लिबरेशन टाइगर्स के साथ शांति वार्ता

2515. श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केंद्र सरकार ने बोड़ो लिबरेशन टाइगर्स के साथ शांति वार्ता शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम निकला है; और

(ग) पूर्वोत्तर राज्यों में सामान्य स्थिति लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी) : (क) से (ग) बोड़ो लिबरेशन टाईगर (बी.एल.टी.) के साथ शांति वार्ता संतोषजनक ढंग से चल रही है।

सरकार ने पूर्वोत्तर राज्यों में कानून व व्यवस्था की स्थिति नियंत्रण में लाने के लिए अनेक उपाय किए हैं। इन उपायों में, अन्य बातों के साथ–साथ, राज्य में अर्ध–सैनिक बलों तथा सेना की तैनाती करना, विद्रोह–विरोधी अभियानों के लिए सेना, अर्ध सैनिक बलों और राज्य पुलिस द्वारा समन्वित रूप से कार्रवाई करना, विधि–विरुद्ध कियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 के अधीन प्रमुख विद्रोही गुटों को विधि–विरुद्ध संगठन घोषित करना, सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 के अधीन विद्रोह से प्रभावित राज्यों को "विक्षुब्ध क्षेत्र" घोषित करना, राज्य सरकारों को सुरक्षा से संबंधित खर्चों की प्रतिपूर्ति करना तथा राज्य पुलिस बलों का आधुनिकीकरण/उन्नयन करना शामिल है। राज्य और केन्द्रीय दोनों स्तरों पर स्थिति की नियमित रूप से समीक्षा की जाती है।

सरकार ने राज्य का तेजी से आर्थिक विकास करने और रोजगार के अवसर सृजित कराने पर भी जोर दिया है। शिलांग में 21 और 22 जनवरी, 2000 को पूर्वोत्तर राज्यों और सिक्किम के राज्यपालों और मुख्यमंत्रियों के साथ हुए एक सम्मेलन में प्रधान मंत्री ने 10271.66 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर पूर्वोत्तर राज्यों और सिक्किम के सामाजिक–आर्थिक विकास हेतु एक कार्यक्रम की घोषणा की थी जिसमें तीन वर्ष के लिए 30 करोड़ रुपये प्रति वर्ष के परिव्यय पर बोड़ोलैण्ड स्वायत्तशासी क्षेत्रों (बी.ए.सी.) में मूलभूत ढांचे और अन्य सुविधाओं के विकास के लिए विशेष कार्यक्रम भी शामिल है।

एफ.ए.सी.टी. की बिक्री

2516. श्री रमेश चेन्नितला : क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स त्रावणकोर लिमिटेड (एफ.ए.सी.टी.), कोचीन (केरल) की इकाइयों को बेचने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यब्रत मुखर्जी) : (क) और (ख) जी, नहीं।

आदिवासियों का विकास

2517. श्री पी. आर. किन्डिया : क्या **जनजातीय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गैर सरकारी संगठनों द्वारा आदिवासियों के विवेक और प्रतिभा के अनुसार उनके विकास को प्रोत्साहन देने के लिए उक्त संगठनों के वित्तपोषण हेतु क्या दिशनिर्देश और कार्यविधि अपनाई जाती है;

(ख) सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्यों में आदिवासियों के विकास कार्य में लगे गैर–सरकारी संगठनों का ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान इन गैर–सरकारी संगठनों को आबंटित निधियों का राज्य–वार और योजना–वार ब्यौरा क्या है;

(घ) गैर–सरकारी संगठनों द्वारा किए गए व्यय, उपयोग में *नहीं लाई गई राशि का ब्यौरा क्या है और योजना–वार इसके क्या* कारण हैं; और

(ङ) इन गैर–सरकारी संगठनों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री जुएल उराम) : (क) गैर सरकारी संगठनों को राज्य जनजातीय कल्याण विभाग की सिफारिशों तथा संबंधित जिला कलेक्टर की जांच रिपोर्ट के साथ प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर वित्त पोषित किया जाता है। मंत्रालय में इस प्रकार प्राप्त प्रस्तावों की जांच प्रस्तावित परियोजनाओं की वित्तीय संभाव्यता तथा व्यवहार्यता को ध्यान में रखकर की जाती है। निधियों की निर्मुक्ति केवल उन्हीं संगठनो को की जाती है जो अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी कार्यकलापों में विशेष रूप से उन क्षेत्रों में लगी हुई हैं, जहां सरकार की पहुंच पर्याप्त नहीं पाई गई है।

(ख) और (ग) गैर सरकारी संगठनों तथा जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा उन्हें पिछले तीन वर्षों के दौरान निर्मुक्त निधियों के ब्यौरे विवरण के रूप में संलग्न हैं।

(घ) और (ङ) इन योजनाओं के अंतर्गत आबंटित निधियों का *व्यय शतप्रतिशत रहा है क्योंकि इन संगठनों को बाद के वर्षों के* लिए वित्तीय सहायता तब तक प्रदान नहीं की जाती है जब तक कि पहले अनुदान का उपयोग प्रमाण–पत्र प्राप्त न हो जाए तथा अव्यधित अधिशेष, यदि कोई हो, बाद के वर्षों के लिए अनुमत्य अनुदान के एवज में समायोजित नहीं कर दिया जाता है।

विवरण

अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान की योजना के अंतर्गत जनजातियों के लिए कल्याणकारी कार्यकलापों के लिए वित्तपोषित गैर–सरकारी संगठनों का ब्यौरा

राज्य : अरुणाचल प्रदेश

संगठन	परियोजना	व्यय 97–98	व्यय 98–99	1-किस्त 99–01	2-किस्त 99–00	राशि 00–01	स्थान	अध्यक्ष/सचिव
1	2	3	4	5	6	7	8	9
आर.के. मिशन हास्पीटल (इटानगर) पी.ओ. इटानगर	60 बिस्तरों का अस्पताल	377325	1116473	2184705	2184705	2166705	इटानगर	सचिव–स्वामी प्रथमानन्द
सेवा केन्द्र बोरदुरिया खोंसा खोंसा	आवासीय स्कूल		322110				बारदुरिया	अध्यक्ष श्री वांग्मन लोवांगचा
अरुणाचल पाली विद्यापीठ चौखामलोहित	आवासीय स्कूल		284355	561060	448560		चोंगखाम	सचिव श्री भीखू विमलानन्दा दूरभाष: 03806–22203
अबोतनी आश्रम वेलफेयर एसोसिएशन 'जी' एक्स. डैम साइट नाहरलगन	होस्टल			308070			रागा, लोअर सुबन्सरी	सचिव श्रीमती मागा टेट्टी दूरभाष: 0360–245188
ओ.जे.यू.वेलफेयर एसो. नाहरलगुन	आवासीय स्कूल होस्टल	821070	1583685	755955	1769039	258660	सब्बल डिस्पेन्सरी इटानगर आश्रम	श्रीमती बिन्नी यांगा दूरभाष: 0360–4453,44784

1	2	3	4	5	6	7	8	9
							स्कूल, आवासीय स्कूल : नाहरलगुन/आवासीय स्कूल पापूगिरी	
डोंगी पोलियो मिशन सी. सेक्टर पोस्ट, इटानगर पापूमपारा-791111	3-होस्टल	3564540	3564540	2934270		2147670	वोलेंग, मिरपू और सागोल्से लटांगर	सचिव श्री एम.पी. ककड़ दूरभाष: 212769-21238 9215854
सेंटर फार बुद्धिस्ट कल्चरल स्टडीज टवांग मोनेस्ट्री टवांग पिन–790104	आवासीय स्कूल		466155		1054575	612360	टवांग, मोनास्टरी	
आर.के. मिशन (ट्राप) नरोत्तम नगर टिराप पिन–786629	कंप्यूटर यूनिट सचल डिस्पेन्सरी	478555	334850	309200	309200	398580	नरोत्तम नगर	सचिव स्वामी गिरिजेशानन्द फोन: 03786-55237,55262
आर.के. मिशन स्कूल नरोत्तम नगर टिराप पिन–786629	आवासीय स्कूल (पी) आवासीय स्कूल (एस) आवासीय स्कूल		839475	2158495	1385154	2889701	अलोंग	स्वामी गिरिजेशानंन्द फोन: 03786-55237
बुद्धिस्ट कल्चरल प्रीजर्वेशन सोसाइटी वैस्ट कमांग	आवासीय स्कूल	419827	897862	700380			बोमदिल्ला अपर गोंपा रोड, वे.कामेंग	सचिव एस.एच. डोरजी नोरबू पो.ब. फोन: 03782-22062
आर.के. मिशन (अलांग) विवेकनगर अलांग सियांग–791001	गैर–आवासीय स्कूल बस–3 सचल मेडिकल ए.वी. यूनिट-10 बिस्तर	4144700	5174050	3165275	2981525	3483170	जिला वेस्ट सियांग	सचिव स्वामी सुदान्सानंद फोन: 03783-22716
राज्य के सार : अरुणाचल प्रदेश (11 विस्तृत ब्यौरे)								
कुल		9806017	14891625	12769340	10132758	11956846		
राज्य : असम								
गारो वेलफेयर एंड रिहैबिलीटेशन सोसाइटी हाउस आफ डा. एच. सी. बोस देव दारू पथ गणेशगुडी–6 गुवाहाटी	कम्प्यूटर आवासीय स्कूल				895918		मनकाचार दुबरी, असम	श्री विनोद खेमका दूरभाष : 0361592456
विद्या विकास केन्द्र, जी.एस. रोड, गणेशगुडी चारियाली, दिसपुर–781005 गुवाहाटी	टाइपिंग, शार्टहैंड कम्प्यूटर		295515				जी.एस. रोड गणेशगुड़ी चारियाली, दिसपुर, गुवाहाटी–781005	सचिव श्री बी.एम. सरमा
आर.के. मिशन आश्रम आर.के. मिशन रोड, उलुवाडी, गुवाहाटी	सचल डिस्पेन्सरी होस्टल लाइब्रेरी	402734	412794	370122	422236	467586	आर.के. मिशन रोड, उलुवाडी, गुवाहाटी	सचिव स्वामी अनन्तानन्द दूरभाष: 24433

1	2	3	4	5	6	7	8	9
डा. अम्बेडकर मिशन, घोपतारी, चांगसारी, कामरूप	सचल डिस्पेंसरी–10 बिस्तरों का हस्पताल					876135	पोस्ट–चांगसारी जिला–कामरूप	निज सेन्दुरीघोवा बेपाले
प्रांतीय समाज कल्याण केन्द्र, किमिन नार्थ लखीमपुर	बुनाई प्रशिक्षण होस्टल नीटिंग मोबाइल डिस्पें.		1239381			342972	किमिन, नार्थ लखीमपुर असम	जुगल डोलकसारिया
आर.के. मिशन सेवाश्रम आर.के. मिशन सेवाश्रम मिशन रोड, कच्छार रोड, सिलचर–78804	छात्र घर	163215	325648	760495			आर.के. मिशन सेवाश्रम मिशन रोड सिलचर–78804	स्वामी क्षन्तयान्नद
राज्य का सार – असम (6 विस्तृत रिकार्ड)								
	कुल	565949	2273338	1130617	2194289	810558		
राज्य : मणिपुर								
मणिपुर सीमा क्षेत्र विकास समिति डाकघर चकपिकारांग बाजार–795102 चंडाल	टाइपिंग आशुलिपि		75546				जैप्हो बाजार, चांदडे जिला–795127	श्री वी. डी. खेलतांग फोन: 22396
समाज कल्याण के लिए संसाधन केन्द्र, जेप्पू बाजार, जिला मुख्यालय–795127	कम्प्यूटर प्रशिक्षण		160290		204660		जैप्हो बाजार जिला मुख्यालय 795127	सचिव राजस्व हिलेरीलांघू
एकीकृत ग्रामीण विकास सेवा हैरोक हैतूपौक्पी थोवल जिला पो वांजिंग–795148	आवासीय स्कूल				308757		बाबाथिंग गांव चांदेल जिला	श्री हरिमोहन शर्मा दूरभाष: 03848-22073
समचिन्वम वूमैन सोसाइटी चंदेल	चल पुस्तकालय	356310	133155			133165	दूरबंग–महिला सोसायटी	श्रीमती नैन्नेम
तुईबुहगंज वूमन सोसाइटी सनी काटेज, न्यू लैम्बू	ए.वी. चल डिस्पें.						सन्नी काटेज न्यू लिंबू लेन–795001	फोन:0385–22805
मूलपैपई रूरल हैल्थ एवं अनुसंधान केन्द्र डाकघर–3, चरचांदपुर मणिपुर–795128 चरचांदपुर	चल डिस्पेंस्परी		648624			513270	पो.बा.–3 चूड़ाचांदपुर 795128	डी. रान्गुल फोन 91–03874–33662
समचिन्वम यूथ वेलफेयर ऐसो. संगेकोट, चरचांदपुर मुख्यालय सं. ताई	आवासीय स्कूल		283005			238005	संगाईकोट, चूड़चांदपुर मणिपुर–पो. संगाईकोट अगापें आवासीय होस्टल	चिनचिन
सायसिन्यापेई पैते स्टूडेंट वैलफेयर ऐसो. एस.एस.पी.पी. परिसर, बंगमललाग्का पी.वी सं. 99 पिन–795128 चुरूचांदपुर	आवासीय स्कूल		171445		1476568	1476567	I एसएसपीपी परिसर वंगमल II कामकाजी हैंघल महिला छात्रावास एस.के. रोड लाका II जे.एन. माडल स्कूल, हिल टाउन IV बैथेसा प्राइमरी स्कूल	नोम्लयिन थिंघ

1	2	3	4	5	6	7	8	9
डा. अम्बेडकर स्कूल प्लानिंग एवं विकास सोसाइटी लाम्का मिशनबांग लाम्का पो.–67 पिन–795128 चरूचंदपुर	आवासीय स्कूल		269496			1152720	मिशनबैंग, लाम्का डाकघर–67	सचिव श्रीमती आइशर किम्बेई
इंस्टीटयूट आफ सोशल डवेलपर्मेंट फॉर वीक सेक्शन खोगेंग हैंग्बेई 795001, इम्फाल	कंप्यूटर प्रशिक्षण		205740			174240	प्लेस कम्पाउंड इम्फाल पूर्वी जिला	ए. सोमोकान्ता शर्मा
मणिपुर चिकिन एडवैंचरस सोसाइटी कैनावैंग नार्थ ए.ओ.सी. इम्फाल	कप्यूटर प्रशिक्षण		203490				कान वैंग नार्थ एओसी इम्फाल	अध्यक्ष के. अखाई
मणिपुर एस.सी. वैलफेयर एसोसिएशन 4/6 टाइप बाबूपारा इम्फाल–795001 इम्फाल	चल डिस्पेंसरी		432403				कांग्पोकाई विल्क सदर हिल, सेनापति जिला	एन. विजय सिंह फोन:91-0385-221467
इंटीग्रेटिड एजूकेशन सोशल डवलेपमैंट आर्गे. खांगमेन ईस्ट जोन–1	आवासीय स्कूल		238860	581760			लैमारम इंचुमगांव एन.आर.एस. इम्फाल आउट एजेंसी	सचिव एच. मानेहर शर्मा
इंटीग्रेटिड रुरल डवलपमेंट वैलफेयर एसोसिएशन खान्यानथांग पुलिस पाइंट 795001	टाइपिंग एवं शार्टहैंड	193050	115020				ब्राडवे होटल भवन सेनापति जिला	फ्रांसिस नगोजैकपो फोन : 0385–311079
चिल चिल एशियन मिशन सोसाइटी कांग्लेटाम्बी पिन–759151	छात्रावास		354790			713160	कांग्लाटोंगी मणिपुर-795151	अध्यक्ष डेविड टी. विजूमनाई फोन· 03879–65279
वूमैन एसोसिएशन फार रुरल डवलपमेंट न्यू लाम्बुलेन, रीबर बैंक पिन–795001	चल पुस्तकालय ए.वीयू.		226217				हंदंग गांव, पो.उखोरुल जिला	
एन्लॉन क्रिश्चिएन डवलपमेंट सोसाइटी नागराम स्टेडियम रोड डाकघर बाक्स–47 795151 इम्फाल	आवासीय स्कूल		372500			498060	अन्नालन क्रिश्चियन संस्थान डाकघर–30 जिला चेन्न	श्री एल. वालरिंग फोन: 20085
इंटीग्रेटिड ट्राइबल	आवासीय स्कूल		496980				गर्नीपिबूल	किम्नीहिंग

1	2	3	4	5	6	7	8	9
अपलिफ्टमेंट सोसाइटी ए-69 टाइप-III लांगोल हाउसिंग परिसर लाम्फेल-795004 इम्फाल	(प्राई.)						चूरचांदपुर जिला	फोन 0385-310595
पूर्वोत्तर बॉइज स्काउट एवं गर्ल्स गाइड एसोसिएशन डाकघर मंत्रिपुखेरी मुख्या.-कोईरेंगेई-795002	आवासीय स्कूल		196542		1186920			एल. राचन्द्रा सिंह, फोन : 321028
ओनरी मिशन सोसाइटी कंग्लाटोंग्बी मणिपुर-795151 कंग्लाटोंग्बी	आवासीय स्कूल		199125			782820	माकुई गांव, सेनापति जिला पिन-795112	डब्ल्यू केम्पिंग
ग्रामीण स्वास्थ्य एसोसिएशन के स्वयंसेवक लैम्डिंग पी ओ वागिंग-795148 लाम्लोंग	टाइपिंग व आशुलिपि		104022			485408	इवैटोम्बी टैक्नीकल आफ कंप्यूटर पैलर बाजार	जनरल सेक्रेटी एन. बाबूतिन
मणिपुर इस्टर्न हिल पीपुल्स विकास सोसाइटी 19 सुपर मार्किट लाम्पेल-795004 लाम्फेल	आवासीय स्कूल कम्प्यूटर प्रशिक्षण टाइपिंग प्रशिक्षण	446940	841900		394960	1108890	99, सुपर मार्किट	निदे. रामथिंग हंगायू
हिल एरिया ट्राइबल सोसाइटी विनो बाजार, उखराल-795142 मणिपुर लाम्फेलपट	शिशुगृह-5	64953	97875				ल्यूरेशिम्फांग गांव उखराल जिला	सचिव, कैपेनो हंग्यो
लिटिल एंजल्स स्कूल लाम्फेलपट-795004 लाम्फेलपट	छात्रावास			421200			लाम्फेलपट, इम्फाल	चेयरमैन श्रीमती बानो काईजैम फोन : 0385-310181
क्रिश्चियन ग्रामर स्कूल ग्रीन हिल्स-795141 तामेंग्लांग	आवासीय स्कूल (प्राइमरी)		152114				ग्रीन हिल्स, तैमेंगलांग	सचिव, अकियाम
डॉन बास्को सोशल वेलफेयर केन्द्र तामेंगलांग पिन-795141 तामेंगलांग	छात्रावास		485170		961340		तैमेंगलांग-795141	एफ.आर. टोनी पेलीसेरी एस.डी.बी.
सेंटर फॉर रूरल अपलिफ्टमेंट सर्विस वांग्वेल कैनल माया	टाइपिंग एवं आशुलिपि		151902			166320	वांग्वेल कनाल माया बी.पी ओ वाग्वेल 795138	टी. राबिन शर्मा फोन : 03848-22091

1	2	3	4	5	6	7	8	9
बीपीओ बांग्वेल थोवल								
इंटीग्रेटिड रुरल डवलपमेंट एवं शैक्षिक संगठन डा. घर वांग्बेल पिन–795138	आवासीय स्कूल (प्राइमरी)	182970	213480		213480	519660	टूथिल आफ वांग्बाल डा.घर थौंवल–795138	
थोवल								
टाइपराइटिंग इंस्टीट्यूट एवं रुरल डवलपमेंट डीएसएसी एकेडमी सेंटर ईबुंग, थोंगंगमिग एसटी गांव	आवासीय स्कूल	107118	467532			888372	डीएसएसी एकेडमी सेंटर लिरियाबेंग थागगैथम के निकट, एसटी गांव	एच. ब्राजेन्द्र शर्मा फोन: 0348–22503
थावल								
रुरल पीपुल डवलपमेंट संगठन हेरक भाग–II थौकचोम लैकेई बीपीओ–हैरोक-795148 थौंवल	टंकन एवं आशुलिपि	148950	134685				हैरोक पीटी–2 थाकचौम लैकेई थौंवल जिला	सचिव टीएच. शयामो सिंह
वाजिंग वूमेन एवं गर्ल्स सोसाइटी, वाजिंग–795148	कंम्प्यूटर प्रशिक्षण		203490				वांगिंग बाजार	महासचिव एल.सुवा कुमार फोन: 22575
राज्य : मणिपुर के लिए सार (30 पौरा अभिलेख)								
योग		1500291	9564608	4746685	8850657			
राज्य : मेघालय								
आर.के. मिशन आश्रम (चेराबाजार) चेरा बाजार 793111	उच्चविद्यालय तथा टैक्नीकल स्कूल	10984487	9908255	8588319	5100380	10639526	चेरापुंजी शोमारपुवई लइबुतुमुखरह	स्वामी विश्वनाथन फोन 03637-5242
आर.के. मिशन (शिलांग) लइतुमुखुरंह पो.ब. शिलांग शिलांग-793003	बस होस्टल लाइब्रेरी	586442	495080	435990	435990	462200	शिलांग जोवल और चेरा रोड़	स्वामी योगात्मानंद फोन 0364-23079
राज्य के सार मेघालय (2 विस्तृत ब्योरे)								
योग		11570929	10403335	9024309	5536370	11101726		
राज्य : मिजोरम								
सेंटर फॉर रुरल डवलपमेंट एंड रिसर्च	सचल औषधालय		398492			435097	डी–32 पीडब्ल्यूडी टीला, झारखवत	लैखामा
हीलाम चानादू पाल आइजॉल	बेंत तथा बांस				89820		इलैक्ट्रीक वेंज ऐजल	आर. रामामंगथ फोन : 320371
समरितान सोसाइटी आफ मिजोरम, ऐजल	सचल औषधालय		212093				वी–20 बंकुआन	वानालमुआनी दूरभाष :03832–25360
मिजोरम हमेथाई (विडोज) संगठन अपर रिपब्लिक रोड 796001	सचल औषधालय आवासीय स्कूल (सेकेंडरी)	291780	579712			632610	लुआंगमुल मिजोरम	वेरोनिका के जटलुअंगी

1	2	3	4	5	6	7	8	9
सोसल गाईडेन्स एजेंसी 7वां मंजिल होटल संगनिया बिल्डिंग पो.ब.न. 153 आइजवाल 796001, आइजवाल	सचल चिकित्सा यूनिट		558583		186939		टिवकुआल एपीएल चुरनबिलो	महासचिव सी डोजुआला
थुतक ननपुइच्युत टोम ज्यूएनग्तुई, ऐजल आइजवाल `केवनरी अस्पताल पिन–796001	आवासीय स्कूल		408060	575100			जुअंगतुई ऐजल	सचिव चलथाजावाना
ओरियंट इनस. ट्रस्ट बी–17 अपर वेपुसिलक आइजवाल–796001 आइजवाल	होस्टल	289100	248445	419130			केलशिस आइजवाल मिजोरम	प्रबंधक सी रोखुमा
रुरल डेवलपमेंट सोसाइटी लौंगतलाई, मिजोरम	आवासीय स्कूल				545903		छिमतुपुई जिला	सी.एल. कमलेवा
मिजोरम राज्य के लिए सारांश (8 विस्तृत रिकार्डस)								
योग		580880	2405385	994230	822662	1067707		
राज्य : नागालैंड								
लजामी सोसल वेलफेयर सोसाइटी नेपाल गांव–797112	आवासीय स्कूल		357255				थिलकसु ग्राम	निदेशक श्री खशीमो साऊ
नागा युनाईटेड सोसाइटी 5वीं माइल दीमापुर–797112 दिमापुर	आवासीय स्कूल		173382				दीमापुर सिक्स्थ एच–39 दिमापुर	चैयरमेन नागातो आए
नागानो सोसाइटी पुराना बाजार जैवपुखरी–797112 दिमापुर	गर्ल्स होस्टल			296733			एसटीगर्ल्स होस्टल दीमापुर	सेई सेतुओ
यर्मन्स को–आप.सोसाइटी 96, डंकन बस्ती दीमापुर–797112	आवासीय स्कूल		159210				मरियम पब्लिक स्कूल न्यूटन बस्ती दीमापुर	चेयरमेन जेड निहोतो सुमी
पीज क्लब पादम पुकरी दीमापुर	आवासीय स्कूल		456525				पदम पुखारी दीमापुर	प्रिंस काथीचिस्तो
नागालैंड चिल्ड्रेन्स होम पार पो. 10 दीमापुर–797112	होस्टल	344079	144505		808592		पो.ओ. बाक्स.10 दीमापुर	सचिव, एस.पी. वेस्तसाह
एल.एच.आई.डब्ल्यू, ई–यू वर्धा सोसाइटी लि. मल्टीपलेस एंटरप्राईजेज कोहिमा-797001	कम्प्यूटर			620910			सामने वार सीमेट्री 797001	मेईगुपे

1	2	3	4	5	6	7	8	9
सुकमोक–कोंग वीमेन वेलफेयर सोसाइटी मोकोकयुंग	सेल्फइम्प टु वीमर				124214		मोकोक्षंचग शहर एवं जिला	चुबाला
मेकोंगपोंग मेपु वेअर्स एसोसिएशन उगमा गांव मोकोक्षंग	बुनाई प्रशिक्षण केन्द्र			155714			ग्राम अंगामा मोकोक्षयंग	श्रीमती नरोला
आओलिम सोसाइटी मोकोक्षयुंग अंगामा मोकोक्षयुंग	कम्प्यूटर			626580			उंगामा मोकोक्षंचुग टाउन ओंगपांगकोन ब्लॉक	तेमसु
आओग्लेडेंन वीमर्स एसोसिएशन उंगामा	हथकरघा तथा बुनाई			155714			ग्राम–अंगाम जिला मोकोक्षंग	एम.एम.टी.आई., अलेमा
हिल्स वेलफेयर सोसाइटी अकोला ग्राम मोकोक्षंग	इम्प. टु. वीअर्स				122864		अखोइया ग्राम मोकोक्षंग टाउन और जिला	श्री यशी
लोगीन महिला सोसाइटी तुसानसांग, तुसनासांग	मंडी शिल्प प्र. के.				33495		लौंगलेंग शहर जिला त्रेंसेंग	बाकलेन फौम
नागालैंड राज्य के लिए सार (13 रिकार्ड ब्यौरे) सार		344079	1290777	1855651	1089165			

संगठन	परियोजना	व्यय 97–98	व्यय 97–98	1-किस्त 99–00	2-किस्त 99–00	राशि 00–01	अवस्थिति	अध्यक्ष/सचिव
1	2	3	4	5	6	7	8	9
राज्य : त्रिपुरा								
आर.के. मिशन पो. विवेकनगर अगरतला त्रिपुरा–799130	कम्प्यूटर यूनिट होस्टल मिनी डैम–3	26235	549876	99913	630198		आर.के. मिशन वी.टी. सी. विवेकनगर त्रिपुरा (प.)	सचिव स्वामी सुमेदानंद
त्रिपुरा राज्य के लिए ब्यौरे – त्रिपुरा (1 रिकार्ड ब्यौरा) सार								

आदिवासी क्षेत्रों में महिला साक्षरता के विकास के लिए निम्न साक्षरता पाकेटों में शैक्षिक परिसर की योजना के अंतर्गत आदिवासी कल्याण कार्यकलाप के लिए वित्तपोषित गैर सरकारी संगठनों के ब्यौरे।

संगठन	परियोजना	व्यय 97–98	व्यय 98–99	व्यय 99–00	राशि 00–01	अवस्थिति	अध्यक्ष/सचिव
1	2	3	4	5	6	7	8
राज्य - अरुणाचल प्रदेश							
उजू कल्याण संघ थाना के नजदीक नहरियागंज पाम्पूनपाडा पूर्वी कामांग	शिक्षा परिसर	0	957297	355000	0	ग्राम वासम	सुश्री बिन्नीयांग पूर्वी कामेंग
राज्य के लिए सार – अरुणाचल प्रदेश (1 रिकार्ड ब्यौरा) सार।		0	957297	355000	0		

आदिवासी क्षेत्रों के व्यवसायिक प्रशिक्षण की योजना के अंतर्गत आदिवासी कल्याण क्रियाकलापों के लिए वित्त पोषित गैर सरकारी संगठनों के ब्यौरे।

संगठन	परियोजना	व्यय 97–98	व्यय 98–99	व्यय 99–00	राशि 00–01	अवस्थिति	अध्यक्ष/सचिव
1	2	3	4	5	6	7	8
केजी सोसाइटी लिरी, कोहिमा, कोहिमा	वीटीसी		0	0	963000	कोहिमा ब्लाक जिला–कोहिमा	सुश्री वकराली
मूल्कारू खेल कल्याण सोसाइटी, जेल्हमी फेक, फेक जिला	वीटीसी	0	0	360500	0	ब्लाक फेक, जिला फेक	सुश्री सिवेपरा
वोखा शहर महिला कल्याण सोसाइटी वोखा शहर ब्लाक तथा शहर वोखा–वोखा	वीटीसी	0	0	0	963000	ब्लाक वोखा जिला–वोखा	जेनबेनी
महिला कल्याण सोसाइटी अटोइजू पी.ओ. अटोल्जू ब्लाक जून्हेंबोटो		0	0	0	963000	ग्राम अटोइजू जि. जून्हेंबोटो	सुश्री डी वीटोली
राज्य के लिए सार – नागालैंड (रिकार्ड विवरण 4) सम		0	0	360500	2889000		
राज्य : असम							
डा. अम्बेडकर मिशन, ग्राम धौपतरी कामरूप	वीटीसी	0	0	360500	0	ग्राम धीपत्री ब्लाक बेजेरा, जिला कामरूप	श्री दुलालचंद्रा मेधी
राज्य के लिए सार – असम (रिकार्ड विवरण–1) सम		0	0	360500	0		

आदिम जनजाति समूहों के विकास की योजना के अंतर्गत 1998–99, 1999–2000 के दौरान पूर्वोत्तर क्षेत्र के निम्नलिखित संगठन वित्तपोषित किए गए :

संगठन का नाम	निर्मुक्त राशि		प्रयुक्त निधियां
	1998–99	1999–2000	
1. इंटीग्रेटिड रुरल डवलपमेंट वेलफेयर एसोसिएशन इम्फाल (मणिपुर)	464800	973800	हां
2. ए.आर.के. साइन्स एंड सोसल आर्गेनाइजेशन, अगरतला (त्रिपुरा)		887000	हां

[हिन्दी]

सरकारिया आयोग

2518. कुमारी भावना पुंडलिकराव गवली : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारिया आयोग ने केंद्र सरकार से कुछ कृषि संबंधी विभागों को विभिन्न राज्यों को हस्तांतरित करने की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केंद्र सरकार ने इस मामले में क्या निर्णय लिया है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी) : (क) जी नहीं, महोदया।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते हैं।

[अनुवाद]

घटिया कीटनाशक

2519. श्री रामदास आठवले : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को भारतीय फर्मों द्वारा देश में लाई जा रही कथित घटिया किस्म के कीटनाशकों के संबंध में शिकायत

मिली है जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था बर्बाद हो गई है और बड़ी संख्या में किसानों के जीवन को प्रभावित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या घटिया किस्म के कीटनाशकों के प्रयोग के परिणाम–स्वरूप कृषि उत्पादन में 2 प्रतिशत की गिरावट आई है;

(घ) यदि हां, तो कीटनाशक घोटाले की जांच के लिए क्या कदम उठाए जाने को प्रस्ताव है; और

(ङ) भविष्य में किसानों को घटिया किस्म के कीटनाशकों का वितरण न किए जाने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) से (ङ) रासायनिक पेस्टिसाइडों का अनुशंशित खुराक में निर्धारित अन्तराल पर नियत रूप में लगाने से देश में फसल उत्पादन पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है। घटिया/गलत ब्रान्ड के पेस्टिसाईडों की सप्लाई पर रोक लगाने के लिए कीटनाशी अधिनियम, 1968 में प्रावधान है। केन्द्र और राज्य सरकार के अधिकारी उन उत्पादकों/सप्लायरों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए अधिकृत है, यदि नमूने घटिया/गलत ब्रान्ड के पाए जाते हैं।

केरल के इंजीनियरिंग महाविद्यालयों में सूचना प्रौद्योगिकी पाठ्यकम

2520. श्री टी. गोविन्दन : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को केरल सरकार से राज्य के इंजीनियरिंग महाविद्यालयों में सूचना प्रौद्योगिकी पाठ्यक्रमों की संख्या बढ़ाने हेतु कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबध में अब तक सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन) : (क) से (ग) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् को सूचना प्रौद्योगिकी पाठ्यकमों में वृद्धि हेतु केरल राज्य में संस्थानों से पांच प्रस्ताव प्राप्त हुए। मानदण्डों और शर्तों तथा उपलब्ध बुनियादी सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए परिषद् ने दो संस्थानों को सूचना प्रौद्योगिकी पाठ्यकम संस्वीकृत किए।

क्लबों को भूमि का आबंटन और उनके द्वारा उसका उपयोग

2521. श्री सुरेश रामराव जाधव :

डा. जसवंतसिंह यादव :

क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने क्लबों और संस्थानिक प्रयोजनों के लिए भूमि के आबंटन और उसके उपयोग से संबंधित दिशानिर्देशों में संशोधन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और अधिकतम निर्मित क्षेत्र को किराये पर देने की अनुमति हेतु वर्तमान में मानदण्ड क्या है;

(ग) नई नीति के अनुसार नये आबटंन कब तक शुरू किए जाने की संभावना है;

(घ) क्या सरकार ने ब्रिटिश सरकार के अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग प्रभाग को मानदण्डों में से छूट दी है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) से (ङ) सरकार ने क्लबों को भूमि के आबंटन और संबंधित मामलों की जांच के लिए एक समिति का गठन किया है। मामला विचाराधीन है। अपेक्षित सूचना शीघ्र प्रस्तुत कर दी जाएगी।

[हिन्दी]

कापार्ट

2522. श्री जय प्रकाश : क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और वर्तमान वर्ष के दौरान उत्तर प्रदेश में कापार्ट द्वारा स्वीकृत/कार्यान्वित की गई परियोजनाओं की संख्या कितनी है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान गैर–सरकारी संगठनों को कितनी धनराशि आबंटित की गई और उनके द्वारा कितनी धनराशि का उपयोग किया गया;

(ग) क्या इन गैर–सरकारी संगठनों के कार्यकरण की समीक्षा की गई है;

(घ) यदि हां, तो इनके द्वारा प्राप्त की गई उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(च) क्या सरकार ने इन गैर–सरकारी संगठनों द्वारा की गई कथित अनियमितताओं के बारे में कोई जांच की है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुभाष महरिया): (क) से (छ) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

शहरों की मूलभूत समस्याएं

2523. श्री पी. आर. खूंटे : क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को शहरों की मूलभूत समस्याओं के समाधान हेतु और विभिन्न परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु अतिरिक्त विशेष सहायता उपलब्ध कराने के लिए विभिन्न राज्य सरकारों से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी परियोजना–वार और राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है ?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) से (ग) आनंदपुर साहिब कस्बे के विकास के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता बाबत एक प्रस्ताव, पंजाब राज्य सरकार से वर्ष 1998–99 में प्राप्त हुआ था।

आनंदपुर साहिब कस्बे को नौवीं योजना के दौरान छोटे और मझोले कस्बों की समेकित विकास (आई.डी.एस.एम.टी.) स्कीम में शामिल कर लिया गया है और उसे अब तक 28 लाख रुपये की राशि निम्नलिखित तीन किश्तों में जारी की गयी है:–

वर्ष	जारी धन–राशि (रुपए)
1997–98	13.00 लाख
1998–99	1.00 लाख
1999–2000	14.00 लाख
कुल	28.00 लाख

[अनुवाद]

नए अमोनियम और यूरिया संयंत्र

2524. श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी : क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान सरकार को नए अमोनिया और यूरिया संयंत्रों की स्थापना करने और विद्यमान संयंत्रों का विस्तार करने हेतु कृषक भारतीय कॉपरेटिव सोसायटी द्वारा कितने प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए;

(ख) सरकार द्वारा कितने प्रस्तावों को अनुमोदित किया गया है और उनकी अनुमानित लागत कितनी है;

(ग) क्या उक्त संयंत्रों को स्थापित किया जा चुका है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उनकी स्थानवार वार्षिक उत्पादन क्षमता कितनी है;

(ङ) क्या सरकार का विचार आन्ध्र प्रदेश में कुछ और यूरिया संयंत्र स्थापित करने का है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यब्रत मुखर्जी) : (क) से (घ) उर्वरक विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/सहकारी समितियों को नये संयंत्रों की स्थापना करने और मौजूदा संयंत्रों का विस्तार करने के लिए अपनी प्रदत्त शक्ति से परे पूंजीगत व्यय करने के लिए सरकार का अनुमोदन लेना होता है। तदनुसार, गुजरात में मौजूदा हाजिरा परिसर में 1318 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से अमोनिया–यूरिया विस्तार परियोजना की स्थापना करने तथा गोरखपुर, उत्तर प्रदेश में एफसीआई के मौजूदा स्थल पर अनुमानतः 1536 करोड़ रुपये की लागत से 7.68 लाख मी. टन यूरिया की वार्षिक क्षमता के नये अमोनिया–यूरिया संयंत्र लगाने हेतु कृषक भारती कोआपरेटिव लि. (कृभको) के प्रस्ताव, निर्धारित प्रक्रिया के तहत निवेश अनुमोदन हेतु सरकार को प्रस्तुत किए गए हैं। सार्वजनिक/सहकारी क्षेत्र की दो अन्य यूरिया परियोजनाओं के साथ ये प्रस्ताव, सरकार द्वारा सार्वजनिक निवेश बोर्ड (पीआईबी) द्वारा निवेश मूल्यांकन की शर्त पर "सिद्धांततः" अनुमोदित कर दिए गए थे।

पीआईबी द्वारा इन तथा दो अन्य यूरिया परियोजनाओं का निवेश मूल्यांकन जुलाई, 1999 में किया गया था। सरकार ने जून 2000 में विचार किया था और इन सभी परियोजनाओं पर अन्तिम निवेश निर्णय लेने को आस्थागित कर दिया था। यह प्रस्ताव, परियोजना की व्यवहार्यता, सब्सिडी की आवर्ती को कम करने हेतु फीडस्टाक के रूप में एलएनजी के उपयोग को बढ़ावा देने की वांछनीयता तथा सीमित मांग–आपूर्ति भविष्यवाणियों के कारण प्रस्तावित परियोजनाओं के कार्यान्वयन को धीमा करने की आवश्य... के बारे में पीआईबी की टिप्पणियों को ध्यान में रखते हु... ...चार किया गया था।

(ङ) से (छ) दिनांक 24 जुलाई, 1991 के औद्योगिक नीति विषयक संकल्प के अनुसार सामान्यतः उर्वरक संयंत्रों की स्थापना/विस्तार करने के लिए किसी लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है। उद्यमी पर्यावरणीय मंजूरी के अध्यधीन देश में कही भी उर्वरक परियोजनाएं स्थापित करने के लिए स्वतन्त्र हैं। सार्वजनिक/सहकारी क्षेत्र में आन्ध्र प्रदेश के नैल्लौर जिले में 1736 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से 7.68 लाख मी. टन यूरिया की वार्षिक क्षमता की एक नई अमोनिया–यूरिया परियोजना स्थापित करने हेतु इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोआपरेटिव लि. (इफको) के एक प्रस्ताव को भी सरकार द्वारा उपरोक्त भाग (क) से (घ) तक के उत्तर में उल्लिखित कृभकों के प्रस्तावों के साथ "सिद्धान्ततः" अनुमोदित किया गया था और विचार किया गया था।

अनुच्छेद 14 का संशोधन

2525. श्री जी. एस. बसवराज :

श्री वाई. एस. विवेकानन्द रेड्डी :

श्री विलास मुत्तेमवार :

क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुख्य सतर्कता आयुक्त ने संविधान के अनुच्छेद 14 में संशोधन की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो क्या प्रस्तावित संशोधन के माध्यम से लोक सेवकों द्वारा भ्रष्टाचार मुक्त अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में शामिल करने का प्रयास किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिकिया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी) : (क) और (ख) जी हां, श्रीमान्। संविधान की कार्यप्रणाली की पुनरीक्षा करने के लिए राष्ट्रीय आयोग को यह सुझाव केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त द्वारा दिया गया है।

(ग) केन्द्र सरकार का लोक जीवन में सभी स्तरों से भ्रष्टाचार दूर करने का प्रयास निरन्तर रहता है।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोगों की नियुक्ति

2526. श्री अशोक प्रधान : क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सांसदों ने केन्द्र सरकार के अंतर्गत आने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपकमों में मुख्य कार्यपालक, कार्यकारी निदेशक, प्रबंधक मंडल के अंशकालिक अध्यक्ष और प्रबंधक मंडल के सरकारी/गैर–सरकारी सदस्य के पदों पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोगों को नियुक्त किए जाने की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो इस पर क्या कार्रवाई की गई है; और

(ग) पदों की कुल संख्या की तुलना में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों की संख्या कितनी है और उनका प्रतिशत क्या है?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन.टी. षणमुगम) : (क) इस मंत्रालय में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सांसदों से मुख्य कार्यपालक/कार्यकारी निदेशकों अंशकालिक अध्यक्ष के पद पर तथा सरकारी/गैर–सरकारी सदस्यों को कोल इंडिया लि. उसकी सहायक कंपनियों और एन.एल.सी. के निदेशक के रूप में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को नियुक्त/तैनात करने के लिए कोई मांग प्राप्त नहीं हुई प्रतीत होती है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय महिला आयोग

2527. मोहम्मद शहाबुद्दीन : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 5 सितम्बर, 2000 को जनसत्ता में 'राष्ट्रीय महिला आयोग में शिकायतों का अंबार' शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित समाचार के तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या आयोग की वार्षिक रिपोर्ट नियमित रूप से मिलती है;

(घ) यदि हां, तो सरकार को अब तक आयोग से कितनी वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त हुई हैं;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) आयोग में बढ़ रही अनियमितताओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं/उठाने का विचार है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन) : (क) जी, हां।

(ख) समाचार में दिए गए आरोप सही नहीं है। आयोग की अध्यक्षा, सदस्य तथा अधिकारी सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से ही

अनिवार्य समझे जाने पर दौरे करते हैं। जहां तक राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा प्राप्त शिकायतों का सम्बन्ध है, आयोग को पिछले साढ़े तीन वर्षों में (31 अक्तूबर, 2000 तक) प्राप्त 18559 शिकायतों में से आयोग ने 16564 शिकायतों पर कार्रवाई की।

(ग) से (ङ) राष्ट्रीय महिला आयोग से प्राप्त 1992–93, 1993–94, 1994–95 तथा 1995–96 की वार्षिक रिपोर्टें तथा की गई कार्रवाई सम्बन्धी रिपोर्टें सरकार द्वारा क्रमशः 26–8–1995, 16–5–1997, 14–12–1998 तथा 23–12–1999 को लोक सभा में प्रस्तुत की जा चुकी हैं। वर्ष 1996–97 तथा 1998–99 की आयोग की वार्षिक रिपोर्टों के सम्बन्ध में की गई कार्रवाई की वार्षिक रिपोर्टों को अन्तिम रूप देने की कार्रवाई शुरू की जा चुकी है। आयोग को वर्ष 1998–99 और 1999–2000 की अपनी वार्षिक रिपोर्टों को अन्तिम रूप देकर सरकार को प्रस्तुत करना है।

(च) आयोग का कार्य निर्विघ्न रूप से चल रहा है और वह राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 में यथा–परिकल्पित अपने कार्यों का निर्वहन कर रहा है।

[अनुवाद]

मानव संसाधन विकास के लिए सहायता

2528. श्री भर्तृहरि महताब : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री **यह बताने की कृपा करेंगे कि** :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान उड़ीसा में मानव संसाधन विकास के अन्तर्गत परियोजना–वार कितनी मात्रा में निवेश किया गया है;

(ख) उड़ीसा में कितने तकनीकी संस्थान हैं; और

(ग) राज्य में मानव संसाधन के विकास को प्रोत्साहन देने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन) : (क) प्रारंभिक शिक्षा और साक्षरता तथा माध्यमिक शिक्षा और उच्चतर शिक्षा विभागों द्वारा चलाई जा रही केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के अन्तर्गत उड़ीसा सरकार को वर्ष 1997–98, 1998–99 और 1999–2000 के दौरान जारी की गई राशि को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ख) उड़ीसा में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (ए.आई.सी.टी.ई.) द्वारा अनुमोदित 131 तकनीकी संस्थाएं हैं।

(ग) शैक्षिक विकास एक सतत् शिक्षा प्रक्रिया है और राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एन.पी.ई.), 1992 में देश में शिक्षा के विकास के दिशा–निर्देश के लिए एक व्यापक कार्य संरचना निहित है। उसके अनुसरण में आपरेशन ब्लैक बोर्ड, अनौपचारिक शिक्षा, अध्ययन के न्यूनतम स्तर, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, मध्याह्न भोजन योजना जैसे नवाचारी उपायों की व्यवस्था है। शिक्षा की गुणवत्ता, विषय और प्रक्रिया में सुधार करने के लिए सम्पूर्ण साक्षरता अभियान, उत्तर साक्षरता अभियान, शिक्षक शिक्षा, सामुदायिक पॉलीटेक्निक, क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कालेज इत्यादि शुरू किए गए हैं।

विवरण

(रु. लाख में)

क्र.सं.	योजना	निम्न वर्षों के दौरान जारी की गई राशि		
		1997–98	1998–99	1999–2000
1	2	3	4	5
	प्रारम्भिक शिक्षा और साक्षरता विभाग			
1.	आपरेशन ब्लैक बोर्ड	548.83	3838.70	1263.30
2.	अनौपचारिक शिक्षा	1243.68	489.84	1267.03
3.	शिक्षक शिक्षा	352.00	475.80	487.39
4.	जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम	2115.00	1500.00	850.00
5.	प्रशासनिक संरचना को सुदृढ़ करना	8.80	59.31	0.00
6.	संपूर्ण साक्षरता अभियान/उत्तर साक्षरता अभियान	140.00	104.00	258.17
7.	श्रमिक विद्यापीठ	0.00	0.00	24.60

1	2	3	4	5
8.	प्रौढ़ शिक्षा के लिए स्वैच्छिक एजेंसियां	0.00	0.00	19.00
	माध्यमिक शिक्षा और उच्चतर शिक्षा विभाग			
9.	शिक्षा प्रौद्योगिकी	82.49	0.00	0.00
10.	स्कूल शिक्षा का पर्यावरण अभिमुखीकरण	0.63	0.65	1.99
11.	विकलांग बच्चों के लिए समेकित शिक्षा	74.45	45.79	109.73
12.	विज्ञान शिक्षा का सुधार	0.00	0.00	1350.00
13.	संस्कृत का विकास	0.72	2.03	64.50
14.	हिन्दी शिक्षकों की नियुक्ति	75.00	0.00	0.00
15.	मदरसा शिक्षा का आधुनिकीकरण	1.83	0.00	81.12
16.	हिन्दी में उत्तर मैट्रिक अध्ययन के लिए गैर–हिन्दी भाषी राज्यों के छात्रों को छात्रवृत्ति	0.00	0.00	2.70
17.	सामुदायिक पॉलीटैक्निक	21.00	5.24	49.71
18.	क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कालेज (योजनागत)	178.68	213.91	198.68
	क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कालेज (योजनेतर)	231.00	378.70	355.00
19.	उड़ीसा में विश्वविद्यालयों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जारी किया गया अनुदान	420.33	379.13	802.54
	कुल	5494.44	7493.10	7185.46

क्रिकेट खिलाड़ियों पर निगरानी

2529. श्रीमती श्यामा सिंह :

श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति :

क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिनांक 3 नवम्बर, 2000 के 'द स्टेट्समैन' में प्रकाशित समाचार के अनुसार सरकार ने अन्तर्राष्ट्रीय मैंचों के दौरान क्रिकेट खिलाड़ियों पर कड़ी निगरानी रखने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या क्रिकेट टीमों के साथ सुरक्षा एजेंसियों को विदेश भेजने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

भूमि संबंधी दस्तावेजों का कम्प्यूटरीकरण

2530. श्री अनन्त नायक : क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में भूमि संबंधी दस्तावेजों का कम्प्यूटरीकरण करने हेतु कदम उठाए हैं;

(ख) गदि हां, तो अब तक राज्यवार क्या प्रगति हुई है;

(ग) इस पर कितना खर्च आने की संभावना है; और

(घ) जनजातियों की भूमि का संरक्षण कर देश की जनजातियों के रक्षार्थ क्या कदम उठाए गए हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा) : (क) जी, हां।

(ख) भूमि रिकार्डों को कम्प्यूटरीकृत करने संबंधी योजना वर्ष 1988–89 से कार्यान्वित की जा रही है। इस योजना को आरंभ किए जाने से लेकर अब तक भारत सरकार द्वारा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 141.60 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई हैं। (31.3.2000 की स्थिति के अनुसार) 70.63 करोड़ रुपयों का उपयोग किये जाने की सूचना दी गई है। राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को जारी की गई तथा उनके द्वारा उपयोग में लायी गई राशि को दिखाने वाला विवरण संलग्न है।

(ग) चालू वित्तीय वर्ष (2000–2001) के लिए योजना के तहत बजट प्रावधान 50.00 करोड़ रुपये का है। इसमें से (15.11.2000 तक) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 31.44 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है।

(घ) यह योजना राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के जनजातीय जिलों सहित बहुत से जिलों में कार्यान्वित की जा रही है, इससे अन्य बातों के साथ–साथ जनजातीय लोगों के हितों की भी सुरक्षा होगी।

विवरण

31.3.2000 की स्थिति के अनुसार (वर्ष 1988–89 में इसे आरंभ किए जाने से लेकर) भूमि रिकार्डों को कम्प्यूटरीकृत करने संबंधी योजना के तहत जारी की गई और उपयोग की गई राशि का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण

(लाख रु. में)

		जारी निधियां									
क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	1989-93 के बीच	1993-94 के दौरान	1994-95 के दौरान	1995-96 के दौरान	1996-97 के दौरान	1997-98 के दौरान	1998-99 के दौरान	1999-2000 के दौरान	अभी तक जारी निधियां	अभी तक उपयोग में लाई गई निधियां
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	आंध्र प्रदेश	25.00	78.00	105.00	210.00	15.00	0.00	829.90	174.05	1436.95	1153.65
2.	असम	25.00	33.00	50.00	50.00	80.00	97.50	0.00	0.00	335.50	67.56
3.	बिहार	20.00	30.00	100.00	0.00	0.00	367.50	30.50	0.00	548.00	20.00
4.	गुजरात	25.00	10.00	10.00	120.00	0.00	75.00	24.61	79.68	344.29	203.75
5.	गोवा	0.00	15.00	5.00	0.00	20.00	0.00	0.00	63.50	103.50	39.15
6.	हरियाणा	21.00	19.00	55.00	180.00	0.00	19.00	15.00	56.00	365.00	122.14
7.	हिमाचल प्रदेश	25.00	15.00	50.00	55.00	60.00	0.00	6.60	28.60	240.20	45.00
8.	जम्मू और कश्मीर	25.00	4.00	20.00	0.00	0.00	30.00	189.00	18.00	286.00	186.34
9.	कर्नाटक	25.00	43.00	28.00	120.00	95.00	69.20	342.50	501.88	1224.58	633.06
10.	केरल	25.00	40.00	30.00	200.00	30.00	69.00	79.50	102.75	576.25	383.00
11.	मध्य प्रदेश	33.00	45.00	90.00	75.00	45.00	485.50	237.82	668.38	1679.70	723.81
12.	महाराष्ट्र	25.00	60.00	95.00	195.00	241.00	197.50	108.59	791.17	1713.26	809.47
13.	मणिपुर	25.00	0.00	0.00	0.00	124.88	0.00	0.00	38.35	188.23	25.00
14.	मेघालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	14.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15.	मिजोरम	0.00	15.00	10.00	0.00	60.00	0.00	50.00	37.78	172.78	85.00
16.	नागालैंड	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.15	25.15	0.00
17.	उड़ीसा	32.50	55.00	30.00	135.00	270.00	0.00	20.50	171.12	714.12	472.28
18.	पंजाब	25.00	53.62	45.00	0.00	75.00	52.50	0.00	31.50	282.62	32.67
19.	राजस्थान	25.00	50.00	68.00	150.00	210.00	0.00	43.60	0.00	546.60	233.33
20.	सिक्किम	12.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	22.40	12.80	67.20	40.00
21.	तमिलनाडु	25.00	83.00	45.00	90.00	210.00	60.00	30.98	237.29	781.27	402.83
22.	त्रिपुरा	25.00	40.00	20.00	0.00	15.00	75.80	0.00	38.00	213.80	144.62
23.	उत्तर प्रदेश	25.00	75.00	129.00	165.00	270.00	247.50	142.50	0.00	1054.00	420.00
24.	पश्चिम बंगाल	25.00	85.00	65.00	235.00	180.00	173.00	300.78	110.00	1173.78	820.00
25.	दादरा और नगर हवेली	0.00	12.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.38	0.00
26.	दिल्ली	8.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.03	0.00
27.	पांडिचेरी	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.55	38.55	0.00
28.	चंडीगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00
	योग	501.53	876.00	1050.00	2000.00	2015.88	2019.00	2474.78	3223.55	14160.74	7062.66

[हिन्दी]

ट्रांसजेनिक कॉप्स और कीटनाशी दवाओं का प्रयोग

2531. श्री रामजीलाल सुमन :

डा. सुशील कुमार इन्दौरा :

श्री रमेश चेन्नितला :

क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ट्रांसजेनिक फसलों/पौधों के प्रभावों को रोकने के लिए कोई वैज्ञानिक परीक्षण कराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उन भारतीय वैज्ञानिक संस्थानों के नाम क्या हैं जिन्होंने इसका परीक्षण किया है;

(ग) क्या सरकार देश में ट्रांसजेनिक पौधों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने के लिए पर्यावरणविदों की मांग पर विचार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(च) क्या सरकार ने कृषि में कीटनाशी दवाओं और रसायनों की खपत को कम करने और देश में कार्बनिक कृषि को बढ़ावा देने हेतु कोई योजना तैयार की है; और

(छ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में राज्य मंत्री (श्री बची सिंह रावत "बचदा") : (क) और (ख) जी हां, सुरक्षा परीक्षणों में पर्यावरणीय एवं खाद्य सुरक्षा शामिल है। बायोटेक्नोलॉजी विभाग की मानिटरिंग एवं मूल्यांकन समितियों ने (एम ई सी) जिसमें कृषि विशेषज्ञ शामिल हैं, प्रायोगिक खेतों का स्थल पर निरीक्षण किया है। पर्यावरणीय प्रभावों का मूल्यांकन करने के लिए आचार्य एन जी रंगा कृषि विश्वविद्यालय, राजेन्द्र नगर ने अपने क्षेत्रीय अनुसंधान स्टेशन लाम गुंटूर तथा आंध्र प्रदेश के वारांगल में, पंजाब राव कृषि विद्यापीठ ने अकोला में और मराठवाड़ा कृषि विश्वविद्यालय, परभनी ने महाराष्ट्र में भी अध्ययन किये हैं।

औद्योगिक विष विज्ञान अनुसंधान केन्द्र (आई टी आर सी), लखनऊ और श्रीराम संस्थान, दिल्ली ने पराजीनी फसलों का खाद्य सुरक्षा मूल्यांकन किया। परिणामों से यह स्पष्ट है कि पराजीनी फसलें पर्यावरण और स्वास्थ्य दृष्टि से सुरक्षित हैं।

(ग) से (ङ) जी नहीं, फसल उत्पादकता बढ़ाने और फसल गुणवत्ता सुधारने के लिए जैवप्रौद्योगिकी की संभाव्यता को पूरी दुनिया में मान्यता मिल चुकी है। इसलिए, उत्पादकता, पोषकता और पर्यावरणीय सुरक्षा में सुधार के लिए जैवसुरक्षा मार्गदर्शी सिद्धांतों का पालन करते हुए पराजीनी पादपों पर काम जारी रहेगा।

(च) और (छ) आर्गेनिक खेती का प्रयोग हमारे देश में छोटे पैमाने पर किया जा रहा है। भारत सरकार रासायनिक उर्वरकों एवं कीटनाशियों के प्रयोग को कम करने के लिए कीटों को नियंत्रित करने और जैवउर्वरकों, आर्गेनिक खाद, जैवकीटनाशियों और जैवनियंत्रक अभिकर्मकों के प्रयोग द्वारा पादप पोषकों के सभी स्रोतों को उपलब्ध कराने हेतु एकीकृत कीट एवं पोषण प्रबंध (आई पी एम) को प्रोत्साहित कर रही है। एकीकृत कीट प्रबन्ध (आई पी एम) कार्यक्रम के कियान्वयन के परिणामस्वरूप कीटनाशकों के प्रयोग में काफी कमी आई है जो 1994–95 के दौरान 61,357 मीट्रिक टन (तकनीकी ग्रेड) से घट कर 1999–2000 के दौरान 46,195 (तकनीकी ग्रेड) हो गया।

[अनुवाद]

उर्वरक संयंत्रों का विस्तार

2532. श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश के कुछ उर्वरक संयंत्रों का विस्तार करने का है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान विस्तार हेतु किन–किन संयंत्रों की पहचान की गई है; और

(ग) विस्तार कार्यकम के पूरा होने पर इन उर्वरक संयंत्रों की क्षमता कहां तक बढ़ाए जाने की संभावना है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी) : (क) से (ग) दिनांक 24 जुलाई, 1991 के औद्योगिक नीति संकल्प के अनुसार सामान्यतः उर्वरक संयंत्रों की स्थापना/विस्तार के लिए किसी भी लाईसेंस की आवश्यकता नहीं है। उद्यमी पर्यावरणीय मंजूरी के अध्यधीन देश में कहीं भी उर्वरक परियोजना स्थापित करने के लिए स्वतन्त्र है। तथापि, उर्वरक विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपकम/सहकारी समितियों को अपनी प्रदत्त शक्तियों से परे ऐसे पूंजी व्यय करने से पूर्व सरकार से अनुमोदन प्राप्त करना होता है। निर्धारित प्रकिया के तहत सरकार के निवेश अनुमोदन के लिए प्रस्तुत की गई सार्वजनिक/सहकारी क्षेत्र की ऐसी उर्वरक परियोजनाओं के ब्यौरे संलग्न विवरण–I में दिए गए हैं। देश में कार्यान्वयानाधीन प्रमुख उर्वरक परियोजनाओं की प्रस्तावित अतिरिक्त उत्पादन क्षमता सहित ब्यौरे संलग्न विवरण–II में दिए गए हैं।

विवरण–I

निवेश अनुमोदन के लिए सार्वजनिक/सहकारी एककों द्वारा सरकार के समक्ष प्रस्तुत किए गए परियोजना प्रस्ताव :

क्र.सं.	पीएसयू/सहकारी का नाम	प्रस्तावित स्थान	अनुमानित पूंजी लागत (करोड़ रु. में)	परिकल्पित उत्पादन		पूरा करने की अनुसूची
				उत्पाद	क्षमता (लाख मी. टन प्रतिवर्ष)	
1	2	3	4	5	6	7
1.	कृषक भारती कोआपरेटिव लि., (कृभको) अमोनिया यूरिया विस्तार परियोजना की तीसरी स्ट्रीम	हजीरा, गुजरात	1318	यूरिया	7.68	* शून्य तिथि से 36 माह

1	2	3	4	5	6	7
2.	कृभको (एफसीआई के मौजूदा स्थल पर नया अमोनिया यूरिय संयंत्र)	गोरखपुर, उत्तर प्रदेश	1536	यूरिया	7.68	* शून्य तिथि से 36 माह
3.	इंडियन फारमर्स फर्टिलाइजर कोआपरेटिव लि. (इफको) ग्रासरूट	नेल्लौर, आंध्र प्रदेश	1736	यूरिया	7.68	* शून्य तिथि से 39 माह
4.	राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स (अमोनिया—यूरिया विस्तार परियोजना)	थाल, महाराष्ट्र	1332	यूरिया	7.68	* शून्य तिथि से 36 माह

* शून्य तिथि सरकार द्वारा प्रस्ताव के अनुमोदन की तिथि है।

विवरण-II

देश में कार्यान्वयनाधीन प्रमुख उर्वरक परियोजनाओं का विवरण

क्र.सं.	परियोजना का नाम, अवस्थिति एवं कंपनी/सहकारी	अनुमानित पूंजी लागत (करोड़ रु. में)	परिकल्पित अतिरिक्त उत्पादन		शून्य तारीख	प्रारम्भण की निर्धारित तारीख	अभ्युक्तियां
			उत्पाद	क्षमता (लाख मी. टन प्रतिवर्ष में)			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	ओसवाल केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लि. (नया) पारादीप, उड़ीसा	1832.00	डीएपी एनपीके एनपी	15.00 3.00 1.00	सित. 97	सित. 99	अप्रैल 2000 में जांच उत्पादन प्रारंभ हुआ है।
2.	गोदावरी फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लि. (जीएफसीएल) काकीनाडा, आंध्र प्रदेश	99.13	डीएपी	2.8	5.1.98	31.12.01	
3.	हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कार्पोरेशन लि. (एचएफसी) नामरूप, असम के नामरूप संयंत्र का पुनर्गठन	350.00	यूरिया	3.80	2.11.98	1.5.2001	
4.	नेशनल फर्टिलाइजर्स लि. (एनएफएल))यूरिया विस्तार परियोजना) नांगल, पंजाब	135.13	यूरिया	1.48	11.5.99	11.5.2001	
5.	गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लि. सिक्का गुजरात (डीएपी विस्तार परि.)	180.00	डीएपी	3.96	1.9.99	1.7.2001	

आठवीं योजना के दौरान इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत आवासों का निर्माण

2533. श्री त्रिलोचन कानूनगो : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आठवीं योजना के दौरान इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत आवासों का निर्माण हेतु सरकार द्वारा लक्ष्य निर्धारित किया गया था; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है और उक्त योजनावधि के दौरान इसमें कितनी उपलब्धि हासिल हुई है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुभाष महरिया) : (क) और (ख) जी हां, आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इन्दिरा आवास योजना के अंतर्गत आवासों के निर्माण के लिए निर्धारित लक्ष्य और उपलब्धियों के ब्यौरे विवरण के रूप में संलग्न हैं।

विवरण

आठवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत लक्षित तथा निर्मित आवासों की संख्या

(संख्या)

राज्य का नाम	1992–93		1993–94		1994–95		1995–96		1996–97	
	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. आंध्र प्रदेश	7719	10961	49034	44897	23817	57483	87642	69086	84640	46181
2. अरुणाचल प्रदेश	282	218	222	120	204	219	797	420	631	387
3. असम	1091	1037	6209	4304	5987	6862	25560	24871	29197	13401
4. बिहार	14509	28189	37396	88960	85249	59216	217292	114506	151453	133244
5. गोवा	54	55	276	358	249	329	861	967	1736	466
6. गुजरात	4546	4889	6598	7117	9574	7895	34501	31770	33633	30481
7. हरियाणा	917	1002	1848	1552	1707	3536	10846	9024	6983	6153
8. हिमाचल प्रदेश	343	351	809	629	701	853	2736	1727	2165	2373
9. जम्मू व कश्मीर	200	425	1084	390	1964	1697	10561	3554	5347	10197
10. कर्नाटक	5309	7197	14197	8820	16365	13831	52133	37460	53181	45503
11. केरल	1690	4100	13245	16999	12570	18549	24624	29368	18554	23202
12. मध्य प्रदेश	17816	47156	28399	48108	35416	46967	113384	125757	147902	87371
13. महाराष्ट्र	6974	8778	6974	18870	26684	22812	89776	66648	81120	58244
14. मणिपुर	58	213	290	208	268	197	1022	784	808	715
15. मेघालय	439	432	353	353	306	283	1195	207	946	646
16. मिजोरम	220	224	185	240	129	368	504	569	398	369
17. नागालैंड	383	1603	438	1536	328	895	1281	470	1014	3691
18. उड़ीसा	8885	11305	11649	10588	20158	13297	62986	51033	62248	54612
19. पंजाब	1255	3359	5963	2739	4855	3849	7047	1121	4966	1709

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20. राजस्थान	7166	10541	11388	19958	13035	28934	50875	41756	50325	46682
21. सिक्किम	51	140	142	142	119	108	1491	1065	369	760
22. तमिलनाडु	7044	14409	18930	33758	19824	33176	74205	56885	71598	63959
23. त्रिपुरा	279	343	431	636	340	567	1327	1348	1051	983
24. उत्तर प्रदेश	18448	22218	44135	47722	51472	50908	204003	159073	241251	139801
25. पश्चिम बंगाल	11308	13300	19860	13389	21722	15526	69579	34278	70979	34722
26. अं.व नि. द्वीप समूह	16	20	120	21	109	21	377	21	337	78
27. दा. व न. हवेली	60	52	71	60	59	59	205	13	278	50
28. दमन व दीव	8	21	38	13	35	45	121	62	120	92
29. लक्षद्वीप	16	0	0	0	0	0	189	10	0	105
30. पांडिचेरी	47	47	79	48	107	0	369	36	330	113
कुल	117133	192585	280363	372535	353353	390482	1147489	863889	1123560	806290

[हिन्दी]

केन्द्रीय विद्यालयों/नवोदय विद्यालयों में प्राथमिक कक्षा से पूर्व की कक्षाएं

2534. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 20 नवोदय विद्यालयों की नामांकन क्षमता में वृद्धि करने की संभावना है और इनमें उच्च स्तरीय खेल सुविधाएं मुहैया कराने का प्रस्ताव है;

(ख) क्या कुछ केन्द्रीय विद्यालयों में प्राथमिक कक्षा से पूर्व की कक्षा का पठन–पाठन कार्य शुरू कर दिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो स्थानवार ऐसे नवोदय और केन्द्रीय विद्यालय कौन–कौन से हैं जिनकी नामांकन क्षमता बढ़ाए जाने का प्रस्ताव है और इनमें प्राथमिक कक्षा से पूर्व की कक्षा की पढ़ाई शुरू की गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन) : (क) उच्च स्तरीय खेलकूद सुविधायें मुहैया कराने हेतु क्षेत्रों में 24 नवोदय विद्यालयों को अभिनिर्धारित किया गया है। इन सुविधाओं में हॉकी और फुटबाल के मैदानों, 400 मी. का ट्रैक, बास्केट बाल के दो पालों, खो–खो के दो पालों, वाली बाल, कबड्डी, जिमनास्टिक के लिये स्थान सहित आवश्यक उपस्करों से सुसज्जित इंडोर बास्केट बाल और बैडमिंटन पाले शामिल हैं। ऐसे विद्यालयों की एक सूची संलग्न विवरण–I पर दी गई है।

(ख) और (ग) जी, हां। शैक्षिक सत्र 2000–2001 से स्ववित्तपोषण आधार पर 34 केन्द्रीय विद्यालयों में प्राथमिक पूर्व कक्षाएं शुरू की गई हैं। इन विद्यालयों की सूची विवरण–II के रूप में संलग्न है। नवोदय विद्यालयों में दाखिला कक्षा VI से ही शुरू होता है तथा इन विद्यालयों में प्राथमिक पूर्व कक्षाएं नहीं होती हैं।

विवरण-I

उच्च स्तरीय खेलकूद सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु अभिनिर्धारित किये गये नवोदय विद्यालयों की सूची

क.सं.	जिला	राज्य/संघ शासित प्रदेश
1	2	3
1.	ग्वालियर	मध्य प्रदेश
2.	बिलासपुर	हिमाचल प्रदेश
3.	सुन्दरगढ	उड़ीसा
4.	कपूरथला	पंजाब
5.	कठवा	जम्मू व कश्मीर
6.	ऊना	हिमाचल प्रदेश

1	2	3
7.	रंगारेड्डीह	आंध्र प्रदेश
8.	विशाखापट्टनम	आंध्र प्रदेश
9.	कसरगोड	केरल
10.	धारवाड	कर्नाटक
11.	दौसा	राजस्थान
12.	जफरपुर कला	दिल्ली
13.	कर्नाल	हरियाणा
14.	इलाहाबाद	उत्तरप्रदेश
15.	बलिया	उत्तर प्रदेश
16.	हरिद्वार	उत्तरांचल
17.	वैशाली	बिहार
18.	रांची	झारखंड
19.	बीड	महाराष्ट्र
20.	भंडारा	महाराष्ट्र
21.	खेडा	गुजरात
22.	सोनितपुर	असम
23.	पश्चिम सिक्किम	सिक्किम
24.	इम्फाल	मणिपुर

विवरण-II

उन केन्द्रीय विद्यालयों की सूची जहां पर प्राथमिक-पूर्व कक्षाओं की शुरूआत की गई

क्र.सं.	क्षेत्र	केन्द्रीय विद्यालय
1	2	3
1.	अहमदाबाद	राजकोट, वल्लभ विद्या नगर
2.	बंगलौर	मल्लेश्वरम, बंगलौर बेल्लारी केल्ट्रान नगर, कन्नानूर
3.	भोपाल	सं.1, ग्वालियर, खण्डवा उज्जैन
4.	भुवनेश्वर	अद्रा, भवानीपटना
5.	कलकत्ता	सं. 2, साल्ट लेक, कलकत्ता
6.	चण्डीगढ	सेक्टर-29, चण्डीगढ
7.	चेन्नई	मदुरै
8.	देहरादून	इज्जत नगर (एन ई आर) बरेली काशीपुर
9.	दिल्ली	सेक्टर-II, आर.के. पुरम सेक्टर-VIII, आर.के.पुरम, एण्ड्रूजगंज
10.	हैदराबाद	सं. 1, उप्पल हैदराबाद
11.	जबलपुर	दामोह सं. 2, जी सी एफ, जबलपुर
12.	जयपुर	सं. 1, अलवर सं. 3, जयपुर सं. 1, उदयपुर
13.	जम्मू	सं. 1, जम्मू सं. 2, जम्मू ज्योतिपुरम
14.	लखनऊ	राय बरेली, उन्नाव
15.	पटना	दानापुर छावनी, कंकड बाग, पटना हिनु, रांची
16.	सिल्चर	सं. 1, इम्फाल, सिल्चर

[अनुवाद]

निषिद्ध सूची में सूचीबद्ध औषधियों का आयात

2535. श्री अशोक ना. मोहोल : क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ ऐसी औषधियों का आयात किया जा रहा है जो निषिद्ध सूची में सूचीबद्ध हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने उक्त औषधियों का उत्पादन देश में ही करने के लिए कोई कदम उठाया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी) : (क) और (ख) जी हां। इस समय निषिद्ध (प्रतिबन्धित) सूची के अन्तर्गत औषधियों का वास्तविक उपभोक्ताओं द्वारा मामला दर मामला आधार पर आयात लाइसेंस के अन्तर्गत आयात अनुमत्य है।

(ग) से (ङ) एग्जिम पालिसी 1997-2002 में आयात के लिए निषिद्ध (प्रतिबंधित) सूची की सभी औषधियों के उत्पादन के लिए किसी औद्योगिक लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होती है।

जुआंग जनजातियों के लिए लघु परियोजना

2536. श्री अनन्त नायक : क्या **जनजातीय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा के जुआंग जनजातियों के उत्थान हेतु एक लघु परियोजना शुरू की गई है;

(ख) यदि हां, तो उड़ीसा के विभिन्न जिलों में जुआंग जनजातियों की आबादी का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस लघु परियोजना के कियान्वयन की निगरानी की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी जिला–वार ब्यौरा क्या है?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री जुएल उराम) : (क) उड़ीसा में क्योंझर जिले के बंसापल ब्लाक के जुआंगों के विकास के लिए एक लघु परियोजना 1977–78 से कार्य कर रही है।

(ख) वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार जुआंग जनजाति की जिलेवार जनसंख्या निम्नलिखित है :–

	जिला	जनसंख्या
1.	संगलपुर	9
2.	सुन्दरगढ़	33
3.	कियोंझर	15467
4.	मयूरभंज	5
5.	बालेश्वर	2
6.	कटक	765
7.	घनकनाल	14573
8.	फूलबनी	2
9.	बोहंगीर	3
10.	कोरापट	13
11.	पुरी	4

(ग) और (घ) जी, हां। लघु परियोजना क्षेत्रों के जुआंगों के विकास के लिए विभिन्न सामुदायिक एवं विशिष्ट लाभग्राही योजनाओं के लिए प्रारम्भ से 1998–99 तक 1,96,08,712 रुपए की राशि व्यय की गई है।

कोयले की मांग/आपूर्ति/उत्पादन

2537. श्री पी. डी. एलानगोवन : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में कोयले की मांग और आपूर्ति का कोई विस्तृत अध्ययन कराया है;

(ख) यदि हां, तो कीमत के संदर्भ में राज्यवार उत्पादन और बिकी संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान और चालू वर्ष में देश के भीतर और बाहर विभिन्न उद्योगों को विभिन्न कोयला क्षेत्रों से उपलब्ध कराए गए कोयले का ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा देश में कोयले का उत्पादन और आपूर्ति को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन.टी. षणमुगम) : (क) और (ख) योजना आयोग कोयला की मांग और पंचवर्षीय योजना अवधि तथा वार्षिक योजना के लिए आपूर्ति का निर्धारण करता है।

वर्ष 1999–2000 के लिए कोल इंडिया लि. (सी आई एल) तथा सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लि. (एस सी सी एल) द्वारा कोयले के राज्यवार उत्पादन का विवरण नीचे दिया जा रहा है :–

राज्य	उत्पादन (मिलियन टन में)
पश्चिम बंगाल	15.28
बिहार	70.14
उड़ीसा	43.55
उत्तर प्रदेश	16.22
मध्य प्रदेश	87.12
महाराष्ट्र	27.70
असम और मेघालय	0.57
आंध्र प्रदेश	29.56
जोड़	290.14

वर्ष 1999–2000 के लिए सी.आई.एल. तथा एस.सी.सी.एल. की कंपनीवार, राज्यवार कुल बिकी का विवरण इस प्रकार है :–

कंपनी	राज्य	राशि (करोड़ रु. में)
1	2	3
ईसीएल	पश्चिम बंगाल और बिहार	2810.49
बीसीसीएल	पश्चिम बंगाल और बिहार	2554.22
सीसीएल	बिहार	2395.65
एनसीएल	उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश	2935.43
डब्ल्यूसीएल	महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश	2978.94

1	2	3
एसईसीएल	मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल	3890.25
एमसीएल	उड़ीसा	1924.46
एनईसी औरअन्य	असम	99.75
एससीसीएल	आंध्र प्रदेश	2650.85
जोड़		22240.04

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान सीआईएल और एससीसीएल विभिन्न उद्योगों को कोयले के प्रेषण का विवरण इस प्रकार है :

(मिलियन टन में)

उपभोक्ता क्षेत्र	1997–98	1998–99	1999–2000
विद्युत क्षेत्र	214.34	204.74	220.81
इस्पात संयंत्र और			
᠆ज आयरन	14.05	13.50	13.01
सीमेंट संयंत्र	10.12	8.62	9.50
उर्वरक	4.64	4.11	3.40
अन्य	39.98	41.21	41.17
जोड़	283.13	272.18	287.89

(घ) कोयले के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए जो कार्रवाई की गई उनमें अन्य के अलावा निम्नलिखित कार्रवाई शामिल थी – नई परियोजनाएं तथा नई खानें खोलना वर्तमान खानों का आधुनिकीकरण तथा प्रौद्योगिकी का उन्नयन।

सकल साक्षरता कार्यक्रमों के अन्तर्गत अध्ययन केन्द्र

2538. श्री जी.जे. जावीया : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान सकल साक्षरता कार्यकम के अन्तर्गत अध्ययन केन्द्रों पर राज्यवार कितना धन खर्च किया गया; और

(ख) चालू वित्त वर्ष के दौरान सरकार द्वारा इस उद्देश्य के लिए राज्यवार कितनी धनराशि प्रदान की गई?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन) : (क) प्रौढ़ निरक्षरता के उन्मूलन के लिए प्रमुख कार्यनीति साक्षरता अभियान है। साक्षरता अभियानों के अन्तर्गत अध्ययन केन्द्रों की कोई व्यवस्था नहीं है। पिछले 3 वर्षों के दौरान साक्षरता कार्यक्रम पर राज्यवार किया गया खर्च विवरण के रूप में संलग्न है।

(ख) सम्पूर्ण देश के लिए चालू वित्त वर्ष के लिए साक्षरता अभियानों के लिए 10 करोड़ रु. का एक बजट प्रावधान किया गया है। जिलों द्वारा प्रस्तुत की गई परियोजनाओं के आधार पर निधियां जारी की जाती हैं। राज्यवार कोई बजट आबंटन नहीं किया जाता है।

विवरण

(रुपये लाख में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	1997–98	1998–99	1999–2000
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	155.00	30.00	–
2.	अरुणाचल प्रदेश	–	–	–
3.	असम	33.00	157.00	227.85
4.	बिहार	306.15	136.50	147.28
5.	गोवा	–	–	–
6.	गुजरात	34.40	33.00	–
7.	हरियाणा	62.50	37.97	–
8.	हिमाचल प्रदेश	20.56	19.00	3.00
9.	जम्मू व कश्मीर	–	–	15.00
10.	कर्नाटक	225.12	16.00	149.46
11.	केरल	–	–	–
12.	मध्य प्रदेश	190.63	285.91	136.59
13.	महाराष्ट्र	179.00	227.34	143.31
14.	मणिपुर	10.00	–	–
15.	मेघालय	–	–	–
16.	मिजोरम	–	–	–
17.	नागालैंड	–	–	–
18.	उड़ीसा	140.00	104.00	258.17
19.	पंजाब	68.75	10.00	45.83
20.	राजस्थान	623.01	212.00	224.00
21.	सिक्किम	–	–	–
22.	तमिलनाडु	75.00	22.00	84.77

1	2	3	4	5
23.	त्रिपुरा	27.00	55.00	–
24.	उत्तर प्रदेश	227.80	508.15	588.32
25.	पश्चिम बंगाल	115.00	32.05	–
26.	चंडीगढ़	20.00	–	2.30
27.	दिल्ली	67.08	–	70.00
28.	पांडिचेरी	–	–	–
29.	दमन व दीव	–	–	0.80
30.	अंड. व निको. द्वीप समूह	–	–	–
31.	दादरा नगर हवेली	–	–	–
32.	लक्षद्वीप	–	–	–
	कुल	2580.00	1885.92	2096.68

सफाई अभियान के लिए दूसरी किश्त

2539. श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा : क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सफाई अभियान कार्यक्रम के अंतर्गत राज्यों को दूसरी किश्त जारी कर दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इसे कब तक जारी कर दिये जाने की संभावना है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) और (घ) दिशा–निर्देश तथा संपूर्ण स्वच्छता अभियान के अंतर्गत दूसरी किस्तों की रिलीज के लिए निर्धारित निबंधन और शर्तों के अनुसार अपेक्षित औपचारिकताएं जैसे उपलब्ध निधियों के कम से कम 60% का उपयोग, उपयोग–प्रमाणपत्र, ए.जी. प्रमाणपत्र आदि प्रस्तुत करना आवश्यक हैं। उपलब्ध रिकार्डों के अनुसार, किसी भी प्रायोगिक जिले से दूसरी किस्त की रिलीज के लिए दावा नहीं किया गया है।

[हिन्दी]

कोयले का उत्पादन

2540. श्री नवल किशोर राय :

श्री जोरा सिंह मान :

क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में उत्पादित अधिकांश कोयला राख–युक्त होता है;

(ख) यदि हां, तो कोयले में कितने प्रतिशत राख पायी जाती है;

(ग) क्या सरकार ने राख–युक्त कोयले की घटिया क्वालिटी के कारण देश के कुछ उद्योगों को कोयले का आयात करने की अनुमति प्रदान कर दी है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन. टी. षणमुगम) : (क) और (ख) जी, हां। भारतीय कोयले में उसके मूल तथा स्वरूप की प्रकृति के कारण स्वाभाविक रूप से राख की प्रतिशतता बहुत अधिक होती है। कोककर कोयला में राख की प्रतिशतता 35 प्रतिशत तक होती है। अकोककर कोयले के मामले में राख और नमी की कुल मात्रा 55 प्रतिशत तक होती है।

(ग) और (घ) कोयला ओपन जनरल लाइसेंस (ओजीएल) के अंतर्गत आता है। इस समय कोयले के आयात पर कोई पाबन्दी नहीं है। उपभोक्ता कोयले का विशेषकर कोककर कोयला और बढ़िया किस्म के अकोककर कोयले का आयात कर रहे हैं क्योंकि घरेलू स्रोतों से ऐसे कोयले की उपलब्धता अपर्याप्त है। मौजूदा बीमाशुल्क के स्तर के कारण भी कोयले का आयात किया जाता है तथा रेलभाड़ा ऐसे आयात को कतिपय स्थानों में प्रति यूनिट कैलोरिक मान में लागत प्रतिस्पर्धी बना देता है। वर्ष 1999–2000 के दौरान आयातित कुल कोयला अनंतिम अनुमान के अनुसार 17.5 मिलियन टन था।

[अनुवाद]

स्क्रैप आयरन का आयात

2541. चौधरी तेजवीर सिंह : क्या **इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बहुत अधिक मूल्य पर "स्क्रैप आयरन" का आयात किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार छोटे और मझौले इस्पात संयंत्रों को प्रोत्साहित करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी) : (क) इस्पात बनाने के लिए कच्चे माल के रूप में फैरो स्क्रैप का उपयोग बहुतायत में किया जाता है। मौजूदा नीति के अनुसार गलन स्क्रैप सहित लोहा और इस्पात स्क्रैप का आयात अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों पर मुक्त रूप से करने की अनुमति है। फैरो स्क्रैप की मदें गुणवत्ता, काल, भौतिक स्थिति और स्थान की दृष्टि से भिन्न–भिन्न होती हैं। ऐसी भिन्नताओं के फलस्वरूप स्क्रैप सामग्रियों का मूल्य निर्धारण अत्याधिक जटिल हो जाता है। किसी विशेष मद का मानक रूप अथवा सही किसी विशिष्ट समय अवधि में प्राप्त नहीं किया जा सकता।

(ख) और (ग) निजी क्षेत्र में इस्पात उद्योग में निवेश करने के लिए सरकार ने एक सहज नीति तैयार की है, जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ लाइसेंसिग समाप्त करना, मूल्यों का विनियंत्रण, विदेशी निवेश आदि के प्रयोजनार्थ इसे उच्च प्राथमिकता वाले उद्योग का दर्जा देना शामिल है।

[हिन्दी]

सतर्कता और निगरानी समितियां

2542. श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी : क्या ग्रामीण **विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन पर निगरानी रखने के लिए विभिन्न स्तरों पर सतर्कता और निगरानी समितियां गठित की गयी हैं;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में विशेष कर महाराष्ट्र के संबंध में राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा सभी राज्यों में ऐसी समितियां गठित करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं;

(घ) क्या सरकार से अहमदनगर में अभी तक ऐसी समिति गठित न किए जाने की जानकारी है; और

(ड़) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री एम. वैंकया नायडू) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) गठित की गई सतर्कता और निगरानी समितियों का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) और (ड़) महाराष्ट्र सरकार ने दिनांक 16.2.99 के अपने पत्र में सूचित किया था कि महाराष्ट्र में जिला स्तरीय तथा खण्ड स्तरीय सतर्कता और निगरानी समितियां गठित की गई है।

विवरण

सतर्कता तथा निगरानी समितियों के गठन की राज्यवार स्थिति

क्र.सं.	राज्य का नाम	जिस स्तर पर सतर्कता और निगरानी समिति गठित की गई है		
		राज्य	जिला	ब्लाक
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	हां	हां	हां
2.	अरुणाचल प्रदेश	हां	हां	हां
3.	असम	हां	हां	हां
4.	बिहार	हां	हां	हां
5.	गोवा	हां	हां	हां
6.	गुजरात	हां	हां	हां
7.	हरियाणा	हां	हां	हां
8.	हिमाचल प्रदेश	हां	हां	हां
9.	जम्मू और कश्मीर	#	#	#
10.	कर्नाटक	हां	●	●
11.	केरल	हां	हां	हां
12.	मध्य प्रदेश	हां	हां	हां
13.	महाराष्ट्र	हां	हां	हां
14.	मणिपुर	हां	हां	हां
15.	मेघालय	हां	हां	हां
16.	मिजोरम	हां	हां	हां
17.	नागालैंड	हां	हां	हां
18.	उडीसा	हां	हां	हां
19.	पंजाब	हां	हां	हां
20.	राजस्थान	हां	हां	हां
21.	सिक्किम	हां	हां	हां
22.	तमिलनाडू	हां	हां	हां
23.	त्रिपुरा	हां	हां	हां
24.	उत्तर प्रदेश	हां	हां	हां
25.	पश्चिम बंगाल	हां	हां	हां
26.	अंड. निको. द्वीप समूह	हां	हां	हां

1	2	3	4	5
27.	दादरा नगर हवेली	हां	हां	हां
28.	दमन द्वीव	हां	हां	जिला स्तर जैसी
29.	लक्षद्वीप	हां	हां	हां
30.	पांडिचेरी	हां	राज्य स्तर जैसी	हां

● कर्नाटक में राज्य, जिला तथा तालुक स्तरों पर कर्नाटक विकास कार्यक्रम समीक्षा समिति गठित की गई है जो वही कार्य करती है जो सतर्कता और निगरानी समिति करती है।

जम्मू और कश्मीर में जिला विकास बोर्ड की प्रणाली है जो ग्रामीण विकास योजनाओं की समीक्षा करनी है। राज्य सरकार का विचार है कि दूसरी जिला स्तरीय समिति के गठन से दोहरापन आयेगा।

पक्के शौचालय

2543. श्री राम टहल चौधरी : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश के प्रत्येक गांव में पक्के और साफ-सुथरे शौचालय उपलब्ध कराने के प्रति वचनबद्ध है;

(ख) यदि हां, तो राज्य सरकारों और स्थानीय ग्राम पंचायतों की सहायता से देश के कितने गांवों को ऐसे शौचालय उपलब्ध कराये गये हैं/अभी उपलब्ध कराये जाने हैं; और

(ग) इसमें केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों की कितनी भागीदारी है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा) : (क) और (ख) केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम देश भर में कार्यान्वित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम का एक प्रमुख घटक ग्रामीण क्षेत्रों में वैयक्तिक पारिवारिक स्वच्छ शौचालयों के निर्माण हेतु सहायता उपलब्ध कराना है। स्वच्छता राज्यो का विषय है तथा इस कार्यक्रम के जरिए राज्य सरकारों के प्रयासों में मदद की जाती है। राज्य सरकारें इस कार्यक्रम को ग्राम पंचायतों सहित अपनी निर्दिष्ट एजेंसियों के जरिए कार्यान्वित करती हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय स्वच्छ शौचालयों का ग्राम-वार ब्यौरा नहीं रखता है। तथापि, उपलब्ध सूचना के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 85 लाख स्वच्छ शौचालयों का निर्माण किया गया है तथा अनुमान है कि लगभग 16 से 20 प्रतिशत ग्रामीण परिवारों को स्वच्छ शौचालय की सुविधा उपलब्ध है।

(ग) स्वच्छ शौचालय की बुनियादी किफायती इकाई के निर्माण हेतु भारत सरकार, राज्य सरकार तथा लाभार्थी के बीच लागत भागीदारी नीचे दर्शाई गई है :

क्र.सं.	बुनियादी किफायती इकाई (रुपये)	लागत में अंशदान (प्रतिशत)		
		भारत सरकार	राज्य	लाभार्थी
1.	625 रुपये तक	60% तक	20%	20%
2.	625 और 1000 रुपये के बीच	30% तक	30%	40%
4.	1000 रुपये से अधिक	शून्य	–	–

बुनियादी किफायती इकाई के लिए भारत सरकार और राज्य सरकार के अंशदान सहित अधिकतम सबसिडी की राशि 500 रुपये हैं।

[अनुवाद]

पुनर्गठित ग्रामीण सफाई कार्यक्रम

2544. श्री आर. एल. जालप्पा :

श्री आर. एस. पाटिल :

श्री विक्रम केशरी देव :

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सभी राज्यों में पुनर्गठित ग्रामीण सफाई कार्यक्रम कार्यान्वित किये जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो अब तक इसमें शामिल राज्यों का अब तक राज्यवार प्रतिशत क्या रहा;

(ग) क्या सरकारी/गैर-सरकारी संगठनों द्वारा विभिन्न राज्यों में इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन के संबंध में कोई आवधिक अध्ययन कराया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार निष्कर्ष क्या रहे;

(ङ) वर्ष 2000-2001 के दौरान इस कार्यक्रम के अंतर्गत प्रत्येक राज्य को कितनी धनराशि आबंटित की गयी;

(च) उन राज्यों का ब्यौरा क्या है जिन्होंने धनराशि का अन्यत्र प्रयोग किया है;

(छ) वर्ष 1999-2000 के दौरान राज्यों द्वारा इस उद्देश्य के लिए अब तक खर्च न की गयी धनराशि का ब्यौरा क्या है; और

(ज) सरकार द्वारा इस उद्देश्य के लिए नियत धनराशि के उचित उपयोग के लिए क्या कदम उठाये गये हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा) : (क) पुनर्गठित केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम 1.4.99 से लागू हुआ है

और इसे देश के पहचान किए गए 58 प्रायोगित जिलों में कार्यान्वित किया जा रहा है। इस दृष्टिकोण को समुचित तरीके से लागू करने हेतु समय देने के लिए मौजूदा आबंटन आधारित कार्यक्रम को सारे देश में चालू रखा जा रहा है और जिसे नौंवीं योजना अवधि के दौरान चरणबद्ध तरीके से समाप्त किया जाएगा।

(ख) कार्यक्रम को पुनर्गठित करने के पश्चात् वर्ष 1999–2000 के दौरान और चालू वर्ष के दौरान निर्मित शौचालयों की संख्या विवरण में दी गयी है।

(ग) और (घ) चूंकि पुनर्गठित केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम का यह दूसरा वर्ष है इसलिए कोई आवधिक अध्ययन नहीं हुआ है। तथापि, कार्यक्रम की नियमित तौर पर निगरानी की जा रही है। गैर–सरकारी संगठनों के संबंध में ग्रामीण विकास मंत्रालय के पास कोई विशेष जानकारी नहीं है।

(ङ) केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम को पुनर्गठित करने के पश्चात् आबंटन आधारित कार्यक्रम के अंतर्गत वर्ष 2000–2001 का राज्यवार आबंटन विवरण में दिया गया है।

(च) उपलब्ध जानकारी के अनुसार निधियों का अन्यत्र उपयोग करने संबंधी कोई विशेष मामला मंत्रालय के ध्यान में नहीं आया है।

(छ) वर्ष 1999–2000 के दौरान अप्रयुक्त रह गई निधियों का ब्यौरा विवरण में दिया गया है।

(ज) वास्तविक और वित्तीय प्रगति की मासिक आधार पर निगरानी की जाती है। केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम सहित इस मंत्रालय के सभी कार्यक्रमों की सारे देश में मंत्रालय द्वारा नामित क्षेत्र अधिकारियों द्वारा नियमित जांच की जाती है। मौजूदा दिशा–निर्देशों के अनुसार राज्यों को निधियां उन्हें उपलब्ध निधियों का 60 प्रतिशत इस्तेमाल करने और उपयोग प्रमाणपत्र तथा महालेखाकार का प्रमाणपत्र आदि प्रस्तुत करने के बाद जारी की जाती हैं।

विवरण

केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के अंतर्गत 1999–2000 तथा 2000–2001 के दौरान निर्मित स्वच्छ शौचालयों की संख्या तथा 1.4.2000 को अधशेष और 2000–2001 के लिए आबंटन को दर्शाने वाला विवरण

(लाख रुपए में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1999–2000 के 2000–2001* के दौरान निर्मित स्वच्छ शौचालयों की संख्या		1999–2000 दौरान खर्च न की गई राशि अर्थात् 1.4.2000 अधशेष	2000–2001 के लिए आबंटन
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	90121		340.86	203.67
2.	अरुणाचल प्रदेश	163	0	33.68	11.60
3.	असम	1813	224	280.04	303.95
4.	बिहार	12719		918.41	566.60
5.	गोवा	8130	2504	8.75	2.31
6.	गुजरात	1652		471.89	126.79
7.	हरियाणा	2780		0.00	63.87
8.	हिमाचल प्रदेश	15518	360	0.76	25.17
9.	जम्मू व कश्मीर	0		16.04	31.34
10.	कर्नाटक	127637	25456	418.96	164.51

1	2	3	4	5	6
11.	केरल	21701	9908	469.21	106.41
12.	मध्य प्रदेश	31452	259	246.57	312.54
13.	महाराष्ट्र	236317		81.05	287.11
14.	मणिपुर	667		48.48	20.31
15.	मेघालय	1376	204	6.76	22.04
16.	मिजोरम	236		2.11	5.67
17.	नागालैंड	0		21.00	15.27
18.	उड़ीसा	12586		1343.96	188.31
19.	पंजाब	0		111.43	55.36
20.	राजस्थान	0		689.12	170.61
21.	सिक्किम	450	250	23.43	5.64
22.	तमिलनाडु	124411	24923	1070.93	202.33
23.	त्रिपुरा	3894		0.00	35.63
24.	उत्तर प्रदेश	47651		787.01	699.94
25.	पश्चिम बंगाल	231146	45416	147.94	304.12
26.	अं व नि. द्वीप समूह	54		0.00	4.88
27.	चंडीगढ़	0		0.00	0.00
28.	दा. व न. हवेली	3		0.64	3.88
29.	दमन व दीव	0		5.87	0.77
30.	दिल्ली	0		0.00	2.31
31.	लक्षद्वीप	89		3.50	0.48
32.	पांडिचेरी	262	62	0.35	2.68
	कुल	972828	109566	7548.75	3945.00

* 9/2000 तक

कोयले का उत्पादन/मांग

2545. **श्री सुबोध मोहिते :**

श्री रामचन्द्र बैंदा :

क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत दो वर्षों के दौरान कोयले के उत्पादन और उसकी मांग में कमी दर्ज की गयी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इसका कितना उत्पादन हुआ और मांग क्या रही;

(ग) सरकार द्वारा कोयले और आयात के वैकल्पिक साधनों का पता लगाने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाये जाने का प्रस्ताव है;

(घ) क्या सरकार ने घाटा उठाने वाली कंपनियों के पुनरुद्धार के लिए कोई रणनीति तैयार की है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) उक्त अवधि के दौरान इस उद्देश्य के लिए कितना धन आबंटित किया गया ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन. टी. षणमुगम) : (क) से (ग) कोयले की मांग का निर्धारण उपभोक्ताओं द्वारा की गई मांग के आधार पर विद्युत, इस्पात, कोयला तथा उद्योग आदि मंत्रालयों के साथ परामर्श से योजना आयोग द्वारा किया जाता है। यह मांग वर्ष शुरू होने से पहले तय की जाती है। कोयले की वास्तविक मांग तथा कोयले की उठान योजना आयोग द्वारा निर्धारित की गई मांग से प्रायः भिन्न होती है।

गत दो वर्षों के दौरान कोयला उत्पादन और कोयले की मांग का ब्यौरा इस प्रकार है :

(मिलियन टन)

वर्ष	मांग (योजना आयोग द्वारा निर्धारित)	उत्पादन
1998–99	325.38	292.27
1999–2000	311.83	299.97

वर्ष 1998–99 में कोयले की मंद मांग तथा उपभोक्ताओं द्वारा कोयले की कम उठान के कारण कोयला कंपनियों ने अपना उत्पादन विनियमित कर दिया था।

उपभोक्ता विशेषकर कोकिंग कोयला तथा बढ़िया अकोककर कोयले का आयात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि देशी साधनों से ऐसा कोयला पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं है। कोयले का आयात इसलिए भी किया जाता है क्योंकि सीमा शुल्क तथा रेल भाड़े के वर्तमान स्तर ने कुछ स्थानों पर ऐसे आयातों को कैलेरीफिक मूल्य के प्रतियूनिट लागत प्रतियोगी बना दिया है।

(घ) से (च) कोल इंडिया लि. (सीआईएल) की आठ सहायक कंपनियों में से तीन कंपनियां यथा– भारत कोकिंग कोल लि. (बीसीसीएल), ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि. (ईसीएल) तथा सेंट्रल कोलफील्ड्स लि. (सीसीएल) घाटे में चल रही हैं।

फरवरी, 1996 में सरकार ने सीआईएल के पूंजीगत पुनः संरचना के एक कार्यक्रम (पैकेज) को अनुमोदित किया था जिसके अनुसार सीआईएल की रु. 2228.57 करोड़ की पुरानी देयताओं पर बकाया ब्याज की छूट दी गई। इसके लिए, उसको अंशतः अधिमान ईक्विटी में परिवर्तित किया गया और अंशतः वापसी तथा उचित ब्याज को अधिस्थगित किया गया। यह लाभ घाटे में चल रही अन्य सहायक कंपनियों यथा– ईसीएल और बीसीसीएल को भी दिया गया। इसके अतिरिक्त, ईसीएल और बीसीसीएल की घाटे में चल रही कंपनियों के कार्य–निष्पादन में सुधार करने के लिए सीआईएल ने अपनी सहायक कंपनियो में ईक्विटी की आंतरिक पुनः संरचना तथा ऋण संरचना लागू की थी जिसके आधार पर ईसीएल के 994 करोड़ रु. और बीसीसीएल के रु. 1180.70 करोड़ के ऋणों को ईक्विटी में बदला गया। घाटे में चल रही कंपनियों की वित्तीय स्थिति में सुधार करने के अनेक उपाय किए जाने के बावजूद इन कंपनियों को घाटा होता रहा। अतएव, अधिकृत कंपनी कोल इंडिया लि. ने ईसीएल और बीसीसीएल के पुनरुद्धार के उपाय सुझाने के वास्ते भारतीय औद्योगिक ऋण तथा निवेश निगम लि. (आईसीआई सीआई) को नियुक्त किया। ईसीएल और बीसीसीएल के पुनरुद्धार से संबंधित आईसीआईसीआई की रिपोर्ट प्राप्त हो गई है। जहां तक सीसीएल का संबंध है, सीआईएल बोर्ड ने पुनरुद्धार योजनाएं सुझाने के लिए आईडीबीआई को नियुक्त किया है।

सुसंहत विश्वविद्यालय

2546. **श्री ए. ब्रह्मनैया** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को 'सुसंहत विश्वविद्यालयों' (काम्पैक्ट यूनिवर्सिटीज) की स्थापना के लिए कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन) : (क) से (ग) सीमित संख्या में संकायों तथा विधाओं वाले लघु विश्वविद्यालयों (काम्पैक्ट यूनिवर्सिटीज) की स्थापना के सम्बन्ध में कुछ सुझाव प्राप्त हुए हैं। यह भी सुझाव दिया गया है कि ये विश्वधिालय छोटे–छोटे कस्बों में स्थापित किए जाएं और इनका नामकरण गांधीवादी विश्वविद्यालयों के रूप में किया जाए।

ये सुझाव विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को भेज दिए गए थे जिसने इसकी जांच करके उन्हें नोट कर लिया है। अब इन सुझावों को राष्ट्रीय ग्रामीण संस्थान परिषद् के पास उसकी राय के लिए भेज दिया गया है।

महाविद्यालयों को विशेष अनुदान

2547. **डा. जसवंतसिंह यादव** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार उन महाविद्यालयों को, जिनका कार्यकरण अच्छा है, कोई विशेष अनुदान उपलब्ध कराती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और आज की स्थिति के अनुसार, उन महाविद्यालयों के नाम क्या है, जिन्हें 1999–2000 के दौरान राज्यवार विशेष अनुदान प्रदान किया गया; और

(ग) पिछड़े क्षेत्रों में स्थित महाविद्यालयों को क्या प्रोत्साहन सहायता दी जा रही है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

डाइअमोनियम फॉस्फेट की मूल्य - दर में वृद्धि

2548. श्री रामशेठ ठाकुर : क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का, डाइअमोनियम फॉस्फेट (डीएपी) पर बंधित मूल्य–दर (बाउंड रेट) को बढ़ाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस कदम के परिणामस्वरुप, कृषकों के लिए फार्म–गेट कीमतें बढ़ जाएंगी; और

(घ) यदि हां, तो इस कदम को लागू करने के पूर्व, कृषकों के हितों का संरक्षण करने के लिए सरकार द्वारा कौन से निवारात्मक कदम उठाये जा रहे हैं ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी) : (क) और (ख) जी नहीं, इस संबंध में कोई औपचारिक प्रस्ताव नहीं है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

स्पंज लौह संयंत्र

2549. श्री के.पी. सिंह देव : क्या **इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कितने स्पंज लौह संयंत्र हैं;

(ख) ये राज्यवार किन–किन स्थानों पर हैं;

(ग) क्या उड़ीसा में नए स्पंज लौह संयंत्र को स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी) : (क) और (ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार देश में चल रहे स्पंज लोहा संयंत्रों की संख्या 29 है। इनमें से 4 महाराष्ट्र में, 7 उड़ीसा में, 4 आन्ध्र प्रदेश में, 3 झारखंड में, 7 छत्तीसगढ़ में, 1 कर्नाटक में, 1 गुजरात में, 1 तमिलनाडु में और 1 हरियाणा में हैं।

(ग) और (घ) केन्द्र सरकार का उड़ीसा में स्पंज लोहा संयंत्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

एकीकृत बाल विकास योजना

2550. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र प्रायोजित एकीकृत बाल विकास योजना के अन्तर्गत गरीब बच्चों के लिए पौष्टिक भोजन की मात्रा बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस भोजन में सोया–प्रोटीन को भी शामिल करने के कोई प्रयास किए गए हैं;

(ग) इस योजना के अन्तर्गत उपलब्ध कराए जा रहे भोजन पर वर्तमान में कितनी लागत आती है; और

(घ) इस प्रयोजनार्थ, 1999–2000 के दौरान, राज्यवार कितनी धनराशि उपलब्ध कराई गई ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से कहा गया है कि स्कीम के अंतर्गत कैलोरी और प्रोटीन के प्रतिमानकों के अनुरूप पूरक पोषाहार की लागत निर्धारित करें।

(घ) स्कीम की अनुमोदित पद्धति के अनुसार, समेकित बाल विकास सेवा स्कीम के अंतर्गत पूरक पोषाहार घटक के लिए खर्च अपनी–अपनी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा वहन किया जाना है और केन्द्र सरकार इस प्रयोजनार्थ राशि प्रदान नहीं करती।

बी.सी.सी.एल. के संबंध में न्यायाधिकरण के निर्णय

2551. श्री बसुदेव आचार्य : क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 अप्रैल, 2000 की स्थिति के अनुसार भारत कोकिंग कोल लि. (बी.सी.सी.एल.) द्वारा न्यायाधिकरण द्वारा सुझाए गए किन–किन निर्णयों को लागू नहीं किया गया था;

(ख) इन्हें लागू न करने के क्या कारण हैं;

(ग) उन निर्णयों का नाम–विवरण क्या है, जहां उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय ने बी.सी.सी.एल. के पक्ष में निर्णय नहीं दिया;

(घ) इस संबंध में बी.सी.सी.एल. द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ङ) क्या इसके लिए बी.सी.सी.एल. अभियोजन मामलों का सामना कर रहा है; और

(च) यदि हां, तो 1.4.2000 की स्थिति के अनुसार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन.टी. षणमुगम) : (क) और (ख) 1.4.2000 तक 88 निर्णयों (अवार्डों) को कार्यान्वित नहीं किया गया है क्योंकि माननीय उच्च न्यायालय, रांची तथा माननीय उच्चतम न्यायालय में रिट याचिका दायर करके उन्हें चुनौती दी गई है। इनमें से 79 मामले उच्च न्यायालय और 9 मामले उच्चतम न्यायालय में लंबित हैं।

(ग) अप्रैल, 2000 तक बीसीसीएल उच्च न्यायालय में 5 मामले हार गई है।

(घ) इन मामलों का तथा बीसीसीएल द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा नीचे दिया जा रहा है :–

1. पुनर्विलोकन याचिका सं. 2382/88–बीसीसीएल बनाम मंगल हरिजन

   इस मामले का निपटान दिसम्बर, 1998 में किया गया था और इसको कार्यान्वित कर दिया गया है।

2. सिविल अपील सं. 1637/2000 (डी एंड एफ रोपवेज)

   इस मामले का निपटान मार्च, 1999 में किया गया था और उच्चतम न्यायालय के आदेश का पालन करते हुए इसको कार्यान्वित कर दिया गया है।

3. सिविल अपील सं. 1380/98 (आर)

   इस मामले का निपटान सितम्बर, 1999 में किया गया था और इसको कार्यान्वित कर दिया गया है।

4. डी.पी.ए. एमओ 308/97 (आर) भूली टाउन प्रशासन के 21 कामगार

   यह मामला उच्च न्यायालय डी.पी.ए. में निर्णयाधीन है।

5. एस.एल.पी. (सी) सं. 23654/96 नितीश कुमार तथा जीलगोड़ा कोलयरी के अन्य 110 व्यक्ति।

   चूंकि यूनियन संबंधित कामगारों की पहचान की पुष्टि में विस्तृत प्रलेख प्रस्तुत नहीं कर सकी थी अतः अधिकरण सं. 1 धनबाद ने संदर्भ सं. 51/90 में जो अवार्ड पारित किया था उसे बीसीसीएल कार्यालय के पत्र दिनांक 8/12.3.1998 के अनुसार समाप्त कर दिया गया था। यूनियन ने उच्च न्यायालय में दोबारा रिट याचिका सीडब्ल्यूजेसी सं. 47/2000 (आर) दायर की है जो माननीय उच्च न्यायालय में निर्णयाधीन है। बीसीसीएल के प्रबंधकों ने प्रति शपथपत्र दाखिल कर दिया है।

(ङ) और (च) बीसीसीएल प्रबन्धन के विभिन्न अधिकारियों के विरुद्ध औद्योगिक विवाद अधिनियम के तहत 44 अभियोजन चल रहे हैं।

आवास गृहों के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता

2552. श्री ए. नरेन्द्र : क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार ने, वर्ष 2000 के दौरान आज तक, मध्यम और निम्न मध्यमवर्ग के लोगों के लिए आवास गृहों के निर्माण के वास्ते वित्तीय सहायता हेतु, केन्द्र सरकार को कोई नवीन प्रस्ताव भेजे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार ने इन प्रस्तावों को स्वीकार किया है;

(ग) यदि हां, तो वर्ष 2000–2001 के दौरान इस संबंध में कुल कितनी वित्तीय सहायता उपलब्ध कराए जाने का प्रस्ताव है;

(घ) क्या उक्त राज्य को पूर्व में आबंटित की गई धनराशि का पूरा उपयोग नहीं हुआ था; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) से (ग) जी, नहीं । आन्ध्र प्रदेश सरकार ने वर्ष 2000–2001 के दौरान मध्यम और निम्न मध्यम वर्ग हेतु मकानों के निर्माण के लिए केन्द्र सरकार को कोई प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया है। तथापि, आवास और नगर विकास निगम लिमिटेड (हडको), एक सरकारी प्रतिष्ठान, ने अल्प आय वर्ग (एल आई जी) और मध्यम आय वर्ग (एम आई जी) आवास स्कीमों के लिए क्रमशः 19.29 करोड़ रु. और 40.00 करोड़ रु. का नियतन किया है।

(घ) और (ङ) ऐसी कोई केन्द्रीय स्कीम नहीं है जिसके अन्तर्गत राज्य सरकारों को आवास निर्माण कार्यक्रमों के लिए धन दिया जाता है। इसलिए प्रश्न नहीं उठता।

पद आधारित रोस्टर

2553. डा. बलिराम :

श्री के. एच. मुनियप्पा :

क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री 11 मई, 2000 के अतारांकित प्रश्न संख्या 7109 और 7144 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जानकारी एकत्र कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसे कब तक एकत्र कर लिया जाएगा ?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री एम. वैंकय्या नायडू) : (क) से (ग) जहां तक अतारांकित प्रश्न संख्या 7109 का संबंध है, अपेक्षित सूचना एकत्र कर ली गई थी तथा इसे दिनांक 28.11.2000 को संसदीय कार्य मंत्रालय को भेज दी गयी थी। जहां तक अतारांकित प्रश्न संख्या 7144 का संबंध है, प्राप्त सूचना संकलित की जा रही है तथा कार्यान्वयन रिपोर्ट शीघ्र ही संसदीय कार्य मंत्रालय को भेज दिये जाने की संभावना है।

फाटकों का अवैध निर्माण

2554. प्रो. रासासिंह रावत : क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 30 सितम्बर 2000 के "दि टाइम्स ऑफ इंडिया" समाचार–पत्र में "कोर्ट पुल्स अप एम.सी.डी., डी.डी.ए. फॉर अलाउइंग मल्टिपल कॉलोनी गेट्स" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित समाचार के तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या सरकार अभी तक उन लोगों के विरुद्ध कार्यवाही करने का निर्णय नहीं ले पाई है, जिन्होंने सुरक्षा के नाम पर आवासीय कालोनियों के भीतर की गलियों में अवैध फाटक बना रखे हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या कोई भी व्यक्ति इस प्रकार के फाटकों का निर्माण करके चाहे वह अवैध ही क्यों न हो, गली में स्थायी रूप से रास्ता बंद कर सकता है;

(ङ) क्या दिल्ली नगर निगम/दिल्ली विकास प्राधिकरण ने दिल्ली में, विशेषकर मॉडल टाउन व टैगोर पार्क क्षेत्रों में अवैध रूप से निर्मित फाटकों का सर्वेक्षण किया है;

(च) यदि हां, तो क्या उन फाटकों को संबंधित प्राधिकरणों की अनुमति लिए बगैर ही बना लिया गया; और

(छ) यदि हाँ, तो इस प्रकार की लोक क्षतिकारी गतिविधि को रोकने के लिए तथा दि.न.नि./दि.वि.प्रा. के त्रुटिकर्ता अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही किए जाने का विचार है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) जी, हां।

(ख) से (छ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

चूना-पत्थर का परिवहन

2555. श्री ब्रजमोहन राम : क्या **इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ठेकेदारों द्वारा डोलोमाइट खानों से चूना पत्थरों और धातुओं को ले जाने, तोड़ने, पकाने और परिवहन संबंधी कार्य पर प्रतिबंध लगा दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी) : (क) और (ख) जी, हां। श्रम मंत्रालय, भारत सरकार ने अपनी दिनांक 17.03.1993 और दिनांक 04.07.1996 की अधिसूचना (विवरण के रूप में संलग्न है) के माध्यम से चूना पत्थर और डोलोमाइट की खानों में कुछ कार्यों के लिए ठेका श्रमिकों के नियोजन पर प्रतिबंध लगा दिया है, क्योंकि ये कार्य ठेका श्रम (विनियमन और उत्पादन) अधिनियम, 1970 की धारा 10 में निधारित की गई शर्तें पूरी करते हैं।

विवरण

नई दिल्ली, 17 मार्च, 1993

का.आ. 707 – केन्द्रीय सरकार, ठेका श्रम (विनियमन और उत्पादन) नियम 1970 की धारा 10 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, ठेका श्रम सलाहकार बोर्ड से परामर्श करने के पश्चात् इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से देश को चूना पत्थर और डोलोमाइट खानों में, निम्नलिखित अनुसूची में विनिर्दिष्ट कार्यों के लिए ठेका श्रमिक नियोजन को प्रतिबंधित करती है अर्थात :

अनुसूची

(1) खनिजों को उठाना जिसके अन्तर्गत चूना पत्थर और डोलोमाइट को तोड़ना, आमापन और छँटाई करना भी सम्मिलित है, और

(2) चूना पत्थर और डोलोमाइट का परिवहन जिसके अंतर्गत ट्रकों, डम्परों, प्रवाहकों में लदाई और उनके भराई तथा खान स्थल से कारखाने तक परिवहन सम्मिलित है।

[फा.सं.यू. 23013/15/86–एल डब्ल्यू (जिल्द–2)]
पद्मा वेंकटाचलम, निदेशक

(भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग–2, खंड–3, उपखंड (ii) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार
श्रम मंत्रालय

जैसलमेर हाऊस, मानसिंह रोड़
नई दिल्ली, तारीख 04.07.1996

अधिसूचना

का.आ. .... केन्द्रीय सरकार, ठेका श्रम (विनियमन और उत्पादन) अधिनियम, 1970 (1970 का 37) की धारा 10 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के श्रम मंत्रलय की अधिसूचना सं.का.आ. 707, तारीख 17 मार्च, 1993 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात:–

अधिसूचना की अनुसूची में, मद (2) और इससे संबंधित प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित मद और प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात:–

"(2) चूना–पत्थर और डोलोमाइट की ट्रकों, डम्परों, प्रवहणियों में लदाई और उनसे उतराई तथा खान स्थल के भीतर परिवहन।"

(एस.एस. शर्मा)
संयुक्त सचिव, भारत सरकार
(फा.सं. यू–23013/15/86–एल.डब्ल्यू. (वोल्यूम–2)

[अनुवाद]

मणिपुर को हडको से ऋण

2556. श्री होलखोमांग हौकिप : क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि हडको द्वारा चालू वर्ष के दौरान राज्यवार और योजनावार विभिन्न राज्यों विशेषकर मणिपुर को कितनी धनराशि का ऋण स्वीकृत किया गया ?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : यद्यपि हडको ने चालू वर्ष के दौरान मणिपुर में आवास स्कीमों के लिए 28.62 करोड़ रुपये का प्रारंभिक नियतन किया है तथापि हडको को न तो आवास और न ही शहरी अवस्थापना के लिए कोई स्कीम प्राप्त हुई है इसलिए राज्य में कोई स्कीम स्वीकृत नहीं की गई है।

विभिन्न राज्यों को स्वीकृत ऋणों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

वर्ष 2000–01 के दौरान श्रेणी–वार स्वीकृत ऋण 31.10.2000 के अनुसार

(लाख रु. में)

			आवास परियोजनाएं											
	राज्य/यूटी का नाम	स्कीमों की सं.	ई. डब्लू. एस. (आर)	ई. डब्लू. एस. (यू.)	एल. आई. जी.	एम. आई. जी.	एच. आई जी.	कुल	नॉन कन.	2 मिलि. आवास कार्यक्रम	आई एल. सी एस/आई डीएस	भूमि प्रो.	शहरी अवस्था.	कुल
नॉन–कन. : सी जी ई, लागदायी, प्राइवेट बिल्डर और रा. आ.बैं. वित्तपोषण तथा कार्यशील पूंजी शामिल है।														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	आंध्र प्रदेश	36	58.74	4.98	0.00	0.00	0.00	63.72	9979.27	30000.10	0.00	0.00	4572.12	44615.21
2.	असम	2	0.00	0.00	0.00	0.00	86.50	86.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1700.00	1786.50
3.	दिल्ली	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00
4.	गुजरात	7	54.80	24.00	48.75	300.00	0.00	427.55	0.00	104.00	0.00	0.00	65.00	596.55
5.	हिमाचल प्रदेश	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.92	0.00	38.92
6.	हरियाणा	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2273.90	30407.53	32681.43
7.	जम्मू व कश्मीर	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	810.71	0.00	810.71

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8. केरल	12	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	29800.00	0.00	0.00	5271.75	35271.75
9. कर्नाटक	24	4050.80	0.00	272.33	0.00	0.00	4323.13	8049.92	0.00	0.00	450.00	39869.11	52492.16
10. महाराष्ट्र	10	0.00	5.69	0.00	0.00	254.26	259.95	461.18	556.30	10.00	0.00	20000.00	21277.43
11. मध्य प्रदेश	15	0.00	38.56	109.79	536.68	665.27	1350.30	861.56	0.00	0.00	0.00	2861.10	5072.98
12. उड़ीसा	4	17500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17500.00
13. पंजाब	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460.28	460.28
14. राजस्थान	3	0.00	87.00	0.00	0.00	0.00	87.00	0.00	0.00	0.00	1218.70	0.00	1305.70
15. तमिलनाडु	19	35.00	0.00	0.00	0.00	11558.00	11593.00	7500.00	2787.50	0.00	0.00	33131.36	55011.86
16. त्रिपुरा	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.70	0.00	0.00	0.00	70.70
17. उत्तर प्रदेश	15	0.00	134.46	5153.80	167.03	244.50	5699.79	1859.30	0.00	2819.27	0.00	8800.17	18978.53
18. पश्चिम बंगाल	20	22580.00	2500.00	94.00	0.00	0.00	25174.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23823.21	48997.21
योग	179	44679.34	2794.69	5678.67	1003.71	12810.53	66966.94	28701.25	63118.60	2629.27	4790.23	170767.62	336973.94

हडको निवास सहित कुल स्वीकृतियां

ऋण राशि – 365323.94 लाख

आई.डी.एस.एम.टी. योजना के अन्तर्गत वित्तीय सहायता/ऋण

2557. डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आई डी एस एम टी योजना के अन्तर्गत पिछले तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष के दौरान विभिन्न राज्यों विशेषकर बिहार की स्थानीय नगरपालिकाओं को कोई वित्तीय सहायता या ऋण दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार और नगरपालिकावार ब्यौरा क्या है ?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) छोटे और मझोले कस्बों की समेकित विकास स्कीम (आई डी एस एम टी) के अधीन राज्य सरकारों को सहायता दी जाती है और धनराशि राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित और प्राथमिकता प्रदत्त नगरों के नाम जारी की जाती है। इस स्कीम के तहत पिछले तीन वर्षों के दौरान बिहार को दी गई राशि इस प्रकार है :–

1997–98	–
1998–99	20.00 लाख रुपये
1999–2000	–

(ख) विभिन्न राज्यों/संघ राज्यों को आई डी एस एम टी के स्कीम के अधीन गत तीन वर्षों के दौरान जारी केन्द्रीय सहायता विवरण–I में दी गई है।

गत तीन वर्षों में स्कीम के अधीन जारी नगर–वार केन्द्रीय सहायता विवरण–II में है। केन्द्रीय सहायता के अलावा, हडको ने 54.46 करोड़ रुपये परियोजना लागत की 24 आई डी एस एम टी स्कीमों के लिए ऋण मंजूर किए हैं और पांच राज्यों अर्थात् आंध्र प्रदेश, केरल, मध्य प्रदेश, पंजाब तथा पश्चिम बंगाल के लिए 36.39 करोड रुपये के ऋण मंजूर किए हैं। इन स्कीमों के लिए जारी की गई ऋण राशि 20.20 करोड रुपये है। राज्यवार और योजनावार ब्यौरा संलग्न विवरण–III में है।

विवरण-I

आई डी एस एम टी के अंतर्गत 1997–98, 1998–99 तथा 1999–2000 के दौरान जारी केन्द्रीय सहायता।

(लाख रु.)

क्र.सं.	राज्य	जारी केन्द्रीय सहायता		
		1997-98	1998-99	1999-2000
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	164.62	942.87	552.79
2.	अरुणाचल प्रदेश	8.00	4.00	33.00
3.	असम	51.86	15.00	80.11
4.	बिहार	–	20.00	–
5.	गोवा	–	–	29.50
6.	गुजरात	362.55	167.95	453.17
7.	हरियाणा	22.00	128.00	–
8.	हिमाचल प्रदेश	15.00	26.00	113.00

1	2	3	4	5
9.	जम्मू व कश्मीर	19.00	70.00	–
10.	कर्नाटक	163.89	246.04	578.17
11.	केरल	232.41	110.63	120.79
12.	मध्य प्रदेश	207.94	416.42	263.35
13.	महाराष्ट्र	556.23	446.84	722.81
14.	मणिपुर	20.00	10.50	–
15.	मेघालय	19.60	–	61.80
16.	मिजोरम	24.00	34.40	74.00
17.	नागालैंड	9.00	–	–
18.	उड़ीसा	48.00	124.34	174.00
19.	पंजाब	39.00	53.00	238.79
20.	राजस्थान	162.50	187.31	92.00
21.	सिक्किम	12.00	–	30.00
22.	तमिलनाडु	149.40	172.73	278.26
23.	त्रिपुरा	42.00	46.00	55.06
24.	उत्तर प्रदेश	116.00	101.00	68.00
25.	प. बंगाल	146.50	191.97	297.20
26.	अंडमान निकोबार	–	–	–
27.	दादरा व नगर हवेली	–	12.00	–
28.	दमन व दीव	10.00	8.00	–
29.	लक्षद्वीप	–	–	–
30.	पांडिचेरी	–	–	30
	कुल	2601.50	3535.00	4346.00

विवरण-II

1997–98, 1998–99 और 1999–2000 के दौरान छोटे और मझौले कस्बों के समेकित विकास स्कीम के अंतर्गत जारी केन्द्रीय सहायता

(लाख रु. में)

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	वर्ष		
		1997–98	1998–99	1999–2000
1	2	3	4	5
	आंध्र प्रदेश			
1.	वनपारथी	20.48		
2.	काकीनाडा	14.50		
3.	जग्यापेटा		23.00	
4.	कूरनूल	34.00	8.51	
5.	कुड्डापा		70.00	
6.	रेपाले		18.00	
7.	नारायणपेठ			24.00
8.	जागीतयाल			37.00
9.	श्रीकलाहस्ती		40.00	
10.	निजामाबाद		60.00	
11.	अनन्तपुर		47.00	
12.	विकाराबाद		24.00	
13.	चिलाकलुरीपेठ			26.00
14.	अम्लापुरम			24.50
15.	निरीयालागुडा		29.00	
16.	एडोनी		23.00	4.77
17.	संगारेडी			26.50
18.	गुडूर			2.59
19.	हिन्दुपुर		32.00	
20.	बोधान			30.43
21.	अमाडलावलसा		58.00	
22.	विजयानगरम–1		100.00	
23.	राजमुंदरी		90.00	
24.	गुन्टूर		100.00	
25.	चित्तूर–1	41.00	24.00	66.00
26.	वारंगल		90.00	
27.	तिरूपति–1			52.00
28.	नल्लौर	4.00		50.00
29.	गडवल	2.00		18.00
30.	भोंगीर	8.00		26.00
31.	कुप्पम	6.00		

1	2	3	4	5
32.	एलुरू	12.00		53.00
33.	बोबीली	8.00		
34.	मछलीपतनम	14.64	43.36	
35.	करीमनगर		43.00	
36.	मछरेला		20.00	
37.	गजूवाका			30.00
38.	रामगुंडम			30.00
39.	महबूबनगर			30.00
40.	मंदापेटा			22.00
	उप–योग	164.62	942.87	552.79
	अरुणाचल प्रदेश			
41.	तेजू	8.00	4.00	
42.	चांगलंग			23.00
43.	सेपा			10.00
	उप–योग	8.00	4.00	33.00
	असम			
44.	दीफू	2.50		
45.	बोंगई गांव	1.25		
46.	नार्थ लखीमपुर	27.11		
47.	नलबारी			21.57
48.	मंगोलदोई			22.54
49.	बारपेटा	21.00		
50.	मारीगांव		15.00	
51.	हलिया कंडी			20.00
52.	धेमाजी			16.00
	उप–योग	51.86	15.00	80.11
	बिहार			
53.	मधेपुरा		10.00	
54.	रक्सौल		10.00	
	उप–योग	0.00	20.00	0.00
	गोवा			
55.	मपूसा			17.00
56.	पेरनेम			12.50
	उप–योग	0.00	0.00	29.50
	गुजरात			
57.	बोटाड	31.00		
58.	वाधवन	24.00		
59.	नाडयाड	50.00		72.76
60.	पालीताना	24.00		23.48
61.	बोरसाद		22.00	
62.	ढोराजी			14.93
63.	पटलाद		7.50	
64.	पदरा			36.00
65.	सवर कुंडला		6.00	
66.	बावला	19.00	11.00	
67.	मोडासा		58.00	
68.	इदार	20.00		25.00
690	आंनद–1	44.00	26.00	
70	जामनगर	57.00		90.00
71.	भावनगर	57.00		73.00
72.	द्वारका	16.00		30.00
73.	अम्बाजी	7.55	5.95	
74.	माण्डवी	13.00	15.50	
75.	डाकोर		16.00	
76.	ढोलका			22.00
77.	अंजर			22.00
78.	उना			22.00
79.	उमरेथ			22.00
	उप–योग	362.55	167.95	453.17

1	2	3	4	5
	हरियाणा			
80	बरवाला		30.00	
81.	चरखीदादरी		30.00	
82.	यमुनानगर	15.00	45.00	
83.	पेहोवा	7.00	23.00	
	उप–योग	22.00	128.00	0.00
	हिमाचल प्रदेश			
84.	नहन			32.00
85.	उना			15.00
86.	रामपुर	15.00	10.00	
87.	धर्मशाला		25.00	
88.	सोलन			22.00
89.	चम्बा			16.00
90	थियोग			12.00
91.	कुल्लू			16.00
	उप–योग	15.00	26.00	113.00
	जम्मू कश्मीर			
92.	साम्बा	19.00		
93.	जम्मू		70.00	
	उप–योग	19.00	70.00	0.00
	कर्नाटक			
94.	तिपतूर	33.68		
95.	गौरी बिदनौर	30.84		
96.	बादामी	4.29		
97.	गुरमिटकल	1.08		
98.	बयादगी		16.63	
99.	करवर	22.00		
100.	बिदर		33.16	
101.	हवेरी		28.55	
102.	बेल्लारी		19.04	
103.	निप्पानी			32.90
104.	डोडाबलापुर			30.50
105.	बेलहोंगल			46.98
106.	मुदालगी		47.00	
107.	मांडया			45.00
108.	बीजापुर			39.00
109.	लक्ष्मेश्वर			36.91
110.	शिगांव			20.06
111.	सावनूर			18.35
112.	गड़क–बेटागेरी			45.00
113.	कोट्टूरू			24.00
114.	मलूर			24.00
115.	शोरापुर	18.00		18.80
116.	कुण्डापुरा			42.83
117.	सिद्लाघट्टा			20.00
118.	बंगारापेट			21.85
119.	कदूर		18.39	6.76
120.	होलेनरसीपुर–।		19.27	10.23
121.	चेन्नागिरी	4.00		
122.	रॉन	4.00		
123.	हसन	35.00		
124.	शिमोगा	11.00	19.00	
125.	हौसकोटे		30.00	
126.	गुंडलूपेट		15.00	
127.	नवलगुंड			13.00
128.	मानवी			22.00
129.	देवनगिरी			30.00
130.	गुलबर्गा			30.00
	उप–योग	163.89	246.04	578.17
	केरल			

1	2	3	4	5
131.	पथानमथिट्टा			5.50
132.	अलप्पूझा	80.00		
133.	कोल्लम	70.00		
134.	अलूवा		15.50	15.42
135.	कोजीकोड	28.00	58.80	31.20
136.	चेनगनूर	10.00		
137.	वरकाला	14.41		
138.	नेदुमंगड	17.50		
139.	पथानमथिट्टा	12.50	16.33	8.67
140.	मुवट्टुपुझा		20.00	
141.	ओट्टापलम			30.00
142.	कोठामंगलम			30.00
	उप–योग	232.41	110.63	120.79
	मध्य प्रदेश			
143.	शहडोल	1.00		
144.	छतरपुर	22.00		
145.	बेतूल	11.00		
146.	विदिशा	35.04		
147.	सागर	50.00		
148.	मंदसौर		22.42	
149.	मंडला		48.00	
150.	मुल्ताई			21.35
151.	पंढूरना		22.00	
152.	सौसर		11.00	
153.	खंडवा		30.00	
154.	जाओडा		10.00	23.00
155.	चित्रकूट			28.00
156.	कवरधा		18.00	
157.	नरसिंहपुर			25.00
158.	अजयगढ़		14.00	
159.	करोथ	14.00		14.00
160.	राजगढ़		31.00	
161.	बियाओडा			30.00
162.	बिरसिया			16.00
163.	कानकेर		53.00	
164.	गंजबसौदा		58.00	
165.	सिहोरा	12.00		
166.	अमरपटन	7.00	31.00	
167.	उमड़िया	12.00		
168.	कसरवाड	5.00	22.00	
169.	मैहर	12.00		
170.	चम्पा	13.00		
171.	जंजगीर	13.90		
172.	बलोट		16.00	
173.	आस्था		30.00	
174.	खजुराहो			16.00
175.	भाटपाड़ा			30.00
176.	झबुआ			30.00
177.	खुरई			30.00
	उप–योग	207.94	416.42	263.35
	महाराष्ट्र			
178	निलंगा	5.19		
179.	इगतपुरी	20.00		
180.	चन्द्रपुर	6.00		
181.	गाद छिरोली	12.00		
182.	गोंडिया	24.00		
183.	छोपडा	6.00		
184.	नारखेड	12.00		
185.	मल्कापुर	3.50		
186.	नादुरबार	3.50		

1	2	3	4	5
187.	चालिसगांव	13.97		
188.	हिंगोली	11.00		
189.	बुलदाना	11.00		
190.	नांदेड	26.00		
191.	सबनेर	36.00		
192.	अचलपुर	6.00		
193.	जलगांव	19.57		
194.	वानी	21.00		
195.	अम्बद	26.00		
196.	अहमदनगर	66.50		
197.	कोपरगांव		7.30	
198.	फलतन		23.44	
199.	संगमनेर	20.00		
200.	सांगली		70.00	
201.	धुले		60.00	
202.	पछोड़ा	24.00		24.00
203.	वरोड़ा	24.00		24.00
204.	भुसावल	54.00		55.25
205.	देगलूर	24.00		24.00
206.	गाधींगलज		23.20	
207.	परतपुर	24.00		
208.	बसमतनगर		10.40	26.79
209.	रीटा		9.10	9.10
210.	मनवत	8.00		20.50
211.	महद	9.00		9.00
212.	कागल			15.56
213.	औसा			12.00
214.	ज्योरई			18.00
215.	सावनवाड़ी	11.00		10.70
216.	मूर्तिजापुर			30.67
217.	सीगांव		13.50	13.45
218.	तुमसर		30.21	
219.	अलीबाग			14.00
220.	पुलगांव			29.00
221.	उमरेद		14.69	39.31
222.	वेजापुर			24.00
223.	इचालकरंजी		130.00	
224.	वैई			30.00
225.	अंजनगांव सुरजी			30.00
226.	मेहकर			30.00
227.	कलम्ब			26.00
228.	दरियापुर			19.48
229.	अमरावती	12.00		
230.	साहदा	4.00		30.00
231.	नवापुर	4.00		
232.	कुरूंदवाद	3.00		32.00
233.	संगौला	4.00		30.00
234.	घाटनजी	2.00		16.00
235.	गंगाखेड		25.00	
236.	सिल्लौद		30.00	
237.	सतना			22.00
238.	धामनगांव			22.00
239.	रौहा			16.00
240.	कोल्हापुर			30.00
	उप–योग	556.23	446.84	722.81
	मणिपुर			
241.	थौबल		10.50	
242.	नामबुल	11.00		
243.	मोरेह	9.00		
	उप–योग	20.00	10.50	0.00

1	2	3	4	5
	मेघालय			
244.	जोवाई	19.60		
245.	शिलांग			61.80
	उप–योग	19.60	0.00	61.80
	मिजोरम			
246.	कोलासिब	12.00		12.00
247.	अयजावल–I	12.00	34.40	
248.	चम्फाई			30.00
249.	हनहथियाल			16.00
250.	सैहा			16.00
	उप–योग	24.00	34.40	74.00
	नागालैंड			
251.	फेक	9.00		
	उप–योग	9.00	0.00	0.00
	उड़ीसा			
252.	जालापुर		32.74	
253.	आथागढ़		26.00	
254.	उमरकोट		12.00	
255.	चौदवार		16.00	
256.	तरभा	12.00		
257.	छत्तरपुर		7.60	
258.	कामाक्ष्या नगर			27.00
259.	नाबारंगपुर			57.00
260.	पुरी	29.00		
261.	नीलगिरी	3.00		
262.	आथामल्लिक	4.00		
263.	पाट्टामुंडई		30.00	
264.	आनन्दपुर			22.00
265.	सौरो			22.00
266.	बारपाली			16.00

1	2	3	4	5
267.	बालासौड			30.00
	उप–योग	48.00	124.34	174.00
	पंजाब			
268.	मंसा			81.49
269.	सरहिन्द			33.00
270.	तरनतारन			34.50
271.	मुखेरिया			16.00
272.	आनंदपुर साहिब	13.00	1.00	14.00
273.	फतेहगढ़ साहिब	13.00	1.00	
274.	पाट्टी	13.00	1.00	
275.	मुक्तसर		50.00	
276.	सुल्तानपुर लोधी			16.00
277.	कपूरथला			22.00
278.	नकोदर			22.00
	उप–योग	39.00	53.00	238.99
	राजस्थान			
279.	निमाहेड़ा	17.00	10.00	
280.	राजसमंड	32.00		
281.	झुनझुनू	33.00		
282.	विजय नगर		15.00	
283.	चाकसू		37.31	
284.	सरदार शहर			40.00
285.	नौखा	30.00		
286.	प्रतापगढ़			20.00
287.	शाहपुरा			32.00
288.	कापसन	8.50	7.50	
289.	जैसलमेर–I	21.00	11.50	
290.	उदयपुर		100.00	
291.	सलंबेर	9.00	2.00	
292.	देशनोख	12.00	4.00	

1	2	3	4	5
	उप–योग	162.50	187.31	92.00
	सिक्किम			
293.	खिंगताम	12.00		
294.	जोरेथांग			15.00
295.	पाक्योंग			15.00
	उप–योग	12.00	0.00	30.00
	तमिलनाडु			
296.	बरगुर	13.25		
297.	इडापाडी	19.00		
298.	तेनकाशी	26.40		
299.	कुड्डलोर	44.66		
300.	भवानी	5.66		
301.	कुमारपलयम	17.16		
302.	कुरची	6.88		
303.	अवनाशी		15.36	
304.	सुल्लूर		13.73	
305.	मनमदुरै			32.00
306.	पोन्नैरी		15.97	
307.	पल्लडम	16.39	9.17	
308.	कंगायम		9.90	10.06
309.	विरप्पछंतीरा			7.74
310.	काशीपल्लेयम		6.17	
311.	पवीरंपल्ली			2.15
312.	इनामकरूर		19.43	
313.	तिरूचैंदूर			14.93
314.	शौलिंगर			25.79
315.	वनियमवाड़ी			10.32
316.	कट्टनल्लूर		10.00	
317.	पोन्नामरवती		9.15	4.85
318.	तात्यानगरपेट्टा			14.10
319.	थुरैयूर			12.45
320.	चिन्नामन्नूर		12.42	6.58
321.	ओमलूर			7.12
322.	नतरांसकोट्टई			9.65
323.	देनकनीकोटा			11.60
324.	किरनूर		12.43	8.72
325.	सरमपट्टी		25.09	
326.	ओडनछत्तरम		9.91	
327.	डिंडीगल			40.00
328.	देवाकोट्टई			16.20
329.	वैल्लोर			28.00
330.	कन्याकुमारी			16.00
	उप–योग	149.40	172.73	278.26
	त्रिपुरा			
331.	बेलानिया	26.00		
332.	खोवाई			16.56
333.	कुमारघाट		30.00	
334.	सोनामुरा	16.00		
335.	कमालपुर		16.00	
336.	तेलियामुरा			25.50
337.	सबरूम			13.00
	उप–योग	42.00	46.00	55.06
	उत्तर प्रदेश			
338.	बुढाना		27.00	
339.	मुरादनगर	21.00		
340.	दादरी	18.00		
341.	मुरादाबाद	66.00		
342.	अग्रोध्या	11.00		
343.	कुशीनगर		16.00	

1	2	3	4	5
344.	उझानी		30.00	
345.	ननुआता		12.00	
346.	नवाबगंज		16.00	
347.	जलालाबाद			9.00
348.	कुंडा			13.00
349.	केमारी			16.00
350.	चित्रकूट धाम			30.00
	उप–योग	116	101.00	68.00
	पश्चिम बंगाल			
351.	रघुनाथपुर	3.50		
352.	घाटल	5.00		
353.	इस्लामपुर	5.00		
354.	झालदा	4.00		3.00
355.	मालदा	7.00		6.90
356.	मिरिक	3.00		
357.	चकदाहा	3.00	3.05	
358.	रामपुरहाट		11.50	
359.	डायमंडहायबर	7.00		6.00
360.	नाबादी	15.00	15.54	
361.	तामलुक	6.00		
362.	सोनामुखी	5.00		5.53
363.	माथाभंगा		14.60	
364.	अशोकनगर कल्याण	10.00		
365.	ओल्ड मालदा	7.00		
366.	वीरनगर	8.00		10.95
367.	कुल्टी	15.00		
368.	मेमारी	7.00	6.28	
369.	कालियागंज	6.00		6.00
370.	गोबरडांगा			26.18
371.	चन्द्रकोना		7.00	
372.	कान्डी			14.06
373.	गुसकारा		7.00	7.34
374.	वर्धमान	10.00		73.00
375.	आसनसोल	5.00		
376.	तुफानगंज	3.00		16.00
377.	गंगारामपुर	5.00		
378.	मेखलीगंज		32.00	
379.	सैंथिया	2.00		
380.	दीनहाटा			16.50
381.	बदूरिया	3.00	50.00	
382.	हल्दीबाड़ी	2.00		16.00
383.	जयनगर		22.50	
384.	दुबराजपुर		22.50	
385.	देनहाट			15.00
386.	तटाकी			22.00
387.	एगरा			20.74
388.	दुर्गापुर			32.00
	उप–योग	146.50	191.97	297.20
	दादरा व नगर हवेली			
389.	सिल्वासा–1		12.00	
	उप–योग	0.00	12.00	0.00
	दमन एवं दीव			
390.	दीव	10.00	8.00	
	उप–योग	10.00	8.00	0.00
	पांडिचेरी			
391.	ओल्गारेट			30.00
	उप–योग	0.00	0.00	30.00
	सकल योग	2601.50	3535.00	4346.00

विवरण-III

दिनांक 1.1.1970 से 31.10.2000 तक स्वीकृत एवं जारी किए गए ब्यौरे

क्र.सं.	स्कीम संख्या	मंजूरी तिथि	स्कीम का नाम	एजेंसी का नाम	स्कीम टाइप	परियोजना लागत	ऋण राशि	जारी ऋण	मंजूरी के बाद का समय	अंतिम जारी स्वी. के बाद समय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
राज्य : आंध्र प्रदेश										
1.	14696	18.10.1997	चिराला में आईडीएस एमटी स्कीम	आ.प्र.श.वि. अव. एवं वि. निगम	आईडीएसएमटी	520.82	320.92	81.85	$	31 माह
2.	14697	18.10.1997	पोन्नूर में में आइडीएस एमटी स्कीम	आ.प्र.श.वि. अव. एवं वि. निगम	आईडीएसएमटी	644.58	444.58	276.81	$	10 माह
3.	14973	4.2.1998	अदोनी में आईडीएसएमटी स्कीम	आ.प्र.श.वि. अव. एवं वि. निगम	आईडीएसएमटी	297.56	221.10	83.19	33 माह	31 माह
4.	15083	4.3.1998	अमूदलावालसा आईडीएस एमटी स्कीम	आ.प्र.श.वि. अव. एवं वि. निगम	आईडीएसएमटी	124.26	78.64	56.79	32 माह	22 माह
5.	15084	4.3.1998	तिरूपति में में आईडीएस एमटी स्कीम	आ.प्र.श.वि. अव. एवं वि. निगम	आईडीएसएमटी	282.12	196.35	10.88	$	31 माह
6.	15085	4.3.1998	विजयानगरम में में आईडीएस एमटी स्कीम	आ.प्र.श.वि. अव. एवं वि. निगम	आईडीएसएमटी	411.86	223.86	223.86	$	0
7.	15086	4.3.1998	कुड़प्पा में में आईडीएस एमटी स्कीम	आ.प्र.श.वि. अव. एवं वि. निगम	आईडीएसएमटी	214.14	168.61	142.23	$	10 माह
8.	15087	4.3.1998	नानापार्थी में में आईडीएस एमटी स्कीम	आ.प्र.श.वि. अव. एवं वि. निगम	आईडीएसएमटी	47.29	35.47	27.27	$	10 माह
9.	15088	4.3.1998	गुडूर में में आईडीएस एमटी स्कीम	आ.प्र.श.वि. अव. एवं वि. निगम	आईडीएसएमटी	31.75	20.75	18.49	$	21 माह

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10.	15089	4.3.1998	विकाराबाद में में आईडीएस एमटी स्कीम	आ.प्र.श.वि. अव. एवं वि. निगम	आईडीएसएमटी	104.93	68.86	6.58	$	31 माह
11.	15090	4.3.1998	राजामुंदरी में में आईडीएस एमटी स्कीम	आ.प्र.श.वि. अव. एवं वि. निगम	आईडीएसएमटी	326.41	221.83	135.84	$	31 माह
12.	15117	31.3.1998	अमलापुरम में में आईडीएस एमटी स्कीम	आ.प्र.श.वि. अव. एवं वि. निगम	आईडीएसएमटी	132.42	99.32	83.95	31 माह	10 माह
13.	15119	31.3.1998	काकीनाडा में में आईडीएस एमटी स्कीम	आ.प्र.श.वि. अव. एवं वि. निगम	आईडीएसएमटी	263.14	197.36	124.19	31 माह	31 माह
14.	15119	31.3.1998	टुनी में में आईडीएस एमटी स्कीम	आ.प्र.श.वि. अव. एवं वि. निगम	आईडीएसएमटी	117.50	71.91	32.36	31 माह	31 माह
15.	15120	31.3.1998	गुंटूर में में आईडीएस एमटी स्कीम	आ.प्र.श.वि. अव. एवं वि. निगम	आईडीएसएमटी	404.00	289.11	142.14	31 माह	31 माह
16.	15122	31.3.1998	मिरयालगुदा में में आईडीएस एमटी स्कीम	आ.प्र.श.वि. अव. एवं वि. निगम	आईडीएसएमटी	311.19	233.39	118.78	31 माह	31 माह
17.	15123	31.3.1998	चित्तूर में में आईडीएस एमटी स्कीम	आ.प्र.श.वि. अव. एवं वि. निगम	आईडीएसएमटी	389.80	232.35	192.86	31 माह	10 माह
17.	राज्य योग					4543.78	3189.31	1755.59		
राज्य : केरल										
18.	14448	24.6.1997	अंडमुकम, कोल्लम में भूमि अधिग्रहण व विकास	कोल्लम विकास प्राधिकरण	आईडीएसएमटी	166.25	124.00	124.00	$	0
19.	14555	24.7.1997	टाउन हॉल अल्पूजा के समीप शापिंग कम्पलेक्स के निर्माण	अल्पुजा नगर निगम	आईडीएसएमटी	174.52	109.29	32.76	39 माह	31 माह

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			के लिए आईडीएसएमटी स्कीम							
20.	15108	27.3.1998	अंडमुकम फेज–II कोल्लम में आईडीएसएमटी भूमि अधिग्रहण	कोल्लम विकास प्राधिकरण	आईडीएसएमटी	103.00	82.50	82.50	31 माह	0
3. राज्य योग :						443.85	315.79	239.26		
राज्य : मध्य प्रदेश										
21.	14413	26.5.1997	खंडवा म.प्र. में आई डीएसएमटी ट्रांसपोर्ट नगर परियोजना	खंडवा नगर निगम	आईडीएसएमटी	164.19	109.93	25.64	41 माह	24 माह
1. राज्य योग :							164.19	109.93	25.64	
राज्य : पंजाब										
22.	15112	30.3.1998	तरनतारन में छोटे तथा मझोले कस्बों का एकीकृत विकास	तरनतारन नगर परिषद	आईडीएसएमटी	162.78	40.70	0.00	30 माह	
23.	15113	30.3.1998	सरहिन्द जिला फतेहगढ़ साहिब में छोटे व मझोले कस्बों का एकीकृत विकास	सरहिन्द नगर परिषद	आईडीएसएमटी	112.37	50.00	0.00	30 माह	–
2 राज्य योग :						275.15	90.70	0.00		
राज्य : पश्चिम बंगाल										
24.	13898	30.1.1997	आईडीएसएमटी कार्यक्रम के अंतर्गत मिरिक में डोरमिटरी	मिरिक नोटीफाइड एरिया अथॉरिटी	आईडीएसएमटी	19.34	14.40	0.00	45 माह	
1. राज्य योग :						19.34	14.40	0.00		
24. सकल योग :						5446.31	7639.13	2020.49		

चंडीगढ में गैर-सरकारी संगठनों को सहायता

2558. श्री पवन कुमार बंसल : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ में उन गैर–सरकारी संगठनों का ब्यौरा क्या है जिन्हें सरकार से मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं के लिये सहायता मिल रही है; और

(ख) गत तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान कुल कितनी धनराशि जारी की गई ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन) : (क) और (ख) मानव संसाधन विकास मंत्रालय विभिन्न योजनाओं के तहत देश भर जिसमें संघ राज्य क्षेत्र चण्डीगढ़ भी शामिल है, के गैर सरकारी संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है। एक लाख रु. या उससे अधिक के ऐसे अनुदानों का ब्यौरा सामान्यतः मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट में दिया जाता है।

आठवीं अनुसूची में बोडो भाषा को शामिल किया जाना

2559. श्री सानघुमा खुंगुर बैसीमुथियारी : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने बोडो भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करने का विचार किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी) : (क) से (ग) भारत के संविधान की आठवीं अनुसूची में किसी एक अथवा अधिक भाषाओं को शामिल करने हेतु मानदण्ड निर्धारित करने के लिए एक उच्च शक्ति प्राप्त निकाय गठित करने संबंधी एक प्रस्ताव विचाराधीन है।

[हिन्दी]

विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत-एस्टोनिया के बीच सहयोग

2560. कुमारी भावना पुंडलिकराव गवली : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत और एस्टोनिया के बीच कोई सहयोग/समझौता हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में राज्य मंत्री (श्री बची सिंह रावत "बचदा") : (क) और (ख) जी, हां। भारत और एस्टोनिया के बीच विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में सहयोग पर एक करार नई दिल्ली में 5 फरवरी, 1999 को संपन्न किया गया था। इस करार में अन्य बातों के अलावा वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकीय संपर्क का विकास, संयुक्त अनुसंधान कार्यक्रमों का कार्यान्वयन, संगोष्ठियों एवं प्रदर्शनियों का आयोजन; वैज्ञानिकों और वैज्ञानिक एवं तकनीकी सूचनाओं के आदान–प्रदान की व्यवस्था है।

[अनुवाद]

इस्पात निर्यातकों की समस्यायें

2561. श्री त्रिलोचन कानूनगो : क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को भारतीय इस्पात निर्यातकों के समक्ष आ रही समस्याओं की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उपरोक्त मामले में इस्पात निर्यातकों की सहायता के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी) : (क) और (ख) जी, हां। इस्पात के भारतीय निर्यातकों द्वारा सामना की जा रही समस्याओं में अन्य बातों के साथ–साथ निम्नलिखित शामिल हैं–

(i) इस्पात की विश्व मांग में कमी।

(ii) यूरोप, यू. एस. ए. तथा कनाड़ा में इस्पात के भारतीय निर्यातकों के विरुद्ध ए डी डी/सी वी डी मामले शुरू करना।

(iii) अवसंरचनात्मक अड़चनें।

(iv) डी ई पी बी दरों को युक्तिसंगत बनाना।

(v) उच्च आदान लागत।

(vi) श्रम तथा पूंजी की कम उत्पादकता।

(vii) सस्ते आयातों से प्रतिस्पर्धा।

(ग) निर्यात को सुविधाजनक बनाने के लिए सरकार द्वारा समय–समय पर उठाए गए कदमों में निम्नलिखित शामिल हैं–

(i) निर्यात में आने वाली अड़चनों को दूर करने के लिए इस्पात निर्यातक मंच गठित करना।

(ii) निर्यात आय की बाजार विनिमय दर पर पूर्ण परिवर्तनीयता।

(iii) अग्रिम लाइसेंसिंग योजना के अंतर्गत निर्यातकों को शुल्क मुक्त कच्चे माल की अपनी आवश्यकताओं का आयात करने की सुविधा उपलब्ध कराना।

(iv) निर्यात किए जाने वाले माल के उत्पादन में प्रयुक्त होने वाली किसी आयातित अथवा उत्पाद शुल्क योग्य सामग्री पर भुगतान किए गए शुल्क की वापसी।

(v) निर्यात आय को आय कर के अंतर्गत धारा 80 एच एच सी के अंतर्गत आंशिक छूट, तथा

(vi) लोहा और इस्पात के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए लोहा तथा इस्पात की अधिकतर मदों को ड्यूटी एनटाइटलमेन्ट पास बुक (डी ई पी बी) योजना के अंतर्गत ड्यूटी क्रेडिट दरों को युक्तिसंगत बनाना।

[हिन्दी]

कीटनाशकों के प्रयोग पर प्रतिबंध

2562. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय : क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में ऐसे कितने कीटनाशकों का प्रयोग किया जा रहा है जो विदेशों में पहले ही प्रतिबंधित है;

(ख) क्या ऐसे कीटनाशकों के प्रयोग से स्वास्थ्य और पर्यावरण पर बुरा असर पड़ता है; और

(ग) यदि हां, तो ऐसे कीटनाशकों के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी) : (क) कुछ देशों में प्रतिबंधित किन्तु भारत में प्रयोग किए जा रहे पेस्टिसाइडों की सूची विवरण के रूप में संलग्न है।

(ख) और (ग) भारत में प्रयोग किए जाने से पहले पेस्टिसाइडों का पंजीकरण अनिवार्यतः पंजीकरण समिति द्वारा कराना होता है, जिसे कीटनाशी अधिनियम की धारा 5 के अनतर्गत गठित किया गया है। यह पंजीकरण समिति मानवों, पशुओं और पर्यावरण के लिए इसकी सुरक्षा के संबंध में आश्वस्त होने के पश्चात ही इन पेस्टिसाइडों को पंजीकृत करती है। सरकार, समय-समय पर किसी विशेषज्ञ समिति को नियुक्त करती है और विशेषज्ञ समिति और/या पंजीकरण समिति की सिफारिशों पर निर्णय लेती है।

विवरण

कुछ देशों में प्रतिबंधित किन्तु भारत में प्रयोग किए जा रहे पेस्टिसाइडों की सूची

1. एलक्लोर
2. एलडिकार्ब
3. केपटाफाल
4. केपटन
5. कार्बाराइल
6. कार्बोसुल्फान
7. क्लोरोबेंजिलेट
8. डी.डी.टी.
9. डिकोफॉल
10. डिलड्रिन
11. डियूरोन
12. इ डी बी (इथाइलीन डाइब्रोमाइड)
13. इन्डोसुल्फान
14. फेनारिमोल
15. फेनप्रोपेराथिन
16. लिंडेन
17. लिन्यूरोन
18. मेलीक हाइड्राजाइड
19. एम ई एम सी
20. मेथोमाइल
21. मेथाइल पेराथियन
22. मोनोक्रोटोफॉस
23. आक्सीफ्ल्यूरफोन
24. पेराक्युट डाइक्लोराइड
25. फोरेट
26. फोस्फेमिडोन

27. प्रीटिलेक्लोर

28. सोडियम साइनायड

29. थियोमेटोन

30. ट्रियाजोफॉस

31. ट्रिडेमोर्फ

32. जिंक फॉस्फाइड

33. जीरम

[अनुवाद]

ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक अधिकार प्रदान किया जाना

2563. श्री जी.एस. बसवराज :

श्री वाई.एस. विवेकानन्द रेड्डी :

श्री जी. मल्लिकार्जुनप्पा :

क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा **करेंगे** कि :

(क) क्या सभी राज्यों में ग्रामीण महिला आर्थिक अधिकारिता योजना कार्यान्वित की गई है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस योजना के अंतर्गत निधियों का आबंटन नहीं किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और योजना के कियान्वयन के लिए निधियों के आबंटन प्रदान करने हेतु क्या कार्रवाई की गई है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन) : (क) और (ख) जी, नहीं। महिला एवं बाल विकास विभाग बिहार, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक नामक छः राज्यों में अक्तूबर, 1998 से विश्व बैंक और इफैड की सहायता से स्व–शक्ति परियोजना कार्यान्वित कर रहा है, जिसे पहले "ग्रामीण महिला विकास और शक्ति–सम्पन्नता परियोजना" कहा जाता था। राज्यों का सामान्य पिछड़ापन, महिलाओं का पिछड़ापन, क्षेत्र स्तर पर कार्यान्वयन हेतु गैर–सरकारी अभिकरणों की उपलब्धता, राज्य सरकारों द्वारा प्रदर्शित रुचि और इस प्रयोजनार्थ बाह्य सहायता से संबंधित कुछ मापदण्डों के आधार पर परियोजना निरूपण स्तर पर ही राज्यों का चुनाव किया गया था।

(ग) चुने हुए छः परियोजना राज्यों के लिए अपेक्षित राशि सतत् आधार पर आबंटित की जा रही है।

(घ) उक्त 'ग' को दृष्टिगत रखते हुए, प्रश्न नहीं उठता।

महिलाओं और बच्चों के कल्याण में लगे गैर-सरकारी संगठन

2564. श्री अशोक ना. मोहोल : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महिलाओं और बच्चों के कल्याण में लगे स्वैच्छिक संगठनों को सहायता प्रदान करने हेतु क्या मानदंड निर्धारित किये गए हैं; और

(ख) ऐसी एजेन्सियों का ब्यौरा क्या है जो ऐसे संगठनों का लेखा परीक्षण कर रही हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन) : (क) महिला एवं बाल कल्याण के क्षेत्र में कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को सहायता प्रदान करने के लिए निर्धारित पात्रता की शर्तें अलग–अलग कार्यक्रमों के लिए अलग–अलग होती हैं। तथापि, सभी कार्यक्रमों के सम्बन्ध में सामान्य शर्तें इस प्रकार हैं

(i) संगठन पंजीकृत निकाय होना चाहिए;

(ii) संगठन किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के निकाय के लाभार्थ न चलाया जाता हो;

(iii) संगठन को पंजीकरण के बाद तीन वर्ष का अनुभव हो;

(iv) संगठन के पास उन स्कीमों के शुरू करने के लिए सुविधाएं, संसाधन, अनुभव और कार्मिक होने चाहिए, जिनके लिए सहायता मांगी गई है;

(v) संगठन के खातों की लेखा–परीक्षा होनी आवश्यक है और संगठन की वित्तीय स्थिति मजबूत हो।

(ख) स्वैच्छिक संगठनों के खातों की लेखा–परीक्षा सनदी लेखाकार द्वारा की जाती है।

एम.सी.एल. के अधीन कोयला खानों का घाटा

2565. श्री भर्तृहरि महताब : क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महानदी कोलफील्ड्स लि. (एम.सी.एल.) के अधीन घाटे में चल रही कोयला खानों का ब्यौरा क्या है;

(ख) इसके क्या कारण हैं;

(ग) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान प्रत्येक खान को कितना घाटा हुआ है; और

(घ) सरकार द्वारा इन कोयला खानों में घाटों को रोकने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं अथवा उठाये जाने का प्रस्ताव है?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन.टी. षणमुगम) : (क) से (ग) महानदी कोलफील्ड्स लि. (एमसीएल) की घाटे में चल रही खानों और गत चार वर्षों के दौरान इस प्रकार की खानों द्वारा उठाए गए घाटे का ब्यौरा नीचे दिया जा रहा है :–

(लाख रु. में)

खान का नाम	1997–98	1998–99	1999–2000	2000–2001 (अनं. सित., 2000 तक)
भूमिगत खानें				
तलचेर	684.16	1116.68	696.05	498.50
देलूबेरा	769.73	857.73	497.19	282.73
नंदिरा	16.02	366.69	374.91	237.44
हंडीधुआ	291.67	452.30	470.52	145.98
ओरिएंट 1 और 2	778.37	867.87	1084.64	468.00
ओरिएंट 3	596.51	1105.15	1241.62	422.14
ओरिएंट 4	505.16	658.81	746.64	294.10
हिंगिर रामपुर कोलियरी	903.87	986.19	1185.11	540.86
हीराखंड बुंदिया इन्क्लाइन	828.74	376.26	810.56	230.01
ओपनकास्ट खान				
लाजकुरा		655.97	1100.93	5.49

इन खानों द्वारा उठाए जा रहे घाटे के मुख्य कारण इस प्रकार है :–

1. भूमिगत खानें श्रम प्रधान हैं तथा मजदूरी लागत उत्पादन लागत के 60 प्रतिशत है।
2. अधिसंख्य खानें 70 वर्ष पुरानी हैं और समय के साथ–साथ खनन कार्य अधिक कठिन हो गया है।
3. इन खानों का काफी विस्तार हो चुका है और कोयले की ढुलाई की दूरी बढ़ गई है।
4. आधुनिक स्टील की रुफ सपोर्ट प्रणाली शुरु की गई है जिसमें कुशल व्यक्ति काम करते हैं तथा स्टोर की लागत अधिक होती है।
5. कुछ भूमिगत खानों में ऊपर स्थित ओपनकास्ट परियोजनाएं हैं जिसके कारण कार्य का स्थान सीमित हो गया है और रुफ सपोर्ट की लागत में वृद्धि हो गई है।
6. बढ़िया किस्म का कोयला समाप्त हो चुका है और वर्तमान में घटिया किस्म के कोयले की खानों में काम किया जा रहा है जिसके परिणामस्वरूप घटिया ग्रेड का कोयला प्राप्त हो रहा है।

जहां तक ओपनकास्ट खान का संबंध है उसमें इसलिए घाटा हुआ है क्योंकि कोयले और ऊपरी मलबा के अनुपात में काफी वृद्धि हो गई है और यह खान समाप्तप्राय है।

(घ) एम.सी.एल. ने घाटे को कम करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं :–

1. कुछ भूमिगत खानों का यंत्रीकरण कर दिया है।
2. भूमिगत खानों में परिवहन तंत्र की पुनः व्यवस्था कर दी है।
3. फालतू जनशक्ति का लाभकारी नियोजन किया है।

4. वर्ष 2001–02 के दौरान उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए हिंगिर रामपुर सीम में नई खान खोल दी है।

5. तालचर कोलियरी का विस्तार कर दिया है।

6. घाटे में चल रही खानों के स्थान पर नटराज तथा जगन्नाथ ईस्ट भूमिगत खानें खोल दी हैं।

निधियों का दुरूपयोग

2566. श्री सुरेश रामराव जाधव : क्या **जनजातीय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कतिपय गैर–सरकारी संगठन जनजातियों के कल्याण हेतु उन्हें प्रदान की गई निधियों का दुरूपयोग कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान और आज तक काली सूची में डाले गए गैर–सरकारी संगठनों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऐसे गैर–सरकारी संगठनों के विरुद्ध आपराधिक मुकदमें की कार्यवाही शुरू करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री जुएल उराम) : (क) जी, हां।

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान काली सूची में डाले गए संगठनों की एक सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) संबंधित राज्य सरकारों से चूककर्ता गैर–सरकारी संगठनों के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही आरम्भ करने और उन्हें प्रदान की गई धनराशि को उस पर लगाए गए 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर के साथ वसूलने को कहा गया है।

विवरण

क्र.सं.	काली सूची में डाले गए संगठन का नाम व पता	मंजूर की गई परियोजना का नाम	प्रदान की गई राशि
1	2	3	4
1.	श्री डी. देवराज अर्स शैक्षिक ट्रस्ट, बिदार, कर्नाटक	आवासीय स्कूल	6,64,965/–
2.	हरिजन सुरक्षा समिति, सुवरामपुर, बालासौर, उड़ीसा	छात्रावास	1,27,221/–
3.	पीपुल्स ऑर्गेनाइजेशन फॉर वैलफेयर, इम्पलॉयमेंट एण्ड रूरल डेवलपमेंट (पी.ओ.डब्ल्यू.ई.आर.ई.डी.) कदालीपाल, डाकघर–अलूजहरन, जिला देनकनाल, उड़ीसा	छात्रावास 10, कैच सेंटर	6,82,394/–
4.	विक्रम सेवा संस्थान, गोल गोखर नाथा, लखीमपुर, खेड़ी	शैक्षिक परिसर	4,59,000
5.	अम्बेडकर शिक्षा प्रसार समिति, निचलौल, जिला – महाराजगंज,	शैक्षिक परिसर	4,59,000
6.	मानव कलयाण सेवा संस्थान, एम–40, संजयगांधीपुरम, लखनऊ।	शैक्षिक परिसर	4,59,000
7.	अमित ग्राम विकास सेवा संस्थान, पारसपुर गोंडा।	शैक्षिक परिसर	4,59,000
8.	ग्रामोद्योगिक विकास सेवा समिति, रामनगर बाराबंकी, जिला–लखीमपुर खेड़ी।	शैक्षिक परिसर	4,59,000
9.	अखिल भारतीय जनजातीय युवा विकास, केसरगंज, भहराइच।	शैक्षिक परिसर	4,59,000
10.	ग्रामीण समाजोत्थान सेवा संस्थान, एम–71, संजय गांधी पुरम, लखनऊ	शैक्षिक परिसर	4,59,000
11.	अग्रगामी सेवा संस्थान, तिवारीगंज, डाकघर जुगौड़, जिला लखनऊ।	शैक्षिक परिसर	4,59,000
12.	तारा देवी शिक्षा समिति, गोपालगंज	शैक्षिक परिसर	1,40,000
13.	नवीन भारतीय प्रतिष्ठान, बालाघाट, मुजफ्फरपुर, बिहार	शैक्षिक परिसर	4,59,000

1	2	3	4
14.	जीवन धारा व्यायाम क्रीड़ा शिक्षण प्रसारक संस्थान, अकोला, महाराष्ट्र।	शैक्षिक परिसर	57,500
15.	स्वाति भाई ज्योति राव फुले समाज सेवा संस्थान, अंबिका नगर, मल्लाखपुर, जिला अकोला, महाराष्ट्र।	शैक्षिक परिसर	1,40,000
16.	प्रसाद एकता समिति, अर्जुन नगर, रायसेन जिला, मध्य प्रदेश।	शैक्षिक परिसर	4,56,000
17.	लव शिक्षा प्रसार समिति, भोपाल	शैक्षिक परिसर	4,59,000
18.	अखिल भारतीय संथाल कल्याण और सांस्कृतिक सोसाइटी, साहिबगंज, (पंजीकृत कार्यालय सं0 40/11, डी.डी.ए. फ्लैट्स, सरोजनीनगर।		
19.	राष्ट्रीय विकास एकीकरण एवं जागरूकता संस्थान सीसी/74, पीपुल्स कॉपरेटिव कालोनी, कांगरबाग, पटना।		
20.	ग्रामीण बाल वनीता विकास निकेतन, ग्राम तथा डाकक्षाना कोरावां, वाया हिल्सा, जिला नालंदा, बिहार।		
21.	महिला राहत एवं कल्याण सोसाइटी, वी/4, सिन्हा सदन, विधापुरी, लोहिया नगर, पटना।		
22.	वनांचल विकास सेवाश्रम, शास्त्री नगर, सहयोगंज, बिहार।		
23.	नवीन भारतीय प्रतिष्ठान, बालुघाल, मुजफ्फरपुर, बिहार।		
24.	विजय तेजा ऐजुकेशसन सोसाइटी, मकान नं. 9–1–333, एफ/17, हैदराबाद (आंध्र प्रदेश) – 500008		
25.	सोसल ट्रान्सफारमेशन एण्ड रूरल टैक्नोलॉजी, 67/10, फेस–3, के.पी.ए.पी., हैदराबाद–72		

[हिन्दी]

कश्मीर से पलायन

2567. श्री रामदास आठवले : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 9 सितम्बर, 2000 के 'जनसत्ता' में "आतंकवाद से बचने के लिए अपने बच्चों को कश्मीर से बाहर भेज रहे हैं अभिभावक" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया है;

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित मामले के तथ्य क्या हैं;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान कश्मीर में आतंकवाद के कारण राज्य से कितने लोगों ने पलायन किया है; और

(घ) सरकार द्वारा कश्मीर से ऐसे पलायन को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव) : (क) और (ख) जी हां, श्रीमान। जैसा कि राज्य सरकार ने सूचित किया है उग्रवादी गुटों द्वारा कुछ युवकों को राष्ट्र–विरोधी गतिविधियां चलाने के काम पर लगाया गया था। उन्होंने कुछ बेरोजगार युवकों को शस्त्र प्रशिक्षण हेतु सीमा के पार भी भेजा। बताया जाता है कि बच्चों को इस खतरे से बचाने के लिए, कुछ अभिभावकों ने अपने बच्चों को अध्ययन ज़ारी रखने और व्यापारिक प्रयोजनों से राज्य से बाहर भेजा है।

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान आतंकवाद के कारण लोगों के जम्मू कश्मीर से बाहर प्रवास की कोई सूचना नहीं है।

(घ) सरकार राज्य से उग्रवाद के खतरे को समाप्त करने और शांति एवं सामान्य हालात बहाल करने के लिए पूर्ण रूप से सक्रिय है। इस दिशा में किए गए उपायों में सम्मिलित हैं :

- सुरक्षा बलों के कमान ढांचे और तैनाती पैटर्न को नया रूप देना।
- घुसपैठ रोकने के लिए सीमा पर निगरानी बढ़ाना।
- सामरिक महत्व वाले सभी महत्वपूर्ण स्थानों पर पिकिटों की स्थापना करना।
- संवेदनशील स्थानों की गश्त को गहन करना।
- संवेदनशील स्थानों पर सेना, सीमा सुरक्षा बल पुलिस को लगाकर अतिरिक्त नाका दलों की तैनाती करना।
- आसूचना तंत्र को और सक्रिय करना।

[अनुवाद]

उड़ीसा में लिंगराज कोयला खान

2568. श्री के.पी. सिंह देव : क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में तालचेर में लिंगराज कोयला खानों में खनन और परिवहन में लगातार बाधा आने के क्या कारण हैं;

(ख) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान इसके कारण उस क्षेत्र से कितने लोग प्रभावित हुए हैं; और

(ग) सरकार द्वारा भविष्य में ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने और इससे प्रभावित लोगों को मुआवजा देने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन.टी. षणमुगम) : (क) तालचेर (उड़ीसा) में लिंगराज कोयला खानों में लगातार बाधा नहीं आती रही है। गत तीन वर्षों के दौरान केवल तीन अवसरों पर बाधा हुई है।

(ख) और (ग) गत तीन वर्षों के दौरान कोयला खनन के कारण तथा दुर्घटनाओं के कारण चालू वर्ष के दौरान प्रभावित लोगों की संख्या का विवरण इस प्रकार है :–

वर्ष	दुर्घटनाओं की संख्या
1998	1 (एक) जिसमें सीएचपी में दो व्यक्ति प्रभावित हुए
1999	शून्य
2000 (अब तक)	शून्य

मृत व्यक्तियों के परिवारों को मुआवजा आयुक्त के माध्यम से रु. 3,92,720/– का मुआवजा दे दिया गया है।

बाल कल्याण विकास बोर्ड

2569. श्री वाई.वी. राव : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने आन्ध्र प्रदेश के महिला विकास एवं बाल कल्याण बोर्ड को एक गैर–सरकारी बैंक को 60 लाख रुपये के हस्तांतरण के आरोप के बारे में जांच करने का निदेश दिया है जो कि अब बंद हो गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस मामले में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई किए जाने का विचार है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड ने, जो महिला एवं बाल विकास विभाग का एक स्वायत्त निकाय है, आन्ध्र प्रदेश महिला विकास और बाल कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष को निर्देश दिया कि राशि को राष्ट्रीयकृत बैंक में जमा कराया जाये। लेकिन, आन्ध्र प्रदेश महिला विकास और बाल कल्याण बोर्ड ने इस निर्देश का पालन नहीं किया। केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड निर्देश का अनुपालन न करने के कारणों का पता लगाने और इस सम्बन्ध में दायित्व निर्धारित करने के लिए शीघ्र ही अधिकारियों के एक दल को भेजेगा।

हिन्दुस्तान स्टील कारपोरेशन लिमिटेड

2570. श्री बसुदेव आचार्य : क्या **इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 नवंबर, 2000 की स्थिति के अनुसार हिन्दुस्तान स्टील कारपोरेशन लिमिटेड में कितने कर्मचारी हैं;

(ख) एच. एस. सी. एल. को अर्थक्षम बनाने हेतु कितनी धनराशि की आवश्यकता है;

(ग) क्या सरकार ने कर्मचारियों को यह आश्वासन दिया है कि एच. एस. सी. एल. को बंद नहीं किया जाएगा; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी) : (क) 01.11.2000 की स्थिति के अनुसार एच. एस. सी. एल. में कुल 7835 कर्मचारी थे।

(ख) एच. एस. सी. एल. को व्यवहार्य बनाने के लिए आर्थिक मामलों से संबंधित मंत्रिमण्डल समिति (सी सी ई ए) ने 06 जुलाई,

2000 को एक पुनरुद्धार और पुनर्गठन पैकेज को अनुमोदित किया था। आर्थिक मामलों से संबंधित मंत्रिमण्डल समिति द्वारा मंजूर की गई विभिन्न राहतों को कार्यान्वित किया जा रहा है। उम्मीद है कि इनके कार्यान्वयन से एच. एस. सी. एल. की वित्तीय स्थिति में सुधार होगा।

(ग) और (घ) इस समय सरकार एच. एस. सी. एल. को बंद करनें संबंधी किसी भी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रही है।

[हिन्दी]

सी.आई.एल. और इसकी अनुषंगी इकाइयों में भ्रष्टाचार/ धोखाधड़ी के लंबित मामले

2571. श्री पी. आर. खूंटे : क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान और चालू वर्ष में कंपनीवार कोल इंडिया लि. और इसकी अनुषंगी इकाइयों के अधिकारियों और कर्मचारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार/धोखाधड़ी के कितने मामले लंबित पड़े हैं;

(ख) उक्त अवधि के दौरान कंपनीवार कितने मामलों में निलंबन आदेश जारी किए गए;

(ग) प्रत्येक मामले में कितनी धनराशि अंत ग्रस्त है; और

(घ) सरकार द्वारा शेष मामले के निपटान हेतु क्या कार्रवाई की गई है/की जा रही है?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन. टी. षणमुगम) : (क) और (ख) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) निलंबन के 28 मामलों के संबंध में प्रमाणित संबद्ध राशि रु. 57,79,882/– थी।

(घ) जांच के मामलों तथा विभागीय जांचों का परिवीक्षण सी.आई.एल. की सहायक कंपनियों के मुख्य सतर्कता अधिकारियों (सी.वी.ओ.) द्वारा तथा सी.आई.एल. के मुख्यालय में नियमित रूप से किया जाता है। सी.आई.एल. की सहायक कंपनियां मुख्य सतर्कता अधिकारी सी.आई.एल. को मासिक रिपोर्ट भेजती हैं। कोयला विभाग तथा केन्द्रीय सतर्कता आयोग (सी.वी.सी.) को प्रत्येक तिमाही में मामले भेजे जाते हैं। इसके अतिरिक्त लम्बित विभागीय जांचों की समीक्षा प्रत्येक महीने सी.आई.एल. की संबंधित सहायक कंपनियों के अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशकों द्वारा की जाती है और लम्बित मामलों की स्थिति निदेशक मंडल के समक्ष नियमित रूप से रखी जाती है। इसके अतिरिक्त सी.आई.एल. के अध्यक्ष के स्तर पर प्रत्येक छमाही में सभी लम्बित विभागीय जांचों की समीक्षा की जाती है। कोयला विभाग तथा केन्द्रीय सतर्कता आयोग भी लम्बित जांच और पूछताछ की आवधिक समीक्षा करते हैं।

सतर्कता जांच की स्वतंत्रता एवं वस्तुनिष्ठता को बनाए रखने के लिए सी.आई.एल. और उसकी सहायक कंपनियों के सभी मुख्य सतर्कता अधिकारियों को कोयला उद्योग से बाहर केन्द्रीय सरकार की सेवाओं से प्रतिनियुक्ति पर लिया जाता है।

विवरण

(क) गत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान सीआईएल और उसकी सहायक कंपनियों में जांच और पूछताछ के लिए लम्बित मामलों की संख्या नीचे दी जा रही हैं :

वे मामले जिनकी जांच होनी है।

सहायक कंपनी	1997–98	1998–99	1999–2000	2000–2001 (31.10.2000 तक)
1	2	3	4	5
ईसीएल	–	1	9	6
बीसीसीएल	1	4	5	6
सीसीएल	1	1	19	17
एनसीएल	1	4	5	–
डब्ल्यूसीएल	–	–	21	12
एसईसीएल	–	–	3	–
एमसीएल	–	1	2	1
सीएमपीडीआईएल	–	3	2	2
सीआईएल (एनईसी.आर एसओ संपर्क कार्यालय)	–	3	2	2
जोड़	3	17	68	46

पूछताछ के लिए लम्बित मामले

सहायक कंपनी	1997–98	1998–99	1999–2000	2000–2001 (31.10.2000 तक)
1	2	3	4	5
ईसीएल	1	1	3	3
बीसीसीएल	–	5	7	5
सीसीएल	3	4	11	11

1	2	3	4	5
एनसीएल	5	3	3	2
डब्ल्यूसीएल	–	–	7	12
एसईसीएल	4	5	5	5
एमसीएल	–	1	1	1
सीएमपीडीआईएल	–	–	6	–
सीआईएल (एनईसी,आर एसओ संपर्क कार्यालय)	1	–	1	–
जोड़	14	19	44	39

(ख) उन मामलों की सहायक कंपनीवार संख्या नीचे दी जा रही है, जिनमें उपर्युक्त अवधि के दौरान निलम्बन आदेश जारी कर दिए गए हैं :

सहायक कंपनी	1997–98	1998–99	1999–2000	2000–2001 (31.10.2000 तक)
1	2	3	4	5
ईसीएल	1	–	3	–
बीसीसीएल	–	–	2	2
सीसीएल	5	1	–	1
एनसीएल	–	–	–	–
डब्ल्यूसीएल	3	–	–	2
एसईसीएल	2	–	–	1
एमसीएल	2	–	–	1
सीएमपीडीआईएल	–	1	–	–
सीआईएल (एनईसी,आर एसओ संपर्क कार्यालय)	1	–	–	–
जोड़	14	2	5	7

[अनुवाद]

सीमा प्रबन्धन योजना

2572. श्री त्रिलोचन कानूनगो : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारत–पाक, भारत–चीन तथा भारत–बांग्लादेश सीमा के लिए कोई सीमा प्रबंधन कार्य–योजना तैयार की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव) : (क) और (ख) भारत सरकार ने भारत–पाकिस्तान, भारत–चीन और भारत–बंगलादेश सीमाओं समेत सीमाओं के प्रबन्धन में सुधार लाने के लिए उपायों पर विचार करने हेतु मई, 2000 में एक कार्यबल का गठन किया। कार्य बल ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। मंत्रियों का एक ग्रुप इस रिपोर्ट की जांच कर रहा है और विभिन्न विकल्पों पर विचार करने के पश्चात मामले में अपनी सिफारिशें देगा।

इण्डियन एयरलाइन्स के वायुयान का अपहरण

2573. श्री जी. एस. बसवराज :

श्री जी. मल्लिकार्जुनप्पा :

श्री वाई. एस. विवेकानन्द रेड्डी :

श्रीमती रेनु कुमारी :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एथेंस में आयोजित अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों के 69वें वार्षिक सम्मेलन में केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सी.बी.आई.) ने इन्टरपोल अधिकारियों के साथ इण्डियन एयरलाइन्स के वायुयान के पांच अपहरणकर्ताओं के मामले को उठाया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में इंटरपोल द्वारा दिए गए आश्वासनों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) अपहरणकर्ताओं को पकड़ने के लिए सुरक्षा अभिकरणों ने क्या कदम उठाए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव) : (क) से (ग) अन्तर्राष्ट्रीय संगठन के 69वें वार्षिक सम्मेलन के दौरान इन्टरपोल अधिकारियों के साथ इण्डियन एयरलाईन्स के वायुयान के 5 अपहरणकर्ताओं का मामला नहीं उठाया गया था। तथापि, मामले को इण्टरपोल, नई दिल्ली, ने लियांस, फ्रांस स्थिति इन्टरपोल मुख्यालय के साथ सभी सदस्य राष्ट्रों को, भगोड़े पांचों अपहर्त्ताओं और उनके सहयोगियों का पता लगाने के लिए रैड–कार्नर नोटिस जारी करने के संबंध में उठाया था। भारत में न्यायालय द्वारा जारी किए गए गिरफ्तारी वारंट भी फ्रांस स्थित इण्टरपोल मुख्यालय को भेजे गए थे। इण्टरपोल, नई दिल्ली, भारत, द्वारा इण्टरपोल, इस्लामाबाद, पाकिस्तान को गिरफ्तारी वारंट की प्रतियां इस अनुरोध के साथ भेजी गई थी कि पांचों अपहर्त्ताओं समेत सातों भगोड़े पाकिस्तानी नागरिकों का पता लगाया जाए उन्हें गिरफ्तार किया जाए और देश से बाहर निकाला जाए।

केन्द्रीय जांच–ब्यूरो ने प्रत्येक भगोड़े अपहरणकर्त्ता और उनके साथियों की गिरफ्तारी कराने के लिए किसी भी व्यक्ति को 10 लाख रुपये पुरस्कार देने की घोषणा की है। इस संबंध में समाचार पत्रों और टेलिविजन पर व्यापक प्रचार भी किया गया है। इसके अलावा, अपहरणकर्त्ताओं की संभावित मौजूदगी के संबंध में विभिन्न स्थानों से मिलने वाली सभी सूचनाओं की जांच और सत्यापन किया जा रहा है। अभियुक्तों का इण्टरपोल और डिपलोमैटिक चैनलों के माध्यम से लगाने के प्रयास भी किए जा रहे है।

[हिन्दी]

केन्द्रीय विद्यालयों में रिक्त पद

2574. कुमारी भावना पुंडलिकराव गवली :

श्री राधा मोहन सिंह :

क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय विद्यालयों में अध्यापकों के रिक्त पदों को भरने के लिए अपनाए गए मानदंडों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या स्नातकोत्तर अध्यापकों के पदों के अलावा अन्य अध्यापकों का पैनल अभी तक तैयार नहीं किया गया है और पैनल के अनुसार नियुक्तियां नहीं की जा रही हैं, और

(ग) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन) : (क) केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा अपनाए गए भर्ती नियमों तथा नीति के अनुसार अध्यापकों की विभिन्न श्रेणियों के पदों को सीधी भर्ती और साथ ही विभागीय पदोन्नति द्वारा भरा जाता है।

(ख) और (ग) टी.जी.टी., पी.आर.टी. तथा विविध श्रेणियों के पदों के लिए शिक्षकों के चयन पैनल तैयार किए जा चुके हैं और इन पैनलों के अनुसार शिक्षकों की नियुक्तियां की जाएंगी।

आई. एस. आई. की गतिविधियां

2575. श्री रामदास आठवले : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 12 सितम्बर, 2000 के 'जनसत्ता' में प्रकाशित "रेड लाइट क्षेत्रों में आई.एस.आई. की बढ़ती गतिविधियों" से संबंधित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसमें प्रकाशित तथ्य क्या हैं और सरकार की उन पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार ने इस मामले की कोई जांच की है या जांच करने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) से (घ) दिल्ली में वेश्यावृति के आरोपों पर कुछ विदेशी राष्ट्रिकों की गिरफ्तारी के पश्चात् दिल्ली पुलिस द्वारा की गई जांच–पड़ताल से जासूसी अथवा आतंकवादी गतिविधियों में उनकी संलिप्तता का कोई संकेत नहीं मिला है।

[अनुवाद]

आनुवंशिक विकार का पता लगाने संबंधी प्रणाली

2576. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 12 नवम्बर, 2000 को "हिन्दू" में "न्यू डायग्नोस्टिक सिस्टम" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने वाणिज्यिकरण के लिए नई प्रौद्योगिकियां जारी की हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और ये किन विकारों पर लागू होते हैं;

(घ) क्या सरकार को उनसे कोई रायल्टी प्राप्त होगी;

(ङ) यदि हां, तो क्या पिछले पांच वर्षों के दौरान जैव प्रौद्योगिकी पर किए गए अनुसंधानों से सरकार को कोई रायल्टी या धनराशि या शुल्क प्राप्त हुआ है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में राज्य मंत्री (श्री बची सिंह रावत "बचदा") : (क) और (ख) बायोटेक्नोलॉजी विभाग ने बायोटेक कन्सोर्शियम इंडिया लि. (बी सी आई एल) की सहायता से गर्भवती महिलाओं, विशेष रूप से अधिक उम्र की गर्भावस्था में कुछ आनुवंशिक विकृतियों का पता लगाने के लिए भारतीय रासायनिक जीवविज्ञान संस्थान, कलकत्ता में विकसित एल्फा फीटो प्रोटीन (ए एफ पी) आधारित नैदानिक प्रणाली के स्तरोन्नयन एवं व्यापारीकरण के लिए मेसर्ज शान्ता बायोटेक्निक्स प्रा. लि. हैदराबाद के साथ करार किया है। प्रयोगशाला स्तर की प्रौद्योगिकियों के स्तरोन्नयन एवं व्यापारीकरण के लिए हाल ही में, मैसर्ज़ जाइडस कैडिला हेल्थ केयर, अहमदाबाद; भारत

बायोटेक, हैदराबाद जैसी जैवप्रौद्योगिकी कम्पनियों के साथ करार हस्ताक्षरित हुए हैं।

(ग) हस्तांतरित प्रौद्योगिकियां हैं :

1. हेपाटाइटिस–ए नैदानिक किट – हेपाटाइटिस–ए संक्रमण का पता लगाने हेतु;
2. बड़ी उम्र की गर्भावस्था में आनुवंशिक विकृतियों का पता लगाने हेतु ए एफ पी नैदानिक किट;
3. डिम्बक्षरण के मॉनीटरन हेतु प्रजनक हार्मोनों और मूत्र में हार्मोनों का पता लगाकर निषेचन संबंधित विकृतियों के लिए नैदानिकी;
4. डेंगू एवं जापानी एन्सेफैलाइटिस का शीघ्र पता लगाने के लिए डेंगू, जापानी एन्सेफैलाइटिस तथा वेस्ट नाइल हेतु नैदानिकी;

(घ) सरकार को ऐसी प्रौद्योगिकियों के हस्तांतरण से किसी भी प्रकार की रॉयल्टी प्राप्त नहीं होती है क्योंकि नए नियमों के अनुसार यह संस्थान एवं वैज्ञानिकों को प्रदान की जाती है।

(ङ) और (च) बायोटेक्नोलॉजी विभाग ने अनुसंधान एवं विकास सहायता से प्राप्त कई प्रौद्योगिकियों को विभिन्न संस्थानों एवं विश्वविद्यालय की प्रयोगशालाओं को हस्तांतरित किया है। पूर्व में, विभाग को 15.75 लाख रुपये प्राप्त हुए थे लेकिन पिछले दो वर्षों से रॉयल्टी केवल वैज्ञानिकों एवं संस्थानों के बीच ही बांट दी जाती है।

भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड

2577. श्री बसुदेव आचार्य : क्या **इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान वर्षवार भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड तथा इसकी इकाईयों का अलग–अलग श्रमशक्ति, उत्पादन, उत्पादकता, लाभ, हानि संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान ऊर्जा की खपत, कोक दर, श्रम लागत, कच्चा माल, ह्रास तथा ब्याज का ब्यौरा क्या है;

(ग) इस्पात उत्पादन की लागत तथा इसके द्वारा कितना मूल्य लिया गया; और

(घ) ब्रिटेन, जर्मनी, अमरीका, जापान तथा चीन में इस्पात के उत्पादन के साथ तकनीकी रूप से भा.इ.प्रा.लि. की स्थिति क्या है?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रजकिशोर त्रिपाठी) : (क) पिछले तीन वर्षों के लिए सेल सम्पूर्ण रूप से और पृथक रूप से इसकी इकाइयों के लिए जनशक्ति, उत्पादन, उत्पादकता, लाभ और हानि का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

जनशक्ति का ब्यौरा

संयंत्र/इकाई	1997–98	1998–99	1999–2000
1	2	3	4
क. संयंत्र			
भिलाई इस्पात संयंत्र	49707	48361	44730
बोकारो इस्पात संयंत्र	46087	44965	43401
दुर्गापुर इस्पात संयंत्र	25895	24390	21039
राउरकेला इस्पात संयंत्र	31677	30922	28301
मिश्र इस्पात संयंत्र	6053	5109	3816
सेलम इस्पात संयंत्र	1663	1616	1550
विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील प्लांट @		4833	4679
उप–योग (क)	161084	160496	147546
ख. इकाई			
निगमित कार्यालय	749	751	737
केन्द्रीय विपणन संगठन	3757	3647	3172
लोहा और इस्पात, अनुसंधान एवं विकास केन्द्र	934	909	865
इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी केन्द्र	403	400	390
कच्चा माल प्रभाग–सेल	8958	8270	7014
प्रबंध प्रशिक्षण संस्थान	129	123	116
पर्यावरण प्रबंधन प्रभाग	50	50	48
सुरक्षा	16	16	16
ग्रोथ डिवीजन कलकत्ता	67	71	36
उप–योग (ख)	15063	14240	12394
(ग) सेल का योग (क + ख)	176147	174736	159940

विक्रेय इस्पात का उत्पादन

(इकाई : हजार टन)

संयंत्र	1997–98	1998–99	1999–2000
1	2	3	4
बीएसपी	3524	3352	3411

1	2	3	4
डीएसपी	1259	1319	1402
आरएसपी	1181	1114	1170
बीएसएल	2748	2541	3246
एएसपी	154	99	83
एसएसपी	177	119	148
वीआईएसएल*	50	57	69
सेल	9043	8602	9530

* 1998-99 से वीआईएसएल सेल का हिस्सा बन गया।

**** श्रम उत्पादकता (पिण्ड टन/व्यक्ति/वर्ष)**

संयंत्र	1997–98	1998–99	1999–2000
बीएसपी	131	132	121
डीएसपी	71	78	88
आरएसपी	49	53	55
बीएसएल	109	97	105
सेल	96	95	96

** उत्पादकता सूचकांक केवल एकीकृत इस्पात संयंत्रों के लिए तैयार किया गया है

सेल की लाभ और हानि (करोड़ रुपए)

	बीएसपी	डीएस पी	आरएस पी	बीएस एल	एएस पी	एसएस पी	वीआई एसएल	केन्द्रीय इकाई	सेल
997–98	701	–509	–374	367	–88	–120	@	171	149
1998–99	301	–719	–765	–165	–179	–180	–74	163	–1618
1999–00	92	–651	–704	120	–260	–142	–91	–84	–1720

@ 1997-98 में सेल का हिस्सा नहीं था।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान सेल और इसकी इकाइयों की ऊर्जा खपत, कोक दर, श्रम लागत, कच्चे माल, मूल्य ह्रास और ब्याज का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

ऊर्जा खपत और कोक दर

	संयंत्र	1997–98	1998–99	1999–2000
1	2	3	4	5
ऊर्जा खपत	बीएसपी	7.33	7.17	7.16
जीकैलो/टीसीएस	डीएसपी	8.38	7.87	7.48
	आरएसपी	10.97	10.49	10.26
	बीएसएल	8.48	8.5	8.24
	एएसपी	6.018	6.425	7.442
	सेल	8.28	8.09	7.96
कोक दर किलोग्राम/	बीएसपी	572	557	534
टी एच एम	डीएसपी	635	620	587
	आरएसपी	678	663	668

1	2	3	4	5
	बीएसएल	575	562	548
	वीआईएसएल	686	669	699
	सेल	594	581	564

कर्मचारियों को पारिश्रमिक, कच्चे माल, ब्याज और मूल्य ह्रास पर व्यय

(करोड़ रुपये)

वर्ष	ब्यौरा	बी एसपी	डी एसपी	आर एसपी	बी एस एल	ए एस पी	एस एस पी	वी आई एस एल	सेल
1997–98	कर्मचारियों को पारिश्रामिक	628	280	360	597	95	22	@	2201
	एवं लाभ कच्चा माल,	1743	682	1071	1679	215	477		5201
	ब्याज	305	297	333	392	66	125		795
	मूल्य ह्रास	134	318	127	140	10	55		1554
1998–99	कर्मचारियों का पारिश्रामिक	655	313	380	624	104	23	61	2381
	एवं लाभ कच्चा माल	1612	740	966	1566	126	273	113	4805
	ब्याज	405	338	514	502	61	123	24	1104
	मूल्य ह्रास	174	333	256	199	12	59	11	2017
1999–	कर्मचारियों को पारिश्रामिक एवं लाभ	731	372	434	726	121	27	69	2735
2000	कच्चा माल,	1419	732	880	1617	121	324	110	4518
	ब्याज	410	238	405	515	44	107	19	1133 #
	मूल्य ह्रास	196	293	265	252	12	51	12	1789

@ सेल का अंग नहीं है

सेल के वित्तीय पुर्नगठन के पश्चात् लेखा

(ग) सेल और इसकी इकाइयों के संबंध में उत्पादन लागत वर्गीकृत जानकारी है। गत तीन वर्षों के लिए सेल के कुछ उत्पादों का मूल्य निम्नानुसार है :

मृदु इस्पात (रुपए प्रति टन)

उत्पाद	1.4.97	1.4.98	1.4.99
राउन्डस 14/16 एम एम	10900	11300	11500
टी एम टी 8 एम एम	12000	12400	12100
वायर रॉडस 8 एम एम	12000	12400	12600
एंगलस 65x65x6 एम एम	11400	11100	11300

1	2	3	4
चैनल्स 100x50 एम एम	11800	11800	12000
जायस्ट 150x75 एम एम	12900	12900	13100
प्लेटस 12x20 एम एम	15700	16200	15400
एच आर शीटस 2.8 एम एम	14300	14400	15100
एच आर क्वायल्स 3.15 एम एम	14100	14400	15100
स्कैलप 2.8 एम एम	13400	13900	14600
सी आर शीट्स 0.63 एम एम	18900	19100	19000
सी आर क्वायलस 0.63 एम एम	18300	18600	18600

(घ) सेल और विकसित देशों के आधुनिक इस्पात संयंत्रों में प्रौद्योगिकीय अन्तर है। सेल और विकसित देशों के आधुनिक इस्पात संयंत्रों के बीच अन्तर को कम करने के लिए सेल के सभी संयंत्रों में प्रयास किए जा रहे हैं।

दिल्ली विश्वविद्यालय का पुनर्गठन

2578. श्री त्रिलोचन कानूनगो : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का दिल्ली विश्वविद्यालय के नवीनीकरण करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो उन क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है जिनमें दिल्ली विश्वविद्यालय के वर्तमान ढांचे में परिवर्तन और पुनर्गठन करने का प्रस्ताव है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा दिए गए प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

मणिपुर में कानून और व्यवस्था

2579. श्री जी. एस. बसवराज : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने मणिपुर में वर्तमान कानून और व्यवस्था की स्थिति पर विचार–विमर्श किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में किसी केन्द्रीय दल ने राज्य का दौरा किया है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा कानून और व्यवस्था की स्थिति को नियंत्रित करने के लिए राज्य सरकार की सहायता हेतु क्या कदम उठाए गए/जा रहे हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी) : (क) से (घ) मणिपुर में कानून और व्यवस्था/उग्रवाद की स्थिति पर निरन्तर निगरानी रखी जा रही है। स्थिति की पुनरीक्षा करने के लिए गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने बार–बार मणिपुर का दौर किया। गृह मंत्री ने भी राज्य के मुख्य मंत्री और उपमुख्य मंत्री के साथ नई दिल्ली में हुई बैठकों मे स्थिति की पुनरीक्षा की।

मणिपुर में उग्रवाद का मुकाबला करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों में, अन्य बातों के साथ–साथ, केन्द्रीय अर्ध–सैनिक बलों और सेना की तैनाती करना, सुरक्षा बलों के बीच बेहतर तालमेल और आसूचना का आदान–प्रदान करना, राज्य पुलिस बलों का आधुनिकीकरण/उन्नयन करना, सुरक्षा संबंधित व्यय की प्रतिपूर्ति करना, राज्य सरकारों के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता मंजूर करना, गंभीर रूप से प्रभावित क्षेत्रों को विक्षुब्ध क्षेत्र घोषित करना तथा मुख्य विद्रोही ग्रुपों को विधि–विरुद्ध संगठन अधिसूचित करना शामिल है। समुचित कार्रवाई करने के लिए स्थिति पर निरन्तर नजर रखी जाती है तथा समय–समय पर स्थिति की समीक्षा की जाती है। सरकार ने, उग्रवादी ग्रुपों को वार्ता के लिए आगे आने संबंधी अपील को फिर दोहराया है। सरकार राज्य के तेजी से आर्थिक विकास के प्रति भी वचनबद्ध है।

रेबीज रोधी टीके

2580. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रेबीज–रोधी और हैजा रोधी टीके विकसित करने हेतु कोई अनुसंधान कार्य आरंभ किया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त अनुसंधान को कौन–कौन से संस्थानों ने आरम्भ किया है;

(ग) ये टीके कब तक तैयार हो जायेंगे;

(घ) क्या सरकार का विचार इन टीकों को बाजार में बेचने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इस समय विकसित किये जा रहे टीकों का ब्यौरा क्या है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में राज्यमंत्री (श्री बची सिंह रावत "बचदा") : (क) जी हां। सरकार ने कुत्तों में रेबीज के नियंत्रण के लिए डी एन ए टीके के विकास को शुरू किया है। जैवप्रौद्योगिकीय तरीकों के माध्यम से प्रयोग के लिए एक नया कॉलरा टीका चरण 2 नैदानिक परीक्षण में है।

(ख) रेबीज टीके के लिए भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर, राष्ट्रीय पोषाहार संस्थान, हैदराबाद और मैसर्स इंडियन इम्युनोलॉजिकल्स, हैदराबाद कार्यरत है। माइक्रोबियल प्रौद्योगिकी संस्थान चंडीगढ़, राष्ट्रीय कॉलरा एवं इंटेरिक रोग संस्थान, कलकत्ता, भारतीय रासायनिक जीवन विज्ञान संस्थान, कलकत्ता, संजय गांधी स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, लखनऊ और

स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, चंडीगढ़ कॉलरा टीके पर काम कर रहे हैं।

(ग) से (ङ) यह सभावना है कि रेबीज के नियंत्रण के लिए डी एन ए टीके से संबंधित सभी अध्ययन दिसम्बर, 2000 तक पूरे हो जायेंगे। अगले वर्ष तक इस टीके के बाजार में उपलब्ध होने की संभावना है। भारतीय प्रतिरक्षा नैदानिक, हैदराबाद इस उत्पाद को बाजार में लाएगा। कॉलरा टीके के लिए उद्योग के साथ बातचीत शुरू हो चुकी है।

(च) जय–विज्ञान विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मिशन के तहत जेपनीज इंसेफेलाइटिस, मलेरिया, तपेदिक और एच आई वी के लिए कैंडिडेट टीकों का विकास शुरू किया गया है।

भारत कोकिंग कोल लि. के अंतर्गत कोयला खानों को बंद दिया जाना

2581. श्री बसुदेव आचार्य : क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अधिग्रहण के समय भारतीय कोकिंग कोल लि. तथा वर्तमान में महोबा क्षेत्र (अब पश्चिम झरिया क्षेत्र) में कोयले का कितना भंडार है;

(ख) क्या इस क्षेत्र की अधिकांश कोयला खाने बंद हो गई हैं;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इन खानों को पुनः चालू करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन.टी. षणमुगम) : (क) अधिग्रहण के समय तथा वर्तमान में पश्चिमी झरिया क्षेत्र में 600 मीटर गहराई तक खनिज भंडार का विवरण इस प्रकार है :–

1.	अधिग्रहण के समय	1359.00 लाख टन
2.	वर्तमान में	1099.00 लाख टन

(ख) राष्ट्रीयकरण के बाद इस क्षेत्र की केवल दो खानों यथा भुरुंजिया खान और मुरुलिडीह खान को बंद कर दिया गया है।

(ग) मुरुलीडीह खान को इसलिए बंद कर दिया गया है क्योंकि वहां खनिज भंडार समाप्त हो गए थे। भुरुंजिया खान को सुरक्षा कारणों तथा महानिदेशक, खान सुरक्षा (डीजीएमएस) द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के कारण बंद कर दिया गया है।

(घ) भुरुंजिया खान को दोबारा चालू करने के लिए अत्यधिक पूंजी निवेश की आवश्यकता होगी और प्रतिफल कम प्राप्त होगा। फिलहाल, प्रौद्योगिकी–आर्थिक आधार पर इस खान को दोबारा चालू करने के लिए कोई स्कीमें/योजनाएं नहीं है।

ग्रामीण विकास योजनाओं के लिए विदेशी सहायता

2582. श्री रामचन्द्र बैंदा : क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 30 सितम्बर, 2000 की स्थिति के अनुसार विभिन्न ग्रामीण विकास संबंधी योजनाओं के लिए विश्व बैंक और अन्य अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं द्वारा कितनी धनराशि प्रदान की गई है; और

(ख) वर्ष 1999–2000 और 2000–2001 के दौरान इस धनराशि में से विभिन्न राज्यों विशेषकर पश्चिम बंगाल को कितनी धनराशि आबंटित की गई है तथा आज की तारीख के अनुसार इसका वास्तविक रूप से कितना उपभोग किया गया है।

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री एम. वैंकय्या नायडू) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष रूप से निगम की स्थापना

2583. श्री रामानन्द सिंह :

श्री सनत कुमार मंडल :

श्री सुबोध मोहिते :

श्री राजेन गोहेन :

क्या **जनजातीय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार अनुसूचित जनजातियों के लाभ के लिए विशेष रूप से एक निगम स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार लाभ से वंचित रहे वर्ग की आर्थिक दशा में सुधार लाने हेतु वर्तमान सभी छह निगमों का विलय करके एकल निगम बनाने का भी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री जुएल उराम) : (क) और (ख) अनुसूचित जनजातियों के लाभ के लिए एक अलग राष्ट्रीय अनुसूचित

जनजाति वित्त एवं विकास निगम बनाने का एक प्रस्ताव विचाराधीन है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

महिला विधायकों और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को पुरस्कार

2584. श्री शिवाजी विट्ठलराव काम्बले : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सामाजिक विकास हेतु उत्कृष्ट स्तर का काम कर रही महिलाओं और बच्चों को दिए जा रहे पुरस्कारों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने उत्कृष्ट सामाजिक कार्य करने वाली महिला विधायकों और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को पुरस्कार देने के लिए कोई योजना तैयार की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन) : (क) सामाजिक विकास के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्यों के लिए महिलाओं, बच्चों और संगठनों को दिये जा रहे पुरस्कारों का ब्यौरा इस प्रकार है :-

(i) सामाजिक विकास के क्षेत्र में किसी महिला की उपलब्धियों को मान्यता प्रदान करने और उसे सम्मानित करने के लिए **स्त्री शक्ति पुरस्कारों** के अंतर्गत पांच राष्ट्रीय पुरस्कार।

(ii) महिला कल्याण और सबलीकरण के क्षेत्र में उत्कृष्ट और/अथवा नवीन योगदान करने वाले और इस क्षेत्र में कम से कम पांच वर्षों का कार्य अनुभव रखने वाले संगठन को दिया जाने वाला **महिला विकास हेतु डा. दुर्गाबाई देशमुख पुरस्कार।**

(iii) विभिन्न प्रकार की अक्षमताओं से ग्रस्त बच्चों की सेवा में उत्कृष्ट योगदान करने वाले व्यक्ति को सम्मानित करने के लिए **बाल सेवा हेतु राजीव गांधी मानव सेवा पुरस्कार।**

(iv) शिक्षा, संस्कृति, कला, खेल-कूद, संगीत, आदि जैसे क्षेत्रों में उत्कृष्ट स्थान प्राप्त करने वाले और अद्वितीय क्षमता रखने वाले बच्चों को मान्यता प्रदान करने के लिए **उत्कृष्ट उपलब्धि हेतु राष्ट्रीय बाल पुरस्कार।**

(v) बाल कल्याण और विकास के क्षेत्र में उत्कृष्ट निष्पादन हेतु संस्थाओं और व्यक्तियों को दिये जाने वाले **राष्ट्रीय बाल कल्याण पुरस्कार।**

(vi) 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए **राष्ट्रीय वीरता, पराक्रम और सराहनीय सेवा हेतु पुरस्कार।**

(ख) और (ग) जी, हां। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रेरित करने और स्वैच्छिक कार्यों को मान्यता प्रदान करने के लिए, सरकार ने वर्ष 2000 से उत्कृष्ट आंगनवाड़ी कार्यकताओं को कार्य के उनके समर्पण और अनुकरणीय निष्पादन के आधार पर वार्षिक पुरस्कार प्रदान करने का निर्णय लिया है। इस स्कीम के अंतर्गत, दो स्तरों पर पुरस्कार प्रदान किए जाएगें, राज्य/संघ-राज्य क्षेत्र स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर। राष्ट्रीय पुरस्कारों के लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के नाम राज्य सरकारें भेजेंगी। राज्य स्तरीय पुरस्कारों के अंतर्गत 2500/- रुपए की राशि और एक प्रशस्ति-पत्र दिया जाएगा। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए 1275 राज्य पुरस्कार होंगे। राष्ट्रीय पुरस्कारों के अंतर्गत चुनी गई 20 आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को 25-25 हजार रुपए और एक-एक प्रशस्ति-पत्र दिया जाएगा।

महिला विधायकों को पुरस्कृत करने की विभाग ने कोई स्कीम नहीं बनाई है।

[अनुवाद]

सतत् शहरी विकास पर संगोष्ठी

2585. श्री जी. मल्लिकार्जुनप्पा : क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अक्तूबर 2000 के दौरान सतत् शहरी विकास पर संगोष्ठी आयोजित की गई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इसमें जिन मुद्दों पर चर्चा की गई और जो सिफारिशें की गईं, उनका ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन सिफारिशों को लागू करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) जी, हां।

भारतीय उद्योग परिसंघ (सी आई आई), आवास और नगर विकास निगम (हडको), अवस्थापना विकास एवं वित्त निगम (आई डी एफ सी) और इन्फ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एण्ड फाइनान्सियल सर्विसेज (आई एल एण्ड एफ एस) द्वारा संयुक्त रूप से 17-18 अक्तूबर को "शहरी अवस्थापना-सतत् विकास" पर एक अन्तर्राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित की गई थी।

(ख) से (घ) संगोष्ठी में नगरों के विकास पर चर्चा हुई और उसी परिप्रेक्ष्य में अन्य बातों के साथ आवास क्षेत्र में कमी, अवस्थापना

की अपर्याप्तता जैसे पानी की कमी, यातायात की भीड़भाड़, स्लमों का बसाव, तीव्र शहरीकरण का पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव, संसाधनों का सीमित होना और भावी विकास हेतु समग्र कार्य योजना तैयार करने जैसे मुद्दों पर भी विचार–विमर्श हुआ। सरकार इन पक्षों से पहले से जागरूक है क्योंकि पहले भी ऐसे ही मंचों पर इन पर चर्चा हुई है और इस बारे में नीतियां बनाने/संशोधन करते समय इन बातों का ध्यान रखा जाता है।

दिल्ली में टाइप-8 क्वार्टरों के बारे में दिनांक 8 अगस्त, 2000 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2610 के उत्तर में शुद्धि करने वाला विवरण

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : दिल्ली में टाइप–8 क्वार्टरों से संबंधित श्री रामदास आठवले द्वारा पूछे गए लोकसभा के अतारांकित प्रश्न संख्या 2610, जिसका 8.8.2000 को उत्तर दिया गया था के उत्तर के भाग निम्न शब्दों एवं अंकों के स्थान पर–

"उपर्युक्त क्वार्टरों में से 29 क्वार्टर केन्द्रीय मंत्रियों, 25 क्वार्टर सांसदों के कब्जे में है, 26 क्वार्टर भारत के उच्चतम न्यायालय के जजों और 8 बगले दिल्ली के उच्च न्यायालय के जजों को आबंटित करने के लिए निर्दिष्ट हैं, और अन्य भूतपूर्व राष्ट्रपतियों/भूतपूर्व प्रधानमंत्रियों और उनकी पत्नियों, विभिन्न आयोगों अध्यक्ष/सदस्यों, सचिव/समकक्ष अधिकारियों, महान्यायवादी (अटॉरनी जनरल), मुख्य चुनाव आयुक्त, चुनाव आयुक्त, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, स्मारकों/ट्रस्टों, राजनीतिक पार्टियों आदि के पास है। किसी सेना अधिकारी को सामान्य पूल से टाइप–8 आवास आबंटित नहीं किया गया है।"

निम्नलिखित को शामिल कर लिया जाए।

"उपर्युक्त क्वार्टरों में से 29 क्वार्टर केन्द्रीय मंत्रियों के, 25 क्वार्टर सांसदों के कब्जे में हैं तथा अन्य क्वार्टर पूर्व राष्ट्रपतियों/पूर्व प्रधानमंत्रियों और उनकी पत्नियों, विभिन्न आयोगों अध्यक्ष/सदस्यों, सचिव/समकक्ष अधिकारियों, महान्यायवादी (अटॉरनी जनरल), मुख्य चुनाव आयुक्त, चुनाव आयुक्त, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, स्मारकों/ट्रस्टों, राजनीतिक पार्टियों आदि के पास हैं। साथ ही 26 बंगले सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों एवं 8 बंगले दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को आबंटन हेतु निर्दिष्ट हैं। किसी सेना अधिकारी को सामान्य पूल से टाइप–8 आवास आबंटित नहीं किया गया है।"

2. भूल सुधार विवरणी को देरी से पटल पर रखने एवं सभा को हुई असुविधा हेतु खेद है।

(व्यवधान)

अपराह्न 12.01 बजे

(इस समय, कुंवर अखिलेश सिंह और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभापटल के निकट खड़े हो गए।)

अपराह्न 12.01½ बजे

(इस समय कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभापटल के निकट खड़े हो गए।)

अपराह्न 12.02 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी) : महोदय, श्री लाल कृष्ण आडवाणी की ओर से मैं सीमा सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 की धारा 141 की उपधारा (3) के अन्तर्गत सीमा सुरक्षा बल (व्यापारी समूह "ग" और अभ्यावेशित अनुचर समूह "घ" पद) भर्ती नियम, 2000 जो 28 अक्तूबर, 2000 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 418 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय मे रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 2695/2000]

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री (श्री जगमोहन) : महोदय, मैं कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

(1) दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1999–2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(2) दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1999–2000 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक–महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय मे रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 2696/2000]

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) (एक) वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 1998–99 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 1998–99 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 1998–99 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 2697/2000]

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री एम. वैंकय्या नायडू) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) दादरा और नागर हवेली पंचायत विनियम, 1965 की धारा 66 की उपधारा (2) के अन्तर्गत जारी निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :–

(एक) दादरा और नागर हवेली (पंचायत) (निर्वाचन प्रक्रिया) नियम, 1995 जो 6 फरवरी, 1995 के दादरा और नागर हवेली के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 12 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) दादरा और नागर हवेली जिला पंचायत (बैठक) नियम, 1996 जो 4 दिसम्बर, 1996 के दादरा और नागर हवेली के राजपत्र में अधिसूचना संख्या डीपी/सीईओ/डीएनएच/96/07/308 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 2698/2000]

(2) गोवा, दमण और दीव ग्राम पंचायत विनियम, 1962 की धारा 66 की उपधारा (1) के अन्तर्गत जारी दमण और दीव (पंचायत) (निर्वाचन प्रक्रिया) नियम, 1995 जो 8 मई, 1995 के दमण और दीव संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 1/8/94–निर्वा./34 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 2699/2000]

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी) महोदय, मैं कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभापटल पर रखता हूं :

(1) मैगनीज ओर (इंडिया) लिमिटेड, नागपुर के वर्ष 1999–2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(2) मैगनीज ओर (इंडिया) लिमिटेड, नागपुर का वर्ष 1999–2000 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक–महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 2700/2000]

[हिन्दी]

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) (एक) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, चेन्नई के वर्ष 1999–2000 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, चेन्नई के वर्ष 1999–2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(तीन) प्रौद्योगिकी संस्थान अधिनियम, 1961 की धारा 23 की उपधारा (4) के अन्तर्गत भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, चेन्नई के वर्ष 1999–2000 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 2701/2000]

[अनुवाद]

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यब्रत मुखर्जी) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या का.आ. 1053 (अ) जो 27 नवम्बर, 2000 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा 1 अक्तूबर, 2000 की अधिसूचना संख्या का. आ. 907(अ) में कतिपय संशोधन किये गये हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 2702/2000]

(2) (एक) कृषक भारती कोऑपरेटिव लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1999–2000 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) कृषक भारतीय कोऑपरेटिव लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1999–2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 2703/2000]

(3) (एक) सेन्ट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक्स इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलॉजी, चेन्नई के वर्ष 1999–2000 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखेपरीक्षित लेखे।

(दो) सेन्ट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक्स इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलॉजी, चेन्नई के वर्ष 1999–2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 2704/2000]

अपराह्न 12.03 बजे

[अनुवाद]

सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति

तीसरा और चौथा प्रतिवेदन

श्री प्रभात सामन्तराय (केन्द्रपाड़ा) : महोदय, मैं सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति का तीसरा और चौथा प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा तत्संबंधी समिति के कार्यवाही सारांश सभा पटल पर रखता हूं।...... *(व्यवधान)*

अपराह्न 12.03½ बजे

[अनुवाद]

रेल संबंधी स्थायी समिति

दूसरा प्रतिवेदन

श्री के. येरननायडू (श्रीकाकुलम) : महोदय, मैं "रेल वित्त" के बारे में रेल संबंधी स्थायी समिति (1997–98) (ग्यारहवीं लोक सभा) के नौवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में रेल संबंधी स्थायी समिति (1999–2000) का दूसरा प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों, कृपया अपने स्थानों पर वापस जाइए।

......*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : अब सभा कल पूर्वाह्न ग्यारह बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 12.04 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा बुधवार, 6 दिसम्बर, 2000/15 अग्रहायण, 1922 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

पी० एल० एस० — 48/12/12/2000 (एन०)
280

© 2000 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (नौवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और सनलाईट प्रिन्टर्स, दिल्ली–110006 द्वारा मुद्रित।